खण्ड-438, अंक-6
मंगलवार, 25 वैशाख, शक संवत् 1923
(15 मई, 2001 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2001)

खण्ड 438 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2001

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय - सूची

विषय	पृष्ठ -संख्या
उपस्थित सदस्य	क-छ
प्रश्नोत्तर	1-107
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	107
जनपद ज्योतिबाफूले नगर के गजरौला औद्योगिक क्षेत्र में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित की जा रही आवासीय योजना में घटिया सामग्री के प्रयोग की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ।	108
प्रदेश में धोबी बिरादरी को कपड़ों की धुलाई के लिए तालाबों / गड्ढों को धोबी घाट के रूप में सुरक्षित करने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना।	108-109
जनपद आजमगढ़ की ग्राम सभा उकरौड़ा विकास खण्ड पल्हनी में चकबन्दी प्रक्रिया का निस्तारण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना।	109
जनपद बांदा के गौरी कला व बहुण्डरी के बीच कोईलाव नाला पर रपटा निर्माण पूरा करने एवं निर्माण में की गयी अनियमितताओं की टी0ए0सी0 से जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ।	109
जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों को समयबद्ध पिच कराने एवं कतिपय सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ।	110
एल0टी0 से बी0एड0 में परिवर्तित सहायता प्राप्त प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों की सेवाओं को उच्च शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित कराने तथा वेतन भुगतान उच्च शिक्षा विभाग से कराये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ।	110-111
जनपद गाजियाबाद के खेकड़ा क्षेत्रान्तर्गत तथा बागपत, केराना, मेरठ, मुजफ्फरनगर आदि क्षेत्रों में नकली नोटों का प्रचलन एवं अवैध हथियारों के बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ।	111
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं ।	112
सत्रकाल के दौरान जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहदर में क्षेत्र पंचायत की बैठक बुलाये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न ।	112

विषय	पृष्ठ-संख्या
उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 में समुचित संशोधन करके सत्ता पक्ष के विधायकों को भी अपनी बात कहने तथा सरकार से तत्काल उत्तर प्राप्त करने की सुविधा दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ।	112-113
विधान सभा के प्रथम सत्र 2001 के तीसरे सोमवार के लिए निधार्रित अतारांकित प्रश्न संख्या 49 का संतोषजनक उत्तर न प्राप्त होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ।	113-114
जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के ग्राम अमैदोपुरा में पानी की टंकी बनाने तथा ग्राम बरौली में बोरिंग का कार्य सम्पन्न कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ।	114-115
झूंसी इलाहाबाद स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद् के सदस्य द्वारा क्षेत्र के सभी जिलों एवं मण्डलों के लिए विकास कार्यों का प्रस्ताव दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ।	115
प्रदेश के विधान सभा क्षेत्रों का वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ।	115-120
प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रस्तावित पांच-पांच ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने की ऊर्जा मंत्री की घोषणा का कार्यान्वयन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न ।	120-122
उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 80 वाँ प्रतिवेदन । (प्रस्तुत किया गया)	122-123
कार्य - स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं ।	123-155
वित्तीय वर्ष 2001 - 2002 के आय - व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान - अनुदान संख्या -32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) अनुदान संख्या -36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) (स्वीकृत)।	155-200
वित्तीय वर्ष 2001 - 2002 के आय - व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या -35, चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) (स्वीकृत)।	200-212
वित्तीय वर्ष 2001 - 2002 के आय - व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-44-, पर्यटन विभाग (स्वीकृत)।	212-221

विषय	पृष्ठ संख्या
नियम -51 के अन्तर्गत सूचनाएं ।	222-224
मण्डल / जिला अथवा विकास खण्ड को एक इकाई के रूप में मानकर प्रदेश के कृषकों के लिये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को स्वैच्छिक एवं व्यक्तिगत रूप से लागू किये जाने विषयक डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 10 मई, 2001 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या -3, नत्थी (ग) के संबंध में नियम-49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की निर्धारित चर्चा का स्थगन ।	225
नत्थी ।	226-231

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

मंगलवार, दिनांक 15 मई ,2001

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे : --

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अक्षयवर लाल, श्री	बहराइच
अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा
अजय राय, श्री	वाराणसी
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद
अनिल कुमार, श्री	बलिया
अनीस खां, श्री	पीलीभीत
अफजाल अहमद, श्री	जौनपुर
अफरोज अली खां, श्री	रामपुर
अब्दुल कलाम, श्री	बस्ती
अब्दुल कलाम, श्री	वाराणसी
अब्दुल खालिक, श्री	अलीगढ़
अमित अग्रवाल, श्री	मेरठ
अम्मार रिजवी, डा0	सीतापुर
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
आनन्द प्रकाश, श्री	पडरौना
आलमबदी, श्री	आजमगढ़
उर्मिला देवी, श्रीमती	मैनपुरी
उबैदुर्रहमान, श्री	गोण्डा
ओइम्वेश, स्वामी	बिजनौर
ओम प्रकाश गुप्त, श्री	सीतापुर
कमला प्रसाद रावत, श्री	वाराबंकी
काजिम अली खां उर्फ नवेद मियां, श्री	रामपुर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गणेश राजभर, श्री	गाजीपुर
गोपाल कृष्ण, श्री	पीलीभीत
चन्द्र पाल सिंह यादव, श्री	झांसी
चन्द्रेश पासवान, श्री	गोरखपुर
चौधरी लक्ष्मी नारायण, श्री	मथुरा
छोटे लाल गंगवार, मास्टर	बरेली
छोटे लाल राजभर, श्री	बलिया

उत्तर प्रदेश विधान सभा

जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जयपाल सिंह, श्री	मेरठ
जोखू लाल यादव, श्री	इलाहाबाद
ज्वाला प्रसाद यादव, श्री	जौनपुर
दलवीर सिंह, श्री	अलीगढ़
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर
नन्दराम, श्री	बरेली
पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
प्रदीप कुमार , श्री	सहारनपुर
फतेह बहादुर ,श्री	महराजगंज
बादशाह सिंह, श्री	हमीरपुर
बाबू राम, श्री	जालौन
भरत सिंह, श्री	बलिया
भाई लाल, श्री	मिर्जापुर
भोनू राम सोनकर, श्री	गाजीपुर
मथुरा प्रसाद, श्री	कानपुर देहात
महेन्द्र कुमार , श्री	बुलन्दशहर
मानिक चन्द यादव , श्री	मैनपुरी
मारकण्डेय चन्द , श्री	गोरखपुर
मुश्ताक सोलंकी, श्री	रायबरेली
मोती लाल , श्री	खीरी
रघुराज प्रताप सिंह घ्राजा भईया ड, कुंवर	प्रतापगढ़
रतनजीत प्रताप नारायण सिंह , कुंवर	पडरौना
रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री	सिद्धार्थनगर
राकेश त्यागी, श्री	बुलन्दशहर
राजनाथ सिंह , श्री	बाराबंकी
राजपाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
राजा गज़नफर अली खां , श्री	बिजनौर
राजा राम पाण्डेय , श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह , श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र यादव, श्री	गाजीपुर
राधेश्याम , श्री	कानपुर देहात
राम आसरे पासवान , श्री	बस्ती
रामजग , श्री	आजमगढ़
राम नक्षत्र , श्री	पडरौना
राम नरेश यादव ,श्री	आजमगढ़
राम नाथ , श्री	प्रतापगढ़

उत्तर प्रदेश विधान सभा

राम प्रताप सिंह, श्री	गोण्डा
राम प्रसाद चौधरी , श्री	बस्ती
रामवीर उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
राम शंकर पाल , श्री	उन्नाव
राम सिंह , श्री	बुलन्दशहर
राम सेवक सिंह , श्री	बदायूं
राम स्वरूप शर्मा, श्री	मथुरा
राम हर्ष सिंह , श्री	सुल्तानपुर
रामेश्वर सिंह यादव , श्री	एटा
लल्लू सिंह , श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन , श्री	लखनऊ
विजय कुमार , श्री	गाजीपुर
विजय प्रकाश , श्री	इलाहाबाद
विजय सिंह , श्री	सोनभद्र
विरेन्द्र सिंह , श्री	मुजफ्फरनगर
वीरेन्द्र सिंह सोलंकी , श्री	एटा
शरदवीर सिंह , श्री	शाहजहांपुर
शिव बहादुर सक्सेना , श्री	रामपुर
शिशुपाल सिंह यादव, श्री	एटा
श्याम सुन्दर, श्री	रायबरेली
श्रीराम यादव, श्री	जौनपुर
संजय गर्ग, श्री	सहारनपुर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश जतारिया, श्री	झांसी
सन्त राम सिंह, श्री	जालौन
सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुंवर	मुरादाबाद
सुखपाल पाण्डेय, श्री	बस्ती
सुधाकर सिंह, श्री	मऊ
सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव, श्री	देवरिया
सुन्दर लाल वर्मा, श्री	मेरठ
सुशील शाक्य, श्री	फरूर्खाबाद
सुशीला अग्रवाल, श्री	मुजफ्फरनगर
हरि प्रसाद उर्फ घमड़ी, श्री	सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, 15 मई, 2001

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11.00 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।)

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

जनपद आगरा में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ की स्थापना प्रकरण

श्री विजय पाल सिंह–

**1 क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पश्चिमी क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुये क्या जनपद आगरा में उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हाँ, तो उक्त न्यायालय कब तक स्थापित कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

न्याय मंत्री (श्री राधेश्याम गुप्त)–

मा0 उच्च न्यायालय की खण्डपीठ स्थापित करने का प्रकरण भारत सरकार विधि मंत्रालय के विचाराधीन है ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री विजय पाल सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जसवन्त सिंह आयोग ने क्या सिफारिश की तथा भारत सरकार के विधि मंत्रालय में कब से यह मामला लम्बित है व कब तक इस पर निर्णय ले लिया जायेगा, समय सीमा क्या है ?

श्री अध्यक्ष–

यह भारत सरकार के विधि मंत्रालय से सम्बन्धित है इसका उत्तर न्याय मंत्री कहाँ से दे पायेंगे?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि यह रिपोर्ट 1987 से विचाराधीन है उसके बाद उत्तरांचल का गठन भी हो गया तथा उत्तरांचल में हाईकोर्ट स्थापित करनी पड़ी । अत: पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की पीठ स्थापित करने के लिए क्या कार्यवाही कर रहे हैं या विचार कर रहे हैं क्या भारत सरकार के विधि मंत्रालय को यह संस्तुति करेंगे कि नई व्यवस्था पैदा हो गई है तथा इस पर जल्दी निर्णय ले लिया जाए ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

माननीय सदस्य जी ने जो प्रश्न पूछा है उसके संदर्भ में उत्तर प्रदेश सरकार ने 1976-79 में मेरठ में खण्ड पीठ स्थापित करने के लिए मंत्रिपरिषद के निर्णय को लेकर भारत सरकार को प्रस्ताव भेज दिया था ।...

श्री अध्यक्ष –

उत्तरांचल राज्य का गठन हो गया वहां नया उच्च न्यायालय स्थापित हो गया क्या बदली हुई परिस्थिति में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्ड पीठ स्थापित करने की कोई संस्तुति करेंगे ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

यह राज्य सरकार का विषय नहीं है । भारत सरकार का विषय है । हमने प्रस्ताव भेज दिया है और जसवन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट पर भी निर्णय भारत सरकार को लेना है । हमें निर्णय नहीं लेना है ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी –

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खण्ड पीठ स्थापित करने के लिए उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की संस्तुति अपेक्षित है क्या उस संस्तुति के लिए शासन ने उनके पास कोई पत्र भेज रखा है, उसका उत्तर प्राप्त हो गया है या नहीं ?

श्री राधेश्याम गुप्त –

मान्यवर , माननीय सदस्य ने जो जानना चाहा है । मैं बताना चाहता हूं कि सरकार ने पहले भी संदर्भित किया था जसवन्त सिंह आयोग ने जो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है वह यह कि आगरा के लिये उन्होंने अपनी संस्तुति दी थी ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी –

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ स्थापित करने के लिये माननीय मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय की संस्तुति या आख्या अपेक्षित है ? यदि हां , तो क्या उस आख्या के लिये माननीय न्यायाधीश उच्च न्यायालय को कोई पत्र गया है ?

श्री राधेश्याम गुप्त –

शासन से पत्र गया है और मुख्य न्यायाधीश का अभिमत प्राप्त हुआ है वह सरकार के विचाराधीन है और सरकार उस प्रस्ताव को भेजेगी ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा –

मान्यवर , दो संस्तुतियां हैं। जसवन्त सिंह आयोग की 1979 में जो संस्तुति थी वह आगरा के लिये थी और मुख्य न्यायाधीश की मेरठ और आगरा के लिये थी । अब विधि

मंत्रालय, जो भारत सरकार का है, वह इन दोनों संस्तुतियों के चक्कर में उलझा हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो उसके पास वर्तमान में अभिमत है कि उत्तर प्रदेश (पश्चिमी) में किस जगह खण्ड पीठ की स्थापना की जाय, उसकी सिफारिश भारत सरकार को जो पत्र लिखा है, जो नई परिस्थितियां डेवलेप हुई हैं, उत्तरांचल के गठन के बाद ,उन नई परिस्थितियों, नये परिवेश में खण्ड पीठ की स्थापना के लिये विचार करेंगे ?

श्री राधेश्याम गुप्त –

अभी जो मुख्य न्यायाधीश का अभिमत प्राप्त हुआ है, उस पर कार्यवाही हो रही है ।

कुँवर रेवती रमण सिंह –

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय न्याय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बाजपेयी जी और अन्य सम्मानित सदस्यों ने पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण का सवाल उठाया है । मान्यवर, हाई कोर्ट एक ऐसी व्यवस्था है जिससे न्याय मिले और न्याय की गुणवत्ता भी बनी रहे । अगर जिला कचहरी की तरह न्यायालय खण्ड पीठ खोल दिये जायेंगे तो कोई महत्व नहीं रह जायेगा। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या मुख्य न्यायाधीश महोदय ने यह संस्तुति की है कि यह खण्ड पीठ मेरठ या आगरा में खोली जाय ? मेरा अभिमत है कि यह खण्ड पीठ खोली जायेगी तो प्रदेश के बँटवारे का एक सूत्रपात फिर प्रारम्भ हो जायेगा। मेरा आग्रह है सभी माननीय सदस्यों से कि खण्ड पीठ कदापि न खोली जाय ।

श्री अध्यक्ष –

प्रश्न कुँवर रेवती रमण जी ने किया है कि मुख्य न्यायाधीश ने खण्ड पीठ खोले जाने की संस्तुति की है उसमें क्या आगरा और मेरठ में खोले जाने की बात कही है ?

श्री प्रमोद कुमार –

मान्यवर, एक सवाल करना चाहता हूं । मान्यवर , भारत के संविधान के अनुच्छेद -214 को मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी देख लें ताकि उत्तर देने में सहूलियत हो जायेगी। "प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्च न्यायालय होगा ।" मान्यवर, जसवन्त सिंह आयोग ने देहरादून, आगरा और मेरठ का प्रस्ताव किया था । चूंकि आप जानते हैं कि देहरादून उत्तरांचल में चला गया है और बहुत से पर्वतीय अंचल जो पृथक खंडपीठ के लिये थे, उत्तरांचल अब अलग राज्य बन गया है, इसलिये अब जसवन्त सिंह आयोग की संस्तुति अपने आप में बेकार हो गई है । क्या माननीय मंत्री जी एक नये आयोग के गठन की घोषणा करेंगे ? तो मान्यवर, यह तलाशेगा कि कौन सा स्थान उपयुक्त रहेगा ? उत्तरांचल बन जाने के बाद मानचित्र परिवर्तित हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार यह आश्वासन देगी कि किसी का हित न मारा जाय नये आयोग का गठन करके नये स्थान के चयन की घोषणा करेंगे ? संविधान के अनुच्छेद-214 के अनुरूप प्रत्येक राज्य में एक ही उच्च न्यायालय होना चाहिए । मेरा तो कहना है कि सबको मिलाकर एक जगह कर लें और इसके लिये संगम से और अच्छा कोई स्थान नहीं हो सकता है ।

श्री अध्यक्ष –

जसवन्त सिंह आयोग का गठन केन्द्र सरकार ने किया था । उत्तर प्रदेश गठन नहीं कर सकता है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, यह संस्तुति करें । उत्तर प्रदेश सरकार यह संस्तुति करने के लिए विचार करेगी कि नये आयोग का गठन उत्तरांचल बनने के बाद कराया जाए ।

श्री राधेश्याम गुप्त–

विद्वान तिवारी जी जानते हैं यह लॉ ग्रेजुएट हैं यह राज्य सरकार का विषय नहीं है यह केन्द्र सरकार का विषय है आयोग बनाने और गठन करने का ।

श्री प्रमोद कुमार –

1989 में जब मैं सदस्य था उस समय राज्य मंत्रिपरिषद का सदस्य था उत्तर प्रदेश सरकार ने, मंत्रिपरिषद ने उस समय संस्तुति की थी, कुछ स्थानों की, कुछ जगहों की, अब उत्तरांचल का गठन हो गया है उत्तर प्रदेश का मानचित्र अब परिवर्तित हो गया है । अब नयी परिस्थितियों में नये आयोग का गठन आवश्यक है यह केन्द्र सरकार का विषय नहीं है, राज्य सरकार का प्रस्ताव 1989 का है ।

श्री राधेश्याम गुप्त–

1976 और 1979 में राज्य सरकार ने प्रस्ताव भेजा कि यहां उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ स्थापित है नई परिस्थितियों में हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश की संस्तुति आई उस पर राज्य सरकार कार्यवाही कर रही है ।

श्री प्रमोद कुमार–

यह जब की है जब उत्तरांचल नहीं बना था ।

श्री अध्यक्ष–

मुख्य न्यायाधीश की संस्तुति पहले की है या बाद की है ?

श्री राधेश्याम गुप्त –

भारत सरकार ने उच्च न्यायालय से अभिमत मांगा था अभिमत जो प्राप्त हुआ है जो निर्णय हमारी सरकार को लेना है माननीय मुख्य न्यायाधीश का अभिमत सरकार के विचाराधीन है यह विषय न्याय मंत्री का नहीं है यह मंत्रिमण्डल तय करेगा जो चिन्ता आपकी है उस पर सरकार विचार कर रही है ।

श्री अध्यक्ष –

अभी यह विचाराधीन है ।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी –

मंत्री जी ने कहा यह भारत सरकार का विषय है उसको निर्णय लेना है, प्रमोद तिवारी जी ने कहा उत्तरांचल बनने के बाद जसबन्त सिंह आयोग की रिपोर्ट निरर्थक हो गई, उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक जो सदन द्वारा पास किया गया उसकी धारा 426 (2) में लिखा है कि उत्तरांचल राज्य का जो उच्च न्यायालय होगा। वह ऐसे स्थान पर बैठेगा जो राज्य में नियम होगा। धारा 426 (2) में लिखा है उत्तरांचल के न्यायधीश उत्तरांचल के राज्यपाल की सहमति से ऐसे स्थानों पर बैठेंगे जो धारा 48 (2) में है। उत्तर प्रदेश के न्यायाधीश उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की सहमति से कहीं भी किसी भी स्थान पर बैठ सकेंगे। हाईकोर्ट की कोई सीट निर्धारित नहीं है। दूसरी बात मान्यवर सर्किट बेंच का प्राविधान है...

श्री अध्यक्ष –

यह अनुपूरक प्रश्न तो नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी –

यह है कि सर्किट बेंच में भी चाहे तो व्यक्ति मुकदमा कर सकता है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि सर्किट बेंच की स्थापना करने में भारत सरकार का कोई रोल नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश या श्री राज्यपाल कर सकते हैं। उत्तरांचल राज्य का गठन हो गया है। बरेली को लखनऊ से जोड़ा जा सकता है रिआरगेनाइजेशन करके। क्या मेरठ और आगरा दोनों जगह सर्किट बैंचों की स्थापना करने पर विचार करेंगे ?

श्री राधेश्याम गुप्त –

मान्यवर, मैंने पहले भी यह कहा था कि यह भारत सरकार का विषय है प्रदेश सरकार का विषय नहीं है।

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार–

बाजपेयी जी आप बैठ जायें। यह कोई डाक्टरी का विषय नहीं है यह वकालत का विषय है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

दो अनुपूरक प्रश्न हो गये हैं बाजपेयी जी आप बैठ जायें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए, जो 16 करोड़ की है...

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी ने कहा है कि मुख्य न्यायाधीश से अभिमत प्राप्त होने के बाद यह मामला विचाराधीन है।

(व्यवधान)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया । मैंने नियमों का हवाला दिया । मंत्री जी का यह कहना कि भारत सरकार से यह सम्बन्धित मामला है । यह नितान्त असत्य है और सदन को गुमराह करने वाला है । इसमें आप हमें संरक्षण दें । मैंने यह कहा कि यू0 पी0 एमलगमेशन एक्ट 1948 की धारा-14 और उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन आयोग की धारा 36(2) एवं (3) उनको जोड़ते हुए...

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय बाजपेयी जी आपके प्रश्न का उत्तर आ गया है। आप कृपया बैठ जायें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, हम आपका संरक्षण चाहते हैं। माननीय मंत्री जी केवल इतना बता दें कि सर्किट बैंच की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार तय करती है, तो भारत सरकार की आड़ लेकर पश्चिम की जनता की मांग को क्या ठुकराना चाहते हैं?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर,मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि सर्किट बैंच की बात चल रही है तो क्या माननीय मंत्री जी सदन की भावनाओं को देखते हुए केन्द्र सरकार से यह संस्तुति करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट सर्किट बैंच की स्थापना इलाहाबाद में हो, इस पर सरकार विचार करेगी ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

मान्यवर, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बाजपेयी जी की यह जिज्ञासा है कि क्या सरकार सर्किट बैंच की स्थापना के बारे में कोई सुनिश्चित कार्यवाही करेगी ?

श्री राधेश्याम गुप्त–

मान्यवर, मैंने पहले ही बता दिया था कि यह अकेला मेरा विषय नहीं है यह माननीय मंत्रि-परिषद् का विषय है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर से नई स्थिति पैदा हो गई है । आपने कहा कि यह मंत्रिमण्डल का विषय है ।

श्री राधेश्याम गुप्त–

जो आपने चाहा है वह बता रहा हूं ।

श्री अध्यक्ष–

आपने कहा है कि विचाराधीन है तो इसमें सामूहिक रूप से मंत्रि-परिषद् निर्णय लेगी।

प्रदेश में ग्रामों को सड़कों से जोड़ने के सम्बन्ध में कार्ययोजना

श्री राम औतार शाक्य –

**2 - क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में 500 की आबादी वाले सभी ग्रामों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए अभी हाल ही में कोई कार्ययोजना तैयार की गयी है ? यदि हां, तो वह कार्ययोजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल) –

जी हाँ । भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना वर्ष 2000-2001 से शत-प्रतिशत केन्द्र प्रयोजित योजना प्रारम्भ की गयी है, जिसका उद्देश्य एक हजार से अधिक व्यक्तियों की आबादी वाले सभी गाँवों को अगले तीन वर्षों में तथा 500 से अधिक व्यक्तियों की आबादी वाले सभी गाँवों को 2007 तक बेहतर बारहमासी सड़कों से जोड़ना प्रस्तावित है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री राम औतार शाक्य –

मान्यवर, प्रदेश के ज्यादातर गांव सड़कों से जुड़ जायें तो प्रदेश का विकास हो सकता है । मान्यवर, यह जिला योजना 10 लाख कूप योजना समाप्त हो गई। स्टेट सेक्टर के बारे में हमें जानकारी नहीं है क्योंकि लाभ नहीं मिल रहा है उस योजना का । आपने नई योजना बताई है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना । तो इसके अन्तर्गत आपने एक हजार की आबादी वाले गाँवों को अगले तीन वर्षों में जोड़ने का प्रस्ताव किया है । तो इसका कोई टाईम-बाउन्ड कार्यक्रम बनाया है। जो योजना आपने ली है । आपने जिलों से प्रस्ताव मंगाये हैं और उनका निर्माण किस तरीके से करेंगे? मान्यवर, मुझे ऐसी जानकारी है कि यह सड़क योजना समाप्त हो गयी है प्लान स्थगित हो गया है। क्या आप अपने संसाधनों से एक हजार से अधिक आबादी वाले ग्रामों को जोड़ने के लिए कोई विकल्प तैयार करेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल –

मान्यवर, 15 अगस्त, 2000 को माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह घोषित किया था कि 2003 और 2007 तक क्रमश: एक हजार की आबादी के और 500आबादी वाले गाँवों को , सम्पर्क मार्गों से नहीं जुड़े हैं, जोड़ेंगे । मान्यवर, सभी प्रदेशों से इसमें योजना माँगी । उत्तर प्रदेश से भी प्रस्ताव माँगा गया था । उसमें 324.22 करोड़ रुपये के करीब धनराशि की स्वीकृति की बात थी । आप हमारी बात सुन लें । 321.11 करोड़ रुपये अवमुक्त की गयी मान्यवर,चूंकि इसमें जिला योजना का भी प्रेशर था। माननीय विधायकों का इसमें बीएमएस में कन्वर्ट करने की बात थी ।

(व्यवधान)

मान्यवर, 2003 तक एक हजार की आबादी वाले और 2007 तक 500 की आबादी वाले ग्रामों को जोड़ेंगे ।

श्री अम्बिका चौधरी –

मान्यवर, मंत्री जी ने कहा कि प्रत्येक जनपद से योजना भेजी गयी , लेकिन मान्यवर,निर्देश यह था कि उस समय 31 मार्च के पूर्व यह सारा धन प्राप्त हो जायेगा । जनपदों को मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुल कितना धन 2000-2001 में इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश को प्राप्त होना था और उसमें से अगर कोई धन प्राप्त हुआ प्रदेश सरकार को तो जनपदों को उसको 2000-2001 तक भेजा जाना है तो जो योजना 2000-2001 की थी, जो धन चिन्हित था उस धनराशि को भेजने का कष्ट करेंगे और कब तक वह धन प्राप्त हो जायेगा ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, 324.22 करोड़ की धनराशि इसके लिए स्वीकृत की गयी थी जिसमें 321.11 करोड़ की धनराशि अवमुक्त हुई । मान्यवर, अब उसमें 315 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ है , इस तरह से 4 करोड़ लखनऊ के लिए 5 करोड़ देवरिया, संत कबीर नगर व बस्ती के लिए और शेष 300 करोड़ की बात है उसको प्रधानमंत्री, ग्राम सड़क योजना में खर्च किया जाना था इस बीच जो पी0डब्लू0डी0 एजेंसी है, भारत सरकार के द्वारा 2 एजेंसी निर्धारित की गई है । एक पी0डब्लू0डी0 और दूसरी आर0ई0एस0। हर जिले से प्रस्ताव मंगाया गया है और प्रस्ताव मंगाकर उसको भारत सरकार को भेजा गया है लेकिन इधर जो बी0एम0एस0 के अन्तर्गत है जिसको भारत सरकार ने छूट दे रखी थी जिससे यह लगता था कि योजना पूरी हो जायेगी तो उनको बी0एम0एस0 में ले लिया है शेष सीधे डी0आर0डी0ए0 को देंगे।

श्री बी0 आर0 वर्मा–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि यह जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है इसमें 1,000 से अधिक आबादी वाले समस्त गांवों को 2004 तक जोड़ने की परिकल्पना है इसके लिए प्रस्ताव भी मंगाया गया है तो टोटल कितने का प्रस्ताव 1,000 गांवों को जोड़ने वाले कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए है जो 321 करोड़ का आवंटन प्राप्त हुआ है उसका आधार क्या रहा है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

श्रीमन, प्रत्येक जिले में एक पी0डब्लू0डी0 या आर0ई0एस0 की यूनिट अधिकतम 6 करोड़ का काम कर सकती है इस आधार पर प्रस्ताव मंगाया गया है और प्रस्ताव मंगाकर भारत सरकार को भेजा गया है अबकी वर्ष मैंने इतना किया है कि 321 करोड़ रूपया पूरा अवमुक्त किया गया और उसे अवमुक्त किये जाने में चूंकि आपका बी0एम0एस0 के अन्तर्गत ले लिया गया है इस नाते जो दूसरी योजनायें जो जगह-जगह से पास हुई उसको भी अधूरे कामों को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत भारत सरकार से वार्ता की और उन्होंने सहमति व्यक्त की है। इससे उस पैसे को डाइवर्ट किया गया है और शेष उस पैसे को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जो उसकी क्वालिटी है, उसके आधार पर हम करेंगे।

श्री वी0 आर0 वर्मा–

मान्यवर, जो धनराशि अवमुक्त हुई उसका आधार क्या है ? जिस आधार पर किया गया है और किस-किस काम के लिए कितना-कितना किया गया है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

श्रीमन, भारत सरकार ने अपने संसाधनों के आधार पर 321 करोड़ रूपये अवमुक्त किये हैं यहां पर जो हमने बनाया है कि एक यूनिट कितना काम कर सकती है हमने जो जानकारी किया टेक्निकल यूनिट एक वर्ष में 6 करोड़ का काम कर सकती है हमने इस आधार पर प्रस्ताव मंगाये। विशेषकर जिलों की यूनिट ने चाहे किसी की रही हो, उस आधार पर भारत सरकार को भेजा है। भारत सरकार ने जो पैसा दिया है अपने पास जो पैसा है उसके आधार पर अवमुक्त किया गया है, उसको मैंने बता दिया है।

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन गया है और माननीय मंत्री जी के उत्तर से जो स्थिति उत्पन्न हुई है, वह अत्यन्त गम्भीर बन गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त, 2000 को एक महत्वाकांक्षी योजना की शुरूआत की, कि पहले 1000 की आबादी वाले गांव सम्पर्क मार्गों से जोड़े जायेंगे, उसके बाद 500 की आबादी वाले। अगस्त से अब तक इस सरकार के पास 9 महीने थे और उत्तर प्रदेश सरकार इस दौरान अपना पक्ष प्रस्तुत नहीं कर पायी। जिन राज्यों ने इस बीच अपना पक्ष प्रस्तुत किया, उन्हें पैसा मिल गया और उनके वहां काम भी प्रारम्भ हो गया और यहां माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि उन्हें 321 करोड़ रूपया अवमुक्त हो गया। इस पैसे के आवंटन के बाद 1000 की आबादी वाले जो गांव थे, उन्हें करना था, लेकिन उन गांवों को न करके, उन गांवों को किया जा रहा है, जिनका कोई क्राइटेरिया नहीं है। आधार पूछा गया तो आधार भी नहीं बता पा रहे हैं। जो 321 करोड़ रूपये आपको मिले, उस पैसे से 31 मार्च तक 1 हजार की आबादी वाले गांव जोड़े जाने की जिम्मेदारी किस पर है ? मैं जानना चाहता हूं कि इस योजना को क्रियान्वित न कर पाने के लिये कौन जिम्मेदार है और उसके खिलाफ क्या कार्यवाही आप करने जा रहे हैं ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, इसकी समय सीमा दी गई है और उस तय समय के अन्दर हम करेंगे। मैंने निवेदन किया कि उत्तर प्रदेश में जिला योजना स्थान-स्थान पर क्रास की गई थी और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के चालू होने से जिला योजना को समाप्त किया जा रहा था, इसलिये माननीय विधायकों की संस्तुति के आधार पर यह तय किया गया कि जिला योजना के जो अधूरे कार्य बचे हैं, उन आधे-अधूरे कामों को पूरा करने के लिये बी0एम0एस0 में ले लिया और इसके लिये भारत सरकार ने हमको एक साल की छूट भी दी है कि जो अधूरी योजना है, पहले उसको पूरा कर लीजिये, उसके बाद पुनः उस नाम के आधार पर प्रधानमंत्री सड़क सम्पर्क योजना को पूरा किया जाय।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह था कि अगस्त से मार्च तक का समय था। इस बीच दूसरे प्रदेशों ने लाभ उठा लिया और वहां गांव को सम्पर्क मार्ग से जोड़ने का काम भी शुरू हो गया लेकिन यहां अपने प्रदेश में एक भी गांव का चयन नहीं हो पाया, इस बीच 321 करोड़ रूपये भी मिल गये। मैं यह जानना

चाहता हूं कि इस योजना को क्रियान्वित न कर पाने के लिये कौन जिम्मेदार है। 9 महीनों में तो पता नहीं, क्या-क्या हो जाता है, क्यों यह इस समय में अपनी योजना नहीं बना पाये ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

इसमें कोई अधिकारी दोषी नहीं है। जो भी प्रस्ताव बने हैं, सभी भारत सरकार को भेजे जा चुके हैं। चूंकि जिला योजना के अधूरे कार्य पूरे कराये जाने थे, इसलिये भारत सरकार की सहमति के आधार पर बी0एम0एस0 में कन्वर्ट करके काम पूरा कराया जा रहा है, बाकी अगली योजना में हम इसे पूरा करायेंगे।

श्री रामकुमार एडवोकेट–

मान्यवर, मेरे संज्ञान में है कि उत्तर प्रदेश की अधूरी सड़कों का जो पैसा स्वीकृत हुआ है और जिन सड़कों को नामांकित किया गया है, उसका प्रत्येक जिले में धन आवंटन हुआ है, वह धन सड़कों का उन जिलों तक क्यों नहीं भेजा गया है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

पुन: रामकुमार जी ने वही कहा है, जिसका मैंने जवाब दे दिया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, प्रश्न बहुत गम्भीर है। चूंकि इससे गांव के विकास का मामला जुड़ा है। माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया कि 3 वर्षों में एक हजार आबादी वाले सारे गांव प्रधानमंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत आच्छादित कर दिये जायेंगे तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर तीन साल के अन्तर्गत एक हजार आबादी वाले गांवों को आच्छादित करना है तो मंत्री जी यह बताने का कष्ट करें कि 1000 आबादी वाले कुल कितने गांव हैं और उनमें प्रधानमंत्री योजना के अन्तर्गत सड़क बनाने में कुल कितना व्यय आ रहा है। आपने 321 करोड़ रूपये उपलब्ध कराये हैं,जैसा कि तीन साल में इस काम को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है तो जो यह धन उपलब्ध कराया गया है क्या इससे एक तिहाई गांव आच्छादित हो रहे हैं या नहीं ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, यह जो मौर्य जी ने सवाल किया है, कुल लगभग 11 हजार गांव ऐसे हैं जो अभी तक सम्पर्क मार्गों से नहीं जुड़े हुए हैं, हमने जो निवेदन किया है, इन गांवों को भी सड़क से जोड़ना है। हमारी अभी तक मजबूरी यही है कि जो जिला योजना के द्वारा कार्य कराये गये थे, जो काम अधूरे रह गये थे उन अधूरे कामों को पूरा करने के लिए बी0एम0एस0 से कराने के लिए हमने भारत सरकार से अनुमति मांगी थी, इसको हम प्रधानमंत्री सड़क योजना के अनुरूप ही मानेंगे। जो प्रस्ताव आया हे और फिर संसाधनों के आधार पर जो भारत सरकार पैसे देगी, उससे करा देंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, आपका संरक्षण चाहिए, माननीय मंत्री जी ने अवगत कराया कि....

श्री अध्यक्ष–

यह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न है, अनुपूरक प्रश्नों की भी तो कोई सीमा होती है, 35-36 मिनट हो गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मंत्री जी ने अवगत कराया है कि 321 करोड़ हमने सड़कों को पूरा कराने के लिए दे दिया। क्या आपने इस धन का आवंटन विधान सभावार बराबर-बराबर किया है या अपने ही चहेतों को अच्छे परिणाम दिलाने के लिए इस पैसे का दुरूपयोग किया है ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, मैंने नाम लिया है जिला योजना का, जिला योजना में सभी विधान सभा के सदस्य रहते हैं। जो वह पास करते हैं, वही होता है, इसमें चहेतों की बात कहां आ रही है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि विधान सभावार...

श्री अध्यक्ष–

जो उत्तर देना था, मंत्री जी ने दिया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य–

मान्यवर, मंत्री जी बतायें कि विधान सभावार बराबर-बराबर धन का बंटवारा किया है कि नहीं? मैं आपका संरक्षण चाहता हूँ।

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, अभी तक हमने जो निवेदन किया है, जिला योजना का किया है आगे जो प्रधानमंत्री सड़क सम्पर्क मार्ग योजना है वह डी0आर0डी0ए0 के द्वारा पास की जायेगी, डी0आर0डी0ए0 के द्वारा ही पास प्रस्ताव को भारत सरकार के पास भेजा गया है और उसी आधार पर हम पैसा अवमुक्त करेंगे। अभी तो जो आप लोगों के द्वारा पास किया गया है उसी आधार पर पैसा अवमुक्त करा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मौर्य जी उत्तर आ गया है।

(श्री विनोद मणि का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य –

[xxx]

(असंतुष्ट होकर श्री स्वामी प्रसाद मौर्य तथा श्री प्रमोद कुमार ने अपने-अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

(विपक्ष के अन्य कई सदस्य भी खड़े होकर बोलने लगे। जिससे व्यवधान उत्पन्न हुआ)

नोट :-- [xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा, मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री विनोदमणि–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 2000-2001 में प्रत्येक जनपद में 6 करोड़ रुपये के कार्य आर0ई0एस0 व पी0डब्लू0डी0 द्वारा कार्य कराने की बताया थी और प्रस्ताव मांग लिये गये थे तो प्रस्ताव किस आधार पर मांगे गये तथा किन किन सांसदों के प्रस्ताव आये थे तथा उनके वचन का मानक क्या था ? क्या विभाग के अधिकारियों से चयन कराया गया या संबंधित जिले के जनप्रतिनिधियों से कराया गया ?

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पिछले वर्ष जिला योजना के लिए शासनादेश था कि एक हजार की आबादी के गांव को दूसरों से जोड़ा जायेगा। 4 महीने बाद निर्णय लिया गया कि एक हजार की आबादी नहीं 500 तक की आबादी के गांवों को जोड़ा जायेगा। जितने माननीय सदस्यों के प्रस्ताव आये थे उनमें से किसी एक प्रस्ताव पर, एक भी पैसा देने की गुंजाइश नहीं है क्योंकि निर्णय बदल दिया गया। माननीय मंत्री जी ने बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना का 321 करोड़ रूपया खर्च किया गया है, वह किन-किन जनपदों में किया गया है, यह माननीय मंत्री जी बता दें ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, अभी मैंने निवेदन किया कि डी0आर0डी0ए0 द्वारा जो प्रस्ताव पास किये गये हैं उन्हीं प्रस्तावों को भारत सरकार को भेजा गया है। पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ होने के बाद भारत सरकार ने निर्णय लिया कि डी0आर0डी0ए0 से प्रस्ताव पास होंगे उन्हें भारत सरकार को भेजा जायेगा। इस प्रकार प्रत्येक जिले के प्रस्ताव को भारत सरकार को भेज दिया जाता है। शेष माननीय सदस्य ने जो कहा है उसके बारे में मैंने निवेदन कर दिया है। जो 321 करोड़ रूपया मिला है उसमें हम जिला योजना के जो प्रस्ताव हैं उस पर जो कार्य कराये गये हैं और वह अधूरे हैं, ऐसे कार्यों को करायेंगे।

श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, कि अभी मंत्री जी ने बताया कि जिला योजना डी0आर0डी0ए0 द्वारा चयनित सड़कों को 321करोड़ रूपये के सापेक्ष लिया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जो डी0आर0डी0ए0 द्वारा चयनित मार्ग हैं उस पर कार्यवाही करते हैं। दोनों की नेचर व श्रेणी अलग-अलग है। आपने 321 करोड़ रूपया जहां भी खर्च करना चाहा खर्च किया। क्या प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गत वित्तीय वर्ष में चयनित मार्ग अगले वित्तीय वर्ष के लिए भी चयनित माने जायेंगे और उन्हें ही चयनित मानते हुये, उन पर कार्यवाही सुनिश्चित करायेंगे ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, हमने जो प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा है, वह चयनित माने जायेंगे।

डा0 अशोक बाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से ग्राम्य विकास मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एक हजार की आबादी के गांवों को 2003 तक सड़क से जोड़ने का निर्णय उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम्य सड़क योजना के अन्तर्गत लिया है और 2007 तक 500 की आबादी को जोड़ने का लक्ष्य है। एक हजार की आबादी के कुल कितने गांव हैं जो सड़क से नहीं जुड़े हैं उनको जोड़ने के लिए कितने कि0मी0 सड़क बनानी पड़ेगी तथा उस पर कितनी धनराशि व्यय होगी ? एक हजार की आबादी के गांवों को जोड़ने के लिए कितनी धनराशि व्यय होगी और वर्षवार आवंटन किस प्रकार किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष–

इसमें बहुत विवरण की आवश्यकता है। यह नियम 20 के उपनियम-3 से बाधित है आप पूरा विवरण मांग रहे हैं।

डा0 अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, वर्ष 2003 तक 1000 की आबादी वाले गांवों को जोड़ने के लिए कितनी धनराशि व्यय होगी और कितने धन का आवंटन होगा ?

श्री शिव प्रताप शुक्ल–

मान्यवर, इसकी सूचना मंगाकर देनी पड़ेगी।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में नील गायों को समाप्त करने हेतु कार्य योजना

***1 श्री राम औतार शाक्य–**

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार प्रदेश में नीलगायों को समाप्त करने के लिए कोई विशेष कार्ययोजना बनाने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वन मंत्री (श्री राजधारी सिंह)–

जी नहीं। कृषि फसलों के लिये हानिकारक वनरोजों (नीलगायों) के आखेट हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए वन्य प्राणि (संरक्षण) अधिनियम 1972 के प्राविधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-736/14-4-94-854/92, दिनांक 9 मार्च, 1994 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को अपने-अपने अधिकारिता क्षेत्र हेतु प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया गया है। इस प्रकार व्यथित कृषक उत्पाती वनरोजो (नीलगायों) के आखेट हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारियों से अनुज्ञा प्राप्त कर सकते हैं। समय-समय पर उपरोक्त आदेशों को दोहराया गया है ताकि जन सामान्य को इस विषय में पर्याप्त जानकारी सुलभ हो सके।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, यह नीलगायों का प्रश्न है। ये पूरे प्रदेश में किसानों की लहलहाती फसलों को समाप्त कर देते हैं और किसानों की गाढ़ी कमाई, खून-पसीने की कमाई बेकार हो जाती है। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में जिलाधिकारियों को यह अधिकार दिया गया है कि वह आखेट करने के लिए अनुज्ञापत्र दे सकते हैं। जिन किसानों के पास लाइसेंस नहीं है और जिनके पास लाइसेंस है तो अनुज्ञापत्र लेंगे क्यों ? हम यह जानना चाहते हैं कि क्या किसानों या किसी को भी जिनके पास लाइसेंस नहीं है, नीलगायों को मारना चाहते हैं सरकार क्या उनको भी अनुमति देगी ?

श्री राजधारी सिंह–

मान्यवर, वनरोजों से कृषक फसलों की काफी क्षति होती है और इसी को ध्यान में रखते हुए अनुमति पत्र देने का अधिकार दिया गया है। बिना परमीशन के मारने पर स्थानीय स्तर पर धार्मिक विवाद एवं उन्माद हो सकता है। बिना परमीशन के मारने का अनुमोदन करना यह संभव नहीं है।

डा0 वकार अहमद शाह–

मान्यवर, पहले 200 रूपया लेकर शिकारियों को जानवर मारने की परमीशन थी, क्या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हो सकती कि फसलों की रक्षा करने के लिए कुछ शिकारियों को अधिकृत कर दें?

श्री राजधारी सिंह–

मान्यवर, इस प्रकार कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

श्री राम बिशुन आजाद–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी-अभी माननीय मंत्री जी ने जो बताया है कि नीलगायों के कारण किसानों की फसलों का जो नुकसान हो रहा है, किसानों को इनकी वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा, उसके लिए डी0एम0 को और एस0डी0एम0य0 को यह अधिकार दिया गया है कि वह इससे किसानों को छुटकारा दिलायें, तो मान्यवर, किसानों के पास इतना समय तो होता नहीं है कि वह इसके डी0एम0 के पास जायें और नीलगायों को मारने की परमीशन प्राप्त कर सकें, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि नीलगायों द्वारा किसानों की फसलों को जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है उससे छुटकारा दिलाने के लिए सरकार को स्वयं इस पर विचार करना चाहिए, तो क्या सरकार स्वयं उनको मारने पर विचार करेगी?

मान्यवर, बहुत से आवारा किस्म के पशु होते हैं, जिनसे फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है, जैसे मान्यवर, जर्सी गायों के बछड़े खेती करने के काम नहीं आते हैं उनके बछड़ों को जंगलों के किनारे छोड़ दिया जाता है जिससे ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जिनमें बहुत बड़े पैमाने पर फसलों का नुकसान होता है, तो मान्यवर, उनके लिए क्या व्यवस्था की गयी है ?

श्री अध्यक्ष –

आपका पहला प्रश्न तो ठीक था लेकिन आपका यह जो दूसरा प्रश्न है यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है, इसको आप बाद में अलग से पूछ लीजिएगा।

श्री राजधारी सिंह–

श्रीमन् सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है। वनरोजों को कैसे कम कर सकते हैं हम इसके लिए एक वर्कशाप करने जा रहे है और वैज्ञानिकों की राय लेकर उसके अनुसार ही हम कार्यवाही सुनिश्चित कर सकेंगे।

प्रदेश में मार्गों के निर्माण हेतु निर्धारित मानक की जानकारी

***2 श्री गोरखनाथ पाण्डेय–**

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य में विभिन्न श्रेणी के मार्गों के निर्माण हेतु कोई मानक निर्धारित है ? यदि हां, तो वे मानक क्या हैं ? क्या सरकार प्रदेश में बन रहे मार्गों में सीमेन्ट एवं कंकरीट के पक्के मार्गों का निर्माण कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लोक निर्माण राज्य मंत्री (श्री राम प्रसाद कमल)–

– जी हां।

– प्रदेश में निम्नलिखित श्रेणी के मार्ग है :--

1.राष्ट्रीय राज मार्ग

2.राज्य मार्ग

3. प्रमुख जिला मार्ग

4. अन्य जिला मार्ग

5. ग्रामीण मार्ग।

उक्त क्रमांक 1 से 4 श्रेणी के मार्गों के मानक इन्डियन रोड कांग्रेस द्वारा निर्धारित है, जिसके अनुसार इन मार्गों के क्रस्ट की मोटाई मार्ग के यातायात घनत्व एवं मार्ग की मिट्टी की सी0बी0आर0 पर आधारित होती है। ग्रामीण मार्गों के मानक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित है, जिसके अनुसार सोलिग कोट 9 सेमी0, इन्टरकोट 7.5 सेमी0, टापकोट 7.5 सेमी0 संपीडित मोटाई का होता है तथा इस पर प्रथम सतह लेपन व द्वितीय सतह लेपन होता है।

तकनीकी दृष्टिकोण से आवश्यकता एवं संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करता है।

उपरोक्तानुसार।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि आपने एक मानक तो बता दिया है कि इसमें इतने और इसमें इतने हुए हैं लेकिन आज भी गांवों और शहरों में यह देखा जा रहा है कि मानकों के अनुसार जो सड़कें बनती हैं वह दो-तीन वर्षों में ही टूट जाया करती है लेकिन अन्य प्रदेशों में जो सड़कें सीमेंट और कंक्रीट की बनायी जाती हैं वह ज्यादा उपयोगी और मजबूत होती हैं और वह सालों साल से चल रही हैं और यहां पर जो सड़कें कोलतार से बनायी जाती हैं, उनके मुकाबले कम चलती हैं तो मान्यवर, सड़कें बार-बार क्षतिग्रस्त न हों क्या इसके बारे में सरकार कोई योजना बना रही है ?

श्री राम प्रसाद कमल–

मान्यवर, यह सही है कि जो सड़कें सीमेंट और कंक्रीट की बनायी जाती है, वह सड़कें अधिक

मजबूत और टिकाऊ होती हैं, लेकिन मान्यवर, ऐसी सड़कें बनाने में 50-60 लाख रूपये प्रतिकिलो मीटर का व्यय आता लेकिन प्रदेश सरकार की वित्तीय संसाधनों को देखते हुए इस प्रकार सड़कें हर जगह बना पाना संभव नहीं है, लेकिन जहां पर बरसात के दिनों में पानी भर जाता है, स्टेट रोड्स और एम0डी0आर0 की जो सड़कें जाती हैं, उन्हें सीमेन्ट और कंक्रीट की बनाते हैं।

श्री राम नरेश रावत–

मान्यवर, आपने बताया है कि इतने-इतने कोट सड़कों पर किये जाते हैं, उसकी तो जांच हो सकती है लेकिन क्या इसकी कोई गारन्टी लेंगे कि कौन सी सड़क कितने दिन चलेगी ?

श्री अध्यक्ष –

इसका उत्तर क्या होगा ? सड़कें तो इस अपेक्षा के साथ बनायी जाती हैं कि वह चलेगी।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव –

मान्यवर, जनपद आजमगढ़ में कप्तानगंज - तहबपुर - मोहम्मदपुर मार्ग और तहबपुर-बैरमपुर मार्ग बहुत क्षतिग्रस्त हो गया है। यह सड़कें लोक निर्माण विभाग की हैं और लोक निर्माण विभाग इनकी मरम्मत करता है। मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार इन क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत के लिये क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री राम प्रसाद कमल–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से अलग है, इसके लिये माननीय सदस्य लिखकर भेज दें ।

श्री अध्यक्ष –

इसके संबंध में आप नियम 301 या नियम 51 में सूचना दीजिये।

श्री उदयराज यादव –

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि सड़कों के निर्माण के लिये मानक क्या निर्धारित हैं? मैं जानना चाहता हूँ कि ग्रामीण सड़कों के मानक राज्य सरकार द्वारा निर्धारित हैं जिसके अनुसार सोलिंग कोट 9 से0मी0 तथा इंटर कोट 7.5 से0मी0 और टापकोट 7.5 से0मी0 मोटाई का होता है तो मैं जानना चाहता हूँ कि जिन सड़कों का निर्माण ठीक ढ़ंग से नहीं किया गया है उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंग`?

श्री राम प्रसाद कमल –

मान्यवर, 2000-2001 के पहले सड़कें दो कोट की बनायी जातीं थी अब 3 कोट की बनायी जाती हैं अब सड़कें मजबूत होंगी । यदि कहां पर कोई शिकायत है तो उसको लिखकर भेज दें मैं उसको दिखवा लूँगा।

श्री केशो मेहरा –

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि कोलतार से सड़क बनाने पर प्रति किलोमीटर क्या लागत

आती है? ग्रामीण अंचलों से जो मार्ग गुजरते हैं उनके दोनों किनारों पर गोबर और कूड़े के ढेर लगते हैं। जल निकासी न होने के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और उनका निर्माण कराना पड़ता है। क्या ऐसी व्यवस्था करेंगे कि सड़कें, सीमेंट और कंक्रीट से बनायी जायं इनके बनाने में लागत तो ज्यादा आयेगी लेकिन कोलतार से सड़कें बनाने और बार-बार उनकी मरम्मत और निर्माण पर जो व्यय होता है उसकी कुल लागत यदि देखी जाय तो वह लगभग सीमेंट-कंक्रीट की सड़क के बराबर ही पड़ती है। क्या सीमेंट और कंक्रीट से सड़कें बनाने पर विचार करेंगे क्योंकि वह ज्यादा दिन चलती हैं ?

श्री राम प्रसाद कमल –

जो ग्रामीण अंचल की रोड हैं उनमें प्रति कि0मी0 कोलतार की सड़क पर 8 से 10 लाख रूपये खर्च होता है तथा वहां पर वाहनों की डेंसिटी है उसके लिए कोलतार की सड़क पर्याप्त है। वहां सीमेंट की रोड बनाने के लिए हमारे पास संशाधन नहीं हैं।

श्री रामप्यारे सिंह –

मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ प्राय: यह देखा गया है कि कोई सड़क इस वर्ष निर्मित हुई और उसका दूसरे ही वर्ष मरम्मत कार्य हुआ तो जिन सड़कों का आप निर्माण कराते हैं उनके मरम्मत की अवधि निर्धारित होगी कि इतने दिनों में मरम्मत कार्य कराया जाएगा अगर उसके पहले सड़क खराब हो गई तो क्या ऐसे लोगों को दंडित करने का काम किया है अगर नही तो दंडित करने का कार्य करेंगे जिससे इस फिजूल खर्ची से बचा जा सके?

श्री राम प्रसाद कमल –

सड़क के नवीनीकरण की तारीख निश्चित होती है राष्ट्रीय मार्ग की तीन वर्ष बाद मरम्मत कराते हैं, राज्य मार्ग की 5 वर्ष बाद मरम्मत कराते हैं, मुख्य जिला मार्ग की 6 वर्ष बाद मरम्मत कराते हैं, अन्य जिला मार्ग और ग्रामीण अंचल की सड़कों की 8 वर्ष बाद मरम्मत कराते हैं। लेकिन जो सड़कें टूट जाती हैं उनका हम एस0आर0 से और ए0आर0 से और सड़क निधि से मरम्मत कराते हैं।

श्री रामप्यारे सिंह–

मैंने जानना चाहा था कि जो सड़क मरम्मत की निश्चित तारीख से पहले टूट जाती है जिसकी गुणवत्ता सही नहीं होती और सड़क टूट जाती उस पर सरकार का अपव्यय होता है इस सम्बन्ध में आप क्या कार्यवाही करेंगे ?

श्री राम प्रसाद कमल–

अगर ऐसा कोई मामला आपके संज्ञान में हो तो हमें आप लिखकर दे दें हम जाँच करवा देंगे।

श्री समर पाल सिंह–

अभी मंत्री जी ने बताया कि ग्रामीण सम्पर्क मार्ग की 5 साल बाद मरम्मत कराते हैं व अलग अलग समय में राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य मार्ग,और जिला सम्पर्क मार्ग की मरम्मत का कार्य कराते हैं लेकिन जो ग्रामीण मार्ग बने हैं उनके लिए 8 साल का मानक है पुनर्निर्माण के लिए लेकिन 10-10,

12-12 साल हो जाते हैं ऐसे मार्गों के पुनर्निर्माण का कार्य नहीं हुआ है इस सम्बन्ध में मंत्री जी तत्काल ऐसे मार्गों के पुनर्निर्माण का कार्य कराने की कृपा करेंगे ?व जितने मार्ग चाहे राष्ट्रीय राज मार्ग हों, राज्य मार्ग हों या जिला सम्पर्क मार्ग हों यह गांवों से, कस्बों से गुजरते हैं तो जल भराव के कारण यहां सड़कें खराब रहती हैं तो क्या ऐसी जगहों पर सीमेंट की सड़क बनवाना मंत्री जी सुनिश्चित करेंगे ?

श्री राम प्रसाद कमल–

ग्रामीण मार्गों का और ओ0 डी0 आर0 मार्गों का जितना अनुरक्षण होना चाहिए था उतना नहीं हुआ । सबसे पहली प्राथमिकता स्टेट रोड, एम0 डी0 और ओ0 डी0 आर0 तक रही है इस वर्ष ग्रामीण सम्पर्क मार्गों के अनुरक्षण के लिए रुपया प्रदान किया गया है जिससे उनका अनुरक्षण कार्य किया जाए । जा` सीमेन्ट के बारे में बात की उसके बारे में विचार किया जा सकता है अगर कोई प्रश्न आएगा तो मना नहीं है।

श्री नरेन्द्र सिंह–

मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जितने मार्गों की अभी चर्चा की गई, सड़कों के पुनर्निर्माण की चर्चा की गई ग्रामीण सम्पर्क मार्ग के लिए मंत्री जी ने बताया कि 8 साल या 10 साल बाद रोड का रिन्यूवल होता है मैं जानना चाहता हूं कि तारकोल के गिट्टी से चिपकने की कैपिसिटी कितने वर्ष की है ?

श्री अध्यक्ष–

इसके उत्तर की आवश्यकता नहीं है ।

श्रीमती गौरी देवी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहती हूं कि वर्ष 98 की बाढ़ में जो सड़कें टूट गई हैं उनको तत्काल मरम्मत किया जाएगा ? मैंने इस विषयक माननीय मंत्री जी को पत्र भी लिखा है। हमारे क्षेत्र के दर्जनों गाँवों की सड़कें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी हैं।

श्री अध्यक्ष–

आप लिखकर दे दें।

प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने की विशेष कार्ययोजना

***3 श्री संजय गर्ग तथा श्री विजय पाल सिंह–**

क्या सरकार प्रदेश में साक्षरता प्रतिशत बढ़ाने के लिए कोई विशेष कार्ययोजना बना रही है? यदि हाँ, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वैकल्पिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)–

जी हाँ। प्रदेश में साक्षरता बढ़ाने के लिए भारत सरकार की सहायता से शिक्षा गारन्टी स्कीम वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना इसी वित्तीय वर्ष से लागू की जानी है । यह योजना

सर्वशिक्षा अभियान का अंश है। उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण हेतु केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित "सर्व शिक्षा अभियान योजना" लागू करने का निर्णय लिया गया है । इस योजना के अन्तर्गत कक्षा- 1से 8 की प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमीकरण प्राप्त करने का उद्देश्य है। इस योजना की अवधि वर्ष 2001 से 2010 तक है । इसके अन्तर्गत वर्ष 2003 तक सभी बच्चों का नामांकन , वर्ष 2007 तक सभी बच्चों द्वारा कक्षा 5 तक तथा वर्ष 2010 तक कक्षा 8 तक की शिक्षा पूर्ण करने एवं वर्ष 2010 तक बच्चों का शत-प्रतिशत ठहराव प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है । इन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु प्राथमिक स्तर पर तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर प्रदेश के सभी जनपदों में वर्ष 2001-2002 में सर्वशिक्षा अभियान लागू किये जाने की योजना है।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्री विजय पाल सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि प्रदेश में साक्षरता बढ़ाने के लिए भारत सरकार की सहायता से शिक्षा गारन्टी स्कीम तथा वैकल्पिक एवं नवाचार शिक्षा योजना इसी वित्तीय वर्ष से लागू की जानी है तो इसके लिए अतिरिक्त शिक्षा भवनों की भी व्यवस्था की गई है ? क्या शिक्षा जो दी जायेगी वह नि:शुल्क होगी।

श्री बालेश्वर त्यागी –

17 जनपदों की प्राथमिक योजना बनाकर भारत सरकार को भेज दी गई है अनुमति आते ही लागू कर दी जायगी इसके लिए भारत सरकार से कुछ धन भी उपलब्ध हो गया है। प्राइमरी शिक्षा तो नि:शुल्क ही दी जाती है और दी जायेगी।

डा0 अशोक बाजपेयी –

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जो विभिन्न योजनायें संचालित होने जा रही है तो जो प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम समाप्त कर दिया गया था अभी उसके बाद भी फिर कैसे साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है यह कब तक पूर्ण साक्षरता का लक्ष्य पूरा हो जायेगा ?

श्री बालेश्वर त्यागी –

सर्व शिक्षा अभियान में लक्ष्य 2001 से 2010 तक निर्धारित है और इस योजना में 2003 तक सभी बच्चों को विद्यालय में नामांकित कर दिया जायेगा जिसमें 2007 तक पाँचवी तक शिक्षा उपलब्ध करायी जायगी और 2010 तक आठवीं क्लास तक शिक्षा दी जा सकेगी।

श्री रघुवर दयाल वर्मा –

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में 70 जिले हैं और नवाचार शिक्षा योजना के तहत सभी जगह प्राइमरी पाठशालायें, भवन अध्यापकों की व्यवस्था कर दी गई है? क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि कई जगह जहाँ विद्यालय गाँव से तीन-तीन किलोमीटर की दूरी पर हैं वहां यह व्यवस्था कैसे की जायेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

पहले यह योजना 17 जनपदों में प्रारम्भ होगी । भारत सरकार का मानक डेढ़ किलोमीटर की परिधि का है उसे पूरा कर लिया गया है फिर भी यदि कहीं ऐसा है तो वहां स्कूल खुलवाये जायेंगे।

श्री बी0 आर0 वर्मा –

मान्यवर, मंत्री जी की योजना के तहत 2003 तक सभी बच्चों को प्रवेश दिलवा देंगे तो क्या इसके लिए कोई कार्य योजना बनाई गई है क्या कोई सर्वेक्षण कराया गया है और इसमें कितने धन की आवश्यकता होगी ? यह जो पब्लिक स्कूल है उस स्तर की व्यवस्था शिक्षा की ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को उपलब्ध कराने की भी कोई कार्ययोजना तैयार की गई है ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

ग्रामीण स्तर पर सर्वे हुआ है कि कितने बच्चे विद्यालय नहीं जा पाये हैं और कितने संसाधन की आवश्यकता होगी? जिन जनपदों की योजना तैयार हो गयी है उसे भारत सरकार को भेज दिया है। सरकार ने सभी बच्चों के नामांकन के लिए स्कूल चलो अभियान चलाया था उसमें 54 लाख नये बच्चों को नामांकित किया गया जो पिछले वर्ष से साढ़े चार गुना अधिक है। यह तो सतत प्रक्रिया है क्योंकि हर साल बच्चों की संख्या में वृद्धि ही होती है। यह सही है कि आज प्रतिस्पर्धा का समय है और पब्लिक स्कूल स्तर की शिक्षा देने के लिए हम अध्यापकों को प्रशिक्षण देंगे रूचिपूर्ण पाठ्य पुस्तकें दी जायेंगी

श्री बी0 आर0 वर्मा –

इसके लिए पब्लिक स्कूलों के स्तर पर ग्रामीण स्कूलों में बेसिक शिक्षा की बात जो आपने की है तो क्या इसके लिए कोई सर्वेक्षण कराया गया है? हमने विद्यालयों को देखा है दो कमरे और बरामदे में स्कूल चल रहे हैं।

पांच दर्जा तक के विद्यालय में पांच दर्जे पढ़ाने के लिये पांच कमरों का विद्यालय चाहिए। पूरे प्रदेश में कक्षा 5 तक के विद्यालय के लिये पांच कमरें विद्यालय में होना आवश्यक है और पांच अध्यापकों की भी आवश्यकता है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर प्राथमिक विद्यालय में 1 या 2 अध्यापक हैं शायद ही कहीं-कहीं 3 मिल जायं, 5 अध्यापक तो कहीं भी प्राथमिक विद्यालय में नहीं हैं पूरे प्रदेश में। मान्यवर, इसके लिये इतने बड़े संसाधन की आवश्यकता होगी। केवल कह देने से कि सबको शिक्षा मिले, स्कूल चलो अभियान से आप इसको पूरा नहीं कर सकते हैं। जब तक आप शिक्षक नहीं बढ़ायेंगे, शिक्षा की गुणवत्ता नहीं बढ़ायेंगे शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ाया जा सकता है। कमरें हैं नहीं बरसात होगी तो बच्चे घर जायेंगे ही वहां कहां बैठेंगे? इन सबके लिये जो संसाधन की आवश्यकता होगी उसके बारे में आप बतायेंगे कि कितना केन्द्र सरकार से आपको मिलेगा और कितना प्रदेश सरकार देगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी –

मान्यवर, सर्व शिक्षा अभियान में जो मानक है, उसमें यह निर्धारित किया है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में 40 बच्चे और एक अध्यापक की व्यवस्था होनी चाहिए। यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रत्येक शिक्षक के लिये एक कमरा हो। एक कमरा मुख्य शिक्षक के लिए भी हो। यह जो मानक सर्व शिक्षा

अभियान के हैं उसके अनुसार ही जिलों की योजना तैयार की जा रही है। उस योजना में नवीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार से 85 प्रतिशत मिलेगा और प्रदेश सरकार 15 प्रतिशत देगी। अगले वर्ष के लिये दूसरे मानक हैं, उसके लिये कितने संसाधन हैं उसके लिये बकायदा योजना तैयार हो रही है।

श्री अध्यक्ष –

माननीय सदस्य का कहना है कि उसके लिये कितने धन की आवश्यकता होगी, इसका कोई सर्वेक्षण हुआ है तो बतायें ?

श्री बालेश्वर त्यागी –

मान्यवर, 17 जिलों के लिये अलग-अलग योजना तैयार हुई हैं।

श्री बी0 आर0 वर्मा –

मान्यवर, 2003 तक के लिये कह रहे हैं कि कर दिया है। 2001-2002 चल रहा है। माननीय मंत्री जी से पूछना चाह रहे थे कि कितने संसाधन की आवश्यकता होगी ?

श्री अध्यक्ष –

माननीय सदस्य की जिज्ञासा है कि कितने आर्थिक संसाधन की आवश्यकता है? अगर कोई सर्वेक्षण कराया है तो बता दें कि कितने धन की आवश्यकता है? यह 85 प्रतिशत और 15 प्रतिशत तो उसके बाद आयेगा।

श्री बालेश्वर त्यागी –

प्रत्येक जनपद के लिये अलग-अलग योजना है और कितने धन की आवश्यकता है यह भारत सरकार को भेजा गया है।

श्री श्रीराम पाल –

मान्यवर, यह प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिये विभिन्न योजनाओं के नाम बदल-बदल कर लाने से तो साक्षरता का प्रतिशत नहीं बढ़ जायेगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 6 वर्ष से 12 वर्ष के उम्र के बच्चों को शिक्षा अनिवार्य हो, इसके लिये कानून में संशोधन किया जायेगा? कि यह अनिवार्य रूप से साक्षर हों। कानून में कोई ऐसा संशोधन करने सरकार जा रही है कि नहीं ?

श्री बालेश्वर त्यागी –

हमारा लक्ष्य है कि 6-14 वर्ष के बालक बालिकाएं शत-प्रतिशत शिक्षित हों। कानून में संशोधन की आवश्यकता नही बल्कि जन जागरण में जागृति की आवश्यकता है। शिक्षा के महत्व से लोगों को अवगत कराने की आवश्यकता है।

श्री प्रदीप कुमार यादव –

मान्यवर, अभी बताया गया कि मानक यह है कि 40 बच्चों के बीच एक शिक्षक हो। मान्यवर, कितने ऐसे विद्यालय हैं जहां एक भी शिक्षक नहीं है। दूसरा प्रश्न यह है कि विभिन्न योजनाओं से

साक्षर बनाने की बात कर रहे हैं। पंजीरी और बिस्कुट बाँटने से ही साक्षर नहीं हो जायेंगे। कितने विद्यालय ऐसे हैं जहां पानी की व्यवस्था नही है, कोई हैंडपम्प नहीं है?

श्री अध्यक्ष –

यह प्रश्न तो मूल प्रश्न से हटकर हो गया है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य –

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि चूँकि यह बेसिक शिक्षा भारतीय संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के तहत आती है और बड़े खेद के साथ माननीय अध्यक्ष जी मेरे विधान सभा क्षेत्र में डेढ़ दर्जन विद्यालय ऐसे हैं जिसमें एक अध्यापक के लिए बच्चों की संख्या 250 है 300 है। तमाम ऐसे विद्यालय हैं जिसमें भवन निर्माण के नाम पर दो कमरे भी नहीं है, कुछ ऐसे विद्यालय हैं जो पेड़ के नीचे चलते हैं मैं जानना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश में कुल बेसिक शिक्षा प्राप्त कर रहे बच्चों की संख्या क्या है और उसके अनुपात में बच्चों की संख्या क्या है? और यह .....

श्री अध्यक्ष–

यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य –

अध्यापकों की कमी है और यह सर्व शिक्षा अभियान चला रहे हैं तो जब अध्यापक ही नहीं रहेंगे तो वह कैसे लागू होगा। कुल बच्चों की जो संख्या है उसके अनुपात में अध्यापकों की संख्या क्या है? अध्यापकों की कमी को दूर करने के लिए इन्होंने क्या कदम उठाए हैं ?

श्री अध्यक्ष –

बहुत व्यापक प्रश्न है सूचना हैं?

श्री बालेश्वर त्यागी –

भवन निर्माण के लिए मान्यवर अध्यापकों के लिए प्रयास किए जा रहें अतिरिक्त संसाधन बढ़ाने के लिए, 54 जनपदों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम द्वितीय और तृतीय चल रहे हैं वहां भी जर्जर भवन है निर्माण हो रहा है जहां बच्चे अधिक हैं वहां अतिरिक्त कक्षों का निर्माण हो रहा है। एक अभियान प्रदेश के जनपदों में शिक्षा में अतिरिक्त संशोधन उपलब्ध कराने का चल रहा है। अध्यापकों की कमी को देखते हुए बी0टी0सी0 और बी0एड0 के 27,000 अध्यापक नियुक्त कर दिए हैं। शेष रखे जाने की योजना गतिवान है। चालीस बच्चों पर एक अध्यापक के मानक के अनुसार अध्यापक की नियुक्ति करने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी 20 हजार निदेशालय से तथा 18 हजार परियोजना से शिक्षा मित्र रखे जाने की योजना गतिमान है।

श्री अध्यक्ष –

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य –

सरकार बच्चों की शिक्षा की तरफ कोई ध्यान नही दे रही है जिससे प्रदेश का विकास रुक गया है जिसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली , 1958 के नियम 38 (2) के अर्न्तगत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों आदि में प्रबन्ध निदेशक /अध्यक्ष के पदों पर चयन हेतु निर्धारित मानक

***1 श्री गोरखनाथ पाण्डेय –**

क्या सार्वजनिक उद्यम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों में प्रबन्ध निदेशक एवं चेयरमैन की नियुक्ति हेतु कोई मानक निर्धारित है? यदि हां ,तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार उपक्रमों एवं निगमों की प्रशासनिक व्यवस्था सुधारने हेतु तकनीकी अधिकारियों को प्रबन्ध निदेशक एवं चेयरमैन नियुक्त करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक उद्यम एवं निर्यात प्रोत्साहन, अभाव, सहायता एवं पुनर्वास मंत्री (श्री जय नरायन तिवारी) –

कार्यालय ज्ञाप सं0-5195/ब्यूरो-2-2(45)/79, दिनांक 14 दिसम्बर, 1979 में सार्वजनिक उद्योग, निगम, उपक्रम एवं प्रतिष्ठानों आदि में अध्यक्ष, प्रबन्ध निदेशक/मुख्य कार्यकारी एवं अन्य उच्च वेतनमान के पदों पर चयन हेतु समुचित चयन प्रक्रिया निर्धारित है।

प्रश्न नहीं उठता ।

सभी निगमों के कार्य प्रकृति समान न होने के कारण तकनीकी अधिकारियों को प्रबन्ध निदेशक/चैयरमैन के पद पर नियुक्ति की आवश्यकता नहीं है । तकनीकी कार्यों से सम्बन्धित निगमों/ उपक्रमों में यथा सम्भव तकनीकी अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है ।

उपरोक्तानुसार ।

तारांकित प्रश्न

पर्यटन को प्रोत्साहित करने की रूपरेखा

***1 श्री गोरखनाथ पाण्डेय –**

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में पर्यटन को प्रोत्साहित करने हेतु कोई रूपरेखा तैयार की गयी है ? यदि हाँ, तो वह क्या है ? क्या उसे कार्यान्वित करने हेतु नये स्थलों का चयन किया गया है ? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

नोट :-- नत्थी (ख) के तारांकित प्रश्न सं0-3 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया।

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक यादव)–

जी हाँ ।

विभाग द्वारा तैयार की गयी पर्यटन नीति के अन्तर्गत प्रदेश में पर्यटन को एक नयी दिशा देने के उद्देश्य से जो नये कार्य प्रस्तावित किये गये हैं उनमें दस नये परिपथों का चिन्हीकरण, रेल तथा हवाई सेवाओं का सुदृढ़ीकरण वाटर क्रूज, अवस्थापना सुविधाओं का विकास, लैंड बैंक की स्थापना, हेरिटेज जोन का चिन्हीकरण, संयुक्त क्षेत्र में विकास योजनाओं का क्रियान्वन, निजी क्षेत्र तथा अप्रवासी भारतीयों को पर्यटन व्यवसाय में पूंजी निवेश हेतु प्रोत्साहन, पर्यटन पुलिस का गठन, पर्यावरण संरक्षण, सांस्कृतिक पर्यटन को बढ़ावा देना, कन्सलटेंसी सेवायें प्राप्त किया जाना, मानव संसाधनों का विकास तथा पर्यटन के संगठनात्मक ढांचे का सुदृढ़ीकरण, आगरा में ताज ट्रिपेजियम का विकास आदि अनेकानेक कार्यक्रम सम्मिलित किये गये हैं ।

उपरोक्त विवरण के अनुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में नौकरियों में आरक्षण कोटा पूर्ण करने हेतु रोस्टर व्यवस्था

***2 श्री राम औतार शाक्य–**

क्या सरकार पिछड़े वर्गों/अनुसूचित जाति/जनजाति को प्रदत्त आरक्षण के प्रतिशत के अनुसार नौकरियों में कोटा पूरा न होने व उसको अतिशीघ्र भरने के लिए किसी आयोग का गठन करने जा रही है ? यदि हाँ, तो कब तक और उसका प्रारूप क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्यमंत्री (श्री राजनाथ सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

1-क्योंकि प्रदेश में लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती के प्रक्रम पर अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग को आरक्षण प्रदान करने हेतु उ0 प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 दिनांक 11 दिसम्बर, 1993 से प्रवृत्त है । इस अधिनियम के अधीन अनुसूचित जातियों को सीधी भर्ती में 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों को 2 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण देय है ।

2-आरक्षण सुनिश्चित करने हेतु अधिनियम में निम्न व्यवस्था है :–

(1) आरक्षण लागू करने हेतु एक अनवरत रूप से लागू होने वाले रोस्टर की व्यवस्था की गयी है।

(2) आरक्षण पूर्ण करने हेतु किसी भर्ती वर्ष में आरक्षित रिक्ति बिना भरे रह जाने पर उसी भर्ती वर्ष में तीन बार विशेष भर्ती की व्यवस्था है।

(3) आरक्षण अधिनियम, 1994 में यह व्यवस्था है कि यदि किसी रिक्ति वर्ष में विशेष भर्ती के बाद भी आरक्षित रिक्ति बिना भरे रह जाती है तो उसे अगले भर्ती वर्ष हेतु अग्रनीत किया जायेगा लेकिन कुल आरक्षण, कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नही होगा। भारत के संविधान में 81 वें संशोधन द्वारा अब यह व्यवस्था कर दी गयी है कि बैकलॉग आरक्षित रिक्तियों पर 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा लागू नहीं होगी।

(4) आरक्षण अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि राज्य सरकार अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालनसुनिश्चित करने हेतु किसी नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को, अधिसूचित आदेश द्वारा उत्तरदायित्व सौंप सकती है।

प्रदेश में वृक्षारोपण हेतु फलदार वृक्ष लगाये जाने की व्यवस्था

श्री फरीद महफूज किदवई–

*3 क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में वृक्षारोपण करते समय क्या फलदार वृक्ष लगायें जाने की व्यवस्था है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत फलदार वृक्ष लगाये जाने की भी व्यवस्था है? यदि ऐसी व्यवस्था नही है, तो क्यों? क्या सरकार फलदार वृक्षों के लगाने के प्रतिशत में वृद्धि करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजधारी सिंह–

जी हां ।

बीस प्रतिशत ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बीस प्रतिशत की सीमा से अधिक फलदार वृक्ष लगाने पर प्रतिबन्ध नहीं है । उपर्युक्त से स्पष्ट है ।

***4 श्री रघुवर दयाल वर्मा–**

(6ठें गुरूवार में तरां0 प्र0 सं0-3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रदेश में केन्द्र सरकार द्वारा सचिवों की तैनाती का प्रकरण

श्री संजय गर्ग, श्री विजय पाल सिंह तथा श्री प्रदीप कुमार–

*5 क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश में सचिवों की तैनाती के लिये 28 पदों को निर्धारित किया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि वर्तमान समय में 70 सचिव प्रदेश में तैनात हैं? यदि हां, तो मानक से अधिक सचिव रखने का क्या औचित्य है? क्या सरकार प्रदेश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिये प्रदेश में सचिवों के पद पर कार्यरत अधिकारियों को हटाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

***6 श्री यशपाल सिंह चौहान–**

[दि0 2-5-2001 को तारा0 प्र0 सं0-11 द्वारा उत्तरित]

उ0 प्र0 सचिवालय में सचिवों के कार्यालय/आवासों पर लगे सरकारी टेलीफोन की निर्धारित सीमा की जानकारी

श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

*7 क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ0 प्र0 सचिवालय में तैनात प्रमुख सचिवों, सचिवों को कार्यालय एवं आवासों पर लगे सरकारी टेलीफोन से किये जाने वाले काल्स की कोई सीमा निर्धारित है? क्या यह सही है कि फ्री सुविधा होने से उन पर अधिक काल किये जा रहे है? यदि हां, तो क्या इनके काल्स की सीमा निर्धारित की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह–

उत्तर प्रदेश सचिवालय में तैनात प्रमुख सचिवों, सचिवों के कार्यालय में लगे टेलीफोन के काल्स की सीमा निर्धारित नहीं है। आवासीय टेलीफोन पर 700 फ्री द्विमासिक काल्स अनुमन्य हैं, परन्तु उनके द्वारा इस आशय का प्रमाण-पत्र देने पर कि निर्धारित सीमा से अधिक की गयी काल्स शासकीय हित में ही की गयी हैं तो अतिरिक्त काल्स का भुगतान शासन द्वारा किया जाता है ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों के आधार पर कतिपय जातियों के आरक्षण की जानकारी

डा0 ज्ञानवती सिंह–

*8 क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्व विधान परिषद् सदस्य श्री छेदी लाल साथी

की अध्यक्षता में गठित सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा वर्ष 1977 से वर्ष 1978 के मध्य सर्वाधिक पिछड़ी जातियों को आरक्षण देने हेतु रिपोर्ट सरकार को दी गयी थी? यदि हां, तो क्या उक्त आयोग द्वारा सर्वाधिक अति पिछड़ी जातियों में मल्लाह, निषाद, केवट, धीवर, प्रजापति, कुम्हार, नाई, भुर्जी आदि को उनकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण दिये जाने की संस्तुति की गयी है? यदि हां, तो उक्त जातियों को कब से उनकी जनसंख्या के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां।

जी हां।

राज्य सरकार द्वारा गठित सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1977 में प्रस्तुत की। 1979 में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग (मंडल आयोग) का गठन किया गया। इसके परिप्रेक्ष्य में शासन ने सर्वाधिक पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्तुतियों को लागू करना उचित नहीं पाया।

प्रदेश में मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नयी आरा मशीनों को लाईसेन्स दिये जाने पर रोक

श्री राम बिशुन आजाद–

*9 क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि लकड़ी व्यापार को बढ़ावा देने हेतु आरा मशीनों के लाइसेन्स पर लगी रोक को समाप्त किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि हां, तो क्यों?

श्री राजधारी सिंह–

जी नहीं। मा0 उच्चतम न्यायालय में दायर जनहित याचिका (सि0) सं0-202/95-टी एन0 गोडा वर्मन, थिरूमल्कपाद बनाम भारत संघ व अन्य में दिनांक 4-3-97 को मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदेश में गैर लाइसेन्सी आरा मशीनों को बन्द करने तथा आरा मशीन को नया लाइसेन्स नहीं दिये जाने के आदेश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 4-3-97 के अनुपालन में किसी भी आरा मशीन को नया लाइसेन्स दिया जाना सम्भव नहीं है। यह रोक तब तक रहेगी जब तक इस सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा कोई अन्य आदेश पारित न किये जायें।

***10 श्री विश्वनाथ–**

[दि0 9-5-2001 को तारा0 प्र0 सं0-6 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में संस्कृत के विकास हेतु कार्यक्रम

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

*11 क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में संस्कृत के विकास की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, ता क्या इस संबंध में कोई कार्यक्रम तैयार किया गया है? यदि

हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि प्रदेश में चल रहे संस्कृत विद्यालय/ महाविद्यालयों को अनुदानित करना रोक दिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसका निराकरण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा मंत्री (डा0 नैपाल सिंह)–

जी हां।

जी हां।

(1) उ0 प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् (संस्कृत) परिषद् का गठन।

(2) संस्कृत विद्यालयों का वर्गीकरण।

(3) छात्रवृत्ति की संख्या व दरों में वृद्वि।

(4) भवन, साज-सज्जा एवं पुस्तकालय हेतु विकास अनुदान आदि।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में व्यवसायिक शिक्षा को प्रभावी बनाने हेतु विचाराधीन योजना

श्री नरेन्द्र सिंह–

*12 क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि व्यवसायिक शिक्षा को प्रभावी बनाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो वह योजना क्या है?

डा0 नैपाल सिंह–

जी हां।

100 नये विद्यालयों में योजना का विस्तार तथा आधुनिक व उपयोगी ट्रेडों को योजना के अन्तर्गत शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में चयन के कारण सम्मिलित राज्य सेवाओं के रिक्त पदों पर पुन: परीक्षा लेने की जानकारी

श्री श्रीराम पाल–

*13 क्या सरकार कृपया बतायेगगी कि लोक सेवा आयोग द्वारा समिमलित राज्य सेवाओं में चयनित अभ्यर्थियों की पुन: आवंटित सूची तथा प्रतीक्षा सूची न बनाये जाने विषयक क्या उ0 प्र0 शासन के कार्मिक अनुभाग-4 द्वारा शासनादेश संख्या 28-5-80 का-4-1999 दिनांक 15-11-1999 जारी किया गया है? यदि हां, तो उसका क्या औचित्य है? क्या सम्मिलित राज्य सेवाओं की परीक्षा में उत्तीर्ण कुछ अभ्यर्थियों के अवर अधीनस्थ सेवा में तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा परीक्षा में चयन हो जाने के कारण सम्मिलित राज्य सेवाओं के पद रिक्त पड़े रह जाने पर पुन: रिक्त पदों पर आयोग द्वारा परीक्षा लेनी पड़ती है? यदि हां, तो क्या धन तथा समय के अपव्यय को रोकने हेतु उ0 प्र0 शासन के कार्मिक

अनुभाग-4 के शासनादेश संख्या-1760-आ (1)/47 का-4-93-28-5-80 दिनांक 31-1-1994 को पुन: लागू किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां।

प्रतीक्षा सूची/रिशफलिंग की कार्यवाही में लगने वाले समय के कारण आगामी चयन वर्षों की रिक्तियों की सही गणना न हो पाने से अधियाचन भेजने में आने वाली कठिनाई, रिशफलिंग के द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त उत्पन्न होने वाले ज्येष्ठता संबंधी विवाद, पोषक संवर्ग की सेवावधि पूर्ण न करने के कारण वरिष्ठ सरकारी सेवक की पदोन्नति में होने वाली कठिनाई, रिशफलिंग के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के अनिच्छुक सरकारी सेवकों द्वारा मा0 न्यायालयों में दायर किये जाने वाले वाद एवं संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में उक्त कार्यवाही के प्राविधान पूर्व से ही न होने के कारण प्रतीक्षा सूची/रिशफलिंग की कार्यवाही को शासनादेश दिनांक 15-11-1999 द्वारा प्रतिबंधित किया गया है ।

जी हां।

जी नहीं।

उपर्युक्तानुसार।

***14 श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल–**

(4थे सोमवार में ता0 प्र0 क्र0 सं0-10 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

प्रदेश में राज्य कर्मचारियों की भांति समस्त उपक्रमों में समयमान वेनतमान लागू करने की मांग

श्री बनवारी लाल दोहर–

*15 क्या सार्वजनिक उद्यम मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश सरकार द्वारा राज्य कर्मचारियों को समयमान वेतनमान देने के संबंध में कार्यलय आदेश संख्या-वे0 आ0-2-560/दस-45 (एम)-99 दिनांक 2 दिसम्बर, 2000 को लागू करा दिया गया है? यदि हां, तो क्या प्रदेश सरकार के समस्त उपक्रमों में भी इसे लागू करा दिया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री जय नरायत तिवारी–

जी हां।

उपक्रमों के प्रशासकीय विभागों से उपक्रमों की भुगतान क्षमता एवं कार्यातमक आवश्यकता के आधार पर निरूपित योजना/प्रस्ताव प्राप्त होने पर सथा समय विचार किया जाता है ।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आरक्षण कोटा पूर्ण करने हेतु व्यवस्था की जानकारी

श्री रामजग–

*16 क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण

का कोटा भरने हेतु सरकार कोई योजना बना रही है? यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजनाथ सिंह–

वर्तमान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के कोटे को भरने की निम्न व्यवस्था है:-

(1) राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर सीधी भर्ती में अनुसूचित जातियों को 21 प्रतिशत, अनुसूचित जनजातियों को 2 प्रतिशत और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य है।

(2) उ0 प्र0 लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 बनाया गया है, जो 11 दिसम्बर, 1993 से प्रवृत्त है ।

(3) आरक्षण पूर्ण करने हेतु किसी भर्ती वर्ष में आरक्षित रिक्त बिना भरे रह जाने पर उसी भर्ती वर्ष में तीन बार विशेष भर्ती की व्यवस्था है 1

(4) आरक्षण अधिनियम, 1994 में यह व्यवस्था है कि यदि किसी रिक्त वर्ष में विशेष भर्ती के बाद भी आरक्षित रिक्त बिना भरे रह जाती है तो उसे अगले भर्ती वर्ष हेतु अग्रनीत किया जायेगा लेकिन कुल आरक्षण, कुल रिक्तियों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। भारत के संविधान में 81वें संशोधन द्वारा अब यह व्यवस्था कर दी गयी है कि बैकलाग आरक्षित रिक्तियों पर 50 प्रतिशत आरक्षण की सीमा लागू नहीं होगी।

(5) आरक्षण अधिनियम में यह भी व्यवस्था है कि राज्य सरकार अधिनियम के उपबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु किसी नियुक्ति प्राधिकारी या किसी अधिकारी या कर्मचारी को, अधिसूचित आदेश द्वारा उत्तरदायित्व सौंप सकती है।

इस प्रकार आरक्षण कोटा भरने हेतु अलग से किसी योजना की आवश्यकता नहीं है।

अतारांकित प्रश्न

श्री छोटेलाल गंगवार–

1 [दि0 30-4-2001 को अता0प्र0सं0-59 द्वारा उत्तरित]

जनपद संत रविदास नगर भदोही में दीनदयाल योजनान्तर्गत सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि की जानकारी

डा0 पूर्णमासी पंकज–

2 क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद संत रविदास नगर भदोही में अभोली से खेवखर 2 कि0 मी0 मार्ग निर्माण हेतु वर्ष 1998-99 में पंडित दीनदयाल योजनान्तर्गत लो0 नि0 वि0 को 14 लाख रू0 धन अवमुक्त किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं, तो क्या उक्त अधूरा कार्य शीघ्र पूर्ण कराया जाएगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई बाढ़ नियन्त्रण एवं उच्च शिक्षा मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

प्रश्नगत मार्ग को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 14 लाख पर स्वीकृति प्रदान करके वर्ष

98-99 में केवल रू0 5.60 लाख की धनराशि ही अवमुक्त की गई।

जी नहीं।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

डा0 पूर्णमासी पंकज–

3-क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद संत रविदास नगर भदोही में वर्ष 1998-99 में पं0 दीनदयाल योजनान्तर्गत स्वीकृत जमुनीपुर अठगवां सम्पर्क मार्ग 2 कि0मी0 लेपन स्तर तक निर्मित करने हेतु लो0 नि0 वि0 को धन अवमुक्त किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का निमार्ण कार्य प्रारम्भ किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण शीघ्र करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, सरपतहा मोड़ से जमुनीपुर अठगांव मार्ग 2ण्00 कि0 मी0 लम्बाई हेतु रू0 8.00 लाख की लागत पर स्वीकृत किया गया और रू0 एक हजार मात्र की धनराशि अवमुक्त की गई।

जी नहीं।

क्योंकि स्वीकृत मार्ग से जुड़ने वाला जमुनीपुर अठगांव गांव पूर्व में ही दूसरी तरफ से लेपित मार्ग से जुड़ा है ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विषयक ग्राम पूर्व से ही लेपित सम्पर्क मार्ग से जुड़ा है।

डा0 पूर्णमासी पंकज–

4-क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद संत रविदास नगर भदोही में छनौरा से पट्टी बेंजाव मार्ग सोलिंग से लेपन स्तर तक 1.5 कि0 मी0 के निर्माण हेतु वर्ष 1998-99 में पं0 दीन दयाल योजनान्तर्गत लो0 लि0 विभाग को 7.00 लाख रू0 धन अवमुक्त किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त नार्ग का निर्माण मानक के अनुरूप 1.5 कि0 मी0 निर्मित किया गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की जांच कराकर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, किन्तु मार्ग 1.00 कि0मी0 लम्बाई के लिए 4.00 लाख की लागत पर स्वीकृत है।

उक्त मार्ग 800 मीटर लम्बाई में लेपन स्तर तक पूर्ण हो गया है तथा शेष 200 मीटर का निर्माण वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के कतिपय इण्टर कालेज में संचालित प्राथमिक शिक्षा विभाग की कक्षाओं की अध्यापिकाओं के वेतन भुगतान का प्रकरण

श्री राम औतार शाक्य–

5–क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री गंगा सहाय इण्टर कालेज, मैनपुरी एवं कुंअर आर0सी0 कन्या इण्टर कालेज, मैनपुरी में चल रहे प्राथमिक शिक्षा विभाग की कक्षाओं में कार्यरत शिक्षिकाओं के वेतन भुगतान कराने जाने विषयक प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को दिया गया पत्र उनके कार्यालय के पत्र संख्या-सी0एम0वि0को0/एम0-2/35789/मैनपुरी/2000 दिनांक 27-7-2000 के साथ सचिव, बेसिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?यदि नहीं,तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

उक्त विद्यालय की सम्बंधित अध्यापिकाओं का समस्त वेतन एवं अवशेष देयों का भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानान्तरण की नीति

श्री रामऔतार शाक्य–

6–क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में प्रशासनिक अधिकारियों के स्थानान्तरण की नीति क्या है ? 1 जनवरी, 2000 से अब तक कितने आई0 ए0 एस0 अधिकारियों के स्थानान्तरण किये गये और कितने स्थानान्तरण नीति के विरूद्ध किये गये हैं ? उसके कारण क्या हैं ?

श्री राजनाथ सिंह–

प्रशासनिक अधिकारियों हेतु कोई पृथक नीति नहीं है । सामान्य नीति है ।

486

(दिनांक 01-01-2000 से 09-01.2001 तक)

कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के मानिकपुर से ग्राम कल्याणपुर तक मार्ग निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति की जानकारी

श्री रामऔतार शाक्य–

7–क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के ब्लाक-बेवर में मोता-मार्ग पर मानिकपुर से ग्राम कल्याणपुर तक मार्ग निर्माण का प्रस्ताव जो अधीक्षण अभियन्ता लो0नि0वि0 आगरा/मैनपुरी ने अपने पत्र संख्या-485/25 एस0 टी0/एम0/99 दिनांक 15-10-99 द्वारा मुख्य

अभियन्ता आगरा को प्रेषित किया गया है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

शासनादेश सं0 3919 ई/23-11-2000-55 (1) ई0/98 दिनांक 30 मार्च 2001 द्वारा प्रश्नगत मार्ग के निर्माण हेतु वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण विभाग में पुनर्नियुक्ति/संविदा पर कार्यरत अभियन्ताओं का कथित प्रकरण

श्री रामऔतार शाक्य–

8–क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक निर्माण विभाग में कितने अधीक्षण अभियन्ता तथा मुख्य अभियन्ता वर्तमान समय में पुनर्नियुक्ति/संविदा पर कार्यरत हैं ? पुनर्नियुक्ति/संविदा पर रखे जाने का औचित्य क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कोई नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

नोएडा ग्रामीण आबादी भूमि व्यवस्था विनियमावली के सम्बन्ध में जानकारी

श्री नवाब सिंह नागर–

9–क्या मुख्यमंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माह जुलाई, 2000 में नोएडा बोर्ड ने नोएडा ग्रामीण आबादी भूमि व्यवस्था विनियमावली, 2000 पारित कर शासन को अनुमोदन हेतु प्रेषित की है? यदि हां, तो शासन इस पर कब तक अनुमोदन प्रदान कर देगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

नोएडा से नोएडा ग्रामीण आबादी एवं भूमि प्रबन्ध व्यवस्था, विनियमावली, 2000 स्वीकृति हेतु प्राप्त हुई है ।

विनियमावली को अन्तिम रूप दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गौतमबुद्ध नगर में राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना का प्रकरण

श्री नवाब सिंह नागर–

10–क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय डिग्री कालेज बादलपुर जनपद गौतमबुद्ध नगर की स्थापना के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ? क्या सरकार कालेज हेतु भूमि

प्राप्त करने के लिये करार नियमावली, 1997 के अन्तर्गत समझौता कर भूमि लेने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

राजकीय महाविद्यालय,बादलपुर गौतमबुद्ध नगर की स्थापना वर्ष 97-98 में की जा चुकी है । भवन के अभाव में यह सम्प्रति कु0 मायावती राजकीय बालिका इण्टर कालेज बादलपुर के प्रागंण में संचालित है।

जी नहीं ।

महाविद्यालय के भवन निर्माण हेतु गौतमबुद्ध नगर सादोपुर परगना व तहसील दादरी में धारा 4/17 भू-अर्जन अधिनियम की अधिसूचना जारी कराने की कार्यवाही की जा रही है तथा भू-अर्जन के लिए रू0 6.00 लाख की धनराशि जिलाधिकारी गौतमबुद्ध नगर को दिनांक 27-7-97 को उपलब्ध करायी जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद व जिला पंचायत गौतमबुद्ध नगर तथा नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकरणों में तहबाजारी आदि के सम्बन्ध में अधिनियम संशोधन की जानकारी

श्री नवाब सिंह–

11–क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के अन्तर्गत जिला पंचायत गौतमबुद्ध नगर तथा नोएडा एवं ग्रेटर नोएडा प्राधिकारियों में तहबाजारी, पार्किंग के ठेके व होर्डिंग्स आदि के अधिकार क्षेत्र को लेकर विवाद चल रहा है ? क्या यह सही है कि इस विषय में शासन द्वारा नोएडा, ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में जिला पंचायत का हस्तक्षेप रोकने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो इनका शासनादेश कब तक जारी कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

जी हां । इस संबंध में उ0 प्र0 औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम, 1976 को संशोधित करके नयी धारा-12 क बढ़ाने संबंधी अधिनियम संशोधन दिनांक 27 मार्च, 2001 को प्रभावी कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद, विकास खण्ड रूदौली के ग्राम गढ़वन पुरवा में पुन: पुलिया निर्माण की मांग

श्री शिव सिंह चक–

12–क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद-फैजाबाद विकास खण्ड-रूदौली में ग्राम गढ़वन पुरवा से ग्राम बरावां जाने वाली सड़क पर सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित पुलिया विगत कई वर्षो से टूटी पड़ी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर पुन: पुलिया का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड रूदौली में ग्राम गढवनपुरवा से बरावां जाने वाली सड़क सुल्तानपुर शाखा को इसके कि0मी0 29.404 पर कटौती है । इस स्थान पर निर्मित बी0आर0बी0 का पैरापेट स्थानीय व्यक्तियों द्वारा तोड़ दिया गया है ।

पुलिया का पुन: निर्माण नहीं होना है । पुलिया के टूटे हुये पैरापेट का पुन: निर्माण किया जाना है ।

जून, 2001 तक पैरापेट का पुन: निर्माण कराया जाना प्रस्तावित है ।

उक्तानुसार ।

लखनऊ सिंचाई विभाग के सेवा निवृत्त चपरासी स्वर्गीय श्री हरी सिंह राणा के मृतक आश्रितों को नौकरी व समस्त देयों के भुगतान की जानकारी

श्री प्रदीप कुमार बालियान तथा श्री भीम प्रसाद सोनकर–

13–क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वर्गीय श्री हरी सिंह राणा, चपरासी, सम्बद्ध सहायक अभियन्ता षष्ठम्, लखनऊ खण्ड-2, शारदा नहर, लखनऊ जिनकी मृत्यु सेवा काल में दिनांक 21-11-94 को हुई थी, की विधवा श्रीमी नीमादेवी राणा को मृतक आश्रित के रूप में नौकरी दी दी गयी है ? क्या उन्हें शेष अवकाश की धनराशि सा0 भविष्य निर्वाह निधि की अवशेष धनराशि, ग्रेच्युटी आदि का भुगतान कर दिया गया है ? क्या उन्हें पारिवारिक पेंशन दी जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

14–डा0 पूर्णमासी पंकज–

(2वें बुधवार में अता0 प्र0 सं0-39 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।)

जनपद मथुरा, पब्लिक स्कूल बरारी को हाई स्कूल की मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

श्री रामऔतार शाक्य–

15–क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक स्कूल बरारी जनपद मथुरा को धारा 9 (4) के अन्तर्गत हाई स्कूल की मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्र संख्या-सी एम0/वि0 का0/एम0-3/31370/मथुरा/2000 दिनांक 15-2-2000 प्रमुख सचिव, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत विद्यालय को हाई स्कूल की मान्यता के आदेश शासनादेश संख्या-1609/15-7-4 (556)/2000 दिनांक 12-7-2000 द्वारा निर्गत कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मिर्जापुर, अधिशासी अभियन्ता लघु डाल खण्ड के पत्र पर श्री राम आसरे सरोज की नियुक्ति निर्गत के आदेश की जानकारी

डा0 सरजीत सिंह डंग–

16–क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि अधिशासी अभियन्ता, लघु डाल खण्ड मिर्जापुर के पत्र संख्या 1575/ल0ड0न0ख0मि0/ई-9 दिनांक 26-11-1999 की अंतिम पंक्ति के अनुसार समूह "ग" के पदों पर सीधी भर्ती के अन्तर्गत चयनित श्री राम आसरे सरोज पुत्र स्व0 श्री राजपति राम मु0 व पोस्ट पुतलीधर जनपद मिर्जापुर को सींच पर्यवेक्षक के पद पर 6 माह बाद परीक्षा लेने के बाद नियुक्ति आदेश निर्गत करने के निर्देश हुये हैं यदि हां, तो क्या समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने के पश्चात् श्री राम आसरे को नियुक्ति प्राप्त हो गई है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अनावश्यक विलम्ब के लिये दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । अपितु 6 माह बाद परीक्षा लेने के उपरान्त नियुक्ति आदेश निर्गत करने का उल्लेख है।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

अधिशासी अभियन्ता, मिर्जापुर द्वारा निर्गत उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 26-11-99, प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के परिपत्र संख्या-4436/ई-ख, दिनांक 4-9-99 तथा शासनादेश संख्या-691/97-27-सि0-7-88 (26)/95 दिनांक 7-2-97 के विरुद्ध होने के कारण प्रश्नगत प्रकरण की जांच के आदेश दे दिये गये हैं। जांच आख्या प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।

जिलाधिकारी शाहजहांपुर द्वारा सिंचाई बन्धु की बैठक में प्रोटोकाल के उल्लंघन की जांच पर कार्यवाही की जानकारी

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

17–विधान सभा के प्रथम सत्र 2000 के दूसरे बुधवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 115 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जांच के पश्चात् क्या कोई आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारी को दे दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या तथा उक्त आदेश किस अधिकारी को दिये गये ? क्या उक्त आदेशों का पालन सुनिश्चित करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जांचोपरान्त मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) द्वारा अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, शाहजहांपुर को भविष्य में सिंचाई बन्धु की बैठकों की अध्यक्षता न करने हेतु निर्देशित कर दिया गया है, जिनके द्वारा निर्देशों का अनुपालन किया जा रहा है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद इटावा, में उ0 प्र0 सहकारी कताई मिल संघ को पुन: चलाने की मांग

श्री लाल सिंह वर्मा–

18–क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि इटावा नगर में लगभग 35-40 वर्ष पूर्व स्थापित कताई मिल कई वर्षों से बन्द पड़ी है और हजारों की संख्या में मजदूर बेकार हो गये हैं ? क्या सरकार औरैया नगर के पास औद्योगिक इकाइंया स्थापित करने तथा इटावा की बन्द कताई मिल को पुन: चालू करने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

उ0प्र0 सहकारी कताई मिल संघ की इटावा स्थित कताई मिल लगातार घाटे में चलने एवं कार्यशील पूंजी के अभाव में दिनांक 3 दिसम्बर, 1998 से बंद है ।

औरैया के पास उ0 प्र0 राज्य औद्योगिक विकास निगम लि0 द्वारा औद्योगिक क्षेत्र/विकास केन्द्र विकसित करने हेतु 110.84 एकड़ भूमि अधिग्रहित की जा चुकी है । लगातार घाटे के कारण इटावा कताई मिल को संघ के नियंत्रण में पुन: चलाया जाना संभव नहीं है ।

जनपद इटावा में के0 ए0 पी0 जी0 डिग्री कालेज कासगंज में अनियमितताओं एवं पद के दुरूपयोग की जांच

श्री नेतराम सिंह–

19–क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र माह सितम्बर, सन् 2000 जो के0एन0पी0जी0 डिग्री कालेज कासगंज एटा के सचिव एवं प्रधानाचार्य द्वारा की जा रही अनियमितताअें एवं मद के दुरूपयोग आदि के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करा ली गयी है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

जी हां।

जांच आख्या संतोषजनक न होने के कारण क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, आगरा को विस्तृत जांच करके जांच आख्या उपलब्ध कराने के पुन: निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्ध नगर के भवानी शंकर इण्टर कालेज सदर सराय के प्रधानाचार्य के शैक्षिक प्रमाण-पत्रों मे अनियमितताओं की जांच

श्री नवाब सिंह नागर–

20–क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नेत्रपाल सिंह प्रधानाचार्य, भवानी शंकर इण्टर कालेज सदर सराय नोएडा गौतमबुद्ध नगर के शैक्षिक प्रमाण-पत्रों मे अनियमितताओं की जांच रिपोर्ट पत्रांक संख्या मा0-5/99-2000 दिनांक 22-7-2000 संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रथम मेरठ मण्डल, मेरठ द्वारा, सचिव माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को प्रेषित की गई है ? यदि हां, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नैपाल सिंह–

जी हां।

उक्त जांच रिपोर्ट के आधार पर श्री नेत्रपाल सिंह की व्यक्तिगत सुनवाई सचिव, मा0 शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गौतमबुद्ध नगर में हिन्डन यमुना दोआब बांध के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजे की मांग

श्री नवाब सिंह नागर–

21– क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गौतमबुद्ध नगर के किसानों की भूमि जो हिन्डन यमुना दोआब बांध के निर्माण हेतु ली गई थी, का मुआवजा देने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 19-10-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या किसानों का मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो सरकार कब तक मुआवजा राशि का भुगतान करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

जी नहीं।

उक्त बांध के निर्माण हेतु अधिग्रहीत भूमि के मुआवजा का भुगतान आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उन्नाव के अधिशासी अभियन्ता सिंचाई द्वारा वित्तीय अनियमितताओं सम्बन्धी प्रकरण

श्री उदयराज यादव–

22– क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र विधायक प्रकोष्ठ के का0 पत्र सं0 सी0एम0/वि0को0एम0/39000/उन्नाव/2000 दिनांक 02-11-2000 के साथ प्रमुख सचिव/

सचिव (सिंचाई) को प्राप्त हुआ है जो अधिशासी अभियन्ता सिंचाई खण्ड उन्नाव द्वारा वर्ष 1999-2000 में की गई वित्तीय अनियमितताओं की जांच सतर्कता विभाग से कराने के संबंध में था ? यदि हां, तो उस पर बिन्दुवार क्या-क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अम्बेडकर नगर क्षेत्र जहांगीर गंज में घाघरा नदी के कटान से नष्ट होती भूमि के बचाव की मांग

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

23– क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद अम्बेडकर नगर के विधान सभा क्षेत्र जहांगीर गंज में लेटुआडीह से चहोड़ा तक तथा कमरिया घाट से अराजी देवारा तक कई एकड़ खतौनी शुदा जमीन प्रतिवर्ष घाघरा के कटान से नष्ट हो रही है ? क्या सरकार इस जमीन को कटान से रोकने के लिये बंधा बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

विधान सभा क्षेत्र जहांगीर गंज में लेड़आडीह से घहोड़ा तथा कमरिया घाट से अराजी देवारा तक की जमीन घाघरा नदी के किनारे स्थित होने के कारण प्रतिवर्ष घाघरा नदी के कटान से प्रभावित होती है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत जमीन "फ्लड प्लेन जोन" में स्थित है। "फ्लड प्लेन जोन" में बांध बनाने की शासकीय नीति नहीं है।

जनपद फिरोजाबाद, क्षेत्र टूण्डला की ग्राम पंचायत चूल्हावली में सिंचाई समस्या के निराकरण की मांग

श्री शिव सिंह चक–

24– क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद वि0 सभा क्षेत्र टूण्डला के ब्लाक टूण्डला अन्तर्गत ग्राम पंचायत चूल्हावली में सिंचाई व्यवस्था अपर्याप्त होने के कारण वहां के किसानों को सिंचाई की समस्या का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त समस्या के समाधान हेतु उक्त ग्राम पंचायत में ऊर्जा चालित दो ट्यूबवेलों की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड टूण्डला के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चूल्हावली में कुल लगभग 676 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र में 554 हेक्टेयर क्षेत्र नहरी कमाण्ड में है एवं 54 हेक्टेयर क्षेत्र विद्युत चालित निजी नलकूपों से आच्छादित है। मात्र लगभग 68 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई साधनों क कमी है किन्तु यह क्षेत्र रेलवे लाइन के दोनों ओर है एवं राजकीय नलकूप के लिए पर्याप्त नहीं है।

जी नहीं।

राजकीय नलकूप के स्थापना हेतु पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध नहीं है एवं नये नलकूपों का निर्माण प्रतिबन्धित है।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में कतिपय मार्गों के नवीनीकरण हेतु स्वीकृत धनराशि की जानकारी

डा0 पूर्णमासी पंकज–

25– क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद संत रविदास नगर भदोही में दुर्गागंज से सराय केसराय मार्ग एवं अमोली से छनौरा भार्ग का क्या नवीनीकरण कर दिया गया है ? यदि हां, तो उक्त मार्गो पर कितना धन व्यय किया गया है ? क्या यह सत्य है कि बिना कार्य किये ही फर्जी भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर लो0 नि0 वि0 के दोषी लोगों को दण्डित कर कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

संत रविदास नगर भदोही में दुर्गागंज से सराय केसराय मार्ग पर कोई नवीनीकरण स्वीकृत नहीं है तथा अमोली से छनौरा मार्ग जिसका वास्तविक नाम ज्ञानपुर से दुर्गागंज से एकौनी छनौरा मार्ग है पर नवीनीकरण का कार्य 3.70 किमी0 लम्बाई में 4.80 लाख स्वीकृत है।

कोई व्यय नहीं किया गया है।

जी नहीं।

उपलब्ध धन के आधार पर कार्य कराया जाएगा।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

उपरोक्तानुसार।

26-डा0 पूर्णमासी पंकज–

[दि0 3-5-2001 को अता0प्र0सं0-156 द्वारा उत्तरित]

जनपद संत रविदास नगर भदोही में राजकीय महाविद्यालय के भवन निर्माण की मांग

डा0 पूर्णमासी पंकज–

27– क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद संत रविदास नगर भदोही में राजकीय महाविद्यालय भदोही के भवन निर्माण हेतु वर्ष 1999-2000 में आवास विकास परिषद को 30 लाख

रू0 धन अवमुक्त किया जा चुका है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ भी करा दिया गया था ? यदि हां, तो भवन निर्माण रोक दिये जाने का क्या कारण है ? क्या सरकार डिग्री कालेज के भवन को शीघ्र पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, वित्तीय वर्ष 2000-2001 में रू0 30.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी है।

जी हां।

भवन निर्माण कार्य रोके जाने के सम्बन्ध में कोई आदेश निर्गत नहीं किए गये हैं।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी, ब्लाक बेवर के मझोला स्केप पर पुल बनवाने हेतु प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

श्री राम औतार शाक्य–

28– क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि नहर शिम्भू व तिलियानी के मध्य बेवर ब्रांच नहर ब्लाक सुल्तानगंज तथा मझोला स्केप पर ब्लाक बेवर जनपद मैनपुरी में निर्माणाधीन पुल बनवाने हेतु धन प्रदान करने संबंधी प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या सी0एम0/वि0 को0/एम0-/32204 मैनपुरी/2000 दिनांक 25-3-2000 के साथ उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मा0 सदस्य का पत्र संख्या-सी0एम0/वि0 को0/एम/3224/मैनपुरी/2000 दिनांक 25-3-2000 के स्थान पर पत्र संख्या-32284/मैनपुरी/2000, दिनांक 25-3-2000 प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत दोनों पुलों के निर्माण हेतु धन सम्बन्धित खण्ड को उपलब्ध करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ, उन्नाव व हरदोई मार्गों के चौड़ीकरण सम्बन्धी जानकारी

श्री रामशंकर पाल–

29– क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या लखनऊ बांगरमऊ बिल्हौर मार्ग तथा उन्नाव-हरदोई मार्ग चौड़ीकरण के कार्य का सर्वे पूरा हो गया है ? यदि हां, तो उक्त मार्गों के चौड़ा करने का कार्य कब तक पूरा करा लिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

विश्व बैंक पोषित प्रस्तावित स्टेट प्रोजेक्ट-11 के अन्तर्गत लखनऊ-बांगरमऊ मार्ग तथा बिल्हौर-बांगरमऊ माधोगंज मार्ग उच्चीकृत कार्य हेतु तथा माधोगंज से बिलग्राम तक का भाग वृहद रख-रखाव कार्य के लिए सम्मिलित है।

बिलग्राम-माधोगंज-बांगरमऊ-बिल्हौर मार्ग को चौड़ा करने के लिए सर्वे पूरा हो चुका है। लखनऊ-बांगरमऊ मार्ग का सर्वे प्रगति में है।

उक्त परियोजना में उन्नाव से बांगरमऊ तथा बिलग्राम से हरदोई तक का भाग सम्मिलित नहीं है।

उ0 प्र0 स्टेट रोड प्रोजेक्ट-11 परियोजना स्वीकृति के लिए विश्व बैंक को प्रेषित की गई है। कार्य कराने की कोई सीमा निर्धारित करना सम्प्रति सम्भव नहीं है।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के ग्राम शाहपुर रोड के मरम्मत कार्य में अनियमितता सम्बन्धी शिकायती पत्र

डा0 धर्मज्ञ मिश्र–

30– क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्रादि 25-8-2000 मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या सी0एम0/वि0को0/एम-2/36744/हरदोई/2000 के साथ प्रमुख सचिव/सचिव, लो0 नि0 वि0, उ0 प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है जो जनपद हरदोई के मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम शाहपुर गंगा रोड के मरम्मत कार्य में की गई अनियमितताओं की जांच काने एवं भौतिक सत्यापन कराने के संबंध में था ? यदि हां, तो उसमें अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

दिनांक 25-8-2000 तक प्रश्नगत मार्ग पर मरम्मत का कोई कार्य नहीं किया गया था। अत: उस समय जांच का प्रश्न नहीं था। वर्तमान में 950 मी0 लम्बाई में सतह लेपन तक का कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मैनपुरी के दो निर्माणाधीन पुलों हेतु धनराशि की व्यवस्था

श्री राम औतार शाक्य–

31– क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में दो निर्माणाधीन पुलों हेतु धन की व्यवस्था करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम-/33077/मैनपुरी/2000, दिनांक 19-4-2000 के साथ प्रमुख सचिव, सिंचाई को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मा0 सदस्य का पत्रांक-सी0एम0वि0को0/एम/33077/मैनपुरी/2000, दिनांक 19-4-2000 के स्थान पर पत्रांक-33077/मैनपुरी/2000, दिनांक 19-4-2000 प्राप्त हुआ है।

प्रश्नगत दोनों पुलों के निर्माण हेतु धन की व्यवस्था कर दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, प्राइमरी पाठशाला असवर मऊ व जाहिदपुर आदि में अध्यापकों की व्यवस्था की जानकारी

श्री अब्दुल मन्नान–

32– क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्राइमरी पाठशाला असवर मऊ, जाहिदपुर तुरना रूद्रपपिर चक विकास खण्ड बेंहदर जनपद हरदोई में वर्ष 1999 से मात्र एक ही अध्यापक कार्यरत है ? क्या यह सही है कि शिक्षकों के अभाव में उक्त विद्यालयों में छात्र पढ़ने नहीं आ रहे हैं किन्तु अभिलेखों में छात्रों की भारी संख्या दर्शा कर सरकारी धन का दुरूपयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उक्त विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं। प्राथमिक विद्यालय असवरमऊ में एक अध्यापक तथा प्राथमिक विद्यालय जाहिदपुर व तुरना रूद्र पीपरचक में दो-दो अध्यापक कार्यरत हैं।

जी नहीं।

प्राथमिक विद्यालय अवसरमऊ, में शिक्षा मित्र की भी व्यवस्था कर दी गई है। शेष विद्यालयों में अध्यापकों की आवश्यकतानुसार व्यवस्था शीघ्र कर दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद संत रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियांवा में बरना नदी पर पुन: निर्माण की जानकारी

डा0 पूर्णमासी पंकज–

33– क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद संत रविदास नगर भदोही के विरूद्ध वि0 खण्ड सुरियावां में सुरियावां अमिया मार्ग पर बरना नदी पर वर्ष 1998-1999 में नावार्ड-4 में 70 मी0 पुल निर्माण हेतु सेतु निगम की 121,13 लाख रू0 धन अवमुक्त किया गया है ? यदि हां, तो अब तक कितना कार्य किया गया है तथा कितना धन व्यय हो चुहा है ? क्या उक्त पुल का निर्माण मानक के अनुरूप है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जांच कराकर शीघ्र मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सेतु को प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति रू0 121.13 लाख की लागत पर प्रदान की गई है, और जनवरी 2001 तक केवल रू0 60.50 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई है।

माह फरवरी, 2001 तक सेतु में वेवरिंग कोट व रेलिंग का कार्य अवशेष रह गया है। रू0 92.16 लाख की धनराशि व्यय की जा चुकी है।

जी हां।

प्रश्न नही उठता।

34-डा0 पूर्णमासी पंकज–

[दिनांक 11-5-2001 को अता0 प्र0 सं0-165 द्वारा उत्तरित]

जनपद रायबरेली मे गौनामऊ नहर के हेड को नीचा करने की मांग

श्री उदयराज यादव–

35– क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि पुरवा ब्रांच नहर से जनपद रायबरेली में गौनामऊ नहर के हेड को तोड़कर नीचा करने तथा नहर की खुदाई करने हेतु राज्य मंत्री सिंचाई के ओदश सं0-714-29-2000 को मुख्य अभियन्ता को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या उक्त का पालन किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

नहर की सफाई वर्ष 2000-2001 में करा दी गयी है परन्तु नहर में हेड को तोड़ कर नीचा करना तकनीकी कारणों से उपयुक्त नहीं पाया गया।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मऊ के ताल चंवर वृक्षारोपण पर व्यय धनराशि का विवरण

श्री समरपाल सिंह–

36– क्या वन मंत्री को जानकारी है कि मऊ जनपद के ताल चंवर नामक स्थान पर विभाग द्वारा बड़े पैमाने पर पिछले कई वर्षों से पौधे लगाये जा रहे हैं ? यदि हां, तो वर्षवार लगाये गये पौधों की संख्या तथा उन पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण क्या है ? इस समय कितने पौधे ताल चंवर में जीवित दशा में हैं ?

श्री राजधारी सिंह–

मऊ जनपद के ताल चंवर नामक स्थान पर वर्ष 1994, वर्ष 1998 एवं वर्ष 1999 में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण कार्य किया गया है।

वर्षवार लगाये गये पौधों की संख्या तथा उन पर व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :-

वर्ष	रोपित पौधों की संख्या	व्यय की गयी धनराशि (रू0 में)
1994	8000	1,23,423.50
1998	4300	1,52,661.50
1999	12000	2,09.974.50

इस समय कुल 14 [illegible] ताल चवर में जीवित दशा में हैं।

जनपद फिरोजाबाद क्षेत्र टूण्डला में स्थापित प्राथमिक विद्यालयों की जानकारी

श्री शिव सिंह चक–

37– क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के वि0 सभा क्षेत्र टूण्डला में शासन के मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय स्थापित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त क्षेत्रों में प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना कब तक कर दी जायेगी ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

लखनऊ के सूचना जनसम्पर्क विभाग द्वारा जातिवाद एवं साम्प्रदायिकता को समाप्त करने हेतु साहित्य प्रकाशित कराने का कथित प्रकरण

श्री राम औतार शाक्य–

38– विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के तीसरे मंगलवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या-1 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में जातिवाद एवं साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से सामाजिक समग्र विकास समरसता, एक्य-भावना तथा बन्धुत्व भावना को बढ़ाने वाला कौन-कौन सा साहित्य कितनी धनराशि से वित्तीय वर्ष 1999-2000 में सूचना विभाग द्वारा प्रकाशित कराया गया ? क्या उक्त साहित्य के प्रकाशन में किसी समिति/सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं। वर्ष 1999-2000 में सूचना विभाग द्वारा जातिवाद एवं साम्प्रदायिकता को समाप्त करने के उद्देश्य से सामाजिक समग्र विकास, समरसता, एक्य-भावना तथा बन्धुत्व भावना को बढ़ाने वाला कोई भी साहित्य प्रकाशित नहीं कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी ब्लाक जागीर के ग्राम सलेमपुर पढ़ीना के भवन निर्माण का प्रकरण

श्री राम औतार शाक्य–

39– क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सलेमपुर पढ़ीना ब्लाक जागीर, जनपद मैनपुरी के प्राथमिक विद्यालय का भवन अधूरा पड़ा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां।

जी हां।

प्रश्न नही उठता है।

जनपद आगरा के मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक के आदेश पर स्थानान्तरित राजकीय इण्टर कालेजों के कतिपय कर्मचारियों का विवरण

श्री राम औतार शाक्य–

40-क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक आगरा ने अपने आदेश संख्या/नि0 2/47/2000-1, दिनांक 13 6-2000 द्वारा मण्डल के कुछ राजकीय इण्टर कालेजों से कतिपय कर्मचारियों के स्थानान्तरण का आदेश किया था? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? क्या यह सही है कि यह आदेश त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की अधिसूचना 18 मई, 2000 की आचार संहिता का उल्लंघन है? यदि हां, तो इसके लिए दोषी कौन है और उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी?- यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह–

जी हां।

स्थानान्तरण दिनांक 1-7-2000 को सम्पन्न हुआ है। विवरण निम्नानुसार है :-

स0अ0 का नाम	कहां से	कहां को
1. श्रीमती लता सिंह	रा0 क0 इ0 का0 बरत मथुरा	रा0 क0 उ0 मा0 वि0 विजयनगर कालोनी आगरा।
2. कु0 मृदु भटनागर	रा0 क0 इ0 का0 लालगढ़ी एटा	-----तदैव-----
3. श्रीमती शशिदास	रा0 क0 उ0 मा0 वि0 विजयनगर कालोनी आगरा।	रा0 क0 इ0 का0 कलाल खोरिया आगरा।
4. श्रीमती भावना अस्थाना	रा0 क0 उ0 मा0 वि0 परख मथुरा।	-----तदैव-----
5. श्रीमती हेमशाहनी	रा0 क0 उ0 मा0 वि0 खेरागढ़ आगरा।	-----तदैव-----
6. श्रीमती विभा सिंह	रा0 क0 इ0 का0 कलाल खोरिया आगरा।	रा0 शिशु जूशि0 मा0 मसा आगरा।

जी नहीं, स्थानान्तरण आदेश में यह स्पष्ट प्रतिबन्ध था कि दिनांक 1-7-2000 से आदेश प्रभावी होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी में सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों के वेतन भुगतान की जानकारी।

श्री राम औतार शाक्य–

41-क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के अध्यापकों को दिसम्बर, 1999 से वेतन का भुगतान किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत स्वीकृत सड़कों/धनराशि की जानकारी

श्री राम औतार शाक्य–

42-क्या सरकार कृपया बतायेगी के प्रदेश में वित्तीय वर्ष 1999-2000 में आर0आई0डी0एफ0-5 योजना के अन्तर्गत कितने जनपदों में पक्की सड़कों के निर्माण के प्रस्ताव स्वीकृत हुये हैं? क्या विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी में अब तक कोई प्रस्ताव उक्त वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त प्रस्तावों को स्वीकृत कर प्रस्तावित सड़कों का निर्माण करवायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कुल 53 जनपदों के प्रस्ताव स्वीकृत हुये हैं।

जी नहीं।

कार्यों की स्वीकृति नाबार्ड की सहमति व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर होनी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बांदा के जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के वरिष्ठ सहायक द्वारा पुस्तक खरीद का प्रकरण

श्री शिशुपाल सिंह यादव–

43-क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 31-3-98 को कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक जनपद बांदा में कार्यरत वरिष्ठ सहायक राम खिलावन वर्मा के द्वारा लगभग 54 हजार

रूपये की पुस्तकें खरीदी गयी हैं? क्या उक्त पुस्तकें पुस्तकालय की चयन समिति द्वारा अनुमोदित है एवं स्टाक पंजिका में नियमानुसार दर्ज हैं, यदि नहीं, तो क्या उक्त पुस्तकों के क्रय के नाम पर किये गये घोटाले के सम्बन्ध में दोषी जनों को दण्डित किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह–

जी नहीं। पुस्तकें जिला विद्यालय निरीक्षक बांदा द्वारा क्रय की गयी हैं।

जी हां।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरदोई उन्नाव रोड को दोनों साइडों में चौड़ा करने विषयक प्राप्त पत्र पर आवश्यक कार्यवाही के निर्देश

डा0 धर्मज्ञ मिश्र–

44-क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 23-8-2000 मुख्य मंत्री कार्यालय के प्रत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम-2/36637/हरदोई/2000 के साथ प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है, जो हरदोई उन्नाव रोड को दोनों साइडों में 50-50 फिट चौड़ा करने के सम्बन्ध में था? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग को परीक्षणोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश दे दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई, बिलग्राम रेन्ज वन विभाग के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के भुगतान की जानकारी

डा0 धर्मज्ञ मिश्र–

45-क्या वन मंत्री को जानकारी है कि वन विभाग हरदोई बिलग्राम रेन्ज में माह अप्रैल 1999 से माह अक्टूबर 1999 तक रूपये 1410 के स्थान पर मात्र 990 रूपये की दर से पारिश्रमिक दैतिक वेतनभोगी कर्मचारियों को प्रभागीय निदेशक वन विभाग हरदोई द्वारा प्रदान किया गया है? क्या सरकार उस प्रकरण की जांच करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजधारी सिंह–

हरदोई वन प्रभाग की बिलग्राम रेन्ज में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को रू0 47/-प्रति मानव दिवस की दर से प्रश्न में इंगित अवधि का भुगतान, उनकी मस्टर रोल में दर्ज उपस्थिति के अनुसार किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के वन प्रभाग रेन्ज कार्यालयों में दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से भुगतान के समय हस्ताक्षर कराने की जानकारी

डा0 धर्मज्ञ सिंह–

46-क्या वन मंत्री को जानकारी है कि वन प्रभाग हरदोई एवं उनके रेन्ज कार्यालयों पर अधिकारियों द्वारा दैनिक वन कर्मचारियों से मस्टर रोल के स्थान पर सादे रसीदी टिकट पर हस्ताक्षर कराया जाता है? क्या इस अनियमितता के लिए दोषी अधिकारियों की आकस्मिक उच्च स्तरीय जांच की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजधारी सिंह–

जी नहीं।

वन प्रभाग हरदोई एवं उनके रेन्ज कार्यालयों पर अधिकारियों द्वारा दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों से मस्टर रोल पर रसीदी टिकट लगवाकर उनके भुगतान के समय ही हस्ताक्षर कराया जाता है।

स्थिति स्पष्ट है, प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सुल्तानपुर, प्राइमरी पाठशाला जमापुर के श्री जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी की मरणोपरान्त उनके आश्रित को नौकरी व समस्त देयों का भुगतान

श्री तेजभान सिंह–

47-क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री जगदम्बा प्रसाद त्रिपाठी, सहायक अध्यापक, प्रा0पा0 जमापुर ब्लाक जामो, जनपद-सुल्तानपुर की दिनांक 9-5-2000 को सेवाकाल में मृत्यु हो गयी है? यदि हां, तो क्या उनके पुत्र श्री सुधाकर प्रसाद त्रिपाठी को मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति सहित अन्य देय पेंशन, ग्रेज्युटी, बीमा आदि का भुगतान कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां।

श्री सुधाकर प्रसाद त्रिपाठी को मृतक आश्रित के रूप में चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्त कर दिया गया है तथा मृतक सहायक अध्यापक की पत्नी को दिसम्बर, 2000 से पारिवारिक पेंशन का नियमित भुगतान किया जा रहा है। इन्हें देय बीमा धनराशि के स्वीकृति का प्रस्ताव जीवन बीमा निगम इलाहाबाद को भेजा जा चुका है। जी0पी0एफ0 का भुगतान शीघ्र कर दिया जायेगा।

औपचारिकताएं पूर्ण होने पर जी0पी0एफ0 भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ, राजकीय निर्माण निगम के कतिपय लेखाकारों के विरूद्ध जांच कार्यवाही

श्री भीम प्रसाद सोनकर –

48-क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय निर्माण निगम उ0प्र0 लखनऊ के आदेश संख्या 28, दिनांक 29-8-98 द्वारा कितने इकाई प्रभारियों, लेखाकारों सहायक लेखाकारों व अन्य

अभियन्ताओं के विरूद्ध आरोप पत्र दिये गये हैं? उन पर कौन-कौन से आरोप थे? क्या आरोपित व्यक्तियों के विरूद्ध जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई? यदि हां, तो दोषी जनों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

राजकीय निर्माण निगम के कार्यालय ओदश संख्या-283, दिनांक 29-8-98 द्वारा कुल12 (बारह) इकाई प्रभारियों, सहायक लेखाधिकारियों, लेखाकारों व सहायक लेखाकारों को आरोप पत्र दिये गये। उपरोक्त सभी पर निर्माण कार्यों पर स्वीकृत लागत से अधिक धनराशि व्यय करने के आरोप थे।

जी हां।

उपरोक्त में 6 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कुल रूपये 16,57,710.00 की धनराशि के वसूली के आदेश जारी कर दिये गये हैं। एक कर्मचारी की वार्षिक वेतन वृद्धि स्थायी रूप से रोकी गयी है। दो कर्मियों द्वारा व्यय की गई अधिक धनराशि की वसूली ग्राहक से हो जाने तथा चार कर्मियों को जांच में दोषी नहीं पाये जाने के कारण दोषमुक्त कर दिया गया है। जिन 4 कर्मियों को दोषमुक्त किया गया है उनमें से एक कर्मी को 2 मामलों में से एक मामले में दोषमुक्त किया गया है तथा एक मामले में उनके विरूद्ध वसूली के आदेश हुए हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय जिला पुस्तकालय बांदा द्वारा, जिला शिक्षा निदेशक, बांदा व शिक्षा निदेशक माध्यमिक, इलाहाबाद के विरूद्ध लगाये गये आरोपों के उत्तर के सम्बन्ध में जानकारी

श्री राजपाल सिंह–

49-क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक, शिक्षा निदेशालय उ0 प्र0 इलाहाबाद के पत्र सं0सी-2/13242/98-99 दिनांकित 11-3-99 के अनुपालन में पुस्तकालयाध्यक्ष, राजकीय जिला पुस्तकालय, बांदा द्वारा दिनांक 8-4-2000 को दिये गये उत्तर में कौन-कौन से आरोप तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, बांदा कु0 चम्पा मिश्रा एवं तत्कालीन सहायक शिक्षा निदेशक, सेवा-1 शिक्षा निदेशालय माध्यमिक, इलाहाबाद श्रीमती उमा गुप्ता पर लगाये गये हैं? क्या इन दोनों अधिकारियों से पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा लगाये गये आरोपों के सम्बन्ध में जवाब मांगा गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद बांदा के वरिष्ठ सहायक जिला अनौपचारिक शिक्षा के विरूद्ध शिकायतों की जांच विषयक

श्री शिशुपाल सिंह यादव–

50-क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप शिक्षा निदेशक, झांसी मण्डल, झांसी के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या प्रबन्ध/1268/92-93 दिनांकित 10-1-93 के अनुपालन में श्री मोहन लाल अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी, कार्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक, जनपद-बांदा द्वारा श्री राम

बिहारी आर्य, वरिष्ठ सहायक, सम्बद्ध जिला अनौपचारिक शिक्षा, बांदा के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों पर की गई स्थलीय जांच रिपोर्ट के आधार पर आरोपी कर्मी को दण्डित कर दिया गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यो?

माध्यमिक शिक्षा एवं भाषा राज्य मंत्री (श्री चन्द्र किशोर)–

स्थलीय जांच श्री मोहन लाल अग्रवाल, सहायक लेखा अधिकारी कार्यालय-जिला विद्यालय निरीक्षक, बांदा से नहीं अपितु जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, चित्रकूट से करायी गयी। जांच आख्या के आधार पर श्री राम बिहारी आर्य, वरिष्ठ सहायक सम्बद्ध जिला अनौपचारिक शिक्षा, बांदा की सत्यनिष्ठा संदिग्ध पाते हुये दिनांक 17-10-2000 को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी है।

जनपद बांदा के राजकीय जिला पुस्तकालय के पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवा पंजिका की स्थिति स्पष्ट करने विषयक पत्र कार्यवाही की जान कारी

श्री शिशुपाल सिंह यादव–

51-क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने के कृपा करेंगे कि राजकीय जिला पुस्तकालय, जनपद बांदा के पुस्तकालयाध्यक्ष की सेवा पंजिका की स्थिति स्पष्ट करने विषयक सहायक शिक्षा निदेशक माध्यमिक (सेवा-1) शिक्षा निदेशालय उ0प्र0 इलाहाबाद का अर्द्धशासकीय पत्र सं0-नियुक्ति (1)/916/ 99-2000, दिनांक 23-4-99 जिला विद्यालय निरीक्षक, जनपद बांदा को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्र किशोर–

जी हां।,

दूसरी सेवा पंजिका बनवाने हेतु आवश्यक अभिलेख पुस्तकालयाध्यक्ष बांदा से मांगे गये हैं जिसके प्रापत होने पर ही कार्यवाही सम्भव है।

जनपद बांदा के राजकीय जिला पुस्तकालय के कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने विषयक प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

श्री शिशुपाल सिंह यादव–

52-क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय जिला पुस्तकालय बांदा में कर्मचारियों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में जिला विद्यालय निरीक्षक, जनपद बांदा को पुस्तकालयाध्यक्ष का पत्र सं0 175, दिनांक 25-10-99 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर जिला विद्यालय निरीक्षक बांदा द्वारा क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह–

जी हाँ ।

परिचारक का सम्बद्धीकरण कर दिया गया है लिपिक का पद स्वीकृत न होने के कारण नियुक्ति/ सम्बद्धीकरण सम्भव नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी में जिला योजनान्तर्गत सड़कों के पेण्टिग स्तर के कार्य सम्बन्धी प्रकरण

श्री राम औतार शाक्य–

53-क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए जिला योजना के अन्तर्गत बनने वाली पेण्टिग स्तर की सड़कों के प्रस्ताव जनपद मैनपुरी से प्राप्त हुये ? यदि हां, तो उसमें विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी के प्रस्तावों का वियरण क्या है ? क्या सरकार जिला योजना में प्रस्तावित उक्त सड़कों का पेण्टिग स्तर तक निर्माण करवायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।
प्रश्न नहीं उठता ।
प्रश्न नहीं उठता ।
प्रश्न नहीं उठता ।
उपरोक्तानुसार ।

जनपद मैनपुरी के ब्लाकों के प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापकों की नियुक्ति

श्री राम औतार शाक्य–

54-क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के विभिन्न ब्लाकों में कितने ऐसे बेसिक शिक्षा परिषद् के प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें मात्र एक-एक अध्यापक ही कार्यरत हैं ? क्या सरकार उक्त जनपद के सभी प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुसार अध्यापकों की तैनाती करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

159 प्राथमिक विद्यालय एकल अध्यापकीय विद्यालय हैं ।
जी हाँ ।
प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के ईशन नदी के पुल से ज्योति टाकीज तक सड़क मरम्मत पर व्यय धनराशि का विवरण

55-क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी शहर मैनपुरी के पास स्थित ईशन नदी के पुल से लेकर ज्योति टाकीज तक सड़क की मरम्मत व रख-रखाव में वित्तीय वर्ष 1998-99, 1999-2000 तथा 2000-2001 में अब तक कितना धन खर्च हुआ ? क्या यह सही है कि उक्त सड़क की मरम्मत में लाखों रूपये का घोटाला किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इनकी उच्च स्तरीय जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मैनपुरी बाईपास के प्रश्नगत भाग पर उक्त वर्षों में निम्नानुसार व्यय किया गया है :-

वर्ष 1998-99 रु0 5.16 लाख

वर्ष 1999-2000 रु0 6.68 लाख

वर्ष 2000-2001 रु0 14.12 लाख

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद मैनपुरी के ब्लाक भनऊ जगतपुर में टूटी पुलिया के निर्माण की माँग

श्री राम औतार शाक्य–

56-क्या लोक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि भनऊ जगतपुर ब्लाक सुल्तानगंज जनपद मैनपुरी के बीच में बनी सड़क की पुलिया टूट गयी है जिससे आवागमन में आम जनता को परेशानी हो रही है? यदि हां, तो उक्त पुलिया का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

आलीपुर खेड़ा काली नदी मार्ग पर भनऊ व जगतपुर के बीच पुलिया संख्या-7/3 आंशिक रूप से टूटी है । आवागमन बाधित नहीं है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद मैनपुरी के देवनागरी इण्टर कालेज कुरावली में संस्कृत प्रवक्ता के पद को भरने की जानकारी

श्री राम औतार शाक्य–

57-क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि श्री विजय प्रकाश पाण्डेय, प्रवक्ता देवनागरी, इण्टर कालेज, कुरावली, मैनपुरी के सम्बन्ध में कार्यभार ग्रहण कराने सम्बन्धी आदेश संख्या-सा0 (1) शि0मा0 2-157/8/8-20/2000-01, दिनांक 9 मई, 2000 को निदेशक माध्यमिक शिक्षा उ0प्र0 लखनऊ ने प0सं0 (1) शि0प0 2/157/6346/2000-01, दिनांक 24-7-2000 द्वारा निरस्त कर दिया है ? यदि हां, तो उक्त कालेज में क्या प्रवक्ता संस्कृत का पद रिक्त हो गया है ? यदि हां, तो उसको सरकार द्वारा कब तक भर दिया जायेगा ?

डा0 नैपाल सिंह–

जी हाँ ।

जी हाँ ।

प्रश्नगत पद को 50% कोटे के अन्तर्गत श्री सुरजपाल गुप्त स0अ0की पदोन्नति से भर दिया गया है ।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही में ह्रदय पट्टी मार्ग निर्माण हेतु कतिपय वर्षो में अवमुक्त धनराशि का विवरण

डा0 पूर्णमासी पंकज–

58-क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के वि0खं0 भदोही में सरोई से ह्रदय पट्टी मार्ग निर्माण हेतु वर्ष 1997-98 में 10.53 लाख एवं वर्ष 98-99 में 2.99 लाख धन 1.85 कि0मी0 लेपन हेतु लो0नि0वि0 को अवमुक्त किया गया है ? क्या यह सही है कि उक्त मार्ग का निर्माण पूर्व में मिट्टी सोलिंग स्तर तक निर्मित था ? यदि हां, तो उक्त अवमुक्त धन मात्र लेपन हेतु किस आधार पर लिया गया ? क्या इतना धन प्राप्त करने पर भी लो0नि0वि0 द्वारा अभी तक मानक के अनुरूप उक्त मार्ग पूर्ण नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कर अधूरे मार्ग को पूर्ण कराने एवं अतिरिक्त लिये गये धन को वापस करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1997-98 में, जिला योजना (अम्बेडकर) में 1.85 कि0मी0 लम्बाई हेतु रु0 10.59 लाख की लागत पर स्वीकृति प्रदान की गयी और वर्ष 98-99 में रु0 2.99 लाख की धनराशि जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत डवटेलिंग से तथा जिला योजना से 99-2000 में रु0 1.50 लाख एवं 2000-2001 में रु0 2.00 लाख, अवमुक्त किया गया ।

जी हाँ ।

मार्ग के विद्यमान स्तर के अनुसार ही विस्तृत आगणन बनाकर धन अवमुक्त हेतु कार्यवाही की गयी ।

मार्ग के विद्यमान स्तर के अनुसार पूर्ण धनराशि अवमुक्त न होने के कारण मार्ग कार्य पूर्ण नहीं किया जा सका है ।

चूंकि पूर्ण धन उपलब्ध नहीं कराया गया है अत: जाँच का कोई बिन्दु निहित नहीं है । मार्ग को पूर्ण कराना वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा । अतिरिक्त धन नहीं दिया गया है ।

उपरोक्तानुसार ।

क्योंकि मार्ग को स्वीकृत लागत के अनुसार पूर्ण धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है ।

श्री समरपाल सिंह–

59-[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]।

जनपद मऊ सहरोज ग्राम के पास छोटी सरजू नदी पर पुल निर्माण हेतु मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रियान्वयन की जानकारी

श्री समरपाल सिंह–

60-क्या सरकार को जानकारी है कि श्री देव प्रकाश राय, ग्राम व पोस्ट- सहरोज, जनपद मऊ द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल वाद संख्या-8163 वर्ष 2000 में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद

के आदेश संख्या 16-3-2000 को यह निर्देशित किया गया था कि आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से एक माह के अन्दर कार्यवाही की जाये? यदि हां, तो क्या आठ माह बीतने के बाद भी मऊ जनपद में सहरोज ग्राम के पास छोटी सरजू नदी पर पुल निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया गया? यदि हां, तो माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी तथा उक्त पुल का निर्माण कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ ।

पुल के निर्माण हेतु आवश्यक धनराशि की व्यवस्था राज्यांश एवं नाबार्ड के माध्यम से की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ, डाडी वक्तावर घाट हकीकतपुर मार्ग की बाईपास के रूप में चौड़ीकरण करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

श्री समरपाल सिंह–

61-क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-4-2000 जो मऊ जनपद के जिलाधिकारी द्वारा लखनऊ-बलिया राजमार्ग एवं गाजीपुर-गोरखपुर राष्ट्रीय राजमार्गो को मऊ के बाहर से जोड़ने वाले डाडी बक्तावर घाट हकीकतपुर मार्ग को मऊ बाईपास के रूप में चौड़ीकरण एवं नवीनीकरण करने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ था? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ ।

प्रश्नगत कार्य का प्रस्ताव रु0 104.00 लाख का गठित किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद के सर्वोदय इण्टर कालेज किसौली के कला अध्यापक श्री वीरेन्द्र पाल सिंह को अनुमन्य चयन वेतनमान

मेजर जगतमाल सिंह–

62-विधान सभा के प्रथम संत्र, 2000 के छठे मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-109 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री वीरेन्द्र पाल सिंह, कला अध्यापक, सर्वोदय इण्टर कालेज, किसौली, मुरादाबाद की दिनांक 1-1-86 से स्नातक वेतनक्रम में चयन वेतनमान का लाभ न दिये जाने के सम्बन्ध में श्री राम स्वरूप सिंह, स0वि0स0 का शिकायती-पत्र दिनांक 31-10-2000 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नैपाल सिंह–

जी हाँ ।

श्री वीरेन्द्र पाल सिंह को चयन वेतनमान अनुमन्य किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद में यमुना नदी पर पुल निर्माण की मांग

श्री शिव सिंह चक–

63-क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद फिरोजाबाद के टूण्डला ब्लाक अन्तर्गत रसूलाबाद मार्ग जो फतेहाबाद आगरा के लिए जाता है, यमुना नदी पर पुल न होने के कारण लगभग 35 कि0मी0 का चक्कर लगाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

64-[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

श्री संजय गर्ग–

65-[दिनांक 9-5-2001 को अता0 प्र0सं0-86 द्वारा उत्तरित] ।

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

66-[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त] ।

जनपद शाहजहाँपुर, मीरानपुर कटरा नहर कोठी व जैतीपुर रजवहा की जांच रिपोर्ट

श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

67-क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता की शिकायत-पत्र पर मीरानपुर कटरा नहर कोठी तथा कटरा, जैतीपुर राजवहा की जांच दिनांक 24-12-97 को अधिशासी अभियन्ता, शारदा नहर, शाहजहाँपुर द्वारा की गयी थी? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि अधिशासी अभियन्ता ने अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 6-11-98 को अधीक्षण अभियन्ता सिंचाई कार्य मण्डल सीतापुर को भेज दी है? यदि हां, तो अधीक्षण अभियन्ता ने जांच रिपोर्ट पर क्या कार्यवाही की ? जांच में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ ।

जी हाँ ।

जांच में कोई अधिकारी दोषी नहीं पाया गया, अत: कार्यवाही किये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। उपरोक्तानुसार ।

जौनपुर के वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय में डिप्लोमा प्राप्त सहायक अध्यापक की नियुक्ति की मांग

डा0 कौशल किशोर–

68-क्या उच्च शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि श्री वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर द्वारा वर्ष 1993 में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन नर्सरी एजूकेशन पाठ्यक्रम का संचानलन प्रारम्भ किया गया था ? विश्वविद्यालय द्वारा चलाये गये उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक कुल कितने छात्र छात्राओं को डिप्लोमा प्रदान किया गया है ? क्या सरकार उक्त पाठ्यक्रम के अन्तर्गत डिप्लोमा प्राप्त करने वालों को सहायक अध्यापक पद पर नियुक्ति की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ ।

लगभग 2604 छात्रों को डिप्लोमा प्रदान किया गया ।

जी नहीं ।

ऐसी कोई कार्य योजना नहीं है ।

जनपद देवरिया, नई गण्डक कालोनी के रख-रखाव हेतु विगत वर्षो में व्यय धनराशि के विवरण की जानकारी

श्री योगेन्द्र सिंह सैंगर–

69-क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया अन्तर्गत नई गण्डक कालोनी के रख-रखाव हेतु वर्ष 1998-99,1999-2000 तथा 2000-2001 में कुल कितना धन व्यय किया गया? क्या यह सही है विगत दस वर्षो से इसके रख-रखाव तथा रंगाई-पुताई का कार्य नहीं किया गया है जिससे इस कालोनी की हालत जर्जर हो गयी है ? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता व अन्य मा0 सदस्यों के पत्र अप्रैल, 1999 से फरवरी, 2000 के मध्य प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार इस कालोनी के रख-रखाव व पुताई की तत्काल व्यवस्था करायेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद-देवरिया अन्तर्गत नई गण्डक कालोनी के रख-रखाव हेतु वर्ष 1998-99,1999-2000 तथा 2000-2001 में कुल रु0 1.65 लाख व्यय किया गया है ।

विगत 10 वर्षो में इसके रख-रखाव तथा रंगाई-पुताई का कार्य उपलब्ध धन की आवश्यकतानुसार कराये गये हैं जिससे कालोनी की स्थिति जर्जर होने का प्रश्न नहीं उठता है ।

अप्रैल, 1999 से फरवरी, 2000 के मध्य प्रश्नकर्ता का कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ, अपितु प्रश्नकर्ता का पत्र, दिनांक 8-1-2001 व मा0 सदस्य विधान सभा, देवरिया का पत्र, दिनांक 24-4-99 तथा 7-2-2000 प्राप्त हुए हैं ।

आवश्यक कार्यवाही करके प्राक्कलन तैयार कर लिया गया है ।
धनराशि की उपलब्धता पर कालोनी के रख-रखाव व पुताई पर यथा-समय कार्यवाही की जायेगी।
प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा, क्षेत्र गोवर्धन में सड़कों के निर्माण विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

70—श्री अजय कुमार पोइया—

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र जनपद मथुरा में सड़कों का निर्माण कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम0-40540/मथुरा/2000, दिनांक 20-12-2000 प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हाँ ।
प्रकरण प्रमुख अभियन्ता को संदर्भित किया गया है ।
उपरोक्तानुसार ।

राजकीय निर्माण निगम में उप अभियन्ताओं के प्रोन्नति, शासनादेशों के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही की जानकारी

71—श्री बनवारी लाल दोहरे—

क्या सरकार को जानकारी है कि राजकीय निर्माण निगम में लगभग 60 उप अभियन्ता ऐसे हैं जो समयमान वेतनमान का अधिकतम वेतन आहरित कर रहे हैं ? यदि हां, तो प्रोन्नति के संबंध में मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या-3ई0एम0/2000का-4-2000, दिनांक 18 सितम्बर, 2000 के अनुपालन में निर्माण निगम द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

राजकीय निर्माण निगम में केवल 05 उप-अभियन्ता ही समयमान वेतनमान में अधिकतम स्तर पर वेतन आहरित कर रहे हैं ।

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम में शासनदेश संख्या-3-ई0एम0/2000-का-4-2000, दिनांक 18 दिसम्बर, 2000 प्रभावी नहीं है क्योंकि निगमों में प्रोन्नति सम्बन्धित सेवा संवर्ग के लिए बनाई गई सेवा नियमावलियों एवं सार्वजनिक उद्यम विभाग समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित व्यवस्था के अनुसार की जाती है ।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही, विकास खण्ड सुरियावां में कतिपय मार्गों के निर्माण की मांग

72–डा0 पूर्णमासी पंकज–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के वि0खं0 सुरियांवा के अमोली छनौरा से एकौनी मार्ग के निर्माण हेतु वर्ष 1998-99 में लो0नि0वि0 को जिला योजना द्वारा 15.00 लाख रुपया स्वीकृत किया गया था? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का निर्माण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर शीघ्र कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, बल्कि वर्ष 1999-2000 में आर0आई0डी0एफ0 फेज-5 योजना के अन्तर्गत रु0 15.08 लाख की लागत पर स्वीकृति प्रदान की गयी ।

एक किमी0 में टाप कोट एवं शेष एक किमी0 में सीलिंग स्तर तक कार्य पूर्ण है ।
निर्माण कार्य पूर्ण न होने की जांच कराकर कार्यवाही की जायेगी ।
उपरोक्तानुसार ।

73–डा0 पूर्णमासी पंकज–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के वि0खं0 सुरियावां में गौरा गोपीपुर से भौधर सराय कंसराय मार्ग के निर्माण हेतु वर्ष 1998-99 में लो0नि0वि0 को 15.00 लाख रुपया शासन द्वारा स्वीकृत किया गया था ? यदि हां, तो उक्त मार्ग का निर्माण कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1999-2000 में रु0 15.08 लाख की लागत पर स्वीकृति प्रदान की गयी । वर्ष 99-2000 में रु0 3.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी थी ।
वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।
प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही, विकास खण्ड ज्ञानपुर में बारी मार्ग के निर्माण की मांग

74–डा0 पूर्णमासी पंकज–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के वि0खं0 ज्ञानपुर में बारी मार्ग से राल्ही के घर तक 1 किमी0 लेपन कार्य हेतु वर्ष 1998-99 में जिला योजना द्वारा लोक निर्माण विभाग को 7.00 लाख रुपये का धन अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग पूर्ण करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार जांच कराकर मानक के अनुरूप कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

बारी मार्ग से राल्ही के घर तक स्वीकृत मार्ग का वास्तविक नाम कसियापुर से चकचन्दा से वारी सम्पर्क मार्ग है । इस मार्ग पर वर्ष 1998-99 में केवल रु0 3.00 लाख अवमुक्त किया गया था।

मार्ग टाप कोट स्तर तक पूर्ण है ।

जांच कोई बिन्दु नहीं है ।

कार्य पूर्ण कराया जाना वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है ।

उपरोक्तानुसार ।

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम सहित प्रदेश के सभी निगमों में वाहन भत्तों के सम्बन्ध में जानकारी

75–श्री बनवार लाल दोहरे –

क्या सार्वजनिक उद्यम मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम सहित प्रदेश के सभी निगमों में सरकारी सेवकों को अपने विभिन्न प्रकार के वाहनों को सन्तोषजनक ओर चालू स्थिति में रखने के लिए वाहन भत्तों के सम्बन्ध में वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सा-4-229/दस-2000-626-2000, दिनांक 10 मार्च, 2000 को लागू करा दिया गया है? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो इसे कब तक लागू करा दिया जायेगा ?

श्री जय नरायन तिवारी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-4 का उक्त शासनादेश प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों पर प्रभावी नहीं है । निगमों/उपक्रमों की आर्थिक स्थिति एवं अपने श्रोतों से भुगतान क्षमता सम्बन्धी प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा ।

अधिशासी अभियन्ता गण्डक नहर निर्माण खण्ड-5 देवरिया घोटाले के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

76-श्री दीप लाल भारती–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (परिकल्प एवं शोध) सिंचाई विभाग, उ0प्र0, लखनऊ के पत्रांक सी-161/परि0/शो0/दिनांक 28-11-2000 द्वारा श्री उत्पल कुमार डे तात्कालिक अधिशासी अभियन्ता गण्डक नहर निर्माण खण्ड-5 देवरिया द्वारा रु0 1,68,000 के घोटाले के संबंध में किये गये शिकायत की शिकायतकर्ता/प्रश्नकर्ता ने लखनऊ मुख्यालय उपस्थित होकर लिखित रूप से पुष्टि की थी ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच कराकर दोषी से सरकारी धन की वसूली की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ ।

प्रारम्भिक जांच में अन्तर्ग्रस्त पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही विचाराधीन है।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली, तहसील नवाबगंज के ग्राम हाफिजगंज में नहर की मरम्मत/साइफन निर्माण विषयक प्रार्थना पत्र

77- श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 5-10-2000 जो अधिशासी अभियन्ता रूहेलखण्ड नहर खण्ड, बरेली को ग्राम हाफिज गंज तहसील नवाबगंज जिला बरेली में नहर की मरम्मत तथा साइफन निर्माण करने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा क्षेत्र गोवर्धन में विधायक निधि से नहरों, रजवाहों की सफाई, खुदाई की जानकारी

78 - श्री अजय कुमार पोइया –

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के गोवर्धन विधान सभा क्षेत्र में विधायक निधि का पैसा नहरों की सफाई के नाम पर खर्च करने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक-सी0एम0/वि0 क0/एम0-39314/मथुरा/2000 दिनांक 10-11-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हाँ ।

समयानुसार रजवाहों की खुदाई/सफाई कराई गई है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम पंचायत कटरी बिछुइयां में वृक्षारोपण व वृक्षों की कटाई आदि का प्रकरण

79- डा0 धर्मज्ञ मिश्र –

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कटरी बिछुइयां में वन विभाग द्वारा कितने हेक्टेयर पेड़ लगाये गये थे? लगाये गये पेड़ों में कितने पेड़ों की बिक्री की जा चुकी है और कितने अवशेष हैं? क्या इस जंगल की लकड़ी व पेड़

प्रतिदिन कटवाकर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बेचा जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर अवैध बिक्री के धन को वसूल कर सरकारी कोष में जमा करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजधारी सिंह–

जनपद हरदोई के 91-मल्लावां के निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कटरी बिछुइयां में वन विभाग द्वारा कोई वृक्षारोपण नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के ग्राम नेवादा में वृक्षारोपण की जानकारी

80- डा0 धर्मज्ञ मिश्र –

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नेवादां में वन विभाग द्वारा कितने हेक्टेयर पेड़ लगाये गये हैं? लगाये गये पेडों में कितने पेडों की बिक्री की जा चुकी है और कितने अवशेष हैं? क्या इस जंगल की लकड़ी व छोटे-मोटे पेड़ कटवाकर वन विभाग के अधिकारियों द्वारा बेचा जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर अवैध बिक्री द्वारा प्राप्त धन की वसूली कर सरकारी कोष में जमा करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राजधारी सिंह–

नेवादागम्मी वन ब्लाक में वर्ष 1986 से 1999 तक वन विभाग द्वारा 85.85 हे0 क्षेत्र में वृक्षारोपण किया गया है ।

लगाये गये पेड़ों की बिक्री नहीं की गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद, बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा किये जा रहे अनियमित कार्यों की जांच कार्यवाही

81 - श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद गाजियाबाद द्वारा किये जा रहे अनियमित कार्यों, अभिलेखों में हेराफेरी आदि के सन्दर्भ में उनको स्थानान्तरित करके उच्च स्तरीय जांच कराये जाने के सम्बन्ध में मा0 राज्य मंत्री, लघु सिंचाई,उ0प्र0 का पत्रांक -डी-175/रा0मं0ल0सिं/2000, दिनांक 20-10-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हाँ ।

प्रकरण की जांच बेसिक शिक्षा अधिकारी के स्तर से करायी गयी । मा0 राज्य मंत्री, लघु सिंचाई के शिकायती पत्र में उल्लिखित दो अध्यापक श्री मदन सिंह तोमर एवं श्रीमती राजकुमारी, जिनका स्थानान्तरण होना दर्शाया गया है, का वेतन जांचोपरान्त स्थागित करते हुए उनको अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु नोटिस निर्गत किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद के नेहरू जय जवान जय किसान जूनियर हाई स्कूल में मानकों से अधिक अध्यापकों/कर्मचारियों को हटाने की मांग

82 - श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि नेहरू जय जवान जय किसान जूनियर हाई स्कूल, गालन्द जिला गाजियाबाद में मानकों से अधिक अध्यापक एवं कर्मचारी तैनात हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर मानक से अधिक तैनात अध्यापक एवं कर्मचारी को हटाकर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हाँ ।

जी हाँ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गाजियाबाद, बेसिक शिक्षा अधिकारी गाजियाबाद द्वारा सहायक अध्यापकों के स्थानान्तरण का प्रकरण

83 - श्री छोटे लाल गंगवार–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद गाजियाबाद द्वारा विगत तीन वर्षों से असहायता प्राप्त विद्यालयों से सहायता प्राप्त विद्यालयों में कितने सहायक अध्यापकों के स्थानान्तरण किये गये? क्या अनियमित स्थानान्तरण के लिए जिम्मेदार अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी–

(क) जी कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों को अन्य निगमों की भांति उ0प्र0 राजकीय निमार्ण निगम में लागू करने की मांग

84 - श्री बनवारी लाल दोहरे –

क्या सार्वजनिक उद्यम मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में किन-किन निगमों के कर्मचारियों को पंचम वेतनमान की सिफारिशों के अनुरूप पुनरीक्षित वेतनमान दिया जा रहा है ? क्या सरकार उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम के कर्मचारियों को भी पंचम वेतनमान की सिफारिशों के अनुरूप वेतनमान दिलाया जाना सुनिश्चत करायेगी ? यदि हाँ, तो कब तक ? यदि नहीं तो क्यों ?

श्री जय नारायन तिवारी –

प्राप्त सूचना के अनुसार उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, उ0प्र0 जल निगम, उ0प्र0 वन निगम,उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम, उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम, उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण निगम, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् , उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा ऊर्जा क्षेत्र के उ0प्र0 पावर कारपोरेशन, उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम में पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान दिया जा रहा है।

उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम से अपने कर्मचारियों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर प्रस्ताव प्राप्त होने पर निगम की आर्थिक स्थिति एवं भुगतान क्षमता के आधार पर विचार किया जायेगा ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद, श्री के0पी0 सिंह मेमोरियल उच्चतर माध्यामिक विद्यालय गढ़ी अफोह नारखी में विगत वर्षों में शुल्क क्षतिपूर्ति अनुदान के भुगतान की जानकारी

85 - श्री विजय पाल सिंह –

क्या माध्यामिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि असहायक मान्यता प्राप्त श्री के0पी0 सिंह मेमोरियल उच्चतर माध्यामिक विद्यालय, गढ़ी अफोह नारखी फिरोजाबाद की कक्षा -6 बालक व बालिकाओं तथा कक्षा-7 से कक्षा 10 तक पढ़ने वाली बालिकाओं के लिए शुल्क क्षतिपूर्ति अनुदान का भुगतान वर्ष 1987 से 1990 तक कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार उक्त भुगतान करते हुए इसके लिए दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह–

जी नहीं।

वर्ष 1987-88 से 1989-90 के वर्षों में आवांटित धनराशि आहरित न हो पाने एवं कालातीत हो जाने के कारण भुगतान नहीं हो सका 1

प्रास्ताव प्राप्त होने पर अग्रेत्तर कार्यवाही की जायेगी। इसके लिए संस्था के प्रबन्धक स्वयं दोषी हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फिरोजाबाद, श्री के0पी0 सिंह मेमोरियल उच्चतर माध्यामिक विद्यालय गढ़ी अफोह के क्षतिपूर्ति भुगतान की जानकारी

86 -डा0 ज्ञानवती सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1997 के दूसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-73 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यामिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि के0पी0 सिंह मेमोरियल उच्चतर माध्यामिक विद्यालय नारखी, फिरोजाबाद को क्षतिपूर्ति भुगतान कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

डा0 नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

वर्ष 1987-88 से 1989-90 के वर्षों में आवंटित धनराशि आहरित न हो पाने एवं कालातीत हो जाने के कारण भुगतान नहीं हो सका ।

प्रदेश में बी0 एड0/एल0 टी0 प्रशिक्षित प्राथमिक स्कूल के अध्यापकों के स्थानान्तरण नीति की जानकारी

87 -श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1999-2000 में बी0एड0/एल0टी0 प्रशिक्षित जिन अध्यापक/अध्यापिकाओं का प्राथमिक विद्यायलयों में चयन किया गया है उनके स्थानान्तरण की कोई नीति निर्धारित की गयी है? यदि हां, तो वह क्या है? क्या स्थानान्तरण करने से पूर्व कोई प्रपत्र भरवाया जाता है? यदि हां, तो प्रदेश में ऐसे कितने अध्यापक/अध्यापिकाओं के प्रपत्र प्राप्त हुए हैं एवं उन पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बालेश्वर त्यागी –

जी हां।

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षित जो नियुक्त किये गये थे उनमें विकलांग,परित्यक्ता, विधवा, अविवाहित व विवाहित महिलाओं (शिक्षिका) को वरीयता प्रदान करते हुए उनके स्थानान्तरण कर दिये जायं।

2- जिन विशिष्ट बी0 टी0 सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों तथा विकलांगों को स्थान रिक्त न होने के कारण गृह जनपद में नियुक्त नही किया जा सका था, उन्हें अपने गृह जनपद में स्थानान्तरित कर दिया जाय। यदि जनपद में स्थान रिक्त न हो तो प्रोन्नति करके स्थान बना दिये जायं।

जी हां । स्थानान्तरण आवेदन पत्र।

लगभग 800 स्थानान्तरण आवेदन पत्र विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षित एवं नियुक्त अध्यापकों के प्राप्त हुए हैं।

लगभग 500 विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षित अध्यापकों के प्राप्त स्थानान्तरण आवेदन पत्रों के आधार पर उनका स्थानान्तरण किया जा चुका है।

जनपद मऊ में पारा सहरोज ख्वाजा जहांपुर बांध विगत वर्ष बाढ़ के कटाव की मरम्मत कराने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

88 - श्री समर पाल सिंह –

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न कर्ता का पत्र दिनांक 28-4-2000 जो जनपद मऊ में पारा सहरोज ख्वाजा जहांपुर बांध में मुहम्मदपुर के पास वर्ष 1999 की बाढ़ में कटाव की मरम्मत कराने एवं रोकने विषयक था उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

89-श्री समरपाल सिंह–

आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।

जनपद हरदोई , क्षेत्र मल्लांवा के हथौड़ा ड्रेन के कार्यों में विलम्ब के कारणों की जानकारी

90-डा0 धर्मज्ञ मिश्र –

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां वि0 सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हथौड़ा ड्रेन से संबंधित कार्यो का प्राक्कलन वर्ष 1999 - 2000 में तेयार होने के पश्चात् अभी तक सिंचाई विभाग द्वारा कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां , तो क्यों ? क्या सरकार इस विलम्ब के लिए दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां , तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह –

जनपद हरदोई के 91-मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत हथौड़ा ड्रेन जिसकी कुल लम्बाई 44.00 कि0मी0 है , के सेक्शन रिनोवेशन , रिमाडिलिंग के कार्यो के प्राक्कलन पर उत्तर प्रदेश भूमि सुधार निगम द्वारा 14.7 किमी0 से 33.6 कि0मी0 तक के कार्यो की वित्तीय स्वीकृति वर्ष-2000 - 2001 में वर्षा काल प्रारम्भ होने के कुछ समय पूर्व दिनांक 17-5-2000 को दी गयी। चूंकि ड्रेनों पर कार्य 15 जून के बाद कराया जाना उचित नहीं होता है इसलिए हथौड़ा ड्रेन की निविदा प्रक्रिया आदि को पूर्ण करते हुए इसका कार्य माह जनवरी , 2001 में प्रारम्भ कराया गया । जनवरी से पूर्व नालों में पानी रहता है इसलिए कार्य कराया जाना न तो संभव था और न ही तकनीकी दृष्टिकोण से उचित था। अत: विलम्ब का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के सहिजना ड्रेन की खुदाई व सफाई कार्य

91-डा0 धर्मज्ञ मिश्र–

क्या सिंचाई मंत्री की जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां वि0 सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सहिजना ड्रेन की खुदाई व सफाई कार्य निर्धारित अवधि जून , 2001 तक पूर्ण किया जाना है किन्तु उक्त ड्रेन के खुदाई व सफाई कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किया गया है ? क्या सरकार ड्रेन का वांछित कार्य निर्धारित समयावधि में पूर्ण कराने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं , तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद हरदोई के 91 मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सहिजना ड्रेन के पुनरोद्धार सेक्शन करेक्टिंग एवं पक्के कार्य हेतु फिजीबिलिटी रिपोर्ट की स्वीकृति भूमि सुधार निगम, लखनऊ द्वारा दिनांक 12-3-2001 को दी गयी है । फिजीबिलिटी रिपोर्ट के अन्तर्गत इस ड्रेन से संबंधित कार्यो का विस्तृत प्राक्कलन तैयार कर भूमि सुधार निगम , लखनऊ की चेकिंग संस्था कन्सल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज से चेक कराकर भूमि सुधार निगम, लखनऊ को स्वीकृति हेतु प्रेषित किया जायेगा । विस्तृत प्राक्कलन की स्वीकृति एवं धन आवंटन के उपरान्त इस नाले पर कार्य कराया जायेगा जो वर्ष 2001 - 2002 में प्रस्तावित है ।

कानपुर मण्डल में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने की मांग

92-श्री शिशुपाल सिंह यादव–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर मण्डन कानपुर में कितने पद शिक्षकों के विभिन्न श्रेणियो के रिक्त चल रहे हैं ? इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नैपाल सिंह–

कानपुर मण्डल कानपुर में अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रवक्ता के 414 तथा स्नातक वेतनक्रम में 1203 तथा राजकीय विद्यालयों में (बालक / बालिका) सहायक अध्यापक स्नातक वेतनक्रम के कुल 24 पद (पुरूष - 13 तथा महिला - 11) तथा प्रवक्ता के कुल 39 पद (पुरूष -23 महिला - 16) रिक्त चल रहे हैं । अशासकीय विद्यालयों में रिक्त पदों के भरने की कार्यवाही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड द्वारा गतिमान है तथा राजकीय विद्यालयों में स्नातक वेतनक्रम के रिक्त पदों को भरने के लिये अक्टूबर - 2000 में विज्ञापन प्रकाशित किया जा चूका है। प्रवक्ता (पुरूष) के पदों हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है । चयनित अभ्यर्थी आने पर रिक्त पदों की पूर्ति कर दी जायेगी । प्रवक्ता महिला के कुल 16 में से 9 पदों पर सीधी भर्ती से नियुक्तियां की जा चुकी है शेष 7 पदों पर पदोन्नति की कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद जौनपुर , ग्राम खम्मौरा से मेहरावां तक सड़क निर्माण का प्रकरण

93-श्री बांके लाल सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-10-2000 जो

जौनपुर जनपद के ग्राम खम्मौरा से मेहरावां तक सड़क के निर्माण हेतु धन उपलब्ध कराये जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां , तो क्या सड़क निर्माण हेतु धन उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि नहीं , तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

मार्ग निर्माण का यह कार्य स्वीकृत नहीं है ।

94-श्री बांके लाल सोनकर–

[दिनांक 11-5-2001 को अता0 प्र0 सं0 -163 द्वारा उत्तरित]

जनपद जौनपुर में सड़कों का नामकरण

95-श्री अफजाल अहमद–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद जौनपुर में सड़कों के नामकरण करने हेतु श्री सन्त प्रसाद राय निवासी ढालगर टोला , पो0 सदर ,जनपद जौनपुर का दिनांक 10-11-99 का पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां , तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही हुयी ? यदि नहीं , तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

परीक्षणोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश प्रमुख अभियन्ता , लो0 नि0वि0 , उ0प्र0 को दिये गये थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर , एफ0बी0 मुस्लिम गर्ल्स इण्टर कालेज में दो अध्यापिकाओं की अवैध नियुक्ति विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही

96-श्री कोविद कुमार सिंह–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 3 अगस्त , 2000 जो एफ0 बी0 मुस्लिम गर्ल्स इण्टर कालेज बुलन्दशहर में दो सहायक अध्यापिकाओं की अवैध नियुक्ति को निरस्त किये जाने के संबंध में था , उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां , तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं , तो क्यों ? क्या उक्त अध्यापकों की किये गये वेतन भुगतान की रिकवरी कराकर प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच करायी जायेगी ? यदि नहीं , तो क्यों ?

डा0 नैपाल सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत संस्था की दो अध्यापिकाओं श्रीमती मंजू शर्मा एवं श्रीमती समा परवीन स0अ0 के विरूद्ध प्राप्त शिकायत पर सुनवाई के उपरान्त अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) के निर्णय

दिनांक 6-5-2000 द्वारा निस्तारित करते हुऐ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम महादेश के अधीन वेतन भुगतान के निर्देश दिये गये है ।

उपरोक्तानुसार

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई , विकास खण्ड माधोगंज , मल्लावां के बेसिक विद्यालयों में अतिरिक्त फीस का प्रकरण

97-डा0 ज्ञानवती सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधोगंज , मल्लावां के बेसिक विद्यालयों में जुलाई/अगस्त, 2000 में फीस के अतिरिक्त प्रति छात्र 5/- रूपया वसूल किया गया है ? यदि हां, तो उक्त रूपया किस मद के लिये लिया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

सूचना विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों को निर्गत प्रवेश पत्र के सम्बंध में जानकारी

98-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति के आगमन एवं लोक सभा, विधान सभा चुनावों के दौरान सूचना विभाग द्वारा दैनिक समाचार-पत्रों, साप्ताहिक समाचार पत्रों के सम्वाददाताओं को प्रवेश पास निर्गत किये जाते हैं ? यदि हां, तो प्रत्येक समाचार-पत्र हेतु कितने-कितने पास निर्गत किये जाने का प्राविधान है ? क्या यह सही है कि मान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलावा किसी को भी पास जारी नहीं किये जाते हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त पत्रकारों के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को प्रवेश पत्र निर्गत करने की परम्परा नहीं है । इसी कारण मान्यता प्राप्त पत्रकारों से इतर अन्य व्यक्ति को प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जाते हैं ।

जनपद शाहजहांपुर के नलकूप विभाग में कराये गये कार्यो की अनियमितताओं की जांच

99-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-10-98 जो जिला शाहजहांपुर के नलकूप विभाग में कराये गये कार्यों में की गयी अनियमितताओं की जांच कराने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जांच आख्या प्राप्त हो गयी है परीक्षण कर दोषी अधिकारियों को दण्डित करने हेतु विहित प्रक्रिया के अनुसार कार्यवाही की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

100-श्री भीम प्रसाद सोनकर–

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

101-श्री राम औतार शाक्य–

[दिनांक 24-4-2001 को अता0 प्र0सं0-86 द्वारा उत्तरित]

जनपद मैनपुरी में मान्यता प्राप्त हाई स्कूल / इण्टर कालेजों में नियुक्तियों के प्रकरण

102-श्री राम औतार शाक्य–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में मान्यता प्राप्त हाईस्कूल एवं इण्टर कालेजों में चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कुल कितने पद इस समय रिक्त है ? उक्त रिक्तियां कब तक भर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नैपाल सिंह–

चतुर्थ श्रेणी के 18 एवं तृतीय श्रेणी के 3 पद रिक्त है ।

माध्यमिक शिक्षा अधिनियम की धारा 104 से 107 के प्राविधानुसार जब तक जनपद में मृतक आश्रित नियुक्ति हेतु शेष है, तब तक सीधी भर्ती द्वारा कोई पद नहीं भरा जायेगा । क्योंकि जनपद में अभी भी मृतक आश्रितों की नियुक्ति की जानी शेष है ।

उपरोक्तानुसार ।

103-श्री राम औतार शाक्य–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद फैजाबाद, विकास खण्ड रूदौली के जूनियर हाई स्कूल बहरास में कार्यरत अध्यापकों का विवरण

104-श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद फैजाबाद के विकास खण्ड, रूदौली के जूनियर हाईस्कूल बहरास में कितने छात्र इस समय शिक्षारत है एवं उसके परिपेक्ष्य में कितने अध्यापक कार्यरत हैं ? क्या यह सही है कि उक्त जूनियर हाईस्कूल में मात्र एक अध्यापक ही कार्यरत हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार विद्यालय में छात्रों की संख्या के आधार पर अध्यापक एवं प्रधान अध्यापक की नियुक्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्रश्नगत विद्यालय में कुल 59 छात्र शिक्षारत एवं 4 अध्यापक कार्यरत है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बाराबंकी के रामनगर-सफदरगंज (वाया सआदतगंज) सड़क के दोनों ओर कराये गये वृक्षारोपण का विवरण

105-डा0 राम सिंह–

क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी में रामनगर-सफदरगंज (वाया-सआदतगंज) की सड़क के दोनों तरफ सघन एवं उपयोगी पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त नवनिर्मित सड़क के किनारे छाया अथवा फलदार उपयोगी पेड़ों का रोपण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

बाराबंकी वन प्रभाग में रामनगर-सफदरगंज (वाया-सआदतगंज) मार्ग पर निम्न प्रकार वृक्षारोपण किया गया है

स्थल	वर्ष	रोपित क्षेत्र (है0 में)	रोपित कुल पौध	रोपित मुख्य प्रजातियां
1-सफदरगंज सआदतगंज मार्ग	1986	6.30	12,600	यूकेलिप्टस शीशम, आदि
2-रामनगर सआदतगंज मार्ग किमी0-3	1987	2.50	5,000	यूकेलिप्टस, शीशम, बबूल, आम आदि
3-रामनगर सआदतगंज मार्ग कि0मी0 3-9	1989	5.00	10,000	शीशम, यूकेलिप्टस अर्जुन, जामुन, कंजी, बबूल, आम आदि ।
		13.80	27,600	

प्रश्न नहीं उठता है ।

उक्त मार्ग नवनिर्मित नही, अपितु काफी पुराना सम्पर्क मार्ग है । वृक्षारोपण कार्य पूर्व ही में उक्त विवरण के अनुसार ही कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद सीतापुर, विकास खण्ड ऐलिया के ग्राम सहोई में झम्मत पुत्र नन्दा की भूमि पर वन विभाग द्वारा कब्जा करने सम्बन्धी प्रकरण

106-श्री रमेश राही–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के वि0 ख0 ऐलिया के ग्राम सहोई के झम्मत पुत्र नन्दा की भूमि गाटा सं0 289 जो कि सम्पर्क मार्ग पर स्थित है, में वन विभाग द्वारा 3 बीघे में पेड़ लगाकर मेंड़ बांध दी है ? क्या सरकार वन विभाग द्वारा किये गये कब्जे की भूमि का मुआवजा दिलायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड ऐलिया के ग्राम सहोई के श्री झम्मत पुत्र श्री नन्दा की भूमि गाटा संख्या-289 में वन विभाग द्वारा न तो कोई पेड़ लगाया गया है और न ही कोई मेंड़ बांधी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद सीतापुर, विकास खण्ड महोली के आदर्श जनता माध्यमिक विद्यालय के सहायक अध्यापक स्व0 चन्द्रभाल के पुत्र की मृतक आश्रित में नियुक्ति की जानकारी

107-श्री रमेश राही–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-सीतापुर के विकास खण्ड महोली के आदर्श जनता माध्यमिक विद्यालय ग्रा0 व पो0 बसारा में कार्यरत सहायक अध्यापक श्री चन्द्रभाल की मृत्यु दिनांक 13-2-99 को हो गयी थी ? क्या मृतक आश्रित के पुत्र यज्ञ दत्त ने दिनांक 10-8-99 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, सीतापुर को सेवा में लिये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था ? यदि हां, तो क्या उक्त को सेवायोजित किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

(क) जी हां ।

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

वास्तविक प्रयोजन हेतु एक शीशम के वृक्ष को बिना किसी परमिट के काटने के प्राविधान की जानकारी

108 -श्री तेजभान सिंह–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के 5वें मंगलवार हेतु निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-70 के उत्तर के संदर्भ में क्या वन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों के हित में इमारती लकड़ी या कृषि उपकरण में प्रयोग हेतु क्या परिपक्व शीशम का कम से कम एक पेड़ बिना परमिट प्राप्त किए काटने हेतु छूट प्रदान की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2001 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या -12) की धारा-5 के चौथे परन्तुक के अन्तर्गत ईधन, चारा, कृषि उपकरण अथवा अन्य घरेलू कार्य के वास्तविक प्रयोजन हेतु एक शीशम के वृक्ष को बिना किसी परमिट के काटने का प्राविधान पहले से विद्यमान है।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों के भवन निर्माण

109-श्री सरवर अली खां–

क्या सरकार को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद् नगर क्षेत्र बाराबंकी द्वारा संचालित सत्ताईस विद्यालयों में से सत्रह विद्यालय भवनहीन हैं ? यदि हां, तो सरकार इन भवनहीन विद्यालयों के भवनों का निर्माण कब तक करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

नगर क्षेत्र बाराबंकी में कुल 28 विद्यालयों में से 9 विद्यालयों के स्वयं के भवन नहीं है ।

02 विद्यालयों के निर्माण की कार्यवाही की जा रही है । शेष 7 विद्यालयों की निजी भूमि नहीं है और इन्हें दूसरे विद्यालयों के भवनों में पाली के रूप में संचालित किया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बाराबंकी में विगत वर्षो में जूनियर हाईस्कूल योग्यता छात्रवृत्ति के वितरण की जानकारी

110-श्री सरवर अली खां–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर क्षेत्र बाराबंकी में जूनियर हाईस्कूल योग्यता छात्रवृत्ति हेतु 1995 से 2000 तक कितने छात्र -छात्राओं का चयन किया गया है? क्या पात्र छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो किन -किन विद्यालयों के छात्रों को दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

नगर क्षेत्र बाराबंकी में जूनियर हाईस्कूल योग्यता छात्रवृत्ति हेतु 1995 से 2000 तक 214 छात्र /छात्राओं को चयनित किया गया है ।

जी हां ।

नगर क्षेत्र बाराबंकी में निम्नांकित विद्यालयों को जूनियर हाईस्कूल योग्यता छात्रवृत्ति प्राप्त हुयी है :-

सरस्वती विद्या मन्दिर केशव नगर, सरस्वती विद्या मन्दिर सत्योभी नगर,पायनियर मान्टेसरी वि0 बाराबंकी,बाराबंकी सिटी मा0 वि0 बाराबंकी,प0सि0म0, राम सेवक मै0, चन्द्रशेखर आजाद भारतीय शिशु मन्दिर, महावीर जैन, आकाशदीप महारानी लक्ष्मीबाई,नेशनल मा0 पूर्व मा0वि0 हडछीगंज एवं न्यू पायनियर मान्टेसरी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद शाहजहांपुर, तहसील जलालाबाद के कोलाघाट पर पुल निर्माण की मांग

111-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 7-7-99 जो जनपद शाहजहांपुर तह0 जलालाबाद के कोलाघाट पर पुल का निर्माण कराये जाने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि उन्होंने दि0 8-7-99 को उक्त पत्र मा0 मंत्री लोक निर्माण एवं पर्यटन को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेज दिया था यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

सेतु के निर्माण हेतु सर्वेक्षण कार्य एवं माडल स्टडी कराने के लिये शासनादेश दि0 23 जून, 99 के द्वारा रू0 16.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति पूर्व में प्रदान की गई थी । प्रश्नगत पत्र प्राप्त होने पर सम्बन्धित अधिकारियों को उक्त कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये गये थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर के उ0मा0 विद्यालय सेलूमऊ विकास खण्ड हरगांव के अध्यापक श्री नागेन्द्र प्रताप सिंह के वेतन भुगतान का प्रकरण

112-श्री रमेश राही–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के उ0मा0 विद्यालय सेलूमऊ, विकास खण्ड हरगांव में कार्यरत नागेन्द्र प्रताप सिंह अध्यापक (एल0टी0ग्रेड) को मा0 उच्च न्यायालय, लखनऊ में दायर वाद सं0 809/77 के आदेश दिनांक 28 - 7-99 के उपरांत वर्ष जुलाई, 88 से दिसम्बर, 2000 तक के वेतन आदि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार वेतन आदि भुगतान किये जाने के आदेश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नैपाल सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

श्री नागेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा योजित रिट याचिका अदम पैरवी में खारिज हो जाने तथा उसमें पारित अन्तरिम आदेश भी खारिज हो चुका है । ऐसी स्थिति में श्री सिंह को वेतन देय नहीं है ।

जनपद अम्बेडकर नगर के अतरौलिया मार्ग को गढ्ढा मुक्त करने की मांग

113-श्री भीम प्रसाद सोनकर–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद अम्बेडकर नगर में जहांगीरगंज, माडरमड-नयी बाजार से अतरौलिया मार्ग में बड़े बड़े गढ्ढों से युक्त एवं बुरी तरह ध्वस्त है ? सरकार के गढ्ढा मुक्त अभियान के बावजूद क्या उक्त मार्ग की मरम्मत नहीं करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रश्नगत मार्ग का एल0बी0एम0 स्तर तक निर्माण सुनिश्चित कराने हेतु प्रभावी निर्देश देगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मार्ग क्षतिग्रस्त था । कि0मी0 1 से 6 पर मार्ग की सतह पर पत्थर भर कर मरम्मत कराई गई तथा कि0मी0 11 से 14.50 पर पेच रिपेयर का कार्य कराया गया है । शेष कि0 मीटरों पर कार्य वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

प्रश्नगत मार्ग ग्रामीण श्रेणी के मार्ग है और ग्रामीण श्रेणी के मार्ग पर एल0बी0एम0 कराने की कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद सन्त रविदास नगर, विकास खण्ड सुरियावां के भसुधी टेमा मार्ग के निर्माण की जानकारी

114-डा0 पूर्णमासी पंकज–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद संत रविदास नगर के वि0ख0 सुरियावां में अम्बेडकर ग्राम भसुधी को जोड़ने हेतु 2 कि0मी0 गौरा सोसायटी से भसुधी टेमा मार्ग के निर्माण के लिए वर्ष 1997-98 में लोक निर्माण विभाग को 11.38 लाख रूपया अवमुक्त किया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का निर्माण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

गौरा सोसायटी से भसुधी वाया टेमा मार्ग का निर्माण कार्य वर्ष 1997-98 में जिला योजना स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत रू0 11.38 लाख लागत का स्वीकृत करते हुये वर्ष 97-98 में केवल रू0 एक लाख का तथा विभिन्न वर्षो में अब तक कुल रू0 9.48 लाख का धन आवंटन किया गया है ।

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

लोक निर्माण विभाग के अवर अभियन्ता (विद्युत) के चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति का मा0 उच्च न्यायालय के विचाराधीन प्रकरण

115-श्री अब्दुल मन्नान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लोक निर्माण विभाग में अवर अभियन्ता (विद्युत) मैदानी संवर्ग के पदों पर चयनित सफल अभ्यर्थियों की सूची लोक सेवा आयोग द्वारा लगभग 10 माह पूर्व नियुक्ति हेतु विभाग को प्रेषित की गयी थी ? क्या चयनित अभ्यर्थियों का पुलिस वेरीफिकेशन व चिकित्सीय परीक्षण कराकर नियुक्ति पत्र निर्गत कर दिये गये है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त नियुक्तियां कब तक कर दी जायेंगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

चयनित अभ्यर्थियों में से 65 का पुलिस वेरीफिकेशन तथा 85 का चिकित्सीय परीक्षण हो गया है किन्तु मा0 उच्च न्यायालय के स्थगनादेश के कारण नियुक्ति पत्र जारी नहीं किये जा सके हैं ।

सम्प्रति स्थगनादेश प्रभावी रहने तक नियुक्तियां सम्भव नहीं है ।

लखनऊ, मैसर्स महालक्ष्मी ट्रेडर्स द्वारा लो0नि0 विभाग के इलेक्ट्रिकल डिवीजन में किये गये कार्यो के भुगतान की जानकारी

116-श्री अब्दुल मन्नान–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैसर्स महालक्ष्मी ट्रेडर्स, लखनऊ द्वारा वर्ष 1998-99 में (इलेक्ट्रिकल डिवीजन लखनऊ में) किये गये कार्यो के समस्त बिलों का भुगतान विभाग द्वारा कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त फर्म को वर्ष 1998-99 के समस्त बकाया बिलों का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद उन्नाव, विकास खण्ड सुमेरपुर के जूनियर बेसिक विद्यालय सेदूपुर में मानक के विपरीत नियुक्त अध्यापकों के स्थानान्तरण की जानकारी

117-श्री कृपा शंकर सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जूनियर बेसिक विद्यालय सेदूपुर विकास खण्ड सुमेरपुर जनपद उन्नाव में मानक के विपरीत 129 विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए पांच प्रशिक्षित अध्यापक नियुक्त किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या मानक के विपरीत अध्यापकों की नियुक्ति करने वाले उत्तरदायी अधिकारी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जांच में छात्र संख्या-122 पाये जाने पर अतिरिक्त तैनात दो शिक्षकों का स्थानान्तरण कर दिया गया है । एक शिक्षक को पदोन्नति कर अन्यत्र पदस्थापित किया गया है । सम्प्रति विद्यालय में दो अध्यापक तैनात हैं ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मथुरा के गोवर्धन राजवाहा की खुदाई / सफाई विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

118-श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के गोवर्धन स्थित राजवाह की खुदाई व सफाई करवाने के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम0-2/38394, दिनांक 5-10-2000 प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, सिंचाई विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

पत्र में किये गये अनुरोध के अनुसार वर्तमान फसल रबी 1408 वर्ष 2000-2001 में राजबाहा गोवर्धन एवं माईनर वछगांव पर सफाई का कार्य कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मथुरा के गांधी इण्टर कालेज छाता के स्व0 श्री भीक चन्द्र सहायक लिपिक के अवशेष देयों के भुगतान के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

119-श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री खगेन्द्र पाल सिंह पुत्र स्व0 श्री भीक चन्द्र सहायक लिपिक, गांधी इण्टर कालेज छाता, मथुरा के पिता के अवशेष देयों का भुगतान सुनिश्चित कराने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम0 2/37541/मथुरा/2000 दिनांक 18-9-2000 प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नैपाल सिंह–

विधायक कोष्ठक का संदर्भित पत्र दिनांक 18-9-2000 प्राप्त हुआ है जो श्री खगेन्द्र पाल सिंह, सहायक लिपिक के वेतन भुगतान के सम्बन्ध में है ।

जहां तक स्व0 श्री भीक चन्द्र सहायक लिपिक के अवशेष देयों के भुगतान का प्रश्न है, इनके पेंशन व जी0पी0एफ0 का भुगतान किया जा चुका है । बीमा भुगतान का प्रकरण बीमा निगम इलाहाबाद को भेजा गया है । भुगतान की स्वीकृति प्राप्त होते ही भुगतान कर दिया जायेगा ।

जनपद आगरा, कैनाल पुल के पास खेती हेतु भूमि उपलब्ध कराने विषयक प्राप्त पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

120-श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा कैनाल पुल के पास की भूमि खेतों में मिलाकर खेती के लिए भूमि उपलब्ध कराने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक -सी0एम0वि0को0/एम -2/37920/मथुरा/2000, दिनांक 22-9-2000 जिलाधिकारी, मथुरा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जिलाधिकारी, मथुरा से प्राप्त आख्यानुसार प्रश्नगत प्रकरण में नहर विभाग की भूमि की पैमाइश कराकर दि0 8-2-2001 को पत्थर की मुड्डी लगा दी गयी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

लखनऊ श्यामा प्रसाद मुखर्जी चिकित्सालय के स्टाफ द्वारा राज्य सम्पत्ति विभाग को भवन आवंटन हेतु दिये पत्र पर निस्तारण की जानकारी

121-डा0 ज्ञानवती सिंह–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी अस्पताल में तैनात उपचारिकाओं एवं सिस्टरों के कितने आवेदन वर्ष 1996 से 2000 के मध्य राज्य सम्पत्ति विभाग को भवन आवंटन हेतु प्राप्त हुए है ? प्राप्त हुए आवेदन पत्रों में कितने अ0जा0/पिछड़ी जाति और सामान्य जाति के थे ? राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा अभी तक उनमें से किसी को भी भवन न आवंटित करने के क्या कारण हैं ?

श्री राजनाथ सिंह–

कुल 15 आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं ।

अ0जा0-4

पिछड़ी जाति -2

सामान्य जाति -9

एक के पक्ष में आवंटन हुआ है । शेष का नाम प्रतीक्षा सूची में शीर्ष पर अंकित न होने के कारण इनके पक्ष में आवंटन किया जाना संभव नहीं हो पाया ।

जनपद, आगरा के कतिपय समाचार पत्रों के विज्ञापन की मान्यता का प्रकरण

122-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा से प्रकाशित दैनिक देश रत्न, साप्ताहिक देश रत्न का प्रकाशन राजामण्डी से होता है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त समाचार-पत्र

को विज्ञापन की मान्यता प्राप्त है ? यदि हां, तो विगत वर्षो से उक्त समाचार-पत्र का नियमित रूप से प्रकाशित होने के बाद भी मान्यता-विज्ञापन समाप्त करने का क्या औचित्य है ? क्या उक्त समाचार-पत्र को पुन: मान्यता विज्ञापन बहाल करके जानकारी दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

साप्ताहिक "देश रत्न" को विज्ञापन मान्यता प्राप्त है परन्तु दैनिक च्देश रत्नछ समाचार-पत्र की विज्ञापन मान्यता समाप्त हो गयी है ।

समाचार-पत्र द्वारा विज्ञापन मान्यता नियम का पालन न करने तथा समाचार-पत्र के प्रकाशन में गम्भीर अनियमिततायें पाये जाने के कारण दिनांक 14-10-99 को विज्ञापन मान्यता समाप्त की गयी है ।

समाचार-पत्र को दिनांक 26 अगस्त, 2000 को विभाग द्वारा पत्र निर्गत किया गया है कि समाचार-पत्र द्वारा पुन: आवेदन-पत्र भर कर दिये जाने पर आगामी विज्ञापन मान्यता समिति की बैठक के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा ।

जनपद महाराजगंज के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गो के जीर्णोद्धार की मांग

123-श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि प्रश्नकर्ता के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत पुरैना, पिपरिया होते भखलिया तक, कामता मार्ग जडार तक, भेदानीपुर पकड़ियापार मार्ग परतावल चौमुखा मार्ग, परतावल पुरैल मार्ग पूर्णतया क्षतिग्रस्त हो गये हैं ? यदि हां, तो क्या इन मार्गो का जीर्णोद्धार सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

पुरैना पिपरिया होते भखलिया तक का मार्ग गन्ना विभाग के अन्तर्गत है, कामता मार्ग जडार तक, भेदानीपुर पकडियापार मार्ग परतावल चौमुखा मार्ग, परतावल पुरैल मार्ग क्षतिग्रस्त है ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद बिजनौर के क्षेत्र धामपुर में विगत वर्ष बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत

124-श्री मूल चन्द्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र धामपुर जनपद बिजनौर में वर्ष 2000 में हुई अधिक वर्षा एवं बाढ़ से सड़कें बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गयी है ? यदि हां, तो क्या लोक निर्माण विभाग द्वारा क्षतिग्रस्त मार्गो की मरम्मत करायी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

यातायात को चालू रखने हेतु न्यूनतम मरम्मत करा दी गयी है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद सीतापुर के सींच पर्यवेक्षक श्री लखपत राम के सेवा निवृति पश्चात उनके समस्त देयों के भुगतान की मांग

125-श्री रमेश राही–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर के सींच पर्यवेक्षक श्री लखपत राम जो तहसील मिश्रिख जनपद सीतापुर से दिनांक 31 अगस्त, 1999 को सेवानिवृत्त हुए थे उनकी पेंशन आदि का भुगतान कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार पेंशन आदि का भुगतान किये जाने के आदेश निर्गत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां, श्री लखपत राम, सींच पर्यवेक्षक को पेंशन का भुगतान कोषागार सीतापुर के माध्यम से प्रतिमाह किया जा रहा है । इसके अतिरिक्त उपादान /राशिकरण, जी0पी0एफ0 का 90%, जी0आई0एस0 एवं अवकाश /नकदीकरण का भुगतान भी किया जा चुका है । 10% के भुगतान हेतु महालेखाकार, उ0प्र0 को प्रकरण सन्दर्भित किया गया है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी, तहसील रामनगर के ग्राम ततेहरा में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना

126-श्री जगदीश नारायण राय–

क्या सरकार को जानकारी है कि विकास खण्ड सूरतगंज तहसील रामनगर जिला बाराबंकी की ग्राम ततेहरा जिसकी आबादी लगभग एक हजार है, के तीन कि0मी0 की दूरी तक कोई प्राथमिक विद्यालय स्थापित नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम ततेहरा में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

ग्राम ततेहरा विकास खण्ड सूरतगंज की आबादी लगभग 600 है और इसके तीन कि0मी0 की दूरी तक कोई प्राथमिक विद्यालय स्थापित नहीं है ।

जी हां ।

शीघ्र विद्यालय स्थापित कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद सन्त रविदास नगर के खलीलाबाद में क्षतिग्रस्त धनघटा मार्ग के मरम्मत कराने की मांग

127-श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद संत कबीर नगर में खलीलाबाद धनघटा मार्ग के कि0मी0 1 से 10 तक विगत कई वर्षो से क्षतिग्रस्त होने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग की मरम्मत करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

खलीलाबाद मुखलिसपुर धनघटा मार्ग वर्ष 2000 की भारी वर्षा के कारण किमी0 1 में 350 मीटर, किमी0 2 में 350 मीटर, किमी0 3 में 200 मीटर, किमी0 5 में 100 मीटर, किमी0 7 में 150 मीटर, किमी0 9 में 100 मीटर भाग क्षतिग्रस्त है ।

मरम्मत कार्य प्रगति पर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद रायबरेली के बेसिक शिक्षा अधिकारी के भ्रष्टाचारों की जांच

128-श्री ज्वाला प्रसाद यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि राज्य मंत्री माध्यमिक शिक्षा का पत्र सं0-1237/रा0मं0मा0शि0/2000, दिनांक 11-8-2000 विशेष सचिव गृह का पत्र सं0-4724 ख दि0 6-4-2000 तथा सत्ता से सत्ता के प्रधान सम्पादक श्री शिवदास प्रसाद मिश्र का पत्र दिनांक 14-8-2000 जो बेसिक शिक्षा अधिकारी, रायबरेली के भ्रष्टाचार की जांच कराने के संबंध में था, जिलाधिकारी रायबरेली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

अनुसचिव, गृह (पुलिस) का पत्र संख्या-4724 ख दिनांक 6-4-2000 एवं श्री शिवदास प्रसाद मिश्र का संदर्भित पत्र प्राप्त हुआ है ।

जांच करायी गयी तथा आरोप तथ्यहीन पाये गये ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के जिला बेसिक शिक्षा समिति की बैठक में सम्मिलित प्रतिनिधियों का विवरण

129-श्री राम औतार शाक्य–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के तीसरे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-72 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बेसिक शिक्षा समिति मैनपुरी की बैठक दिनांक 13-5-1998 में मा0 सांसदों एवं विधान परिषद् के सदस्यों के स्थान पर सम्मिलित हुए उनके प्रतिनिधियों के नाम व पते क्या हैं और उनके उक्त मीटिंग में सम्मिलित होने का विधिक औचित्य क्या था ? क्या सरकार ऐसे प्रतिनिधियों के बैठक में सम्मिलित होने की प्रक्रिया पर रोक लगायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्रश्नगत बैठक में सम्मिलित प्रतिनिधियों का विवरण निम्नवत् है :-

(1) मा0 बलराम सिंह यादव, सांसद के प्रतिनिधि श्री देवेन्द्र सिंह यादव, नि0 यदुवंश नगर, मैनपुरी।

(2) मा0 डा0 सच्चिदानन्द हरिसाक्षी सांसद के प्रतिनिधि श्रीमती कृष्णदास लोधी नि0 भोगांव, मैनपुरी ।

(3) मा0 अवध पाल सिंह यादव सदस्य विधान परिषद् के प्रतिनिधि श्री जयबीर सिंह यादव नि0 स्टेशन रोड, मैनपुरी ।

(4) मा0 पृत्येन्द्र पाल सिंह सदस्य विधान परिषद् के प्रतिनिधि डा0 अखिलेश पाल सिंह नि0 चौधियाना ,मैनपुरी ।

उक्त समस्त प्रतिनिधि शासनादेश संख्या-4967/15-5-92-263/92 दिनांक-13-11-92 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार सम्मिलित हुए थे ।

सम्प्रति जिला बेसिक शिक्षा समिति समाप्त की जा चुकी है ।

शेष प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद संत रविदास नगर भदोही में पं0 दीनदयाल योजनान्तर्गत नई बाजार से रैमलपुर मार्ग का लेपन हेतु अवमुक्त धन

130-डा0 पूर्णमासी पंकज–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद संत रविदास नगर भदोही में वर्ष 1999-2000 में पं0 दीन दयाल योजनान्तर्गत नई बाजार से रैमलपुर 2 कि0मी0 लेपन हेतु लो0नि0वि0 को धन अवमुक्त किया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त मार्ग का निर्माण पूर्ण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश में मोअल्लिम-ए-उर्दू उपाधि धारकों को उर्दू अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति विषयक प्रार्थना -पत्र

131-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 29-6-99 जो मोअल्लिम-ए-उर्दू उपाधि धारकों को उर्दू अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति के संबंध में था, उन्हें तथा मुख्य मंत्री एवं शिक्षा राज्य मंत्री को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद शाहजहांपुर, सिंचाई बन्धु की बैठक में प्रोटोकाल का उल्लंघन विषयक शिकायती पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

132-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16·11-98 जो सिंचाई बन्धु की बैठक में प्रोटोकाल का उल्लंघन किये जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्नकर्ता का दिनांक रहित पत्र जो 13-10-98 की सिंचाई बंधु की बैठक में प्रोटोकाल के उल्लंघन से संबंधित था, मुख्य विकास अधिकारी, शाहजहांपुर के माध्यम से प्राप्त हुआ जिसकी जांच की गयी तथा भविष्य में सिंचाई बंधु की बैठक की अध्यक्षता न करने के लिए अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, शाहजहांपुर को मुख्य अभियन्ता (नलकूप मध्य) द्वारा निर्देशित किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर में कठिना नदी पर स्थायी पुल निर्माण की मांग

133-डा0 धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के अन्तर्गत बीहट गौर से पिसावां मार्ग पर कठिना नदी पर बने पीपे का पुल बरसात के समय हटा दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों? क्या मंत्री जी जनहित में स्थायी रूप से पक्के पुल का निर्माण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

वर्षा ऋतु में पान्टूनों की सुरक्षा हेतु ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण ।

जनपद मथुरा, पोस्ट अवैसी, नगला उदय सिंह के श्री टेकचन्द्र जाटव द्वारा कराये कार्यों के भुगतान का प्रकरण

134-श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री टेकचन्द्र जाटव, ठेकेदार निवासी-नगला उदय सिंह, पोस्ट-अवैसी, जनपद मथुरा द्वारा कराये गये कार्यो का भुगतान कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम0-2/36365/मथुरा/2000, दिनांक 8-8-2000 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत भुगतान के संबंध में श्री टेक चन्द्र जाटव, ठेकेदार का मा0 सिविल जज, मथुरा के न्यायालय में वाद सं0 732/2000 लम्बित होने के कारण कार्यवाही किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद मथुरा के दुंतबाना डाईवर्जन ड्रेन हेतु अर्जित भूमि की वापसी विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

135-श्री अजय कुमार पोइया–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा के दुंतबाना डाईवर्जन ड्रेन हेतु अर्जित की गई भूमि की वापसी के संबंध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम0/ 37585/मथुरा/2000, दिनांक 19-9-2000 प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, सिंचाई विभाग को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत अधिग्रहीत भूमि की वापसी के सम्बंध में अब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी है ।

हुलवाना डाईवर्जन ड्रेन विद्यमान गोवर्धन नाले के किमी0 18.800 पर आकर मिलना था तथा गोवर्धन नाले का इस स्थल से यमुना नदी के आउटफाल तक पुनरोद्धार किया जाना था । अधिग्रहीत भूमि 473.68 एकड़ भूमि में 252.51 एकड़ भूमि योजना में प्रयोग की गई तथा कृषकों की अवशेष अधिग्रहीत भूमि 221.17 एकड़ भूमि इस कारण अप्रयुक्त है कि स्थानीय कृषकों एवं मा0 जन प्रतिनिधियों के विरोध के कारण उ0प्र0 सरकार द्वारा परियोजना बंद कर दी गयी है । भविष्य में कभी भी परियोजना शुरू होने पर उक्त भूमि की आवश्यकता विभाग को होगी ।

जनपद मुरादाबाद के रामगंगा में बाढ़ से प्रभावित गांवों को बचाने की योजना

136-मेजर जगत पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मुरादाबाद के गांव हसनगढ़ी, इस्लामनगर, ब्लाक मुरादाबाद रामगंगा में बाढ़ आने से कट रहे हैं ? क्या उक्त गांवों को बाढ़ से बचाने के लिए सरकार कोई कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद मुरादाबाद में रामगंगा नदी की बाढ़ के दौरान ग्राम हसनगढ़ी, इस्लामनगर, ब्लाक मुरादाबाद की कृषि भूमि की कटान होती है । इस हेतु एक योजना मुख्य अभियन्ता समिति, लखनऊ की बैठक दिनांक 13-12-2000 में प्रस्तुत की गयी थी । तकनीकी कारणों से इस योजना पर समिति द्वारा असहमति व्यक्त की गयी है । इसलिए अब इस संदभ में कोई कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित नहीं है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुरादाबाद के सर्किट हाउस का निर्माण

137-मेजर जगत पाल सिंह--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद मुरादाबाद में सर्किट हाउस का 1991 से निर्माण कार्य चल रहा है ? यदि हां, तो क्या यह निर्माण कार्य वित्तीय वर्ष 2000-2001 में पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

सर्किट हाउस मुरादाबाद के निर्माण की स्वीकृति शासनादेश दिनांक 18 जून, 1994 द्वारा प्रदान की गई थी । निर्माण कार्य वर्ष 1994 से ही प्रारम्भ किया गया है ।

जी नहीं । क्योंकि अभी स्वीकृत लागत के सापेक्ष पूरी धनराशि अवमुक्त नहीं हो सकी है जिसे वर्तमान वित्तीय वर्ष में अवमुक्त कराकर निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने का लक्ष्य है ।

लोक सेवा आयोग की गायब पत्रावली के संदर्भ में जांचोपरान्त कार्यवाही की जानकारी

138-श्री विजय कुमार--

विधान सभा केप्रथम सत्र, 2000 के छठे मंगलवार हेतु निर्धारित अता0प्र0सं0-25 के उत्तर के संदर्भ में क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक सेवा आयोग से गायब पत्रावली सं0-16 आर0वी0 62-63 के संदर्भ में जांचोपरान्त दोषी पाये गये अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह--

लोक सेवा आयोग, उ0प्र0 की पत्रावली सख्या-16-आर0वी0-62-63 के गायब होने के संदर्भ में जांचोपरान्त श्री गंगा प्रसाद मिश्र, उप सचिव (तत्कालीन अनुभाग अधिकारी) को चेतावनी दी गयी है, जिसकी प्रति श्री मिश्र की व्यक्तिगत पत्रावली में रखी गयी है । तत्कालीन प्रवर वर्ग सहायक श्री राजेन्द्र नाथ सरकार की पेंशन से 10 वर्ष तक के लिए 10 प्रतिशत कटौती करने का दण्ड दिया गया है तथा दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी श्री प्रकाश चन्द्र पाण्डेय को सेवा से पृथक करते हुए, उसके विरूद्ध पुलिस में प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां के ग्राम कुतआपुर को मुख्य सड़क से जोड़ने की मांग

139-डा0 धर्मज्ञ मिश्र--

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में 2500 आबादी वाले ग्राम कुतआपुर को वित्तीय वर्ष 1999-2000 में मुख्य सड़क से जोड़ने हेतु 46 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गई थी ? यदि हां, तो सड़क का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

कार्य स्वीकृत नहीं है।

जनपद कौशम्बी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

140-श्री अजय कुमार पोइया–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कड़े मानिकपुर शीतला धाम जनपद कौशम्बी को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम-2/33338/मथुरा/2000, दिनांक 28-4-2000 प्रमुख सचिव पर्यटन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

जी हां ।

जिला योजना वर्ष 2000-2001 के अंतर्गत प्रश्नगत स्थल के स्थानीय पर्यटन विकास हेतु कुल रू0 10.00 लाख की स्वीकृति दिनांक 31.3.2000 को प्रदान की गयी है ।

इसके अतिरिक्त कड़े मानिकपुर शीतलाधाम को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने हेतु वित्तीय वर्ष 1996-97 में रू0 9.49 लाख की लागत से गंगा किनारे घाट का निर्माण एवं रू0 3.97 लाख की लागत से सुलभ शौचालय का निर्माण कराया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महाराजगंज, के कप्तानगंज में छोटी गण्डक नदी के रामजानकी घाट पर पक्का पुल निर्माण कराने की मांग

141-श्री दीपलाल भारती–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि छोटी गण्डक नदी में कप्तानगंज में रामजानकी घाट पर पक्का सेतु बनने से कुशीनगर-महाराजगंज, गोरखपुर जनपद के साथ विहार से सीमा-सम्पर्क जुड़ जायेगा ? यदि हां, तो इस संबंध में मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक सं0-सी0एम0/वि0को0/एम/40930/कुशीनगर/2000 के क्रम में कप्तानगंज घाट पर पक्का पुल निर्माण कराने हेतु स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद मैनपुरी के पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुसमरा की भूमि पर अतिक्रमण हटाने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

142-श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि बेसिक शिक्षा परिषद् के पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुसमरा जनपद मैनपुरी की भूमि के अतिक्रमण को हटाये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम-2/39291/मैनपुरी/2000 दिनांक 9-11-2000 के साथ जिलाधिकारी, मैनपुरी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर तयागी–

जी हां ।

उप जिलाधिकारी भोगांव द्वारा पैमाइश कराकर अवैध कब्जा हटा दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मैनपुरी के कतिपय सेवानिवृत्त अध्यापकों के अवशेष देयों के भुगतान की मांग

143-श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी के कतिपय सेवानिवृत्त अध्यापकों के अवशेष देयों के भुगतान के संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्र संख्या-सी0एम0/वि0को0/एम-2/39299/मैनपुरी/2000 दिनांक 9-11-2000 के साथ जिलाधिकारी, मैनपुरी को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

पेंशन, पेंशन बिक्री, फण्ड, बीमा का भुगतान किया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद आगरा के हिन्दी दैनिक/साप्ताहिक देशरत्न के विज्ञापन मान्यता बहाल करने विषयक पत्र पर कार्यवाही की मांग

144-श्री संजय गर्ग–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा से प्रकाशित हिन्दी दैनिक/साप्ताहिक देशरत्न के प्रबन्ध सम्पादक श्री भुवनेन्द्र वार्ष्णेय का पत्र दिनांक 11-7-2000 निदेशक सूचना एवं जन सम्पर्क मार्ग विभाग लखनऊ को प्राप्त हुआ है जो उक्त समाचार-पत्र की विज्ञापन मान्यता बहाल करने के संबंध में था ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक बिन्दुवार क्या-क्या कार्यवाही की गयी है? क्या समाचार-पत्र की विज्ञापन मान्यता पुन: बहाल कर दी गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी हां ।

समाचार-पत्र की विज्ञापन मान्यता बहाल करने के संबंध में समाचार-पत्र को नवीन आवेदन-पत्र भर कर दिये जाने हेतु पत्र निर्गत किया गया था, आवेदन-पत्र भर कर प्राप्त हो गया है । जो आगामी विज्ञापन मान्यता समिति की बैठक के समक्ष पुनर्विचार हेतु प्रस्तुत किया जायेगा ।

जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव में शारदा नहर की उपशाखा की सफाई कर पानी टेल तक पहुंचाने/सिंचाई शुल्क की वसूली की जानकारी

145-श्री रमेश राही–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि जनपद सीतापुर के विकास खण्ड हरगांव में शारदा नहर की ब्रांच रौनाही उप शाखा जो सैय्यदपुर होते हुए पकरिया तक जाती है, की खुदाई/सफाई लगभग तीन वर्षो से न कराये जाने के कारण माइनर में पानी नहीं आता है तथा सिंचाई शुल्क किसानों से जबरन वसूला जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त माइनर की सफाई करायेगी तथा किसानों का सिंचाई शुल्क माफ करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत गुरधपा माइनर की सिल्ट सफाई वर्ष 98-99 तथा 2000-2001 में शीर्ष से टेल तक कराई गयी । नहर में तीनों वर्षो में पानी चला है और किसानों से सिंचाई करने पर ही शुल्क वसूला जाता है।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आगरा, संयुक्त शिक्षा निदेशक के भ्रष्टाचारों की जांच विषयक-पत्र पर कार्यवाही की मांग

146-श्री अजय कुमार पोइया–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त शिक्षा निदेशक, आगरा के भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम-2/37537/मथुरा/2000, दिनांक 18-9-2000 प्रमुख सचिव, उ0प्र0 शासन, माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

डा0 नैपाल सिंह–

जी हां ।

शिकायती बिन्दुओं पर आरोपित अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त किया गया । उस पर निदेशक का मन्तव्य प्राप्त किया जा रहा है जिसके प्राप्त होने पर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी ।

147-श्री उदय राज यादव–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद हरदोई, क्षेत्र मल्लावां के ग्राम मोझागांव के स्वीकृत सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

148-डा0 धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां विधान सभा क्षेत्र में ग्राम मौझागांव का 2500 की आबादी के अंतर्गत स्वीकृत सम्पर्क मार्ग जिसके लिए 27 लाख 66 हजार रूपये की धनराशि भी स्वीकृति हो चुकी है, का निर्माण कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? सड़क का निर्माण कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

कार्य स्वीकृत नहीं है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद शाहजहांपुर, विकास खण्ड जैतीपुर में एक असेवित कन्या इण्टर कालेज खोले जाने विषयक पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

149-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 4-8-98 को या इसके आसपास जो जनहित विद्यालय समिति पहाड़पुर न्याय पंचायत जौरा खास विकास खण्ड जैतीपुर जिला शाहजहांपुर में एक असेवित कन्या इण्टर कालेज खोले जाने के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नैपाल सिंह–

जी हां ।

जनपद-शाहजहांपुर के विकास खण्ड-जैतीपुर में लोक शिक्षा प्रसार समिति अली अकबरपुर नवादा जैतीपुर द्वारा प्रस्तावित किसान कन्या इण्टर कालेज नवादा शाहजहांपुर को स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, अत: उसी विकास खण्ड में असेवित विकास खण्डों में कन्या माध्यमिक विद्यालय की स्थापना योजनान्तर्गत दूसरे प्रस्ताव की स्वीकृति प्रदान किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्व विद्यालय में छात्रों को संशोधित अंक पत्र उपलब्ध कराने की जानकारी

150-श्री अफजाल अहमद–

क्या उच्च शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जनपद जौनपुर में बैक पेपर/श्रेणी सुधार की परीक्षायें वर्ष 1995 से वर्ष 2000 के मध्य ली गयी है ? यदि हां, तो क्या प्रत्येक परीक्षार्थी को संशोधित अंक पत्र उपलब्ध करा दिया गया है ? यदि नहीं, तो अंक पत्र

कब तक उपलब्ध कराये जायेंगे ? विलम्ब से अंक पत्र तैयार करने वालों के विरूद्ध कौन सी कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

इस परीक्षा में बैठने वाले परीक्षार्थियों के अंकों में जो परिवर्तन होता है, उससे सारणीयन पंजिका की दोनों प्रतियों में अंकित कराकर एक प्रति संबंधित महाविद्यालय को भेज दी जाती है तथा महाविद्यालय द्वारा सारणीयन पंजिका में संशोधित अंकों के अनुसार संबंधित छात्र को अंक पत्र उपलब्ध करा दिया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद जौनपुर, शारदा सहायक परियोजना के निर्माण कराने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र

151-श्री अफजाल अहमद–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जौनपुर जनपद में शारदा सहायक परियोजना के अन्तर्गत निर्माण कार्य कराये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 10-1-2001 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

मा0 विधायक जी के पत्र दि0 10-1-2001 के पत्र में जिन कार्यो के निर्माण की मांग की गयी है उनके संबंध में सूचना निम्न प्रकार है :-

1- **शाहगंज ब्रान्च पर महाराणा प्रताप-वनपार्क के पश्चिम तरफ ग्रामीण पुल का निर्माण**
पुल का निर्माण प्रस्तावित नहीं है क्योंकि शारदा सहायक परियोजना में इसका प्राविधान नहीं है ।

2- **लपरी स्केप के सामने लगभग 3 कि0मी0 लम्बी मेहरावां माइनर का निर्माण**
माइनर का निर्माण प्रस्तावित नहीं है क्योंकि शारदा सहायक परियोजना में इसका प्राविधान नहीं है ।

3- **शाहगंज राजवाहे के हेड पर ग्रामीण पुल का निर्माण**
ग्रामीण पुल का निर्माण प्रस्तावित नहीं है, क्योंकि शारदा सहायक परियोजना में इसक प्राविधान नहीं हैं ।

4- **लालगंज राजवाहा के हेड से 300 मी0 दूरी पर एक बड़े साइफन का निर्माण**
शारदा सहायक परियोजना में इस कार्य के निर्माण का प्राविधान नहीं है अत: साइफन का निर्माण प्रस्तावित नहीं है ।

जनपद कुशीनगर में किसानों से सींच वसूली की जानकारी

152-श्री विश्वनाथ–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि कुशीनगर जनपद में जो नहरें गण्डक विभाग द्वारा सिंचाई न करने वाली घोषित हो चुकी है, उनके सिंचाई क्षेत्र का भी पड़ताल कर किसानों पर सींच

लगान निर्धारित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी वस्ली रोकने और इस राजस्व को समाप्त करने की कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद कुशीनगर में पड़ने वाली नहरों में कोई नहर ऐसी नहीं है जो विभाग द्वारा सिंचाई न कराने वाली घोषित हुई है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद बाराबंकी में विगत वर्षो में आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत आवंटित धनराशि व विद्यालयों हेतु क्रय उपकरणों की जानकारी

153-श्री सरवर अली खां–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपरेशन ब्लैक बोर्ड के अन्तर्गत 1995 से 2001 तक जनपद बाराबंकी में कितनी धनराशि आवंटित की गयी और कितनी धनराशि व्यय की गयी? उक्त योजना के अन्तर्गत जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी द्वारा जो धनराशि पी0एल0ए0 में जमा करायी थी, उसमें कौन-कौन से उपकरण विद्यालयों में खरीद कर दिये गये हैं और कौन-कौन से उपकरण अभी तक नही दिये गये ? क्या उक्त उपकरण क्रय किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

कृपया 4,07,51,149 की धनराशि आवंटित की गयी ओर रू0 3,23,31,937 की धनराशि व्यय की गयी है ।

96 उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु विज्ञान उपकरण, इन्ट्रीग्रेटेड विज्ञान किट्स, टूल किट्स, गणित किट्स, ब्लैक बोर्ड, चिल्ड्रेन बुक, पाठ्य पुस्तकें, अध्यापक गाइड, शब्दकोष, ज्ञान कोष (इनसाइक्लोपीडिया) क्रय किया जा चुका है ।

195 जूनियर हाईस्कूलों हेतु 78 लाख रूपया जनपद बाराबंकी को आवंटित किया गया जिसके संबंध में क्रय की स्थिति निम्नवत् है :-

राज्य स्तर–विज्ञान उपकरण, इन्ट्रोग्रेटेड विज्ञान किट, टूल किट, गणित किट, ब्लैक बोर्ड के क्रय का प्रकरण शासन के विचाराधीन है । पाठ्यक्रम पाठ्य पुस्तकें, अध्यापक गाइड, शब्दकोष, ज्ञान कोष (इन्साइक्लोपीडिया) बच्चों की पुस्तकें क्रय करने की कार्यवाही गतिमान है । स्टील बाक्स तथा पानी की टंकी के क्रय का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

जनपद स्तर–मानचित्र, ग्लोब, ढोलक, हारमोनियम, मंजीरा एवं अध्यापकों हेतु कुर्सी मेज।

विद्यालय स्तर–कूदने की रस्सी (बड़ी) कूदने की रस्सी (छोटी) फुटबाल, बालीबाल, रबर बाल, टाट-पट्टी, हवा भरने का पम्प रिंग बाल, स्कूल घंटी चाक, डस्टर, गिलास, करछल अभी तक नहीं दिये गये । जी हां ।

शासन द्वारा निर्णय लिये जाने के उपरान्त ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद बाराबंकी के प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के समय से वेतन/बकाया धनराशि के भुगतान विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

154-श्री सरवर अली खां–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र , वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा परिषद् बाराबंकी को दिनांक 26-12-2000 को प्राप्त हुआ है जो प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों के समय से वेतन एवं बकाया धनराशि के भुगतान के संबंध में था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी हां ।

भुगतान की नियमत: कार्यवाही की गयी ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां में नाबार्ड योजना में स्वीकृत वजीरपुर रोड के निर्माण की मांग

155-डा0 धर्मज्ञ मिश्र–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत बेरया वजीरपुर रोड पर मऊ तक 11/2 कि0मी0 मार्ग नाबार्ड योजना से स्वीकृत है और वित्तीय वर्ष 1998-99 में पूर्ण होना था जिसके लिए धनराशि भी स्वीकृत हो चुकी है? यदि हां, तो उक्त सड़क का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

बेरिया वजीरपुर मार्ग से पूरनमऊ ग्राम के लिये 1.5 कि0मी0 मार्ग नाबार्ड योजना में स्वीकृत है किन्तु वित्तीय वर्ष 1998-99 में कार्य पूर्ण किये जाने की समय सीमा निर्धारित नहीं थी। कार्य आरम्भ किया जा चुका है ।

जनपद देवरिया, श्री कृष्ण इण्टर कालेज आश्रम बरहज, में नियुक्त अध्यापक की अवैध डिग्री की जांच की मांग

156-श्री अक्षयबर लाल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण इण्टर कालेज आश्रम बरहज, देवरिया में श्री रवीन्द्र नाथ यादव की प्रथम नियुक्ति अध्यापक के पद पर कब हुई थी ? नियुक्ति के समय उनकी शैक्षिक योग्यता क्या थी ? क्या यह सही है कि जिस प्रशिक्षण संस्थान से पत्राचार द्वारा श्री यादव ने प्रशिक्षण प्राप्त किया वह संस्था शासन द्वारा मान्यता प्राप्त नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी अवैध डिग्री को रद्द करते हुए उनके विरूद्ध कार्यवाही करके उनकी सेवा समाप्त करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नैपाल सिंह–

श्री रवीन्द्र नाथ यादव की उक्त विद्यालय में प्रथम नियुक्ति अध्यापक के पद पर 19-2-1991 को हुयी थी ।

एम0ए0, बी0 एड0 ।

संस्था के मान्यता की जांच की जा रही है ।

जांचोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद देवरिया, श्री कृष्ण इण्टर कालेज आश्रम के सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य के अवशेष देयों के भुगतान की जानकारी

157-श्री अक्षयबर लाल–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कृष्ण इण्टर कालेज आश्रम बरहज, देवरिया के सेवा निवृत्त प्रधानाचार्य श्री विष्णुदेव तिवारी को माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के रिट याचिका संख्या 1268/97 में पारित आदेश दिनांक 12-7-99 के अनुसार समस्त देयों का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या जिला विद्यालय निरीक्षक देवरिया ने दिसम्बर 1999 अगस्त 2000 में अवशेष देयों के भुगतान हेतु प्रबन्धक को आदेशित किया है ? यदि हां, तो अवशेष देयों का भुगतान न करने के लिए दोषी प्रबन्धक के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नैपाल सिंह–

श्री तिवारी के अंन्तिम जी0 पी0 एफ0 का भुगतान किया जा चुका है । पेंशन प्रकरण अनिस्तारित है ।

मा0 न्यायालय के आदेश दिनांक 12-7-99 के विरूद्ध विशेष अपील की कार्यवाही गतिमान है ।

जी हां ।

आवश्यक पत्र व्यवहार किया गया था ।

प्रकरण में विशेष अपील योजित किये जाने का निर्णय लिये जाने के कारण कार्यवाही नहीं की गयी है ।

जनपद जौनपुर के मेहरावां रेलवे क्रासिंग से पूर्वांचल विश्वविद्यालय तक रोड बनवाने विषयक राज्य मंत्री के निर्देश पर कृत कार्यवाही की जानकारी

158-श्री अफजाल अहमद–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि लोक निर्माण राज्य मंत्री ने जौनपुर जनपद में मेहरावां रेलवे क्रासिंग से पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर (ग्राम खण्मौरा) तक सड़क निर्माण हेतु राज्य सेक्टर से धन उपलब्ध कराने का निर्देश प्रमुख सचिव लोक निर्माण को पत्र संख्या वी0आई0पी0 269 दिनांक 24-10-2000 द्वारा दिया है ? यदि हां, तो क्या उक्त सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ हो गया है ? यदि नहीं, तो सड़क का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ करा दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

जनपद कुशीनगर, विकास खण्ड, खड्डा की ग्राम सभा रामपुर गोनहां में अधूरे मार्ग के निर्माण की मांग

159-श्री दीपलाल भारती–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि विकास खण्ड खड्डा जनपद (कुशीनगर) के ग्राम सभा-रामपुर गोनहां में वर्ष 1997-98 में बनी अधूरे पिच मार्ग का निर्माण व लेपन कार्य रोक दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त मार्ग कब तक निर्मित करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

मार्ग एक कि0 मी0 लम्बाई में वर्ष 1997-98 में स्वीकृत हुआ जो लेपन स्तर तक पूर्ण है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वित्तीय संसाधनों पर निर्भर करता है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद कुशीनगर, महाराजगंज छोटी गण्डक नदी के बेलवाघाट पर पुल निर्माण की मांग

160-श्री दीपलाल भारती–

क्या लोक निर्माण मंत्री को जानकारी है कि जनपद कुशीनगर महाराजगंज के मध्य छोटी गण्डक नदी के बेलवाघाट पर निर्माणाधीन सेतु के निर्माण स्थल से निर्माण सामग्री तथा उपकरण अन्यत्र ले जाये जा रहे है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या उक्त पुल का निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त पुल का निर्माण कार्य जून, 2002 तक पूर्ण करने का लक्ष्य है ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद गोरखपुर में मृतक आश्रित कोटे में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में प्राप्त पत्र पर कार्यवाही

161-श्री विनयकान्त सिंह यादव–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0प्र0 सीनियर प्राथमिक शिक्षक संघ शाखा जनपद फतेहपुर के अध्यक्ष श्री चन्दन सिंह का पत्र दिनांक 22-1-2001 जो जनपद में मृतक आश्रित

रूप में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में की गयी अनियमितता के संबंध में था, सचिव बेसिक शिक्षा उ0प्र0 शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक बिन्दुवार क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

प्रदेश के सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में नियुक्त महिला अध्यापिकाओं को वरीयता क्रम में उनके गृह जनपद में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही

162-श्री विजय पाल सिंह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में महिला अध्यापिकाओं की नियुक्ति होने के कारण वहां आने जाने में वह असुरक्षित महसूस करती है ? यदि हां, तो क्या सरकार महिला शिक्षिकाओं की उनके गृह जनपद में तैनात करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में महिला/पुरूष शिक्षिकों की नियुक्ति उनके लिए असुविधाजनक हो सकती है ।

आवेदित जनपद में पद रिक्त होने पर वरीयता क्रम में महिला अध्यापिकाओं को उनके गृह जनपद में स्थानान्तरित किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

लखनऊ, राजेन्द्र नगर कालोनी को उसके अध्यासियों को बेचे जाने सम्बन्धी कथित प्रकरण

163-श्री विश्वनाथ–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि लोक निर्माण विभाग कालोनी राजेन्द्र नगर, लखनऊ को उसके अध्यासियों को बेचे जाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो इन्हें बेचने हेतु क्या-क्या मापदण्ड निश्चित किये गये हैं ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी, बेसिक शिक्षा परिषद् में सेवा निवृत्त अध्यापक/प्रधानाचार्यों के देयों के भुगतान की जानकारी

164-श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय बेसिक शिक्षा परिषद् मैनपुरी में ऐसे

कितने सेवा निवृत्त अध्यापक/प्रधानाध्यापक हैं जिनके जी0पी0एफ0 पेंशन आदि देयों का भुगतान शेष है ? क्या सरकार ऐसे अध्यापकों के अवशेष देयों का भुगतान शीघ्र करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बालेश्वर त्यागी–

जी0पी0एफ0 एवं पेंशन के दो प्रकरणों तथा बीमा के तीन प्रकरणों का भुगतान शेष है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मैनपुरी , बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन संचालित प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति

165-श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन ब्लाक वाइज कौन से ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं, जिनमें मात्र एक-एक अध्यापक ही कार्यरत है ? क्या सरकार छात्रों की संख्या के मानक के अनुसार अध्यापकों की तैनाती करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

159 ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें एक-एक अध्यापक कार्यरत हैं जिनकी सूची संलग्नक है ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मैनपुरी, बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन संचालित प्राथमिक/पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत संख्या से अधिक तैनात अध्यापकों का विवरण एवं औचित्य

166-श्री राम औतार शाक्य–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मैनपुरी में बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन कितने प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में इस समय स्वीकृत संख्या से अधिक अध्यापक तैनात हैं ? इनका औचित्य क्या है ? उसके लिए कौन दोषी है ? उसके विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

कुल 88 प्राथमिक विद्यालयों एवं 31 पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में स्वीकृत संख्या से अधिक अध्यापक तैनात हैं ।

इन्हें अन्य विद्यालयों में समायोजित किया जाना है ।

प्रकरण में जांच हेतु आदेश दे दिये गये हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रदेश में स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत व्यय धनराशि

167-डा0 धर्मज्ञ मिश्र–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत अब तक कौन-कौन प्रयास किये गये और कितनी धनराशि व्यय की गयी है ? क्या सरकार इस अभियान की उपलब्धियों का ब्यौरा सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

स्कूल चलो अभियान के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र जुलाई, 2000 में 6-14 आयु वर्ग के सभी बच्चों को विद्यालय में लाने हेतु निम्नलिखित प्रयास किये गये :-

(1) व्यापक जनसम्पर्क एवं अभियान का प्रचार-प्रसार ।

(2) प्रदेश के प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों का नामाकंन सुनिश्चित कराया जाना ।

शैक्षिक सत्र 2000-2001 में स्कूल चलो अभियान हेतु व्यापक जन-सम्पर्क, प्रचार-प्रसार एवं वातावरण सृजन सम्बन्धी विभिन्न गतिविधियों पर रू0 तीन लाख व्यय किया गया है, जिसकी प्रतिपूर्ति राज्य परियोजना कार्यालय जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम से की गयी है ।

जी हां ।

"स्कूल चला अभियाने" के अन्तर्गत निम्नलिखित उपलब्धियां प्राप्त हुई हैं :-

(क) 1, 12, 501 गांव में बाल गणना पूर्ण की गयी

(ख) 58, 615 ग्राम सभाओं तथा 1090 मलिन बस्तियों में जन जागरण कार्यक्रम आयोजित किये गये ।

(ग) 6-14 आयु वर्ग के कुल नामांकन में 18.4 प्रतिशत की वृद्धि तथा बालिकाओं के नामाकंन में 23 प्रतिशत की अभूतपूर्व बृद्धि हुई ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद मैनपुरी, सर्वोदय इण्टर कालेज पुरैया में परीक्षा केन्द्र बनाये जाने विषयक पत्र पर आवश्यक कार्यवाही

168-श्री राम औतार शाक्य–

168 क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सर्वोदय इण्टर कालेज, पुरैया, बेवर जनपद मैनपुरी में हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षाओं का, परीक्षा केन्द्र बनाये जाने विषयक मुख्यमंत्री को प्रश्नकर्ता द्वारा दिया गया पत्र उनके कार्यालय के पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम-2/मैनपुरी/2001 दिनांक 9-11-2000 के साथ सचिव माध्यमिक शिक्षा को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 226-231 पर)

डा नैपाल सिंह–

जी नहीं,

किन्तु उक्त विद्यालय से संबंधित पत्र दि0 29-11-2000 को प्राप्त हुआ है ।

निदेशक, मा0 शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ को आवश्यक निर्देश दे दिये गये थे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के ग्राम मुन्नू खेड़ा में अवैध कब्जा हटाकर वृक्षारोपण का कार्य

169-श्री राम विशुन आजाद–

क्या वन मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई की तहसील सण्डीला के ग्राम मुन्नू खेड़ा में वन सम्पत्ति गाटा संख्या 1815 रकबा 2.216 हेक्टेयर पर शहजादे पुत्र साहेब तथा बहादुर पुत्र नन्हा तथा गनेश द्वारा मकान बनवाकर उक्त भूमि पर गत कई वर्षो से कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या उक्त कब्जा हटाने हेतु वन विभाग द्वारा कोई कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? इस संबंध में श्री शिव सिंह चक, सदस्य विधान सभा का पत्र माह अक्टूबर, नवम्बर, 2000 में उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

ग्राम मुन्नूखेड़ा तहसील सण्डीला के गाटा सं0-1815 रकबा 2.216 हे0 में वर्ष 1998 में अतिक्रमण खाली करा कर सम्पूर्ण क्षेत्र में वृक्षारोपण कराया गया है । शहजादे पुत्र साहेब तथा बहादुर पुत्र नन्हा तथा गनेश द्वारा उक्त गाटा संख्या में कोई मकान पूर्व में भी नहीं बनाया गया था और न वर्तमान में है ।

अवैध कब्जा हटाकर वृक्षारोपण किया गया है ।

प्रश्न नही उठता ।

जी हां ।

मा0 विधायक के पत्र का उत्तर प्रभागीय वनाधिकारी, हरदोई के पत्र संख्या 2006/4-20, दिनांक 26-12-2000 द्वारा वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुये दिया जा चुका है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लोक निर्माण विभाग में अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण में हुई अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायती-पत्र

170-श्री दीपलाल भारती–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लोक निर्माण विभाग में अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण में हुई अनियमितताओं से सम्बन्धित शिकायती पत्र सं0-सी0एम0/वि0को0/एम-1/39234/कुशीनगर/2000 दिनांक 9-11-2000 की जांच पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो जांच परिणाम क्या है ? यदि जांच नहीं हुई, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां,

इसमें विभागीय जांच की जा चुकी है ।

जांच में अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण में अनियमितता नहीं पायी गयी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ क्षेत्र मेहनगर में पं0 दीनदयाल उपाध्याय योजना अन्तर्गत सड़कों के निर्माण हेतु धनराशि की व्यवस्था

171-श्री राम जग–

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1998-99 में दीन दयाल योजना के अन्तर्गत जनपद आजमगढ़ के मेहनगर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में कुल कितनी सड़कें स्वीकृत की गयी हैं ? क्या उक्त सड़कों के निर्माण हेतु धन की व्यवस्था करा दी गयी है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य न कराये जाने के क्या कारण है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कुल तीन ।

मेहनगर-जिगनी से बामुपुर मार्ग का कार्य पूर्ण को चुका है । शेष 2 सड़कों के कार्य हेतु चरणबद्ध रूप से धनराशि स्वीकृत की गयी ।

कार्य प्रगति पर है ।

जनपद शाहजहांपुर के जिलाधिकारी को शारदा नहर वन विभाग में अवैध रूप से शीशम के पेड़ कटवाने विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

172-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या वन मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 21-2-99 एवं 4-4-99 जो शारदा नहर वन विभाग में अवैध रूप से शीशम के पेड़ कटवाने के संबंध में थे, जिलाधिकारी शाहजहांपुर का प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उन पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजधारी सिंह–

प्रश्नकर्ता मा0 विधायक का पत्र संख्या 042066 तथा एक अन्य दिनांक रहित पत्र जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय में प्राप्त हुये थे, जो तिलहर में वृक्षों के अवैध कटान के संबंध में थे । यह दोनों पत्र जिलाधिकारी, शाहजहांपुर के कार्यालय द्वारा प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी, शाहजहांपुर को जांच करने एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु दिनांक 6-4-99 को प्रेषित कर दिये गये थे।

उक्त शिकायतों की जांच वन संरक्षक, बरेली क्षेत्र, बरेली से कराकर यथोचित कार्यवाही करने के निदेश प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0 लखनऊ को दे दिये गये हैं ।

जनपद शाहजहांपुर में राजकीय नलकूपों की नालियों की मरम्मत में धन दुरूपयोग विषयक शिकायती-पत्र

173-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 13-5-2000 जो जनपद शाहजहांपुर में राजकीय नलकूपों की नालियों की मरम्मत में सरकारी धन के दुरूपयोग करने की जांच के विषय में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

मा0 सदस्य के कतिपय पत्र पूर्व में भी इसी संदर्भ में प्राप्त हुए थे ।

जांचोपरान्त प्रकरण समाप्त किया जा चुका है । जांच में कोई दोषी नहीं पाया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रदेश के जिलों में निर्माण कार्य की समीक्षा हेतु टास्क फोर्स का गठन

174-डा0 धर्मज्ञ मिश्र–

174 क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में होने वाले निर्माण एवं गैर निर्माण कार्यों का लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए प्रदेश में समस्त जिलाधिकारी के अधीन टास्क फोर्स का गठन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में अधूरे छोड़े गये कार्यों की समीक्षा टास्क फोर्स द्वारा कराये जाने के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राष्ट्रीय एकीकरण एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री भगवान सिंह शाक्य)–

जी हां ।

जी हां ।

राजाज्ञा सं0-2 ए0क्यू0/31-2000-1 ए0क्यू0/2000 दिनांक 04-11-2000 द्वारा जिलाधिकारी हरदोई को आदेश जारी कर दिये गये है ।

प्रश्न नही उठता ।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के ग्राम सनकडीह को जोड़ने हेतु सम्पर्क मार्ग का निर्माण

175-डा0 पूर्णमासी पंकज–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जनपद संत रविदासनगर भदोही के वि0 खं0 भदोही में अम्बेडकर ग्राम सनकडीह को जोड़ने हेतु गोपीगंज भदोही से सनकडीह 378 मार्ग के निर्माण हेतु वर्ष 1997-98 में लोक निर्माण विभाग को 14.32 लाख रूपया अवमुक्त किया गया था । यदि हां, तो क्या उक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण करा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1997-98 में कोई धन अवमुक्त नहीं हुआ था, बल्कि जिला योजना (एस0पी0पी0) में वर्ष 1998-99 एवं वर्ष 1999-2000 में क्रमश: 12.50 एवं 3.41 लाख का आवंटित किया गया ।

जी नहीं ।

मार्ग के कुछ भाग में भूमि विवाद के कारण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराया गया ।

उपरोक्तानुसार ।

जनपद महाराजगंज जद्दू पिपरा वासफर मार्ग के निर्माण संबंधी जानकारी

176-श्री ज्ञानेन्द्र सिंह–

क्या लोक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद महाराजगंज का जद्दू पिपरा वासफर मार्ग किस वर्ष में स्वीकृत हुआ है ? क्या लगभग 3 कि0मी0 पिच होने के उपरान्त शेष 2 कि0मी0 मार्ग पर एक कोट मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उक्त अधूरे मार्ग को पूर्ण करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष 1994-95 में स्वीकृत हुआ था ।

प्रश्नगत मार्ग में 2.50 किमी0 में लेपन कार्य तथा शेष 2.50 किमी0 में दो कोट पत्थर से टाप कोट तक कार्य पूर्ण हैं ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है ।

उपरोक्तानुसार ।

उपरोक्तानुसार ।

प्रदेश के जिलों में तैनात मुख्य विकास अधिकारियों का विवरण

177-श्री राम औतार शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कितने जिलों में मुख्य विकास अधिकारी तैनात हैं? क्या यह सही है कि कई जनपदों में मुख्य विकास अधिकारी तैनात नहीं हैं ? यदि हां, तो कितने जनपदों में और क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

जी नहीं ।

66 जनपदों में मुख्य विकास अधिकारी तैनात हैं तथा मात्र 4 जनपदों में सम्प्रति तैनाती नहीं हैं ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद वाराणसी, रानी लक्ष्मीबाई की मूर्ति स्थापित करने हेतु भूमि अधिग्रहण की योजना

178-श्री श्याम देव राय चौधरी–

क्या पर्यटन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में रानी लक्ष्मी बाई की जन्म स्थली के क्षेत्र में स्थान अधिगृहित करने एवं उक्त स्थल पर रानी लक्ष्मी बाई की मूर्ति स्थापित करने व उक्त स्थल को पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने हेतु सरकार कोई योजना बनाकर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

वाराणसी में अस्सी घाट के निकट रानी लक्ष्मीबाई के जन्म स्थल पर स्मारक निर्माण एवं पर्यटन विकास हेतु अनुमानित लागत रू0 2.24 लाख की योजना सरकार द्वारा स्वीकृत है । इस हेतु निर्विवाद भूमि उपलब्ध होने पर उसके अधिग्रहण व विकास की कार्यवाही पर यथासमय विचार किया जायगा।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ पुराना विधायक निवास-3 के कमरों में नई वायरिंग कराने विषयक पत्र पर कार्यवाही

179-श्री सुशील शाक्य–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधि0 अभियन्ता विद्युत अनु0 खण्ड-1 के पत्र संख्या 36 आगणन/95-96 दिनांक 6-1-1996 के द्वारा पुराना विधायक निवास-3 के कमरों में नई वायरिंग कराने हेतु राज्य सम्पत्ति विभाग को कोई पत्र प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर राज्य सम्पत्ति विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजनाथ सिंह–

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत अनुरक्षण खण्ड-1 के पत्र संख्या-36/ आगणन/95-96, दिनांक 6-1-96 के द्वारा पुराना विधायक निवास-3 के कमरों में नई वायरिंग कराने हेतु नही बल्कि ओ0सी0आर0 भवन में फायर एलार्म सिस्टम एवं डिटेक्शन सिस्टम का आगणन प्राप्त हुआ था ।

उक्त आगणन पर स्वीकृति जारी की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बुलन्दशहर के नेशनल इण्टर कालेज शिकारपुर में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय द्वारा रिकार्ड में हेरा-फेरी की जांच में दोषियों के विरूद्ध कार्यवाही

180-श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री कृपया बतायेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री एवं उनके द्वारा नेशनल इण्टर कालेज शिकारपुर जिला बुलन्दशहर में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय द्वारा रिकार्ड में हेराफेरी की जांच जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से करायी गयी थी ? क्या यह सही है कि उक्त जांच जिलाधिकारी बुलन्दशहर के अर्ध शासकीय पत्रांक 504 (1) एस0टी0डी0एम0/98 दिनांक 15 सितम्बर,

1998 के द्वारा सचिव माध्यमिक शिक्षा एवं शिक्षा निदेशक माध्यमिक को प्रेषित की गयी? यदि हां, तो उक्त जांच में कौन-कौन अधिकारी एवं कर्मचारी दोषी पाये गये ? क्या दोषी अधिकारी एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नैपाल सिंह–

जी हां ।

तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक बुलन्दशहर क्रमश: कु0 रमेश शर्मा, श्रीमती कीर्ति गौतम, श्री ओम प्रकाश व तत्कालीन सह जिला विद्यालय निरीक्षक, देवीराम वर्मा एवं श्रवण कुमार वरिष्ठ लिपिक को कथित रूप से लिप्त बताया गया है । उक्त अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध शासन स्तर पर कार्यवाही गतिमान है ।

181-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना–

[अस्पष्टता के आधार पर निरस्त]

जनपद बहराइच, राजकीय कन्या आदर्श विद्यालय की शिक्षिकाओं के अवकाश, नकदीकरण व पदोन्नति आदि के लम्बित प्रकरणों के निस्तारण की मांग

182-डा0 वकार अहमद शाह–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बहराइच के राजकीय कन्या आदर्श विद्यालय की शिक्षिकाओं के स्थायीकरण, एल0टी0 में संवीलीनीकरण, चयन वेतनमान, पी0पी0ए0 एल0टी0सी0 अवकाश स्वीकृति वेतन निर्धारण, अवशेष भुगतान दक्षता रोक पारण, पदोन्नति आदि के कई प्रकरण जनपद मण्डल एवं निदेशालय स्तर पर लम्बित हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सभी प्रकरणों को तत्काल निस्तारित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

सूचना एकत्र की जा रही हैं ।

183-श्री अक्षयवर लाल–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद इलाहाबाद, मंगला प्रसाद इण्टर कालेज वामपुर में प्रवक्ता (इतिहास) के पद को भरने की जानकारी

184-डा0 अशोक बाजपेयी–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मंगला प्रसाद इण्टर कालेज, वामपुर, इलाहाबाद में प्रवक्ता (इतिहास) के पद को नियमानुसार पदोन्नति से भरा जाना था ? यदि हां, तो क्या उक्त पद पदोन्नति से भरा गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त पद पर कब तक पदोन्नति कर दी जायेगी?

डा नैपाल सिंह–

प्रकरण की जांच करायी जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद बदायूं के कतिपय इण्टर कालेजों में विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति

185-श्री योगेन्द्र कुमार–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला विद्यालय निरीक्षक, बदायूं ने प्रधानाचार्य, राजकीय इण्टर कालेज, बदायूं तथा प्रमोद इण्टर कालेज, सहसवान में व्यवसायिक शिक्षा के अन्तर्गत विषय विशेषज्ञों की नियुक्ति के संबंध में पत्रांक न्या0/शि0/2989-90/2000-2001, दिनांक 12-9-2000 प्रेषित किया गया था ? क्या उक्त कालेजों में विषय विशेषज्ञों को कार्यभार ग्रहण कराकर उनका वेतन भुगतान किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नैपाल सिंह–

जी हां ।

प्रधानाचार्य राजकीय इण्टर कालेज बदायूं द्वारा प्रश्नगत विषय विशेषज्ञों को कार्यभार ग्रहण करा दिया गया है जबकि प्रधानाचार्य प्रमोद इण्टर कालेज सहसवान ने पूर्व से कार्यरत विषय विशेषज्ञों की गतिविधियों से असन्तुष्ट होकर उन्हें कार्यभार नहीं ग्रहण कराया और अध्यापन कार्य हेतु नये अतिथि विषय विशेषज्ञों को आमंत्रित कर अध्यापन कार्य कराया गया । वर्ष 1999-2000 व वर्ष 2000-2001 की मानदेय की धनराशि उक्त विद्यालयों को उपलब्ध करा दी गयी है ।

प्रश्न नही उठता ।

जनपद बदायूं के कतिपय कालेजों में व्यावसायिक शिक्षा हेतु क्रय सामानों व मानदेय धनराशि के भुगतान की जांच

186-श्री योगेन्द्र कुमार–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् के अन्तर्गत जनपद बदायूं के राजकीय कालेज, श्री कृष्ण इण्टर कालेज, केदार नाथ इण्टर कालेज, बदायूं, ननहूमत्त इण्टर कालेज, सहसवान, राष्ट्र सेवा सदन इण्टर कालेज, मखरौली व आर्य कन्या इण्टर कालेज, इस्लाम नगर में वर्ष 1998 में व्यावसायिक शिक्षा संचालित है ? क्या यह सही है कि उक्त योजना के अन्तर्गत घटिया सामान खरीद कर तथा फर्जी नामों से मानदेय की धनराशि भुगतान दिखाकर शासन को लाखों रूपये की हानि पहुंचायी गयी है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच कराकर उक्त कृत्य के लिए जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों पर अनुशासनिक कार्यवाही करते हुए उक्त धनराशि की वसूली की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नैपाल सिंह–

जी हां , प्रशनगत विद्यालयों में व्यवसायिक शिक्षा संचालित है ।

जिला विद्यालय निरीक्षक बदायूं को जांच हेतु निदेशित कर दिया गया है । जांच पूर्ण होने पर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

व्यवसायिक शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने विषयक जिलाधिकारी बरेली, बदायूं व शाहजहांपुर को प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

187-श्री योगेन्द्र कुमार–

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त शिक्षा निदेशक, बरेली मण्डल, बरेली, अपर शिक्षा निदेशक, (मा0) शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड, लखनऊ, आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली तथा जिलाधिकारी बरेली, बदायूं शाहजहांपुर को माध्यमिक व्यवसायिक शिक्षक संघ उ0प्र0 का पत्र माह सितम्बर, 2000 में प्राप्त हुआ है, जो व्यवसायिक शिक्षा में व्याप्त भ्रष्टाचार की जांच कराने के संबंध में था ? यदि हां, तो क्या उक्त पत्र में वर्णित तथ्यों की जांच करायी गयी है ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है ? यदि जांच नहीं हुई, तो क्यों ?

डा0 नैपाल सिंह–

जी हां ।

इस संबंध में संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों से जांच करायी जा रही है ।

जांच रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद लखीमपुर खीरी आर्य कन्या इण्टर कालेज के प्रकरण पर मा0 उच्च न्यायालय के निर्णयनुसार श्रीमती सईदा जाफरी की नियुक्ति व वेतन भुगतान की जानकारी

188-श्री श्यामदेव राय चौधरी–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के पांचवे मंगलवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता के अतारांकित प्रश्न सं0-181 के उत्तर के संदर्भ में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आर्य कन्या इण्टर कालेज, लखीमपुर खीरी के इण्टरमीडिएट सेक्शन में मा0 उच्च न्यायालय की स्पेशल रिट पिटीशन संख्या-494/99 एस0बी0 के निर्णय दिनांक 19-1-2000 के क्रम में श्रीमती सईदा जाफरी पत्नी श्री अब्दुल हफीज जाफरी की प्रवक्ता पद पर नियुक्ति की गयी थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उन्हें अभी तक वेतन का भुगतान नहीं किया गया है ? क्या सरकार श्रीमती जाफरी को विनियमित कर उनके वेतन का नियमित भुगतान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डा0 नैपाल सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद शाहजहांपुर के उप खण्ड नलकूप तिलहर में अनियमितता की जांच-आख्या की जानकारी

189-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2000 के तीसरे बुधवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-25 के उत्तर के संदर्भ में क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रमुख अभियन्ता से प्राप्त प्रारम्भिक जांच आख्या के परीक्षण में कौन-कौन अधिकारी दोषी पाये गये तथा उनके विरूद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रकरण में प्राप्त प्रारम्भिक जांच आख्या के परीक्षणोंपरान्त दोषी पाये गये कार्मिकों के संदर्भ में विस्तृत विवरण/सूचना प्रमुख अभियंता, सिंचाई (यांत्रिक) से मांगी गयी है ।

जनपद हरिद्वार की भांति गढ़ मुक्तेश्वर (मेरठ) को तीर्थ स्थल के रूप में विकसित करने की योजना

190-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी–

क्या सरकार बताने की कृपा करेंगे कि हरिद्वार की भांति गढ़ मुक्तेश्वर (मेरठ) को वैकल्पिक तीर्थ के रूप में विकसित करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है और उस पर कार्य कब तक शुरू हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अशोक यादव–

जी नहीं ।
प्रश्न नहीं उठता ।
प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद फतेहपुर के विद्यालयों में खराब पड़े इण्डिया मार्का-II हैण्डपम्पों को ठीक करने की मांग

191-श्री मुरलीधर–

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फतेहपुर में कितने पूर्व माध्यमिक एवं प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें अभी तक इण्डिया मार्का-II हैण्ड पम्पों का अधिष्ठापन नहीं हुआ है ? क्या यह सही है कि उक्त विद्यालयों में बहुत से ऐसे हैण्ड पम्प हैं जो रिबोर न होने तथा अन्य तकनीकी खराबी के कारण बन्द पड़े हैं ? यदि हां, तो ऐसे बन्द पड़े हैण्ड पम्पों को कब तक ठीक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बालेश्वर त्यागी–

प्रश्नगत जनपद में 20% पूर्व माध्यमिक व प्राथमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें हैण्डपम्प का अधिष्ठापन नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है 1

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद शाहजहांपुर के नलकूप खण्ड में किये गये कार्यो की जांच विषयक पत्र पर कार्यवाही की जानकारी

192-श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना'–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 18-11-97 जो नलकूप खण्ड शाहजहांपुर में किये गये कार्यो की जांच के संबंध में था, मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उपरोक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मा0 सदस्य का दिनांक 18-11-97 का प्रश्नगत विषय के संबंध में पत्र उपलब्ध नही हो पा रहा है । इस संबंध में शासन के पत्र संख्या-1016/2001-27-सि0-5-3एक्यू/2001, दिनांक 19 अप्रैल, 2001 द्वारा तथा विभागीय अधिकारियों द्वारा मा0 सदस्य से व्यक्तिगत सम्पर्क कर अनुरोध भी किया गया है परन्तु प्रश्नगत पत्र की प्रतिलिपि अथवा उसमें उल्लिखित विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हो सका है । मा0 सदस्य से पत्र की प्राप्ति/विवरण प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 15 मई, 2001 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम सं0 301 के अन्तर्गत कुल 15 सूचनाएं प्राप्त हुयीं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर निम्निलिखित सात सूचनाएं स्वीकार हुई । पहली सूचना मेजर जगतपाल सिंह की है-इनकी सूचना पढ़ी हुई मानी जाती है। दूसरी सूचना डा0 पूर्णमासी पंकज की है, इनके द्वारा सूचना पढ़ी गई । तीसरी सूचना आर0के0 सिंह पटेल की है, यह अनुपस्थित हैं । चौथी सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की है, इनकी सूचना पढ़ी हुई मानी गई। पांचवीं सूचना श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद की है-इनकी सूचना पढ़ी हुई मानी गई । छठी सूचना श्री भीम प्रसाद सोलकर की है, इनकी सूचना पढ़ी हुई मानी गई । सातवीं सूचना श्री अजय कुमार भोइया की है-इनकी सूचना भी पढ़ी हुई मानी जाती है । श्री आर0के0 सिंह पटेल चूंकि अनुपस्थित हैं, अत: उनके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से श्री रूप चौधरी की सूचना ली जाती है, इनकी सूचना भी पढ़ी हुई मानी जाती है । जिन माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार हुई उनके नाम इस प्रकार हैं डा0 अशोक बाजपेयी, डा0 वकार अहमदशाह, श्री शिव सिंह चक, श्री समरपाल सिंह, श्री श्रीराम पाल, श्री महेन्द्र कुमार सिंह ।

(डा0 पूर्णमासी पंकज ने अपनी सूचना को पढ़ा । शेष स्वीकृत सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयी।)

जनपद ज्योतिबाफूले नगर के गजरौला औद्योगिक क्षेत्र में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा निर्मित की जा रही आवासीय योजना में घटिया सामग्री के प्रयोग की जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मेजर जगतपाल सिंह–

[मान्यवर, आपका ध्यान सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । जनपद जे0पी0 नगर के गजरौला औद्योगिक क्षेत्र में मुरादाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा आवासीय योजना निर्मित की जा रही है । गजरौला की जनता व आवंटियों की शिकायत है कि भवनों का निर्माण गुणवत्ता के आधार पर नही किया जा रहा है तथा पीली ईट 1/2 के रेश्यों का सीमेंट लगाया जा रहा है तथा कुछ निर्माणाधीन भवन जर्जर अवस्था में है । गजरौला में कार्यरत निर्माण एजेंसी अपने मनमाने ढंग से घटिया सामग्री लगाकर सरकारी पैसे का दुरूपयोग कर रही है तथा मुरादाबाद विकास प्राधिकरण निर्माण कर रही एजेंसी/ठेकेदारों पर अंकुश लगाने में असमर्थ है ।

मेरा आपसे अनुरोध है कि ऐसे अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की विभागीय तकनीकी जांच कराने का कष्ट करें । जिससे जनता व आवंटियों में रोष व्याप्त न होकर सन्तुष्ट हों सकें ।]

प्रदेश में धोबी बिरादरी को कपड़ों की धुलाई के लिए तालाबों/गढढ़ों को धोबी घाट के रूप में सुरक्षित करने की मांग के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 पूर्णमासी पंकज–

मान्यवर,

आकृष्ट करना चाहते हम ध्यान आपका
तपस्या निवारक जारी को फरमान आपका
जीने का जरिया कीजिए गरीबों के लिए
भूलेगें नहीं जीवन भर एहसान आपका

धोबी हुए मजबूर यहां रोने के लिए
बच्चों के साथ भूखें पेट सोने के लिए
कब्जे अवैध हो रहे, रोजी छिन रही
तालाब बचता नहीं कपड़ा धोने के लिए

पुस्तैनी धन्धे में लिपटे हैं धोवी आज भी
इनकी सेवा से खुश लगता सारा समाज भी
कूछ तो सिमट गये कुछ तो मृत प्राय हो रहे
यह जाति अपने कर्म पर करती है नाज भी

धोबी के साथ आप न अन्याय कीजिए
दो जून की ही रोटी का उपाय कीजिए
कुम्हारों, मछुआरों की तरह पट्टा देकर के
धोबी को भी वापस उनका व्यवसाय कीजिए

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अपने स्तर से दूर इनके क्लेश करायें
धोबियों के लिए सुविधा विशेष करायें
सुरक्षित तालाब/गढढे हो धोबी घाट रूप में
श्रीमन जनहित में जारी शासनादेश करायें

जनपदआजमगढ़ की ग्राम सभा उकरौड़ा विकास खण्ड पल्हनी में चकबन्दी प्रक्रिया का निस्तारण कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

[मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान जनपद आजमगढ़ के तहसील सदर अन्तर्गत ग्राम सभा उकरौड़ा विकास खण्ड पल्हनी में चकबंदी कार्य में शिथिलता बरतने की तरफ दिलाना चाहता हूं । इसी प्रकार भोरा मकबुलपुर तहसील सदर आजमगढ़ में भी चकबंदी नहीं हो पाई है । 12 वर्ष पूर्व से मामला लम्बित है । और लोग परेशान हैं । चकबंदी विभाग भी इसमें दिलचस्पी नहीं ले रहा है । लोगों में जनाक्रोश व्याप्त है और उपरोक्त दोनों की चकबंदी प्रक्रिया एस0ओ0सी0 स्तर से निपटारा करने की मांग कर रहे हैं । ये जनहित का विषय है और कार्यवाही होनी चाहिए ।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय पर उपरोक्त गांवों की चकबंदी प्रक्रिया का निस्तारण कराने की मांग करता हूं ।]

जनपद बांदा के गौरी कला व बहुण्डरी के बीच कोई लाव नाला पर रपटा निर्माण में की गयी अनियमितताओं की टी0ए0सी0 से जांच कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद–

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना है कि जनपद बांदा में विकास खण्ड जसपुरा में गौरी कला व बहुण्डरी के बीच कोई लाव नाला पर रपटा मरम्मत एवं रपटा की ऊंचाई बढ़ाने हेतु 7 लाख 75 हजार रूपया बुन्देलखण्ड विकास निधि वर्ष 99-2000 अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग प्रान्तीय खण्ड बांदा को दिये गये थे किन्तु विभाग द्वारा न तो मानक के अनुरूप सामग्री में गुणवत्ता रखी है और न ही जितना कार्य प्राकलन में दिखाया गया था कराया है रपटा के दोनों ओर 10-10 मीटर खाली छोड़ दिया गया है जिससे आवागमन का रास्ता जाम है निर्माण कार्य इतना निम्न स्तर का है कि पहली बरसात में रपटा टूट जाने की आशंका है । रपटा के दोनों ओर के पहुंच अभी तक नहीं बनाये गये जिससे एक दर्जन ग्राम विला, ब्लाक मुख्यालय आने जाने के रास्ते में भारी दिक्कतें उठा रहे हैं मरीजों को जसपुरा स्वास्थय केन्द्र ले जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है । रपटा निर्माण पूरा करने एवं निर्माण में की गयी अनियमितताओं की टी0ए0सी0 से जांच कराकर दोषियों से धन वसूली की मांग की गई किन्तु कोई कार्यवाही न होने से जनता में आक्रोश व्याप्त है ।

अत: श्रीमान जी से अनुरोध है कि इस लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की कृपा करें ।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

जनपद अम्बेडकर नगर के जहांगीरगंज क्षेत्रान्तर्गत कतिपय सड़कों को समयबद्ध पिच कराने एवं कतिपय सड़कों को गड्ढा मुक्त कराने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भीम प्रसाद सोनकर–

[महोदय, माननीय अध्यक्ष जी आज पूरे प्रदेश में लोक निर्माण द्वारा सड़कों का निर्माण कार्य को लेकर विशेष घपला किया जा रहा है जो सड़कें 1997-98 में संस्तुति सड़कें की गयी हैं आज तक उस पर पिच कार्य नहीं किया गया और जो कुछ कार्य संस्तुति सड़कों पर किया भी गया है उस पर आवश्यक गिट्टी नहीं पड़ी है । गिट्टी फैला कर छोड़ दी गयी जिससे आम जनता को तमाम कठिनाईयों का सामना करना पड़ रहा है जैसे :-

1. राजेसुल्तानपुर से सावितपुर बंधा होते हुए ब्रह्मचारी जी की कुटि तक
2. जहांगीर गंज से नेवारी तक
3. नेवारी बकडापुर सड़क से बड़ा गांव तक
4. एनवा से जोगीधानी पुर होते हुए बड़ा गांव तक इत्यादि ।

अत: आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो भी सड़कें मेरे विधान सभा क्षेत्र जहांगीर गंज अम्बेडकर नगर के अन्तर्गत पिच हेतु संस्तुति होकर पड़ी हैं उसको एक निश्चित समय देकर पिच करायें और जनता की सुविधाओं को देखते हुए लापरवाही बरतने वाले अधिकारी/कर्मचारी को उच्च स्तरीय जांच कराकर दण्डित करें साथ ही साथ निम्न सड़कों को भी गड्ढा मुक्त करायें जो निम्न है:-

1. गिरैया से कम्हरिया, गढ़वल होते हुए राजेसुल्तान पुर तक
2. गढ़वल से पदमपुर तक
3. देवरिया से राजेसुल्तान होते हुए त्रिभुवानिक पुल तक
4. जहांगीर गंज नया चौराहा से माडर मऊ तक
5. जहांगीर गंज नया चौराहा से अतरौलिया नदी के पुल तक, गड्ढा युक्त इत्यादि ।

अत: आपके माध्यम से सदन में सरकार से मांग करता हूं कि सदन की सारी कार्यवाही रोक कर एक घण्टे की चर्चा करायें और दोषी अधिकारी/कर्मचारी की उच्च स्तरीय जांच कराकर दण्डित करें। यह अति लोक महत्व का प्रश्न है ।]

एल0टी0 से बी0एड0 में परिवर्तित सहायता प्राप्त प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मियों की सेवाओं को उच्च शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित कराने तथा वेतन भुगतान उच्च शिक्षा विभाग से कराये जाने के संबंध में नियम 301-के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार पोइया–

महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं ।

प्रदेश के चार शासकीय सहायता प्राप्त प्रशिक्षण महाविद्यालय जो कि किशोरी रमण शिक्षण-प्रशिक्षण महाविद्यालय मथुरा, डी0ए0वी0 प्रशिक्षण महाविद्यालय कानपुर, क्रिश्चियन ट्रेनिंग कालेज लखनऊ तथा के0पी0 ट्रेनिंग कालेज इलाहाबाद को शासन के नीतिगत निर्णय के तहत दिनांक 1-7-99 में एल0टी0 से बी0एड0 में परिवर्तित सहायता प्राप्त प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षक/

नोट :-.[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

शिक्षणोत्तर कर्मचारियों की सेवाओं को उच्च शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित कराने तथा इन चारों प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का वेतन भुगतान उच्च शिक्षा विभाग से कराया जाना आवश्यक है चूंकि लि0 सचिव की अध्यक्षता में जिसमें सचिव उच्च शिक्षा, सचिव बेसिक शिक्षा, सचिव विधि विभाग, निदेशक एस0सी0ई0आर0टी0 संयोजक सदस्य ने अपनी बैठक 14-8-2000 में नीतिगत सकारात्मक निर्णय लेकर प्रदेश के उपर्युक्त चारों सहायता प्राप्त शिक्षण महाविद्यालयों के बी0एड0 में परिवर्तित हो जाने के उपरान्त भी वेतन अनुदान पर बने रहने एवं संबंधित महाविद्यालयों के कर्मचारियों की सेवाओं को उच्च शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित करने का महत्वपूर्ण सकारात्मक निर्णय लिया था । परन्तु अब चारों प्रशिक्षण महाविद्यालयों के शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का एल0टी0 की सेवाओं को शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् से हटाकर बी0एड0 हो जाने के कारण 01 जुलाई 1999 से उच्च शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित कराने तथा 22 माह का लगभग तब ही से वेतन का भुगतान भी नहीं किया गया है जिसके कारण कर्मचारियों के समक्ष भरण-पोषण की समस्या उठ खड़ी हो गयी है तथा आर्थिक तंगी के कारण किसी भी समय अप्रिय घटना घटित हो सकती है ।

अत: आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आप सरकार को निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि सरकार तत्काल प्राथमिकता के साथ अविलम्ब वेतन का भुगतान करने के साथ अपनी सभी उच्च शिक्षा विभाग में स्थानान्तरित करने की औपचारिकता पूर्ण करें ।

जनपद गाजियाबाद के खेकड़ा क्षेत्रान्तर्गत तथा बागपत, केराना, मेरठ,मुजफ्फरनगर आदि क्षेत्रों में नकली नोटों का प्रचलन एवं अवैध हथियारों की बिक्री पर रोक लगाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रूप चौधरी–

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिल्ली सीमा से सटे हुए अपने विधान सभा क्षेत्र खेकड़ा अन्तर्गत लोनी, शहीदनगर, पसौन्डा (जनपद गाजियाबाद) बागपत, कैराना, गाजियाबाद, मेरठ मुजफ्फरनगर, बुलन्दशहर, अलीगंज, मुरादाबाद आदि क्षेत्रों में स्मैक की बिक्री की ओर आकर्षित कराना चाहता हूं । इन क्षेत्रों में पड़ौसी देश नेपाल व अन्य स्थानों से स्मैक भेजी जाती है और यहां से दिल्ली व आस-पास के क्षेत्रों में बिक्री की जाती है । स्मैक के इस अवैध व्यापार के कारण हजारों युवक इस नशे की चपेट में आ गये हैं । स्मैक के आदी हो जाने के बाद ये युवक अपराधों में सक्रिय हो रहे हैं ।

इसी प्रकार इन क्षेत्रों में नकली नोट व हथियारों की सप्लाई की जा रही है । पिछले कई वर्षों में राज्य व पड़ौसी राज्यों की पुलिस ने बड़ी मात्रा में हथियार भी बरामद किये हैं जनपद गाजियाबाद अन्तर्गत शहीदनगर में आर0डी0एक्स0 जैसी विस्फोटक सामग्री भी बरामद की गई है । इसी प्रकार आतंकवादियों की भी ये क्षेत्र शरण स्थली बनते जा रहे हैं । नकली नोटों के जरिये आई0एस0आई0 व उसके ऐजेन्ट देश की अर्थ व्यवस्था व कानून व्यवस्था को कमजोर करने का षडयंत्र कर रहे हैं ।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इस बारे में कठोर कदम उठाकर स्मैक की बिक्री, नकली नोटों के प्रचलन एवं हथियारों की बिक्री पर रोक लगवाने का कष्ट करें एवं इस धंधे से जुड़े आई0एस0आई0 एजेंटों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही करवाने का कष्ट करें ।]

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 15 मई, 2001 को नियम- 300 के अन्तर्गत 9 सूचनाएं प्राप्त हुई । इसमें पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई जी की है ।

सत्रकाल के दौरान जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेहदर में क्षेत्र पंचायत की बैठक बुलाये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अब्दुल मन्नान–

मान्यवर,मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, व्यवस्था यह है कि जब सदन चलेगा तो जिलों में मीटिंग जिसका सदस्य विधायक होगा यह नहीं होगी । लेकिन मेरे जिले हरदोई विकास खण्ड-बेहदर में क्षेत्र पंचायत की मीटिंग लगा दी गयी है ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, क्षेत्र पंचायत की मीटिंग तो होगी ही ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, यह है कि जिसका विधायक सदस्य होगा उसकी बैठक नहीं होगी । क्षेत्र पंचायत एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है और इसकी बैठक शनिवार को रखी जा सकती थी । तो ऐसी स्थिति में.....

श्री अध्यक्ष–

हम माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से विचार कर लेंगे ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली 1958 में समुचित संशोधन करके सत्ता पक्ष के विधायकों को भी अपनी बात कहने तथा सरकार से तत्काल उत्तर प्राप्त करने की सुविधा दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मान्यवर, यह सदन नियमों और परम्पराओं के अनुसार चलता है । चाहे पक्ष या विपक्ष सबको समान अधिकार प्राप्त है । मैंने औचित्य प्रश्न के माध्यम से आपकी कृपापूर्वक व्यवस्था चाही है । ऐसी किसी परिस्थिति में जनपद या क्षेत्र में कोई विशेष घटना हो, और उस घटना विशेष के साथ जिन नियमों के अन्तर्गत उठाने का अधिकार विपक्ष को प्राप्त है तो यह उसे नियम-56 और 311में उठा लेता है और उसकी सूचना समाचार-पत्र के माध्यम से आ जाती है और इस तरह से यह अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाता है । लेकिन नियमों में सत्तारूढ़ दल को जो अधिकार प्राप्त है वह नियम-51 और 301 में ही अपनी बात कह सकता है क्योंकि नियम -56 और 311 में वह अपनी बात कह नहीं पाता है । यह काम रोको प्रस्ताव है । नियम-301 में एक माह के बाद कार्यवाही होती है और 51 में तीन चार दिन बाद वक्तव्य आता है । तो क्षेत्र के सामने सत्तारूढ़ दल का विधायक पिछड़ता नजर आता

है और वही माननीय विपक्ष के सदस्य को सुविधा प्राप्त हो जाती तो कृपापूर्वक निवेदन है कि इसे नियम समिति को संदर्भित करके विचार कर लें कि कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें समान रूप से जो क्षेत्र की तात्कालिक घटना है उसको उठाकर...

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपके सुझाव को संज्ञान में ले लिया है ।

श्री लाल जी वर्मा–

यह अधिकार स्वत: ही सदस्य होने के नाते आपको प्राप्त हैं ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से विचार कर लेंगे । यदि आवश्यकता पड़ी तो देखेंगे कि नियमों में क्या संभावना हो सकती है संशोधन करने की । एक बार आप सदस्य हो गये तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों को अधिकार है । हाँ, व्यावहारिक दृष्टिकोण से सत्तापक्ष के सदस्य काम रोको प्रस्ताव नहीं लाते हैं । विपक्ष के पास नियम-56 है लेकिन बाकी नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही होती रही है । अगर आवश्यकता पड़ी तो विचार कर लेंगे । इसी के साथ मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

विधान सभा के प्रथम सत्र 20001 के तीसरे सोमवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-49 का संतोषजनक उत्तर न प्राप्त होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री उदय राज यादव जी की है ।

श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, इसमें अनिल कुमार यादव जी बोल लेंगे ।

***श्री अनिल कुमार यादव–**

मान्यवर, मैं आपका ध्यान विधान सभा के प्रथम सत्र 2001 के तीसरे सोमवार हेतु निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूंछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-49 के उत्तर की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं । मेरा उक्त प्रश्न के आखिरी भाग का अंश था कि "क्या सरकार जनपद मैनपुरी में माह अक्टूबर 2000 से अब तक स्वीकृत जारी किये गये लाइसेन्सों का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं तो क्यों?" का उत्तर सरकार द्वारा सदन में यह दिया गया है कि माह अक्टूबर 2000 से अब तक कुल 855 शस्त्र लाइसेंस जनपद मैनपुरी में स्वीकृत किये गये हैं जिनका विवरण प्राप्त किया जा रहा है यह उत्तर नियमानुसार नही है । यदि सरकार सदन में वांछित उत्तर नहीं देती है तो इससे सदन व पीठ एवं माननीय सदस्यों की गरिमा गिरती है । सरकार को उत्तर "हां" अथवा "नहीं" में देना चाहिए।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मेरा आरोप था कि अपराधियों को अग्नेयास्त्रों के अनुज्ञा पत्र दिये गये हैं सरकार मे जानबूझकर सूची सदन के पटल पर प्रस्तुत नहीं की है। यह जानकारी प्राप्त करना प्रत्येक विधान सभा का अधिकार है परन्तु ऐसा न करके सरकार ने हमारे अधिकारों पर चोट की है । यह तात्कालिक है लोकमहत्व का प्रश्न है और आदरणीय पीठ से संज्ञान में भी है ।

मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से यह जानना चाहा था कि जनपद मैनपुरी के जिलाधिकारी द्वारा जो 855 शस्त्र लाइसेंस जारी किये गये है उनकी सूची सदन के पटल पर रखी जाए जिससे यह मालूम हो सके कि कितने गलत लोगों को लाइसेंस जारी किये गये हैं । मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि वह सूची उपलब्ध कराई जाए जिससे मालूम पड़ सके । इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

जो आपका मूल प्रश्न था वह था कि वर्तमान जिलाधिकारी द्वारा अपराधियों को अग्नेयास्त्रों के अनुज्ञापत्रों को गलत तरीके स्वीकृत किये जाने संबंधी पत्र प्राप्त हुआ है । इसमें उत्तर आया था कि जिला मैजिस्ट्रेट मैनपुरी द्वारा संबंधित मामलों में पुलिस अधीक्षक मैनपुरी से आख्या मांगी गई है जिसके प्राप्त होने के बाद यदि कोई विपरित तथ्य प्रकाश में आते हैं तो तद्नुसार संबंधित व्यक्तियों एवं उनके लाइसेंसों के बारे में कार्यवाही की जायेगी ।

यह एक प्रकार से आश्वासन हो गया है यद्यपि नियम 300 में नहीं आता है । संबंधित प्रश्न में और उसके उत्तर में ही आपका उत्तर निहित है । इसलिए इसको आश्वासन समिति देख लेगी । इस सूचना को नियम 300 में निरस्त करता हूं ।

***श्री उदय राज यादव–**

मान्यवर, जनपद मैनुपरी में जो शस्त्र लाइसेंस जारी किये गये हैं वह तमाम ऐसे लोगों को दिये गये हैं जो गलत हैं । माननीय सदस्य ने एक सूची चाही तो सूची सदन के पटल पर आ जाए जिससे सदन को जानकारी हो जाए कि जनपद मैनपुरी में इन-इन लोगों को लाइसेंस जारी किये गये हैं ।

श्री अध्यक्ष–

पूरा विवरण आ जायेगा आश्वासन समिति के सामने ।

श्री उदय राज यादव–

मान्यवर, पूरी सूची आप मंगवाकर माननीय अनिल जी को अपने कक्ष में दिखवा दीजिए ।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी क्षेत्र के ग्राम अमैदोपुरा में पानी की टंकी बनाने तथा ग्राम बरौली में बोरिंग का कार्य सम्पन्न कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

अगली सूचना श्री चौधरी बाबू लाल जी की है ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चौधरी बाबू लाल–

मान्यवर, जनपद आगरा के अन्तर्गत फतेपुर सीकरी में ।....

श्री अध्यक्ष–

चौधरी बाबू लाल जी **अब पेयजल** योजना के अन्तर्गत पानी की टंकी बनी या नहीं बनी यह नियम 300 में नहीं आता है । मैं इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट कर देता हूं ।

नियम 300 में यह सूचना नहीं आती इसलिए निरस्त करता हूं ।

झूंसी, इलाहाबाद स्नातक क्षेत्र से विधान परिषद् के सदस्य द्वारा क्षेत्र के सभी जिलों एवं मण्डलों के लिए विकास कार्यों का प्रस्ताव दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री आर0के0 सिंह पटेल–

माननीय अध्यक्ष जी, बुन्देल खण्ड विकास निधि हम लोगों के यहां जैसी है जैसे पूर्वांचल विकास निधि है ।

श्री अध्यक्ष–

अगर माननीय सदस्य विधान परिषद् नहीं कर रहे हैं तो यहां कैसे आ सकते है ।

श्री आर0के0 सिंह पटेल–

मान्यवर, एमएलसी पूर्वांचल विकास निधि में प्रस्ताव दे रहे हैं और बुन्देलखण्ड विकास निधि में भी प्रस्ताव सभी जिलों में दे रहे हैं 1

श्री अध्यक्ष–

इस विषय से सदन का कार्य विनियमित नहीं होता है आप अलग से प्रश्न कर लीजिये, कुछ कर लीजिये, । मैं इसे निरस्त करता हूं ।

राम कृपाल जी की सूचना कोल जाति को जनजाति का दर्जा दिये जाने संबंधी इसी विषय पर नियम-56 में है तो नियम-300 में नहीं आती है, नियम-56 में आ जायेगी ।

अगली सूचना श्री आर्य राम सरन की । जनपद हाथरस के सादाबाद क्षेत्र में गेहूं क्रय केन्द्रों की कमी तथा क्रय में अनियमितताओं से संबंधित है ।

यह सूचना नियम-51 में परिवर्तित कर दी गई है और इस पर शासन का ध्यान आकर्षित कर दिया है ।

प्रदेश के विधान सभा क्षेत्रों का वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर परिसीमन किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

अगली सूचना माननीय प्रमोद कुमार माननीय कोकब हमीद और माननीय अखिलेश कुमार सिंह की है जनगणना के आधार पर परिसीमन किये जाने के संबंध में इसी विषय पर दूसरी सूचना कुवंर रेवती रमण सिंह और डा0 अशोक बाजपेयी की है ।

डा0 अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद-168 में राज्यों के विधान मण्डलों का गठन की व्यवस्था की गयी है । अनुच्छेद-170 देखें विधान सभाओं की संरचना, अनुच्छेद-170 के खण्ड-1 में अनुच्छेद-333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधान सभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्युन सदस्यों से मिलकर बनेगी । इसके खण्ड 2 में, खण्ड 1 के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्र में ऐसी रीति से विभाजित किया जायेगा कि प्रत्येक निर्वाचन-क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथासाध्य एक ही हो । इसका दूसरा भाग देखें, परन्तु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गये हैं, निर्देश, जब तक सन् 2000 के पश्चात की गयी पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं, यह अर्थ लगाया जायेगा कि वह 1971 की जनगणना के प्रति निर्देश है । इसका खण्ड 3 है- प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधान सभा में स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुन: समायोजन किया जायेगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे परन्तु ऐसे पुन: समायोजन से विधान सभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई पभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान विधान सभा का विघटन नहीं हो जाता है।

यह विधान सभा का कार्यकाल 4 वर्ष पूरा हो चुका है और 5वां साल चल रहा है । 1952 में यहां 425 सदस्य थे और संविधान सम्यक् 500 तक विधान सभा के सदस्य बनाये जा सकते हैं । उत्तराचंल के अलग होने से विधानसभा के सदस्यों की संख्या 402 रह गयी है । मान्यवर, जिस तरह से विकास का असंतुलन बढ़ा है और लोगों का नगरीय क्षेत्र की तरफ पलायन हुआ है नगरीय क्षेत्र में 6 लाख से ज्यादा मतदाता है बहुत से विधान सभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां 4-5-6 लाख मतदाताओं की संख्या होगी इससे क्षेत्रीय आधार पर न तो वहां के मतदाताओं के साथ हम न्याय कर पाते हैं और न वहां के क्षेत्रीय असंतुलन के साथ न्याय हो पाता है अगर दो लाख रूपया मिलता है तो चाहे कोई 6 लाख मतदाताओ का प्रतिनिधित्व करता है । 2 लाख का प्रतिनिधित्व करता हो, 4 लाख का प्रतिनिधित्व करता हो तो मान्यवर, ऐसी बहुत सी विसंगतियां पैदा हो जाने से प्रदेश का विकास प्रभावित हुआ है। संविधान में इस संबंध में व्यवस्था की गयी है विधान सभा के गठन के समय इस तरह का समायोजन किया जा सकता है यह समीचीन समय है जिसमें इस तरह का कार्य कराया जा सकता है। प्रदेश सरकार इस तरह का प्रस्ताव कर सकती है और असंतुलन को दूर कर सकती है 425 सदस्यों के लिए सारी सुविधायें प्राप्त हैं । यह कक्ष (विधान मंडप) भी पर्याप्त है और उनके लिये आवास भी पर्याप्त हैं, सुविधायें भी पर्याप्त हैं । वर्ष 1952 के बाद लगातार 425 सदस्य रहे हैं । सरकार पर इससे कोई वित्तीय भार भी नहीं पड़ेगा । ऐसा करने से प्रदेश का असंतुलन दूर हो सकेगा। उत्तर प्रदेश में जो स्थिति है, उसके अनुसार कहीं-कहीं 3 गुना, 4 गुना से ज्यादा मतदाता हैं, ऐसे क्षेत्रों के साथ अन्याय हो रहा है । मैं चाहूंगा कि इस विषय पर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें ।

***श्री प्रमोद कुमार–**

मान्यवर, मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 170 (1) की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें है "अनुच्छेद 333" के उपबंधों के अधीन रहते हुये, प्रत्येक राज्य की विधान सभा उस

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन-क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुये पांच सौ से अनधिक और साठ से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी । प्राविधान यह है कि जनसंख्या के अनुरूप, आवश्यकता के अनुरूप सदस्य संख्या किसी विधन सभा की 500 तक हो सकती है और प्रदेश का स्तर प्राप्त करने के लिये कम से कम 60 की संख्या होनी चाहिये । उत्तर प्रदेश इस भारतवर्ष का सबसे बड़ा प्रदेश है । दुनिया के कई ऐसे देश हैं, जिनसे हमारी आबादी कई गुना ज्यादा हैं, उसके बावजूद यहां की सदस्य संख्या 425 थी ।

अब उत्तराचंल का गठन हो गया, हमारे 22 सदस्य उसमें चले गये, इस प्रकार 402 सदस्य बचे। अब लोक सभा के 81 सदस्यों के हिसाब से, जिनके अन्तर्गत 5 विधान सभा क्षेत्र आते हैं, को बांटा जाय तो 400 संख्या हो जाती है । दो सदस्य जो बचेंगे, उनकी लोकसभा सीट 2 प्रदेशों को मिलाकर बनेगी या एक प्रदेश से बनेगी तो यह संख्या पूरी नहीं हो सकती, जब तक या तो लोकसभा के 5 के अनुसार विभाजन किया जाय । इसमें मेरा सुझाव यह है कि उत्तर प्रदेश की बढ़ी आबादी को देखकर यह बड़ा अन्याय है, उत्तराचंल में जहां 30,35 और 40 हजार पर पर विधान सभा के सदस्य बन जायेगें, वहीं नागालैड जैसे प्रदेशों में 10 हजार पर बन जायेगें और हमारे यहां 3 लाख पर बनते हैं, सुविधाओं के नाम पर हमको वही मिलता है, इस प्रकार हम अपने क्षेत्रों के साथ पूरा न्याय नहीं कर पाते। मेरा यह कहना है कि हम क्यों न संविधान के अनुच्छेद (-)170 का लाभ उठायें ।

श्री अध्यक्ष–

यह नियम 300 में तो आता नहीं । यद्यपि विषय भी अच्छा है । इसलिये सुन लिया । आप इस विषय पर एक प्रस्ताव ले आइये, उस पर चर्चा हो जायेगी ।

श्री प्रमोद कुमार–

मेरा यह कहना है कि इसके हिसाब से विधान सभा सदस्यों की संख्या 500 की जाय । इस पर आप सरकार के विचार जान लें । सरकार इस पर यदि सहमत हैं तो सरकार ही प्रस्ताव ले आये, हम सहमत होगें । क्योंकि प्रस्ताव लाने का अधिकार तो सरकार को है ।

श्री अध्यक्ष–

आपको कहां मनाही है, आप भी ला सकते हैं ।

***कुंवर रेवती रमण सिंह–**

यह आपने बहुत सही बात कही । यह नियम 300 में आता नहीं, लेकिन यह भी सही है कि प्रदेश में आज जिस तरह का असंतुलन हो गया है, विधान सभा के क्षेत्रों में, उसमें एक विसंगति पैदा हो गई है। जैसे इलाहाबाद शहर उत्तरी 3 लाख 75 हजार यानि लगभग 4 लाख का क्षेत्र है । इसी प्रकार हम लोगों की कांस्टीट्यूनेंसी ढाई लाख के करीब है । प्रदेश में गाजियाबाद, कानपुर में 5-6 लाख के करीब है, इससे बड़ी विसंगति पैदा हो गई है । अनुच्छेद 170 के 333 में इस बात का उल्लेख है तो मैं आपके माध्यम से इस सरकार से आग्रह करूंगा और आपसे संरक्षण चाहूंगा कि सरकार इसमें केवल यह करे कि अभी जनगणना खत्म हो रही

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

है और विधान सभा का गठन होने वाला है तो मौजूदा जनगणना के अनुसार क्यों न कम से कम उत्तर प्रदेश विधान सभा की सीटों को बढ़ाकर 425 पूर्ववर्ती कर दिया जाए, जो यहां से उत्तराचंल चले गये हैं । 500 से अनधिक नहीं होना चाहिए, हम इससे अधिक की मांग भी नहीं कर रहे हैं । इससे काफी परिमार्जन हो जायेगा तो मान्यवर, हम लोगों ने जिस बात को यहां नियम-300 में उठाया है । यह प्रस्ताव सरकार, भारत सरकार को भेज दे तो चुनाव आयोग के द्वारा डिलिमिटेशन प्रक्रिया भी पूरी की जा सकती है ।

***श्री अखिलेश कुमार सिंह–**

माननीय अध्यक्ष जी, 1952 से जब से चुनाव शुरू हुए मान्यवर, उस वक्त प्रदेश की आबादी मात्र 6-7 करोड़ थी । आज प्रदेश की आबादी 16 करोड़ है ।

श्री अध्यक्ष–

अखिलेश जी प्रस्ताव ले आइए ।

***श्री अखिलेश कुमार सिंह–**

मान्यवर, उस समय सवा लाख और डेढ़ लाख पर एक विधायक का निर्वाचन होता था । आज मतदाताओं की संख्या ढाई लाख और 3 लाख तक पहुंच गयी है । मान्यवर, कश्मीर में 25 हजार पर एक विधायक चुना जाता है, पंजाब में 40 हजार पर और नागालैंड में मात्र 10 हजार पर एक विधायक चुना जाता है । मान्यवर, संविधान के अनुच्छेद 170 (1) के अनुसार किसी भी राज्य में 500 से अधिक विधायक नहीं होने चाहिए । मान्यवर, प्रदेश की हालत को देखते हुए, आबादी को देखते हुए, मतदाताओं को देखते हुए मान्यवर, लगभग 500 विधान सभा सदस्यों का प्रस्ताव होना चाहिए । आज उत्तराचंल में केवल 10 हजार पर लोग विधायक बन रहे हैं । मान्यवर, हम लोग चाहते हैं कि अगले आने वाले विधान सभा चुनाव के पहले इस विषय पर निर्णय हो जाना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

आप की बात आ गयी है ।

श्री कौकब हमीद–

मान्यवर, जब संविधान में यह प्राविजन है कि 500 तक की संख्या हो सकती है और इस वक्त प्रदेश की आबादी तकरीबन 16 करोड़ है । मान्यवर, जब हम 4-5 करोड़ थे तब भी ये 425 थे । अब ढाई लाख की एक कान्सटीट्वेन्सी बैठती है, उस क्षेत्र में काम करना विधायक के लिए मुश्किल हो जाता है और कुछ क्षेत्र तो 4 लाख, 5 लाख के हैं तो मान्यवर, इसके लिए प्रस्ताव होना चाहिए । इससे सरकार को भी सुविधा होगी और उस क्षेत्र में काम करने वाले विधायक को भी होगी ।

***नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–**

माननीय अध्यक्ष जी, हम केवल एक बिन्दु की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहेगें और आपकी व्यवस्था चाहेगें । श्रीमन्, जो प्रस्ताव हमारे माननीय सदस्य बाजपेयी जी लाये हैं और तिवारी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जी भी लायें हैं, यह सही है कि नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आता है, लेकिन प्रस्ताव जनहित में है और साथ ही साथ न्याय संगत है और इसलिए है कि श्रीमन्, जहां जिस क्षेत्र की आबादी सवा दो लाख और ढाई लाख है उसके लिए भी क्षेत्र विकास निधि में माननीय विधायक को 75 लाख रूपये विकास के लिए मिलता है श्रीमन्, जहां तीन, साढ़े तीन लाख ,पांच लाख और छः लाख की विधान सभा है, वहां भी उतना ही मिलता है तो मान्यवर, जो वहां के रहने वाले लोग हैं उनके साथ न्याय नहीं हो रहा है । श्रीमन् ,उनके साथ भी न्याय हो और साथ ही साथ आम जनता का हित भी हो तो दोनों चीजें हैं, जनहित और न्याय । मेरा आपसे अनुरोध है, आप सरकार को निर्देशित करने की कृपा करें कि एक प्रस्ताव इस तरह का चुनाव आयोग को भेजा जाये । जो इलेक्शन अक्टूबर में ड्यू है, इलेक्शन के पहले इसका परिसीमन हो जाये । दूसरी बात जो राज्य अलग हुये हैं चाहे छत्तीसगढ़ हो या उत्तराचंल हो, इन सारे राज्यों में परिसीमन होगा वहां घर अगर क्षेत्रों को बदलेंगे तो यहां पर जिनसे अलग हुये है वहां पर बदलने में कोई वैधानिक संकट नहीं है । मेरी राय है कि सत्तापक्ष को इसमें कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। यह प्रस्ताव जनहित और न्याय के हित में है, इसलिए इसे स्वीकार किया जाये ।

संसदीय कार्य, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क, पंजीयन एवं मनोरंजन कर मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, माननीय सदस्यगण ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि नियम 300 के अन्तर्गत का विषय नहीं है, फिर भी कुछ संवैधानिक मुद्दे उठाकर मार्गदर्शन किया, विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष ने जिस प्रकार से संवैधानिक धाराओं का उल्लेख करके हमारा मार्गदर्शन किया है, मैं उनका आभारी हूं। मैं आपका ध्यान संविधान के अनुच्छेद 170 (2) के स्पष्टीकरण की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं-

इन दिस क्लाज, दि एक्सप्रेशन पापुलेशन मीन्स एज एजसरटेन्ड एट दि लास्ट प्रीसिडिंग सेन्सस् आफ व्हिच दि रिलिवेन्ट हैव बीन पब्लिस्ड ।

प्रोवाइडेड देट दि रिफरेंश इन दिस एक्सप्लेनेशन टू दि लास्ट प्रीसिडिंग सेन्सस आफ व्हिच दि रिलिवेन्ट फीगर्स हैव बीन पबिलशड शैल, अनटिल दि रिलिवेन्ट फीगर्स फार दि फर्स्ट सेन्सस टेकेन आफ्टर , दि इयर 2000 हैव बीन पब्लिशड, बी कन्स्ट्रयूड एज ए रिफरेन्स टू दि 1971 सेन्सस ।

जनगणना हुई है परन्तु वह प्रकाशित नहीं हुई है, जब तक प्रकाशित नहीं होगी तब तक 1971 के जनगणना को ही आधार माना जायेगा । जो वर्ष 2000 में जनगणना हुई है उसके फीगर प्रकाशित हो जांय, यह अभी प्रकाशित नहीं हुई है, जब तक प्रकाशित नहीं होगी, संविधान के अनुरूप उस जनगणना को आधार मानकर कार्यवाही नहीं कर पायेंगे, पार्लियामेंट ने यह कानून पास किया है । पहले यह व्यवस्था थी कि जब भी जनगणना होगी उसको आधार मानकर जो विधान सभा क्षेत्र हैं उनका पुर्ननिर्धारण हुआ करेगा, यह 2000 तक प्रतिबंधित था और 1971 की जनगणना को आधार मानकर चल रहे थे । वर्ष 2000 की जनगणना हो गयी है तो उसका प्रकाशन होगा ।

श्री अध्यक्ष–

इसकी शब्दावली पर जायें तो इसमें लिखा है कि जब तक सन् 2000 के पश्चात की गयी पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, पहले जनगणना के आंकड़े प्रकाशित हो जांय उसके बाद ही उसका संज्ञान लेकर आगे बढ़ सकते हैं, प्रस्ताव कौन करे, यह संविधान में प्रक्रिया निर्धारित है । मान्यवर, जो हमारी कांन्स्टीट्येन्सी है वह आधार नहीं है विकास के लिये जिला योजना है या जिला पंचायत है, ब्लाक है, गांव पंचायत है, जिसके माध्यम से विकास का दायित्व लिया है। हम अपना ही आधार मानकर विकास करते हैं । संविधान में विधान सभा या लोकसभा क्षेत्र हैं, विकास के लिए कोई इकाई नहीं मानी गयी है । हमारे देश में बहुत से ऐसे क्षेत्र है, उदाहरण के लिए आउटर दिल्ली सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र दिल्ली का है वहां लगभग 35 लाख मतदाता हैं, लेकिन करोलबाग, चांदनी चौक में 5 लाख मतदाता हैं तो यह विसंगतियां हैं, समय आने पर दूर होंगी, जब 2001 की जनगणना के फीगर प्रकाशित हो जायेंगे । इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इस प्रश्न को निरस्त किया जाये ।

डा0 अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, नीतिगत रूप से सरकार अपनी सहमति व्यक्त कर दे और अपना प्रस्ताव भेज दे, जुलाई तक यह प्रकाशित हो जायेगी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय नेता विपक्ष, डा0 अशोक बाजपेयी,प्रमोद कुमार, अखिलेश कुमार सिंह, कोकब हमीद, कुंवर रेवती रमण सिंह जी एवं संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं यह नियम-300 में नहीं आती ।

प्रत्येक सदस्य द्वारा प्रस्तावित पांच-पांच ग्रामों का विद्युतीकरण किये जाने की ऊर्जा मंत्री की घोषणा का कार्यान्वयन न किये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, आपका ध्यान 10 मई, 2000 को माननीय ऊर्जा मंत्री द्वारा इसी सदन में एक घोषणा किये जाने के संबंध में आकर्षित करना चाहता हूं । माननीय ऊर्जा मंत्री जी सदन में मौजूद हैं इन्होंने कहा था कि 5-5 गांव ऊर्जीकृत कर देंगे । कोई भी सदस्य अपने विधान सभा के गांव देंगे तो उनको ऊजीकृत कर देंगे । इन्होंने कहा था कि हम सभी सदस्यों को बराबर की श्रेणी में रखे हैं। मान्यवर, विधान सभा सदस्यों की गरिमा गिर रही है और सरकार ने ऊर्जीकृत नहीं किये जनता विधायक के पीछे लगी हुई है । या तो सदन में इस तरह की कोई व्यवस्था हो जाये जो भी घोषणायें की जायेंगी अनुपालन किया जायेगा । उन पर कोई बाध्यता नहीं है । माननीय मंत्रीगण यहां पर घोषणा करते हैं लेकिन होता नहीं है विधायक की पोजीशन खराब होती है । सरकार ने एक भी गांव विद्युतीकृत नहीं किये । मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था दें कि जो घोषणा की गई हैं उसका अनुपालन कराने के लिए यह कहें या फिर घोषणा ही न करें । मान्यवर, ऐसी व्यवस्था हो जाये कि अगर घोषणा करें, तो पालन भी करें ।

श्री अध्यक्ष–

ऊर्जा मंत्री जी को कुछ कहना हो तो कह दें ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल (ऊर्जा मंत्री)–

श्रीमन्, यह सही है कि हमने इस बात को कहा था, लेकिन धन की उपलब्धता में कमी रही इस कारण पूरा नहीं कर पाये हैं ।

श्री श्रीराम पाल–

मान्यवर, में आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अभी तक माननीय मंत्री जी ने विधायक निधि से गांवों के ऊर्जीकरण पर रोक लगा रखी थी और अब माननीय मंत्री जी यह कह रहे हैं कि माननीय विधायकगण अपनी विधायक निधि से अपने क्षेत्र के गांवों को ऊर्जीकृत कर सकते हैं, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूँ कि बुन्देलखण्ड के ऊर्जीकरण पर जो इन्होंने रोक लगा रखी है, उसको यह हटा रहे हैं या नहीं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

इससे प्रतिबन्ध हटा दिया है, लेकिन यह प्रतिबन्ध रखा है कि पांच गांवों से अधिक नहीं होंगे।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं आपके समक्ष एक प्रस्ताव रख रहा हूँ, उससे आप सभी सहमत होंगे । मैं इस प्रस्ताव को आपके पास भिजवा रहा हूँ ।

श्री अध्यक्ष–

यह उचित नहीं है, प्रस्ताव की एक प्रक्रिया होती है यह परोक्ष रूप से आक्षेप है ।

श्री प्रमोद कुमार– [xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जाएगा ।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–

मान्यवर, यह नीति है कि सदन में जो भी घोषणा होती है, उसका पालन किया जाता है । अग्रवाल साहब ने कहा था कि 5 गांवों का विद्युतीकरण कराया जायगा । माननीय शाक्य जी ने अभी उसके बारे में चिंता प्रकट की है । ऊर्जा मंत्री ने कहा था कि आप 5 गांव लिखकर दे दीजिये और हमने लिखकर दे दिये । अब यह कह रहे हैं कि पैसा नहीं है । आपकी जो घोषणा है उसको आप वापस करवा लीजिये । आज एक शासनादेश फिर जाना चाहिए कि 5 गांवों के विद्युतीकरण की घोषणा को वापस लिया जाता है । मान्यवर, सरकार द्वारा जो कहा गया और उसका पालन न करने से विधायकों की पोजीशन खराब हो रही है । माननीय ऊर्जा मंत्री अपनी घोषणा को वापस ले लें ।

नोट :- [xxx] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

सदन में एक घोषणा मंत्री जी ने की थी आज उसमें संशोधन कर दिया । किसी मंत्री को यह अधिकार है कि वह अपने वक्तव्य में संशोधन कर सकते हैं ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मुझे एक मिनट सुन लें । यह महत्वपूर्ण प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

ऊर्जा विभाग के अनुदान आयेंगे उस समय आप बहुत सी बातें कह सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं । हो सकता है मंत्री जी तब तक आपके सुझाव पर विचार कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय ऊर्जा मंत्री, आप कुछ कहना चाहेंये ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मैंने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है । कुछ माननीय विधायकों ने अनुरोध किया था कि जब तक शासन से धन उपलब्ध नहीं हो रहा है तब तक विधायक निधि से विद्युतीकरण को खोल दिया जाय। शासन से जब पैसा मांगा है, जब मिल जायेगा तब उस पर कार्यवाही की जायेगी। इस बीच कार्य कराना चाहते हैं, अपनी निधि से दे देंगे तो यह गांव ऊर्जीकृत कर देंगे ।

श्री रेवती रमण सिंह–

मैं जानना चाहता हूँ कि कैटेगरीली सदन में बता दें कि विद्युतीकरण होगा या नहीं ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने बता तो दिया कि विधायक निधि से चाहेंगे तो करा देंगे ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी कह रहे हैं कि धन उपलब्ध नहीं है जब धन होगा तो ऊर्जीकृत किये जायेंगे तो जो विसंगति पैदा हो रही है और घोषणाओं का पालन नहीं हो रहा है यह उचित नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 80वां प्रतिवेदन+

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की आश्वासन समिति का 80वां

+छापा नहीं गया ।

प्रतिवेदन जो आवास, सार्वजनिक उद्यम नागरिक उड्डयन, संस्कृति, नियोजन, परिवहन, अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ, उद्यान एवं खद्य प्रसंस्करण, वन, न्याय, पशुधन, आबकारी, ग्राम्य विकास अम्बेडकर ग्राम विकास, नियुक्ति, खेलकूद सूचना तथा पंचायती राज विभागों (वर्ष 1982 से 1999) के आश्वासनों से सम्बंधित है प्रस्तुत करता हूँ ।

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या-5, मद संख्या-6, मद संख्या-7 में कुछ नहीं है ।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 15 मई, 2001 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 10 सूचनाएं प्राप्त हुई । शलाका के आधार पर निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें चयनित की गई । प्रथम पांच सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जाएगा । शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है । दो सदस्यों के व्यक्तिगत प्रश्न हैं वह नियम-56 के बाद विशेष उल्लेख के रूप में अपनी बात रख लेंगे ।

पहली सूचना श्री रघुबर दयाल वर्मा की ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, हमारे प्रदेश में शुद्ध पानी देने के नाम पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियां बोतल बन्द पानी की बोतल 12 रूपये के हिसाब से बेच रही है यह हमारी संस्कृति पर चोट है, यह हमारे अर्थतंत्र पर चोट है। हर व्यक्ति का चाहे वह पशु या पक्षी वन्य जीव भी हो पीने के पानी पर बराबर का अधिकार है प्रकृति द्वारा सबके लिए पेयजल की व्यवस्था की गई है । (इस समय 1 बजकर 10 मिनट पर अशिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पीठासीन हुए।) आम आदमी के खेत मकान के नीचे अण्डर ग्राउण्ड वाटर जो है उस पर उस व्यक्ति का अधिकार है जिसके मकान, खेत के नीचे अण्डर ग्राउण्ड वाटर मौजूद है । मैं आपके माध्यम से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मिनरल वाटर के नाम पर विभिन्न ब्रांड की बोतलें व पाउच धड़ल्ले से बिक रहे हैं । प्रतिदिन का औसत निकालें तो यह औसत 60 लाख का आता है। इससे करोड़ों रूपये का धन हमारे प्रदेश से लूटा जा रहा है यह बहुत बड़ा खतरा है । इन मिनरल वाटर की बोतलों की एल0आर0, सी0डी0सी0 से जांच कराई गई उसमें परीक्षण में पाया गया कि उनमें एक चौथाई तो शादा पानी है इसमें तीन चौथाई पानी भी पूरी तरह शुद्ध नहीं होता है, तथा इसके लिए जो व्यवस्थाएं बकायदा बनी हैं उसके आधार पर शुद्धीकरण नहीं किया जाता । यह एन0आर0सी0डी0सी0 की रिपोर्ट से स्पष्ट है । लेकिन बोतल चमकीली है, पानी बाहर से साफ दिखाई देता है । इस कारण धड़ल्ले से पानी बिक रहा है। दूध से मंहगा पानी बिक रहा है जो प्रकृति ने मुफ्त पानी प्रदान किया है वह पानी 12 रूपये प्रति बोतल के हिसाब से बिक रहा है । यह बहुत चिंता का विषय है । आज देश में भूमण्डलीकरण की व्यवस्था का जो असर शुरू हुआ है, इस भूमण्डलीकरण से जो परिस्थितियां पैदा हो रही हैं । इसमें सदैव से पानी की जो मुफ्त व्यवस्था है वह नष्ट हो जाने वाली है । उसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियां कूद पड़ी हैं और वह इस मुफ्त पानी को मार्केट में लाकर पैसा बनाने में लगी हैं । डब्लू0टी0ओ0 की एक रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने कहा है कि भूगर्भ में जो जल है चाहे वह खेत के नीचे हो या घर के नीचे सारा का सारा प्रबन्धन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के हाथ में सौंप दिया जाए। वह पानी

पिलाने का कार्य करें। यह स्थिति आने वाली है। भूगर्भ जल की यह स्थिति स्पष्ट करेंगे कि इस पर उत्तर प्रदेश सरकार की जल प्रबन्धन की व्यवस्था की कमजोरी है। भारत सरकार के सम्मुख भी डब्लू0टी0ओ0 और विश्व बैंक ने रिपोर्ट भेजी है कि आपके यहां भूगर्भ जल का जल प्रबन्धन बहुत कमजोर है, अव्यवस्थित है। इसलिए इस जल प्रबन्धन की व्यवस्था निजी हाथों में देकर बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दे दिया जाए जब यह व्यवस्था होगी तो हमारी सामाजिक संरचना पर हमारे देश की सभ्यता पर, हमारे देश की संस्कृति पर, हमारे देश के अर्थतंत्र पर बड़ी चोट होगी । और एक समय ऐसा आयेगा जब साधारण पानी पीने वालों को पानी नहीं मिलेगा जो ऐसे मिनरल वाटर लेंगे उनकी संख्या केवल 50 लाख से ज्यादा नहीं होगी, बूंद-बूंद पानी बिकेगा। श्रीमन् मेरा अनुरोध है कि बोतल बन्द पानी मिनरल वाटर के नाम पर एन0आर0डी0पी0सी0 की रिपोर्ट के हिसाब से जिसमें तीन चौथाई बिल्कुल शुद्ध नहीं है, वह शुद्धीकृत के रूप में नहीं दिया जाता इससे खतरा बहुत बढ़ा है। आज लोग घरों में सबमर्सिबिल पम्प लगाकर पालीथीन में बन्द करके बेच रहे हैं और इसके लिए तो बैंकों से लोन भी मिलने लगा है। हमारे यहां जहां पर पानी मुफ्त दिया जाता था पानी ही पानी था वहां पर आज पानी बिकने लगा है और इधर डब्लू0टी0ओ0 के भूमण्डलीकरण यह सब हमारे देश ही नहीं प्रदेश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर एक सर्वे कराया जाय कि कहां-कहां बोतल बन्द पानी बिक रहा है उसकी गुणवत्ता की जांच कराई जाय उसका शुद्धीकरण हो रहा है या नहीं देखें। जिस तरह से रेलवे स्टेशन, बाजार, हर जगह यह पानी बिक रहा है हर व्यक्ति के दिमाग में यह आ जायेगा कि जो पानी हम कुंए का पीते हैं शहरी पानी है वह सब शुद्ध नहीं है, बोतलबन्द पानी शुद्ध है। इस ओर उत्तर प्रदेश सरकार ध्यान दे यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूमण्डलीकरण की स्थिति पैदा होने लगी है। यह सप्लाई हमारे देहातों तक होने लगी है। मैं चाहता हूं कि यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराई जाय।

संसदीय कार्य, पंजीयन, स्टाम्प एवं मनोरंजन कर तथा न्यायालय शुल्क मंत्री *(श्री हुकम सिंह)–

मान्यवर, जिस समस्या का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है वह बड़ी विचित्र स्थिति है, कहा जाता था हमारे यहां दूध की नदियां बहेंगी कहाँ पानी बिक रहा है। इसको पीने वाले मुश्किल से आधे प्रतिशत लोग हैं। रघुबर दयाल वर्मा सरीखे। इन्हें परेशानी इस बात की है कि जो पानी यह पीते हैं वह उन्हें मानक के अनुरूप उपलब्ध हो परीक्षण होता रहे। तो बिक्री जहाँ होती है वहाँ छापे मारे जाते हैं कार्यवाही होती है। इस देश में नदियां बह रही हैं । भूगर्भ जल स्तर भी ठीक है मिट्टी से पानी निकलता है। वहां बोतल के पानी पीने की आवश्यकता केवल एक वर्ग विशेष की है, जो सामान्य व्यक्तियों से अलग हटकर है। मैंने स्वयं इनको बोतल का पानी पीते देखा है, मुझे संकोच होता है। मैं आपको सलाह देने वाला था कि सामान्य व्यक्ति की तरह पानी पियें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि मेरे पास आंकड़े हैं । माननीय मंत्री जी तो हवा में तीर चला रहे हैं। मैं तो जानता भी नहीं कि मिनरल वाटर कैसा होता है। मैं तो जो समस्या है, उसकी बात कर रहा हूँ। 22 करोड़ का धंधा पूरे देश में चल रहा है। 2 करोड़ बोतल रोज बिक रही है। आज केवल उत्तर प्रदेश में एक करोड़ से ज्यादा लोग बोतल बन्द पानी पी रहे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

हैं । माननीय मंत्री जी हवा में तीर चलाना बन्द करें महत्वपूर्ण समस्या है। मैं तो कह रहा हूँ जो हो रहा है...

श्री हुकुम सिंह–

यह तो माननीय सदस्य के ऊपर निर्भर करता है कि वह उसे किस रूप में लेते हैं। मैं पूर्ण गम्भीरता के साथ कह रहा हूँ कि बहुत ही कम प्रतिशत लोग ऐसे हैं जो बोतल का पानी पीने से सोचते हैं कि उनका स्टेट्स बढ़ गया है। बोतलबन्द पानी की आवश्यकता नहीं है, पर्याप्त पानी है, पानी की कमी न है, न होने वाली है। मैं स्वयं देखता हूँ कि केवल अपने स्तर को दिखाने वाले, समाज में अपने को अलग दिखाने वाले कुछ प्रतिशत लोग सम्पन्नता के आधार पर या अपने रहने के स्तर के आधार पर बोतलबन्द पानी पीते हैं। ये सामान्य व्यक्तियों से अलग हटकर कुछ प्रतिशत लोग हैं। माननीय वर्मा जी ने जो दूसरी समस्या बताई कि जो पानी बोतल बनद बिक रहा है वह मानक के अनुरूप नहीं है। मान्यवर, कोई भी चीज की बिक्री होती है तो उसके लिए रहता है कि वह एक निर्धारित मानक के अनुरूप हो। छापे पड़ते हैं, बीच-बीच में जांच भी हुआ करती है। मानक के अनुरूप यदि चीज नहीं है तो कार्यवाही भी होती है । यह प्रश्न नियम-56 में नहीं आता है ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य और माननीय संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इसे नियम-56 में ग्राह्य नहीं पाता। इसको निरस्त किया जाता है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि विभिन्न ब्रान्ड की बोतलें यहां बिकती हैं। आपने छापे मारे तो कहां और कितने लोग पकड़े गये, कितनों के खिलाफ आपने कार्यवाही की? क्या कोई सटीक जानकारी देंगे।

श्री अधिष्ठाता–

क्या कोई ऐसी सूचना है जिससे यह मालूम हो कि अब कितने छापे मारे गये और कितनों के खिलाफ कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसके लिये बड़े विस्तृत सूचना की आवश्यकता होगी। (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया बैठें ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, यह विस्तृत और तात्कालिक, लोक महत्व का प्रश्न है, इसीलिये तो इस पर हम चर्चा की मांग कर रहे हैं ।

***श्री अम्बिका चौधरी–**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अभी मिनरल वाटर के बारे में माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि कुछ विशेष लोगों के द्वारा ही इसका प्रयोग किया जा रहा है। नियम-56 में इस सूचना पर मेरे दस्तख्त नहीं हैं इसलिये मैं इस पर बल देने के लिये नहीं कह रहा हूँ। सन्दर्भ यह है कि पिछले बजट सत्र में इसी मिनरल वाटर की सप्लाई, जब सदस्यों के भोजन की व्यवस्था नीचे सेनट्रल हाल में नहीं थीं, बजट के दौरान भोजन के साथ की गई थी और मिनरल वाटर के ग्लास में कीड़े पाये गये थे। पीठ के संज्ञान में भी यह बात लाई गई तो हमारा अनुरोध नहीं था, पीठ से आदेश हुए कि इस पर कार्यवाही कराकर सदन को सूचित कर दिया जाय। स्वास्थ्य मंत्री जी को विशेष तौर से निर्देश दिये गये थे। एक वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक इस सदन को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने किसी भी कृत कार्यवाही से अवगत नहीं कराया। जब सदस्यों के स्वास्थ्य के साथ सरकार का यह रूख है। जिस पर पीठ से स्पष्ट निर्देश हो गया। कारण यह है कि जो लोग मिनरल वाटर के धंधे में लगे हैं वे बड़े मजबूत लोग हैं और आर्थिक तौर पर भी इतने सक्षम लोग हैं कि सभी फैसलों को प्रभावित कर लेते हैं उसमें सरकार क्या सौदा करती है मुझे नहीं मालूम। लेकिन जो बात इस सदन के अन्दर आपकी पीठ से निर्देश के रूप में कही जाए उसमें मिनरल वाटर इंडस्ट्री से संबंधित लोगों की हिफाजत की जाए इसमें कार्यवाही न की जाए और सदन को अवगत न कराया जाए, मैं जानना चाहता हूँ एक वर्ष से ज्यादा का समय हो गया है ।

श्री अधिष्ठाता–

बात आ गई है पुनरावृत्ति न करें।

श्री हुकुम सिंह–

यह प्रकरण मेरी जानकारी में है मुझे इस कम्पनी का नाम स्मरण नहीं हो रहा है, लेकिन उस कम्पनी को बन्द कर दिया गया है।

एक माननीय सदस्य– उसका नाम बता दें।

श्री हुकुम सिंह–

मैंने अभी बता दिया उस कम्पनी को बन्द कर दिया गया है चालू नहीं है नाम पता करके जानकारी दे दूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

जब यह कहा गया था कि सदन में यह बात आनी चाहिए तो उसको पहले बताना चाहिए था।

श्री हुकुम सिंह–

यह भी जानकारी करा लेंगे कि जानकारी दी गई या नहीं।

***श्री भीम प्रसाद सोनकर–**

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में पिछड़ी जाति के साथ न्याय नहीं हो रहा है । मान्यवर, पिछड़ी जाति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

के लोगों के बच्चे किसी तरह पढ़ाई करते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे पाठशाला में जा रहे हैं बजीफे के नाम पर, अनुसूचित जाति के बच्चे जितने पढ़ते हैं सबको बजीफा मिलता है, अल्पसंख्यक के बच्चे जो पढ़ते हैं उन सबको बजीफा मिलता है लेकिन इस बार सरकार ने पिछड़ी जाति के बच्चों के लिए चाहे तीन हों, चाहें चार हों और चाहे 50 हों एक बच्चे को वजीफा मिलता है, इसी तरह से 6, 7, 8 बच्चों में से दो पिछड़ी जाति के बच्चों को वजीफा मिलता है मैं आपके माध्यम से शासन से मांग करता हूं कि आप जिस तरह से अनुसूचित जाति के बच्चों को वजीफा देते हैं अल्पसंख्यक के बच्चों को बजीफा देते हैं उसी तरह से पिछड़ी जाति के बच्चों को चाहे उनकी संख्या जितनी हो वजीफा मिलना चाहिए। यह अति लोक महत्व का प्रश्न है तात्कालिक है आप शासन को सरकार को आदेशित करें कि जितने भी बच्चे जिस क्लास में पिछड़ी जाति के पढ़ते हों सबको वजीफा मिलना चाहिए। फीस मंहगी है, किताबें मंहगी हैं, इसलिए इसमें वजीफे की व्यवस्था करें और इसके तात्कालिक महत्व को देखते हुए सदन में चर्चा करायें।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी)–

वर्तमान में जो विद्यालयों में बच्चे शिक्षा पाते हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यक समाज के सब बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है। पिछड़ी जाति के बच्चों को तीन को वजीफा दिए जाने की व्सवस्था है वित्तीय साधनों के अभाव के कारण सबको दिया जाना संभव नहीं है।

श्री अधिष्ठाता–

प्रस्तुत सूचना पर माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि यह सूचना नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है इसलिए मैं इस सूचना को निरस्त करता हूँ। अब मैं अगली सूचना ले रहा हूँ जो कि श्री लाल जी वर्मा जी की है।

***श्री लाल जी वर्मा–**

मान्यवर, कृषि के बाद बुनकरों और पावरलूम बुनकरों का महत्वपूर्ण स्थान है। इसने जहां करोड़ों लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है वहीं छोटे-छोटे उद्योगों के माध्यम से पूरे प्रदेश के लोगों को तन ढकने के लिए कपड़ा देने का काम कर रहा है। मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र टाण्डा अम्बेडकर नगर के इरफातनगर, हसवा, भूलेपुर और जलालपुर की बात कर रहा हूँ जहां पर बुनकरों की बहुत बड़ी आबादी है और अकेले टाण्डा कस्बे में पचासों हजार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया है पावरलूम बुनकरों ने। मान्यवर, जो विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था है, एक-एक दो-दो घंटे बिजली मिलती है और विगत वर्ष में बिजली की दर चार गुनी या पांच गुनी बढ़ा दी जिसके कारण पूरे क्षेत्र के बुनकर परेशान हैं और जबरन बिजली की कीमत देनी पड़ रही है क्योंकि बिजली दो-तीन घंटे ही उन्हें उपलब्ध हो पाती है। जब बिजली नहीं होगी तो उत्पादन कैसे होगा और इस कारण से उनकी दयनीय हाल हो गयी है। पूरे प्रदेश, जिस क्षेत्र की मैंने चर्चा किया, इनका उद्योग पूरी तरह से डूब जाने की कगार में है और उनकी भूखमरी की स्थिति हो गयी है। वहां पर इस बात की मांग चल रही थी कि बिजली की कीमत को फिक्स कर दिया जाय। जैसे महाराष्ट्र आदि में कम कीमत पर बिजली दी जाती है वैसे ही यहां पर किया जाय। हमारे अग्रवाल साहब जब यहां पर बैठते थे तो उनकी वकालत किया करते थे लेकिन जब से ऊर्जा मंत्री जी हो गये हैं उनकी कमर ही उन्होंने तोड़ डाली है। यह अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं और यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

आगे नहीं बढ़ सकें इसलिए विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी इनके उद्योगों को नेस्तानाबूत करने का काम कर रही है। अब स्थिति इतनी दयनीय हो गयी है कि बुनकरों में आक्रोश व्याप्त है और क्षेत्र में कभी भी विस्फोटक स्थिति हो सकती हे। सरकार द्वारा उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है उनके कनेक्शन काटे जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहूँगा कि इस तात्कालिक और अविलम्बनीय सवाल पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें जिससे बुनकरों की समस्या का निदान हो सके। हमारे क्षेत्र इरफातनगर, हसवा और भूलेपुर में ग्रामीण फीडरों से बिजली मिलती है। इनके रेट ग्रामीण फीडरों के न लगाकर विद्युत विभाग द्वारा शहरों का विद्युत रेट लिया जा रहा है जिसके कारण घोर ज्यादती हो रही है, उत्पीड़न हो रहा है। मैंने लगातार आवाज उठायी, बिजली अधिकारियों और कर्मचारियों से इसका जिक्र किया। यह छोटे गांव हैं जिनकी आबादी 10 हजार से कम है तो वहां ग्रामीण रेट पर विद्युत का मूल्य लिया जाय लेकिन विद्युत विभाग द्वारा कार्यवाही न होने से इनके उद्योग धंधे चौपट हो रहे हैं। इसलिए इस तात्कालिक और अविलम्बनीय लोक महत्व के सवाल पर चर्चा करायें और सरकार इसका निराकरण करे ।

***ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)–**

मान्यवर, मैं यह नहीं समझ पाया हूँ कि माननीय सदस्य इस प्रकरण का राजनीतिकरण कर रहे हैं या किसी की परेशानी की बात कर रहे हैं या वोटों पर आधारित बात कर रहे हैं। मान्यवर, ऐसा नहीं है कि हम किसी वर्ग विशेष के खिलाफ हैं।

श्री लाल जी वर्मा–

यह आप किया करते हैं।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

यह हम लोगों ने नहीं सीखा है। मान्यवर, नियामक आयोग प्रदेश में है जो विद्युत की दरों को तय करने का कार्य कर रहा है पिछले वर्ष भी आयोग ने दरें तय की थीं इस वर्ष भी तय कर रहा है जो बुनकरों की समस्याएं हैं वह आयोग में अपनी बात कह सकते हैं। आयोग ही दरें तय करेगा। जो पिछली बार दर तय की थी उसी पर बिल ले रहे हैं। अगर किसी के पास पूरा पैसा भुगतान करने के लिए नहीं है तो हम किस्त करने के लिए तैयार हैं लेकिन अगर भुगतान करने की नियत नहीं है तो शासन कार्यवाही करने से पीछे नहीं हटेगा। मान्यवर, कहीं पर अशांति नहीं है। मान्यवर, 540 मेगावाट हाईड्रो में और 2542 मेगावाट थर्मल में। 5103 मेगावाट उत्पादन है और इतनी ही डिमांड है इस समय बिजली कटौती कहीं नहीं हो रही है। जो शिडयूल हमारा है उस शिडयूल से बिजली दे रहे हैं। कहीं न अशांति है न अशांति का अंदेशा है। इसलिए इसको नियम 56 में निरस्त करने की कृपा करें ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, जो ग्रामीण फीडर हैं शहरी फीडर पर वहां वसूली हो रही है मैंने इल्फातगंज, भोलेपुर, हसवा का जिक्र किया है। माननीय मंत्री जी ने कोई इस तरह की बात नहीं की कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं जिनकी आबादी 10 हजार से नीचे है और जिनके विद्युत मूल्य शहरी क्षेत्रों की तरह वसूलें जा रहे है उन्हें ठीक करा देगें। मान्यवर, टाण्डा में जो विद्युत कटौती है किसी दिन भी 7-8 घण्टे से कम नहीं है।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

लगातार पूरी रात भर बिजली नहीं आती है। इसी तरह की स्थिति के कारण बुनकरों के यहाँ उत्पादन नहीं हो रहा है।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मैंने सब कुछ कह दिया है बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य श्री वर्मा जी व माननीय श्री नरेश अग्रवाल जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त करता हूँ ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, सरकार बुनकरों के प्रति बहुत ज्यादती कर रही है सरकार के बुनकर विरोधी रवैये के खिलाफ मैं सदन का बहिर्गमन करता हूं।

श्री लाल जी वर्मा ने सदन का त्याग किया।

***श्री विनोद मणि–**

मान्यवर, एक तरफ यह हो रहा है और दूसरी तरफ माननीय विधायकों को जो गनर मिले थे निश्चित रूप से किन्हीं विशेष परिस्थितियों में जांच के बाद मिले होंगे किन परिस्थितियों में जांच कराये बगैर वापस लिये जा रहे हैं गनर। मान्यवर, यह सरकार विपक्ष के विधायकों को सुरक्षा न देकर [xxx xxx xxx] इनकी नीयत साफ-साफ दिखायी दे रही है ।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदन में कहा था कि सुरक्षा वापस लेकर हम 1 करोड़ से ज्यादा की बचत कर रहे हैं हम संज्ञान में लाना चाहते हैं कि 70 जनपद प्रदेश में हैं और इनमें से उत्तर प्रदेश के जितने प्रशासनिक और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी हैं उन सभी अधिकारियों के पास गनर की व्यवस्था है, शैडो की व्यवस्था है। शासन में बैठे हुए तमाम प्रमुख सचिव, सचिव, विशेष सचिव ऐसे हैं जिनके पास 2-2 गनर सुरक्षा में लगे हुए हैं इस तरह से तमाम सुरक्षाकर्मी प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों की सुरक्षा में लगे हुए हैं उन्हें वापस नहीं लिया गया है इसलिए कि यह प्रदेश सरकार आगामी चुनावों को देखते हुए इन्हें नाराज नहीं करना चाहती है। हैदरगढ़ के चुनाव के बाद मुख्यमंत्री जी ने एक नया तोहफा दिया थानेदारों को नीली बत्ती लगाने का, एस0डी0एम0 और तहसीलदारों को भी दिया गया यह इसलिए दिया गया कि एक हवा चले लेकिन नहीं चली। शाहजहांपुर में हैदरगढ़ की भावना को पूरे प्रदेश में फैलाना चाहते थे ।

श्री अधिष्ठाता–

यह आपकी सूचना का विषय नहीं है, ग्राह्यता पर बोलें।

---

*वक्ता ने भाषण पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:- [xxx] यह अंश भी अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री विनोद मणि–

मान्यवर, 25-50 विधायकों की सुरक्षा वापस लेकर करोड़ों रूपया बचाने का नारा दिया जा रहा है जबकि 400 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के यहां लगे हुए हैं। माननीय मंत्रियों के यहां 3-3, 4-4 गनर उपलब्ध है, कोई कटौती नहीं की जा रही है इससे सरकार की नीयत जाहिर है कि यह सरकार [xxx xxx xxx xxx xxx] उनकी सुरक्षा नहीं करना चाहती है। यह विधायकों की सुरक्षा का सवाल है निश्चित रूप से सदन के सभी सदस्यों को पीड़ा हुई है। मैं चाहूँगा कि इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये इसमें चर्चा करायेंगे तो माननीय सदस्य अपनी बात रखेंगे और सरकार की नीयत का खुलासा हो जायेगा और प्रदेश की जनता जान जायेगी।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसमें मानक निर्धारित है, मंत्री की सुरक्षा का मानक है, विधायक के लिए मानक है, सांसद के लिए मानक है, मानक के अनुरूप व्यवस्था की गयी है कोई संशोधन की बात नहीं है। केवल उसके अतिरिक्त कोई होता है उस पर थोड़ी पाबन्दी लगाई गयी है। दूसरा कोई ऐसा संशोधन नहीं हुआ कि सत्ता पक्ष या विपक्ष के विधायक हैं, विधायक सब एक हैं। सबके लिए जो मानक हैं वह एक समान हैं। दूसरी श्रेणी है जिनके लिए अलग से व्यवस्था की गयी है जैसे आतंकवादी से किसी को खतरा है वह सामान्य श्रेणी में नहीं आता है। हमारे तमाम नेता ऐसे हैं जिन्हें ब्लैक कमांडों मिले हुए हैं वह उस श्रेणी में आते हैं। कई बार यह आलोचना सरकार की होती रहती है कि अनावश्यक रूप से गनर दिया हुआ है, शैडो दिया हुआ है उनका दुरूपयोग हो रहा है। मान्यवर, अगर सरकार कोई कार्य करती है तो यहां दूसरा विषय आ जाता है कि वापिस क्यों लिये जा रहे हैं। वापिस इसलिये लिये जा रहे हैं कि उनकी आवश्यकता नहीं है। पुलिस थानों में सम्मानीय जनता की सुरक्षा के लिए उपलब्ध न हो, थानों में कमी रहे और 4-4 लेकर लोग चलें यह उचित नहीं है। माननीय विनोदमणि जी हैं, यह तो मैं समझता था कि वामपंथी विचारधारा के हैं, इन्हें स्टेट्स सिम्बल के लिये आवश्यकता नहीं है। लेकिन है इससे अलग, इन्हें ज्यादा है, जैसे सब हैं, वैसे यह भी हो गये हैं। अगर कहीं आवश्यकता होगी, इस बात की, कि एक अतिरिक्त गनर अथवा सुरक्षाकर्मी की आवश्यकता है तो स्थानीय स्तर पर परीक्षण करने के बाद, जो नियम है, जो नीति बनाई गई है, उस नीति के अनुरूप उपलब्ध करा दिया जायेगा। आपको स्वयं कठिनाई है तो आपकी कठिनाई को ध्यान में रखते हुये विचार कर लिया जायेगा। अगर बहुत से लोगों को आवश्यकता है, आपके जिले में कोई विशेष परिस्थिति बनी हो, तो आपकी आवश्यकता का परीक्षण कराने के लिये हम आश्वासन दे रहे हैं, नीति के अनुरूप उपलब्ध करा दिया जायेगा ।

***कुँवर रेवती रमण सिंह–**

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने व्यवस्था की बात बता दी, किसको गनर अनुमन्य है, क्या है। आज से 5 साल पहले आप भी इस बात को जानते हैं कि मंत्रियों के साथ एस्कार्ट नहीं चलता था। जिस रास्ते से मंत्री जाते थे, उस रास्ते के थाने के लोग उतनी दूर एस्कार्ट का काम कर देते थे। अब तो जहां रहते हैं, वहां पुलिस लगी है, जहाँ यहाँ पर निवास है, वहाँ भी पुलिस लगी है, 3-3, 4-4 गनर, शैडो हैं। मैं आज इस सदन में एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ और विनोदमणिजी को मैं बधाई दूंगा । आज से

नोट :-[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कोई विधायक, कोई मंत्री न शैडो रखेंगे, न गनर रखेंगे। मेरे पास एक गनर है, मैं सबसे पहले कह रहा हूं, उसको विड्रा कर लीजिये, मंत्री लोग भी विड्रा कर दें। यह प्रस्ताव सदन में सर्वसम्मति से आ जाय। आखिर यह कौन सी बात है कि मंत्री हो गये तो अनुमन्य हो गया और बाकी यदि विरोध पक्ष के विधायक को मिला है तो वह स्टेट्स सिम्बल है। अगर हमारे साथ दो गनर हो जायेंगे, विनोदमणि के साथ हो जायेंगे तो क्या स्टेट्स बढ़ जायेगा? मेरा प्रस्ताव है, इसे आप स्वीकार कर लें। आप लोग भी न बंगले पर रखिये, न निवास पर रखिये, न एस्कार्ट चलाइये, हम लोग भी एक भी गनर नहीं लेंगे।

श्री विनोदमणि–

मान्यवर, मैंने अधिकारियों के बारे में कहा था, उसका कोई माननीय मंत्री जी ने चर्चा नहीं किया। कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने जो प्रस्ताव रखा है, हम उसका समर्थन करते हैं। लेकिन एक सवाल है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिये, जेड प्लस पाने के लिये प्रपोजल भेजे हैं। आज स्टेटस सिम्बल कौन चाहता है, हम नही चाहते हैं। राजनाथ सिंह चाहते हैं क्योंकि मायावती जी को ब्लैक कमांडो मिले हैं, कल्याण सिंह के पास हैं, इनके पास नहीं हैं, इसलिये राजनाथ सिंह जी चाहते हैं। सदन में आज आप इसका निर्णय करा दें कि कौन चाह रहा है?

***नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)–**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय कुंवर साहब की बात पर बल देते हुये यह कहना चाहता हूं कि जो अभी कुछ दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने गनर और शैडो वापस लेने के आदेश किये हैं,उसका पूरी तरह से पालन किया जाय। साथ ही साथ मंत्रियों और विधायकों को गनर, शैडो सुरक्षा वापस ले ली जाय। अगर ऐसा नहीं है तो मैं एक प्रश्न के माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने मंत्रियों, विधायकों और सांसदों के अतिरिक्त अन्य विशिष्ट लोगों को, जिनको जान माल का खतरा है, को शैडो गनर दिया हुआ था, क्या उन पर सबके वापस हो गये हैं, क्या उनमें भी कोई ऐसा स्तर बनाया गया है, जिसके आधार पर अब भी उनको शैडो गनर प्राप्त है? अगर ऐसा है तो किस कारण से?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसमें दो स्थित है जैसा मैंने बताया कि एक श्रेणी तो है सांसदों की, विधायकों की, मंत्रियों की ओर इस श्रेणी में जो मानक निर्धारित हैं, उन मानकों के अनुरूप इन्हें सुरक्षा प्रदान करायी गयी है और जब तक मानक में संशोधन न हो जाए, मानक के अनुसार सुरक्षा प्रदान करायी जाती रहेगी। दूसरी श्रेणी जो है, जिसका जिक्र नेता प्रतिपक्ष ने किया है और यह पूछा है कि उन्हें जो शैडो और गनर उपलब्ध थे क्या उनसे वह वापस ले लिए गए हैं या नहीं लिए गये हैं। मान्यवर, इसका हां या नहीं में उत्तर देना सम्भव नहीं है। मान्यवर, जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गयी है और यह समिति व्यक्ति विशेष की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए मूल्यांकन करेगी और सरकार को अपनी संस्तुति भेजेगी। अगर कोई सांसद, विधायक या मंत्री नहीं है और विशेष परिस्थिति बनती है कि उसको सुरक्षा की आवश्यकता है। मैं तो यह नहीं कह सकता कि उसे सुरक्षा नहीं दी जायेगी। शासन और प्रशासन इस दायित्व से मुक्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सुरक्षा प्रदान करने की है । अगर किसी को सुरक्षा की आवश्यकता होगी तो जो समिति गठित की गयी है उसकी रिपोर्ट के आधार पर उसे सुरक्षा उपलब्ध करायी जायेगी ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो उत्तर दिया उससे एक प्रश्न और पैदा हो गया। जो मैंने प्रश्न किया था और जो मंत्री जी ने उत्तर दिया उससे एक और प्रश्न पैदा हो गया है। श्रीमन्, आपने कहा कि जिला स्तर पर डी0एम0 स्तर पर एक समिति बना दी गयी है, वह जिस को संस्तुति करेगी, यदि कोई एम0एल0ए0, एम0पी0 नहीं भी है और आवश्यकता पड़ेगी तो उसको शैडो प्रदान किया जायेगा। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इस आदेश के तहत सारे ऐसे व्यक्तियों के जो विधायक, सांसद और मंत्री नहीं है और उनको जो शैडो,गनर मिले हुए थे और जिनका समय समाप्त नहीं हुआ था उनके गनर, शैडो वापस ले लिये हैं अथवा अब भी उनके साथ हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने पहले ही कहा है कि इसका हां या नहीं में उत्तर देना सम्भव नहीं है और जो व्यवस्था की गयी है उसे सुनिश्चित कराया जायेगा ।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैंने इस प्रश्न को इसलिए किया क्योंकि हमारे स्वयं बड़े बेटे को अंगरक्षक प्रदान था और जो खुफिया विभाग ने दिया था, 15 मई तक अवधि थी। मेरे बेटे पर दो बार प्राणघातक हमला भी किया गया है, उसे अंगरक्षक दिया गया था, वह हमारे प्रतिनिधि भी हैं, इसके साथ-साथ वह डिग्री कालेज के प्रिंसिपल भी हैं, जिला कोआपरेटिव बैंक के अध्यक्ष भी हैं उनकी पत्नी लगातार दो बार से ब्लाक प्रमुख हैं साथ ही साथ एक इण्टर कालेज की प्रधानाचार्या भी हैं। उनको जानमाल के रक्षार्थ गनर प्राप्त हैं, उसको 5 तारीख से पहले ही वापस ले लिया गया। क्या सरकार उन सबका जिनका समय बाकी था, उनको वापस ले लिये हैं या नहीं?

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी, आपके पास सूचना हो तो बता दीजिए।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 70 जिलों का मामला है, शासन स्तर पर जो नीति तय हुई है, उसका संक्षेप में उल्लेख किया और नीति का अनुपालन सुनिश्चित कराना हमारा दायित्व है, हम नीति का अनुपालन करा रहे हैं। जानकारी प्राप्त कर लेंगे। मैंने पहले ही उल्लेख कर दिया है कि जिला स्तर पर जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की है वह परीक्षण करेगी और शासन स्तर पर भेजेगी।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, शासन के पास ऐसे सूत्र हैं, जिनसे वह 24 घन्टे के अन्दर जानकारी प्राप्त कर सकती है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, हम जानकारी प्राप्त कर लेंगे।

श्री घनीराम वर्मा–

परसों तक जानकारी करके सदन को बता दें।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कह दिया है कि जानकारी कर लेंगे।

श्री घनीराम वर्मा–

मान्यवर, समय सीमा निर्धारित कर दीजिए, एक-दो या चार दिन।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जब नेता प्रतिपक्ष कोई बात कहते हैं तो हम उसको बहुत गम्भीरता से लेते हैं । आपने जब कोई बात कही है तो उसका कोई मतलब है । मैं अतिशीघ्र जानकारी करा लूंगा ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि यह नियम-56 के अन्तर्गत नहीं आती है, मैं इसे निरस्त कर रहा हूं ।

श्री विनोदमणि–

मान्यवर, ग्राह्यता पर बोलते हुये जो मैंने इंगित किया था उसका उत्तर आ जाय ।....

श्री अधिष्ठाता–

कृपया आप बैठें, मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । अगली सूचना श्री श्रीराम पाल जी की है।

***श्री श्रीराम पाल–**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, अत्यन्त लोक महत्व के कार्यस्थगन प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । कानपुर-झांसी राष्ट्रीय मार्ग- 25 से कालपी के आगे जोलूपुर से कालपी-हमीरपुर मार्ग निकला हुआ है, कालपी हमीरपुर मार्ग, कालपी राठ मार्ग इनकी दशा अत्यन्त जर्जर है । चूंकि बालू, मोरंग खनन क्षेत्र है इसलिए निरन्तर हजारों ट्रक बालू से भरे हुये इस सड़क पर चलते हैं, उनसे पूरी तरह से सड़क ध्वस्त हो गयी है । इसी रोड से हमीरपुर-दिल्ली, महोबा-दिल्ली और राठ-दिल्ली की उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा की बसें भी चल रही हैं । पथरेठा, मैंरी, चिरपुरा आदि कई वेतवा नदी के बालू के खनन घाट हैं, प्रतिवर्ष ये घाट बालू, मोरंग, पत्थर के खनन से करोड़ों रूपये की आय प्रदेश सरकार को करा रहे हैं । वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक नीति बनायी थी कि जो खनिज सम्पदा से जुड़े मार्ग हैं, बालू, मोरंग, पत्थर, अभ्रक, ग्रेनाइट की खनन होती है और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उनके यातायात में जिन मार्गो का प्रयोग हो रहा है उसकी मरम्मत के लिए सड़क निधि की स्थापना की गयी है । जिस निधि की स्थापना राज्य सरकार ने की है उसमें कितनी धनराशि राज्य सरकार ने दी है ? इन क्षेत्रों में सरकार को करोड़ों रूपये की आय हो रही है लेकिन इन मार्गो की स्थिति अत्यन्त जर्जर है, इसका मरम्मत कराया जाना आवश्यक है । कालपी हमीरपुर मार्ग पर उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की दिल्ली जाने वाली बसें चलती हैं । मार्ग इतना खराब है कि बसें धीरे-धीरे चलती हैं । रोड होल्डप हुआ है और डकैत बसों में दौड़कर चढ लेते हैं और लूट रहे हैं, लोगों को मार रहे हैं, सामान छीन रहे हैं । 2 महीने पहले वर्तमान सरकार के लोक निर्माण मंत्री जब झांसी से निकल रहे थे तो जोलूपुर के मोड़ पर जनता ने उनको रोक लिया और कहा कि आप हमारे साथ चलकर देखें कितना खराब मार्ग है । मंत्री जी ने मौके का निरीक्षण किया और अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता से कहा कि स्टीमेट बनाकर भेजें हम मरम्मत का रूपया दे रहे हैं । 764 लाख का स्टीमेट जिले से बनकर शासन को प्राप्त हो गया है । इसकी तात्कालिकता इसलिए है मैं बता रहा हूं । अभी एक महीने के अन्दर बरसात होने वाली है । इसके बाद इन रोडों की मरम्मत नहीं हो सकती है । राठ से दिल्ली, महोबा से दिल्ली जाने वाली परिवहन निगम की बसें बंद हो जायेंगी । मान्यवर, कदौरा, कोरारा तथा अन्य 100 गांव इन सड़कों से जुड़े हैं तथा महोबा, हमीरपुर, बांदा जिलों से यह मार्ग जुड़े हैं । इसलिए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार को निर्देशित करें कि करने के लिए इस रोड की मरम्मत के लिए सरकार धनराशि उपलब्ध करायें ओर बरसात आने के पहले इसको ठीक करवा दिया जाये ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर यहां कालपी हमीरपुर स्टेट हाइवे के निर्माण के बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया है । यह नियम-56 में नहीं आता है । इनको कोई भी प्रश्न मिल जाये सड़क निर्माण का प्रश्न कार्य स्थगन में उठा दिया है । यह नियम-51 में नहीं आता है । इन्होंने जो सूचना दिया है, काल्पनिक चीजें लिखी हैं जिसमें से सच्चाई भी नहीं है । जिसका क्या उत्तर दिया जाये । मैंने वहां के चीफ इंजीनियर से जानकारी प्राप्त की है और रिपोर्ट भेजने के लिए कहा है । वित्तीय स्थिति को देखते हुए हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी कार्यवाही हो जाये ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय श्री श्रीराम पाल और संसदीय कार्यमंत्री को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं ।

***श्री राम कृपाल–**

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अन्दर चकिया, मिर्जापुर, सोनभद्र, इलाहाबाद, झांसी, कर्वी, बांदा, ललितपुर जिले के अन्दर कोल जाति के लोग निवास करते हैं । मान्यवर, इन जातियों को प्रमाण-पत्र देने का आदेश हुआ था जिसके तहत हजारों लोगों को नौकरियां मिली थीं, लेकिन अब समाप्त कर दिया है और जिनको नौकरियां मिल गई हैं, निकाले जाने की स्थिति में हैं । जिस तरह पहले कोल जाति अनुसूचित जनजाति का प्रमाण-पत्र मिलता था, वह तहसील से जारी किया जाये तथा इनको नौकरियों से न निकाला जाये ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, जिससे वह भी यह महसूस कर सकें कि हम भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं । तो मान्यवर, जिस प्रकार सुविधाएं अनुसूचित जाति के लोगों को प्रदान की जाती हैं, उसी प्रकार की सुविधाएं कोल जाति को भी प्राप्त होनी चाहिए। मान्यवर, यदि हमारे प्रदेश की किसी लड़की का रिश्ता मध्य प्रदेश और बिहार से जुड़ जाता है तो उसे वहां अनुसूचित जाति का करार दिया जाता है, लेकिन हमारे यहां की सरकार उन्हें अनुसूचित जाति की मानकर उन्हें वह सुविधाएं प्रदान नहीं करती है जो कि उन्हें मिलनी चाहिए। मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार यह निर्देश करे कि जिस तरह से पहले कोल जाति को अनुसूचित जन जाति के समान जो सुविधाएं उपलब्ध कराई गयी थी उन्हें यह सुविधाएं उपलब्ध कराई जायं, और उन्हें अनुसूचित जाति के प्रमाण पत्र प्रदान किये जायें तथा जो पहले अनुसूचित जाति के आधार पर आज हजारों लोग कोल जाति के जो हैं, नौकरियां कर रहे हैं, उन्हें नौकरियों से न निकाला जाय। उत्तर प्रदेश सरकार ने एक संशोधन भारत सरकार को भेजा है और उसमें यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की कोल जाति को जन जाति की सूची में शामिल किया जाय और यह भी कहा गया है कि उत्तर प्रदेश की 13 जातियां गैर अनुसूचित जातियों में आती हैं जिनकी आबादी अन्य जातियों के समान काफी बड़ी है। तो जहां उनको यह सुविधाएं जन जातियों के समान प्रदान की जाती हैं हमें भी प्रदान की जायें। मान्यवर मैं आपसे यह भी चाहूंगा कि आप उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देशित करें कि उत्तर प्रदेश की कोल जाति को भी अनुसूचित जन जाति के समान प्रमाण-पत्र वितरित किये जायें और जो इस प्रमाण-पत्र के आधार पर नौकरियां कर रहे हैं उन्हें नौकरयों से न निकाला जाय ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इस समय प्रदेश में 5 अनुसूचित जन जातियां हैं। भुक्सा, थारू, रागी, भूटिया और जौनसारी, कोल जाति इसमें नहीं है, किसी जाति को अनुसूचित जाति या जन-जाति में रखना उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकार में नहीं है, यह केन्द्र सरकार के अधिकार में आता है। हमने यहां से प्रस्ताव भेजा है, जैसा निर्णय होगा कार्यवाही की जायेगी, वैसे जो उनके हित हैं उनका संरक्षण हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने संसदीय कार्यमंत्री और श्री राम कृपाल जी को सुन लिया है, यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है, अत: मैं इसे निरस्त करता हूं ।

***श्री राम ललित चौधरी–**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आज उत्तर प्रदेश में जो विद्युत व्यवस्था है, पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। कल लखनऊ का 1/3 भाग घोर अंधकार में डूबा था। मैं विद्युत व्यवस्था के बारे में पूर्वांचल के बारे में विशेष तौर पर कहना चाहता हूं, वहां पर विद्युत व्यवस्था की यह हालत है, पूर्वांचल के बस्ती, सिद्धार्थ नगर, सन्त कबीर नगर, फैजाबाद में दो सप्ताह पहले आंधी आई थी। पूर्वांचल विधान सभा क्षेत्र के इन नगरों के 25-30 पोल टूट गये, तार टूट गये लेकिन कोई भी वहां पोल लगाने वाला नहीं है, तारों को लगाने वाला नहीं है वहां इनको सुधारने का कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। लेकिन सरकार 10-10 घन्टे बिजली आपूर्ति का दावा कर रही है, तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जब तार टूटे पड़े हैं, खम्भे टूटे पड़े हैं तो बिजली वहां कैसे पहुंच रही है ?

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री राम ललित चौधरी–

आप 23 तारीख से बिजली की चोरी के बारे में अभियान चला रहे हैं। जब बिजली जाती ही नहीं है तो आप कौन सा अभियान चलायेंगे। आज देहात में कृषि कार्य रूके पड़े हैं। बस्ती, खलीलाबाद, में और अन्य जगहों पर जो बुनकर है उनके काम धंधे बंद हैं। चाहे शहरों का हो या देहात का पोरशन हो वहां का इलाका अंधकार में डूबा होने के कारण हाहाकार मचा हुआ है। मैं मान्यवर, चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही को रोककर इस पर चर्चा करायी जाय ।

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री विक्रमाजीत मौर्य)–

मान्यवर, आंधी आने के कारण वहां विद्युत व्यवस्था ठप्प है। आंधी आदि की जो प्राकृतिक आपदायें हैं उनसे व्यवस्था में बाधा आती है। वहां पर अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि सप्लाई में जो बाधा है उसको दूर करें और विद्युत सप्लाई को सामान्य करें ।

श्री राम ललित चौधरी–

मान्यवर, मंत्री जी उत्तर में कुछ कहते कि एक महीने-दो महीने में वहां की व्यवस्था ठीक करवा देंगे तो ज्यादा अच्छा होता। कुछ समय बता दें कि वहां की विद्युत व्यवस्था कब तक ठीक हो जायेगी।

श्री विक्रमाजीत मौर्य–

मान्यवर, यथाशीघ्र करा देंगे। मान्यवर, यह नियम-56 में नहीं आती है। इसको निरस्त किया जाय ।

श्री अधिष्ठाता–

मैं माननीय राम ललित चौधरी और माननीय मंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस सूचना को निरस्त करता हूं । यह नियम-56 में नहीं आती है।

***डा0 कौशल किशोर–**

माननीय अधिष्ठाता जी, पूर्वांचल में वीर बहादुर पूर्वांचल विश्वविद्यालय है। यहां पर 1993-94 में पोस्टग्रेजुएट कार्यक्रम चालू हुआ। 2604 विद्यार्थियों से भारी-भारी रकम लेकर विभिन्न महाविद्यालयों में दाखिला किया गया। उनकी ट्रेनिंग हो गयी। 2 महीने प्राइमरी स्कूलों में ट्रेनिंग दी गयी। इसके बाद उन्होंने सेवायोजन कार्यालय में अपना रजिस्ट्रेशन कराया, बी0टी0सी0 कोड नंबर-115 पर रजिस्ट्रेशन हुआ। नौकरी के लिये जब उन्होंने आवेदन किया तो उनसे कहा गया कि आप लायक नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि जब विश्वविद्यालय ने उनको ट्रेनिंग दी तो क्यों लायक नहीं है? उनको क्यों ट्रेनिंग दी गयी? क्या शासन इस विश्वविद्यालय के खिलाफ कार्यवाही करेगा कि गलत ट्रेनिंग क्यों दी गयी? क्या उनको समायोजित किया जायेगा? मैं चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करायी जाये ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, इसमें कठिनाई यह है कि हम केवल बी0टी0सी0 के मान्यता प्राप्त जो अध्यापक हैं उन्हीं को प्राइमरी पाठशालाओं और जूनियर हाई स्कूलों में नियुक्ति दे सकते हैं। केवल इस डिप्लोमा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

की बात नहीं है अनेक ऐसे डिप्लोमा हैं। सी0पी0एड0 महाराष्ट्र, नागपुर से डिप्लोमा ला रहे हैं। मध्य प्रदेश, बिहार आदि से बी0टी0सी0 के समकक्ष डिप्लोमा ला रहे हैं। डिप्लोमा इन नर्सरी, विशारद आदि, यह सारे डिप्लोमा ऐसे हैं यदि एक बार किसी को स्वीकार कर लिया तो फिर सबका प्रेशर हमारे ऊपर बनेगा कि हमारा डिप्लोमा भी स्वीकार करें। हम फिर किसी को रोक नहीं पायेंगे। हमने बी0टी0सी0 को इस बात के लिए अर्ह माना है वही माने जाएंगे। यह सम्भव नहीं है ।

डा0 कौशल किशोर–

यह डिप्लोमा होल्डर्स हैं, इनको ट्रेनिंग दी गई है नर्सरी स्कूल में पढ़ाने के लिए प्राइमरी स्कूल में पढ़ाने के लिए माध्यमिक स्कूल में पढ़ाने के लिए ट्रेनिंग दी गई है।

श्री अधिष्ठाता–

जितनी भी नियुक्तियां होती है वह किसी न किसी एक्ट के अन्तर्गत प्राविधानित हैं बेसिक एजूकेशन एक्ट इसमें यह प्राविधानित है कि बी0टी0सी0 के अतिरिक्त कोई नहीं लिया जायेगा। जैसा कि संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि जब एक्ट में प्रावधिानित है तो जितनी अन्य ट्रेनिंग चल रही है उनका लिया जाना सम्भव नहीं है। उन्होंने निश्चित रूप से यह जानकारी अधिनियम के आधार पर दी।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने बहुत सारे डिप्लोमा होल्डर्स का उदाहरण दिया, मैं अवगत कराना चाहता हूं कि यह प्रश्न महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान या अन्य प्रदेश के विश्वविद्यालय द्वारा दी गई डिग्री या डिप्लोमा का नहीं है यह अपने प्रदेश के विश्वविद्यालय की डिग्री थी यह उनसे कहा गया कि नर्सरी एजूकेशन के लिए हम यह डिप्लोमा दे रहे हैं इस डिप्लोमा से नर्सरी में पढ़ाने के लिए अर्ह हो जायेंगे। यह 3 साल कोर्स चला यह बहुत बड़ी तादात नहीं है। संसदीय कार्यमंत्री जी यह कुल तीन-चार हजार भी नहीं है यह छोटी सी तादात है। पिछली बार जिन लोगों ने बी0एड0 किया था उनको विशिष्ट बी0टी0सी0 मानते हुए उनको नियुक्ति करके एक सामान्य ट्रेनिंग के तहत उनको प्राइमरी में या जूनियर हाई स्कूल में पढ़ाने के कार्य में अर्ह पाया है। उनमें से अधिकांश छात्र पूर्वांचल के हैं जिनके पास पढ़ाने की पूरी योग्यता है। और इस विषय में वह डिप्लोमा लिये हुए हैं उनको विशेष रूप से इसी बात की ट्रेनिंग दी गई है। मंत्री जी की जुबान पर नागपुर का नाम जल्दी आ जाता है क्योंकि वहीं से सरकार चल रही है जौनपुर का नाम नहीं आता आप जौनपुर की बात कीजिए। जौनपुर में जिन लड़कों को आपने ट्रेनिंग देने का काम किया है उनको नौकरी दीजिए। यह संख्या बहुत थोड़ी है।

श्री अधिष्ठाता–

जो बी0एड0 की बात है उनको पहले बी0टी0सी0 कराया गया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

मेरा सोभाग्य है कि इस पीठ पर आप विराजमान हैं। आपका विवेक इस संदर्भ में है। मंत्री जी के कहने का निहितार्थ दूसरा है। बी0एड0 किए हुए लोगों को नौकरी दी गई व उनको अल्पकालिक ट्रेनिंग कराई गई। अगर इन लड़कों को नौकरी दी जाएगी तो बाद में इनको भी बी0टी0सी0 की ट्रेनिंग करवा लीजिए तो कौन इसमें आसमान फट जायेगा। और क्या अनियमितता हो जायेगी जिन प्राविधानों के बारे में आपने कहा और जिनको शिथिल करना पड़े इनके मामले में भी शिथिल करवा दें ।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य और संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि यह सूचना नियम-56 में नहीं आती अत: इसे निरस्त किया जाता है। अगली सूचना कुंवर रेवती रमण सिंह जी और डा0 अशोक बाजपेयी जी की है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह सूचना अति महत्वपूर्ण है और अविलम्बनीय भी है इस सरकार ने कई घोषणायें की दिल्ली सरकार और राज्य दोनों ने परन्तु पालन किसी का भी नहीं किया जाता। इन्होंने कहा कोई बच्चा ऐसा नहीं बचेगा जिसको प्राथमिक शिक्षा न दी जाय। इन्होंने कहा बी0टी0सी0 ट्रेण्ड हैं नहीं लिहाजा 20 हजार शिक्षा मित्रों का चयन किया जायेगा। यह जुलाई से मई तक सामान्य मानदेय पर भर्ती होंगे। यही लोग हर गांव में प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा देंगे। लेकिन पहली बार देखने में यह आया कि इनकी घोषणा, घोषणा बनकर रह गई करोड़ों रुपये इस योजना पर व्यय किये गये । ब्लॉक स्तर से चयन मेरिट के आधार पर होना था लेकिन हर जगह तहलका कांड दोहराया गया । कम मेरिट वाले का चयन कर लिया गया । मई आ गया अभी तक इनकी चयन प्रक्रिया चल रही है ट्रेनिंग खत्म हो जायेगी तो जो करोड़ों रुपये खर्च किये गये उसका सदुपयोग नहीं हो पाया । इसका क्या मतलब है ? इसकी ग्राह्यता के आधार पर इस सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करा ली जाय ।

डा0 अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, आप भली प्रकार अवगत हैं कि प्रदेश में शिक्षकों का अभाव है कुछ विद्यालय तो ऐसे हैं जहां पर एक या दो अध्यापक हैं कहीं एक भी नहीं है । प्रदेश में 20 हजार शिक्षा मित्रों की भर्ती का निर्णय लिया गया पूरे वर्ष भर इनकी चयन प्रक्रिया चलती रही । मेरी निश्चित जानकारी है कि पूरा सत्र समाप्त होने के बाद भी यह 20 प्रतिशत से ज्यादा शिक्षा मित्रों को भर्ती कर उन्हें कार्य पर नहीं लगा सके हैं । इनकी सेवायें विद्यालयों को नहीं मिल सकी हैं । जिला परिषद के कार्यालयों में शिक्षा मित्रों की खुली बोली लगाई गई । मानक निर्धारित था लेकिन मानक के विपरीत जाकर इन्होंने सर्वाधिक अंक पाने वाले जो इंटर में पायेगा उसको भर्ती करने के बजाय लो मेरिट को भर्ती कर लिया । उन सारे मानकों की अनदेखी करके बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने मनमाने ढंग से चयन किया और इसमें बहुत बड़ा घपला किया गया उसके बाद भी आज तक शिक्षा मित्र की नियुक्ति नहीं हो सकी है। पूरा शैक्षिक सत्र समाप्त हो गया है, मई में स्कूल बन्द हो गये हैं और आप इन शिक्षा मित्रों के प्रशिक्षण का काम अभी तक चला रहे हैं । इस वर्ष जो चयनित होकर प्रशिक्षित हो रहे हैं उनके लिये यह नहीं होगा कि अगले वर्ष में उन्हें लिया जाय । अगले वर्ष नये प्रस्ताव में और नये लोगों को लिया जायेगा । इन बीस हजार शिक्षा मित्र की नियुक्ति के नाम पर जो पैसा दिया गया है उसका अपव्यय हो रहा है, दुरूपयोग हो रहा है । बेसिक शिक्षा में शिक्षकों के अभाव को पूरा नहीं किया जा रहा है । यह एक गम्भीर समस्या प्रदेश में है । 70 हजार प्राथमिक विद्यालय शिक्षकों के अभाव में हैं । पूरी बेसिक शिक्षा प्रभावित है। एक लक्ष्य सरकार ने निर्धारित किया है कि सबको शिक्षा देंगे एजुकेशन फार आलछ चला रहे हैं । विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत विद्यालय नये-नये खुल रहे हैं लेकिन शिक्षकों का चयन नहीं हो पा रहा है । शिक्षकों की नियुक्ति के विकल्प में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति करने की योजना खटाई में पड़ी है । 2001-2002 तक शिक्षा मित्र प्रशिक्षण चल रहा है । आप इनको प्रशिक्षित करके क्या उपयोग करेंगे जब स्कूल बन्द हो गये हैं। आपने नियम बना रखा है कि जुलाई में फिर से 10 महीने के लिये शिक्षा मित्र का चयन होगा । मान्यवर, पूरे प्रदेश में बेसिक शिक्षा में एक समस्या पैदा हो गई है । इसको सुनिश्चित किया जाय। इससे ज्यादा अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न और कोई नहीं हो सकता है । शिक्षा का

मूल आधार प्राथमिक शिक्षा है और प्राथमिक शिक्षा ही चौपट हो जायेगी तो पूरे प्रदेश की शिक्षा प्रणाली चौपट हो जायेगी । नियम-56 के अन्तर्गत इससे ज्यादा लोक महत्व का विषय और कोई दूसरा नहीं हो सकता है । मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि शेष सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराई जाय ।

श्री बालेश्वर त्यागी

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो चिन्ता प्रकट की है वह थोड़ी जानकारी के आधार पर की है। शिक्षा मित्र का चयन हो रहा है और जो प्रशिक्षण पा रहे हैं अगर सत्र समाप्त होने में तीन महीने शेष हैं तो अगले सत्र में उन्हें ही शिक्षा मित्र में रखा जायेगा । उनका दोबारा चयन की आवश्यकता नहीं है। 31 मई, 2002 तक शिक्षा मित्र रहेंगे और उनको व्यवस्थित रखा जायेगा । इनके चयन प्रक्रिया के बारे में आरोप लगाया कि सही तरीके से चयन नहीं हो रहा है । यह सत्य नहीं है 28 अप्रैल, 2001 को एक शासनादेश निर्गत हुआ है कि अगर सत्र समाप्त होने के तीन महीने के अन्दर उनको प्रशिक्षण पूरा दिया जा रहा है तो अगले सत्र में वे नियमित रखे जायेंगे । दूसरा चयन की प्रक्रिया के बारे में कहना चाहता हूं कि ग्राम पंचायत प्रस्ताव करती है । यह ब्लाक स्तर पर निर्धारित नहीं होता है । सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 4 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र भेजे जाते हैं । जिलाधिकारी स्तर पर एक कमेटी बनी है, उसमें यह आवेदन पत्र जाते हैं । गलत चयन के बारे में यदि कोई शिकायत आती है तो उस पर जांच कराई जाती है । यह प्रक्रिया चयन की जो है, पूरी तरह से पारदर्शी है । भ्रष्टाचार का आरोप लगाना सर्वथा अनुचित है । शिकायत आने पर जांच के लिये भेजा जाता है और उसको सही पाये जाने पर प्रस्ताव निरस्त किये गये हैं और पंचायत को दोबारा निर्देशित किया है कि दोबारा प्रस्ताव भेजें इसलिये यह न तो अविलम्बनीय है न लोक महत्व का है ।

डा0 अशोक बाजपेयी–

बेसिक शिक्षा में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिये यह व्यवस्था की गई । पूरे वर्ष तक क्या यह व्यवस्था चलती रहेगी ? इन शिक्षा मित्रों को आप कब प्रशिक्षित करेंगे और कब उनसे शिक्षण का कार्य लेंगे । आपने कहा कि एक शासनादेश जारी कर दिया है कि 10 महीने के लिये शिक्षा मित्र की व्यवस्था की जायेगी । अगले वर्ष के लिये फिर नये प्रस्ताव आयेंगे ।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात आ गई है, अब कृपया बैठ जायं ।

डा0 अशोक बाजपेयी–

जिस तरह से बेसिक शिक्षा का हाल यह हुआ है अगले वर्ष भी साल भर शिक्षा मित्र के चयन की यही व्यवस्था रहेगी । शिक्षा मित्रों को कोई लाभ दे सकें । आप इसको समयबद्ध कर दें 15 अगस्त तक, ताकि अगले सत्र के लिए शिक्षा मित्रों का चयन कर लिया जाय और आठ महीने तो प्रशिक्षण का कार्य हो सके ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें ।

डा0 अशोक बाजपेयी–

माननीय मंत्री जी केवल इतनी संस्तुति करने के लिए अपेक्षा कर रहा हूं अगले वर्ष के लिए जो भी वांछित शिक्षा मित्रों का चयन होना है वह समय से पहले हो जाए ताकि समय का सदुपयोग हो जाए।

श्री अधिष्ठाता–

इसकी चिन्ता आप मंत्री जी कर लीजिएगा।

मैं माननीय सदस्य और माननीय मंत्री जी को सुनने के बाद इस सूचना को निरस्त कर रहा हूं।

अगली सूचना श्री कोकब हमीद, श्री समरपाल सिंह, श्री विजेन्द्र आर्य, श्री राजपाल सिंह की है।

***श्री समरपाल सिंह–**

मान्यवर, छात्रों के भविष्य से जुड़ी मेरी सूचना है । अधिष्ठाता महोदय, आप अवगत होंगे पूरे प्रदेश में महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में बड़ा भारी पैमाने पर फीस की बढ़ोत्तरी की गई है। इसका बुरा प्रभाव छात्रों पर पड़ा है इतनी ज्यादा फीस बढ़ा दी गई है कि आम व्यक्ति अपने बच्चों को वहां पढ़ाने में सक्षम नहीं है इससे छात्रों में असंतोष व्याप्त है । जगह-जगह छात्र आन्दोलनरत हैं। विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में धरना दे रहे हैं । मान्यवर, चौधरी चरन सिंह महाविद्यालय मेरठ में है यहां एक माह से छात्र आन्दोलन कर रहे हैं उनके मुददों में एक मुददा फीस वृद्धि का भी है । वहां इतनी ज्यादा फीस बढ़ा दी गई है फीस बढ़ाने का एक तुक होता है । जो एम0ए0 प्रति सेमेस्टर फीस थी वह 180/- रुपया थी उसको सात गुना बढ़ा दिया गया है । एम0 फिल की 360/- से बढ़ाकर 1300 रुपया कर दी गई है हास्टल में बच्चे रहते हैं उसकी फीस बढ़ाकर 760/- रुपये से 3400 कर दी गई है। जो व्यावसायिक कोर्स है एप्लाइड कोर्स हैं वह आम आदमी के बच्चे नहीं कर सकते हैं आम आदमी का बच्चा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण नहीं करा सकता है । एप्लाइड कोर्स इसलिए खोले गए थे कि वहां से पढ़-लिखकर छात्र निकलेंगे तो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे लेकिन यह कोर्स अभिजात्य वर्ग के लिए होकर रह गए । मजदूर, किसान, गरीब और आम आदमी के बच्चे इन विषयों में नहीं पढ़ पा रहे हैं । श्रीमन् वायो कैमिस्ट्री, वायो टैक्नोलाजी, फूड प्रोसेसिंग, डेरी टैक्नोलाजी तमाम कोर्स हैं जो अभिभावकों की मांग पर यह कोर्स खोले गए थी । इनकी फीस जो 35,000/- थी उसको बढ़ाकर दो लाख कर दिया गया है । आप कल्पना करिए जिसकी औसत आय होगी वह अपने बच्चों को कैसे पढ़ाएगा इसको लेकर छात्रों में भारी असंतोष है । जितने भी इंस्टीट्यूट को मान्यता दी गई है वह मानक में खरे नहीं हैं । अध्यापक न्यूनतम योग्यता नहीं रखते हैं सारे लोगों की तदर्थ नियुक्ति की गई है कोई परमानेंट नहीं है कोई परमानेंट फैकल्टी नहीं है । हमारे जो व्यवसायिक कार्यक्रम हैं, पाठ्यक्रम हैं बच्चों को जानकारी देने के लिए छात्रों को जानकारी देने के लिए कहां अवसर मिल सकते हैं उसकी जानकारी देने के लिए अफसर नहीं हैं कहां कितनी रिक्तियां हैं कहां उनको एप्लाई करना है कहां रोजगार मिलना है तो इसको लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं लेकिन यह सरकार, विश्वविद्यालय के अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी बजाय इसको खत्म करने के, जो अनियमितताएं हुई हैं इस पर ध्यान दें उनको दबाने के लिए दमन चक्र चला रहे हैं । छात्रों पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, उन्हें धमकियां दी जा रही हैं । मान्यवर, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में परीक्षायें थीं लेकिन छात्रों ने परीक्षा का बहिष्कार किया । एक भी छात्र परीक्षा देने नहीं गया इसके विरोध स्वरूप में । मान्यवर, मैं यह कहना

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

चाहूंगा कि यह लाखों परिवारों से जुड़ा हुआ मामला है । वहां पर छात्र शिक्षा ग्रहण कर सकें यह उनके परिवारों की समस्या है । कैसे वह अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करवा सके इसके चलते हुए मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि यह जो नीति सरकार की है इसने एक वर्ग विशेष तक इसको सीमित कर दिया है और कोई भी गरीब व्यक्ति, कोई भी मध्यम वर्ग का व्यक्ति इस बात की कल्पना नहीं कर सकता है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है । यह अति लोक महत्व का प्रश्न है, तात्कालिक प्रश्न है क्योंकि यह सिर्फ चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय तक ही सीमित न रहकर के महाविद्यालयों तक यह फैल गया है इसलिए तात्कालिकता है । लोक महत्व का इसलिए है कि यह लाखों परिवारों से जुड़ा हुआ प्रश्न है इस पर चर्चा करायें ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, माननीय समरपाल जी बहुत दिनों तक छात्र नेता रहे हैं अब नेता ज्यादा हो गये हैं। मान्यवर, आंदोलन की बात कही गयी एक विषय रखा गया कि फीस वृद्धि कर दी गयी । मान्यवर, इसमें राज्य सरकार का बहुत सीमित हस्तक्षेप है । यह विश्वविद्यालय का अपना निर्णय है। या तो हम सारे के सारे विश्वविद्यालयों का पूर्णतया सरकारीकरण कर दें । फीस की बात हम तय करें या स्वायत्तशासी संस्था के रूप में उन्हें करने दें । मान्यवर, यदि वास्तव में इस समस्या के निस्तारण में रूचि रखते हैं तो सारे परिप्रेक्ष्य में विचार करना चाहिए । मान्यवर, जब हम लोग छात्र रहे तो आठ रूपये या बारह रूपये फीस थी तो उस हालत में जब फीस कम हो तो शिक्षा का स्तर क्या हो सकता है । जो आप अपेक्षा करते हैं वह कैसे संभव हो सकता है । बहुत से छात्र प्रतिभाशाली हैं उनके पास कठिनाई हो सकती है और यह चिन्ता का विषय हो सकता है । सरकारी अफसर किस रूप में सहायता करें ताकि प्रतिभा को विकसित होने का अवसर मिले यह मान्यवर, जो आपने कहा कि सारे छात्र आंदोलित हैं स्कूल-कालेजों में आन्दोलन चल रहा है । मान्यवर, छात्र भी अब समझ गये हैं । मेरठ विश्वविद्यालय की बात नहीं है मेरठ में न जाने कितनी संस्थाएं हैं जो मेनेजमेंट का कोर्स चला रही हैं और लाखों-लाख रुपये फीस ले रही हैं और बच्चे लाइन लगाकर एडमीशन के लिए कोशिश कर रहे हैं । सिफारिश लेकर प्रवेश की कोशिश कर रहे हैं अभिभावकों की लाइन लगी है । मान्यवर, एक तरफ तो वे संस्थाएं विकसित होती जा रही हैं और दूसरी तरफ अमान्य व्यक्तियों के लिए जो यह संस्थाएं बनी थीं उनको विकसित होने नहीं दिया जा रहा है । अगर विकसित नहीं होने देंगे तो फिर व्यवसायिक संस्थाएं आगे आयेंगी और हमारी संस्थाएं पिछड़ जायेंगी । माननीय समरपाल जी से अनुरोध है कि सारे समग्र परिपेक्ष में विचार करें कि इस व्यवस्था को सुदृढ़ कर, हम कैसे उसे उपयोगी बना सकें । नियम-56 में यह सूचना नहीं आती है कृपया इसे निरस्त करने की कृपा करें ।

श्री समरपाल सिंह–

मान्यवर, जो मंत्री जी ने 8-10 रुपये फीस की बात कही यह बात अपनी जगह पर है, लेकिन जो एक-दो लाख रुपये जमा करने की बात है वह हमने उठाई । मान्यवर, आज प्रदेश सरकार ने शिक्षा का व्यवसायीकरण कर दिया है । आप दस प्रतिशत बीस प्रतिशत पचास प्रतिशत बढ़ाते, लेकिन आप अगर बीस गुना बढ़ा देंगें तो जिन लोगों की आमदनी उतनी नहीं है वह कहां से बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकेंगे ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य व माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी को सुनने के पश्चात् यह सूचना नियम-56 में नहीं आती है मैं इसे निरस्त करता हूं ।

श्री समरपाल सिंह–

सरकार शिक्षा का व्यवसायीकरण कर रही है इसके विरोध में मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है।

(श्री समरपाल सिंह ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया ।)

श्री अधिष्ठाता–

जो विशेष उल्लेख के अन्तर्गत सूचनायें प्राप्त हुई हैं। मैं अब्दुल सलाम साहब को बुला रहा हूं ।

श्री अब्दुल सलाम–

मान्यवर, इस सदन के चार बार से विधायक श्री अतीक अहमद पर जो प्रशासन जुल्म कर रहा है उसकी तरफ ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । मान्यवर, अतीक अहमद को 15-2-2001को उनके कार्यालय से गिरफ्तार किया गया बाद में पता लगा कि 120-बी, सन् 1994-सी0बी0सी0आई0डी0 जांच कर रही थी । जिसके तहत उसका चालान किया गया । मान्यवर, 17 तारीख को सी0जी0एम0 महोदय ने इलाहाबाद से उनकी गिरफ्तारी निरस्त कर दी और जेल को आदेश दे दिया कि अतीक अहमद को तुरन्त रिहा कर दिया जाए । मगर रिहाई आदेश न मानकर रात में साढ़े 11 बजे उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश लाकर रिहाई को स्टे करा दिया । मान्यवर, ऐसी कौन सी मुश्किल होने जा रही थी, अतीक अहमद एक तस्कर नहीं थे, वीरप्पन नहीं थे, अगर जज साहब का आदेश मान लिया गया होता, और उसके बाद स्टे उच्च न्यायालय से ले आते और उनको अरेस्ट कर लिया होता। मान्यवर, अतीक अहमद के ऊपर एक दूसरा केस 120-बी का लगाया गया और इसके बाद जब भी न्यायालय में लाया गया बज्र वाहन से लाया गया गया । आठ-दस घण्टे धूप में खड़ा रखा गया । कहीं इलाहाबाद जिला प्रशासन ने यह समझा की केस कमजोर है अदालत छोड़ देगी तो उनके ऊपर रासुका लगा दिया गया ।

मान्यवर, इस गरिमामयी सदन के चार बार से वह सदस्य हैं । उनका इतिहास भी इलाहाबाद का है चाहे वह इन्दिरा गांधी के जमाने में सिखों का दंगा रहा हो चाहे बाबरी मस्जिद प्रकरण का मामला आया हो इलाहाबाद को उन्होंने बचाया है, झगड़ा और दंगा नहीं होने दिया लेकिन फिर भी उनके ऊपर रासुका लगा दिया गया । लखनऊ में डिवीजन बेंच ने सुना और उसको खारिज कर दिया। खारिज कर दिया तो आपको मान लेना चाहिए था मगर इसके बाद पांच-पांच गैंगेस्टर एक्ट लगा दिए गये कई मुकदमे तो इस तरह से लिखाए गये वादी को पता नहीं उसको ले जाकर बैठाया गया थाने में और उससे कहा गया कि तहरीर लिखाना नहीं है तो जेल में बन्द कर दूंगा, तहरीर इस तरह से लिखाई गई कि बहुत पहले अतीक अहमद ने हमारी जायदाद लिया, पैसे नहीं दिये थे, कब्जा कर लिया था मैं कहना चाहता हूं कि अतीक अहमद के खिलाफ तरह-तरह के फर्जी मनगढ़न्त मुकदमे लिखाकर आज तक पुलिस उनको जेल में रखे हुए है । यही नहीं उनके सगे-संबंधियों को, उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को,

उनके घर के नौकरों को, और यहां तक कि उनके अधिवक्ताओं को भी पुलिस ने प्रताड़ित किया है मान्यवर, हाजी परवेज अहमद इलाहाबाद के जमींदारों रईसों में माने जाते हैं । पेट्रोल पम्प के मालिक हैं 65 साल की उम्र होगी उनकी मां 85 पर्ष की हैं, उनकी बहन एजेड हैं उनको भी मुकदमे में फंसाया गया जहां तक हमें जानकारी है उनसे ताल्लुक रखने वाले उनके पार्टी के आदमी, कार्यकर्ता लगभग ढाई दर्जन आदमियों के ऊपर मुकदमे कायम करवाये गये । मान्यवर, 3 महीने से अतीक अहमद को जेल में रखा गया है वह आपके सम्मानित सदन के 4 बार के सदस्य हैं । उनके ऊपर इसलिए जुल्म किया जा रहा है कि वह अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यक की राजनीति कर रहे हैं। पिछड़ों दलितों की राजनीति कर रहे हैं इसलिए यह उनके ऊपर जुल्म किया जा रहा है । यह क्यों किया जा रहा है इसमें प्रशासनिक बदले की भावना रखकर किया जा रहा है ।

मान्यवर, 23 अगस्त 99 को पी0डी0 पार्क में सोने लाल पटेल नामांकन कर रहे थे वहां अतीक अहमद भी मौजूद थे उनके ऊपर गोली चलवाई जख्मी हुए, उनके हाथ-पैर तोड़े गये ।

श्री अधिष्ठाता–

आप ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री अब्दुल सलाम–

मान्यवर, अब सोने लाल की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अतीक अहमद हो गये हैं । मान्यवर, बदले की भावना से दलित पिछड़े और मुसलमानों के खिलाफ पुलिस कार्य कर रही है इससे भी बड़ा संगीन अपराध अतीक अहमद के ऊपर इलाहाबाद की पुलिस लगाने जा रही है । मान्यवर, अगर कोई आतंकवादी, कोई देशद्रोही है तो वह सच्चा पक्का मुसलमान नहीं है । उसको जेल नहीं जो राष्ट्र-द्रोह करे उसको सरेआम चौराहे पर गोली मार दी जाये मगर मुसलमानों के नाम, धमकाने-डराने के नाम पर दारूल उलूम बंद में वहां के मौलवी ने खड़े होकर पहली पंक्ति में खड़े होकर अपनी गर्दन कटवाई थी1

श्री अधिष्ठाता–

आप ग्राह्यता पर बोलें ।

श्री अब्दुल सलाम–

हम यह चाहते हैं वहां फर्जी पकड़कर लोगों से यह कहलवाया जा रहा है कि यह कहो कि यह आतंकवादी है ताकि यह जेल में ही रहे और अल्पसंख्यकों, दलितों, मुसलमानों की आवाज को बुलन्द न कर सके । इसलिए हम आपसे गुजारिश करते हैं कि यहां का अल्पसंख्यक, दलित पिछड़ा आज दहशत में है, उनके ऊपर जुल्म हो रहा है । आप इस मामले में कार्यवाही कराकर जुल्म को बंद करायें।

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपको 2-3 बार टोक चुका हूं, अब समाप्त करें ।

श्री अब्दुल सलाम–

मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि फर्जी मुकदमे को तुरन्त हटाकर अतीक अहमद को रिहा करें।

***श्री अखिलेश कुमार सिंह–**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, यह बहुत गम्भीर विषय है । लोकतंत्र की हत्या का विषय है, विपक्ष की आवाज को दबाने का विषय है । मान्यवर, अतीक अहमद जी इस सदन के सदस्य हैं और 4 बार लगातार चुने जाते रहे हैं । अपना दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उनका अपराध केवल इतना है कि वह प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं । मान्यवर, वह सदैव दलितों की, पिछड़ों की आवाज को उठाते रहे हैं । पूरे प्रदेश में घूम-घूमकर सत्तारूढ़ पार्टी के खिलाफ आंदोलन को संगठित करते रहे हैं । इलाहाबाद के केन्द्र के एक मंत्री के इशारे पर आज उनका उत्पीड़न हो रहा है । सत्तारूढ़ पक्ष कह सकता है कि अगर कोई अपराध करेगा, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज होगा । ठीक है, यदि अपराध पर मुकदमा दर्ज हुआ तो उस पर आप कार्यवाही कीजिये, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के पास इस बात का कोई जवाब नहीं हो सकता कि एक प्रदेश अध्यक्ष के ऊपर 5-5 गैंगेस्टर लगाये गये हैं, वह क्यों सरकार द्वारा लगाये गये हैं । प्रशासन लगाता है तो प्रशासन किसका है, जिसकी सरकार होगी, उसका ही प्रशासन होगा । 15 फरवरी, 2001 को जिस अपराध में अतीक भाई को गिरफ्तार किया गया था, उसका वारंट नहीं दिया गया कारण नहीं बताया गया, इसी आधार पर 17 फरवरी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट उनको छोड़ने का आदेश देते हैं। अदालत के आदेश के बावजूद उसका पालन नहीं किया जाता और रात में ही जेल में उस आदेश के खिलाफ स्टे लाकर दे दिया जाता है । उसके बाद भी यह जानकर, कि चूँकि मुकदमे में कोई दम नहीं है और यह छूट न जाये, इसलिये 7 मार्च को उनके ऊपर रासुका की धारा लगा दी जाती है । बड़े शर्म की बात है, इतने उत्पीड़न के बावजूद, एडवाइजरी कमेटी ने उस एन0एस0ए0 को अवैध करार दिया है । एन0एस0ए0 अवैध करार होने के बाद, इस गिरफ्तारी की अवधि में उनके ऊपर 3 मुकदमे 3 दिनों में और दर्ज हो गये और 5 गैंगेस्टर लगा दिये गये। यह मामला किसी साधारण व्यक्ति के साथ नहीं हुआ है, बल्कि एक विधायक के साथ हुआ है, जनप्रतिनिधि के साथ हुआ है । यह एक विधायक, एक पार्टी की बात नहीं है, बल्कि पूरे विपक्ष की बात है । पूरे विपक्ष की आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है । अतीक अहमद के मामले पर कांग्रेस पार्टी आन्दोलन की घोषणा करती है । एक तरफ भारतीय जनता पार्टी अयोध्या के मामले [xxx xxx xxx] को बचाने का प्रयास कर रही है ।

श्री अधिष्ठाता–

जो नाम आये हैं, वह कार्यवाही से निकाल दिये जायेंगे ।

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

यदि सरकार के अन्दर शर्म है, तो उसे गैंगेस्टर वापस लेना चाहिए.....

आप गृह मंत्री को बचायेंगे और एक विधायक पर जुल्म करेंगे ?

श्री अधिष्ठाता–

कृपया समाप्त करें ।

श्री अखिलेश कुमार सिंह–

मान्यवर, अपराधियों का नाम लिया जायेगा। मान्यवर, अतीक जी के ऊपर गैंगेस्टर का जो मुकदमा दर्ज किया गया है उसे सरकार खत्म करे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:-[xxx] यह अंश भी अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूं, जवाब नहीं दे रहा हूँ। मान्यवर, यह तीनों विषय विशेष उल्लेख के रूप में माननीय अध्यक्ष जी द्वारा स्वीकार किए गये थे, कार्य-स्थगन के रूप में नहीं। केवल विशेष उल्लेख के रूप में अगर इनके आधा-आधा घण्टे के भाषण होंगे, तो कार्य-स्थगन ही हो जाता, वे देवबन्द तक पहुंच गये और अब ये दिल्ली तक पहुंच गये हैं। जो प्राविधान किया गया है कि अगर किसी माननीय सदस्य का उत्पीड़न हुआ है तो उसे आपने कहने का अधिकार दिया है, लेकिन इस पर लम्बे-लम्बे भाषण हों, यह उचित नहीं।

***श्री कौकब हमीद–**

मान्यवर, श्री अतीक अहमद यहां चार बार विधायक रहे हैं। 15-2-2001 को मान्यवर, उन्हें अपने आफिस से उठा लिया गया 120-बी के मुकदमें में। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि 120-बी के मुकदमें में जब आपने उठाया तो थोड़े दिन बाद एन0एस0ए0 कहां से लगा दिया? एडवाइजरी कमेटी ने उसे इनवैलिड करार दे दिया लेकिन सरकार को चैन नहीं मिला और उन पर 5 गैंगेस्टर लगा दिए गये। सोचने की बात है, बाकायदा सरकार अपने तरीके से और प्रशासन अपने तरीके से उन पर आरोप लगाकर उन्हें बन्द रखना चाहता है। इलाहाबाद के अन्दर एस0एस0पी0 6 साल से, एस0पी0 सिटी 4 साल से और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट 4 साल से हैं। मान्यवर, यह बदले की भावना से किया जा रहा है, इसको गम्भीरता से सोचना चाहिए। मुझे आपसे कहना है यह किसी के साथ भी हो सकता है और जो आदमी यहां का विधायक चार बार रह चुका हो, वह आपकी मदद नहीं करता, या उसकी आदतें पसन्द नहीं हैं या शक्ल पसन्द नहीं है या आपकी उसकी बात हो गयी हो, तो क्या आप उसे जिन्दा रखेंगे नहीं, उसे बन्द कर देंगे? सदन इसलिए गम्भीर है एक व्यक्ति जो यहां का चार बार मेम्बर रह चुका हो, यह सरकार जानबूझकर उसे बन्द रखना चाहती है। यह किसी विशेष उल्लेख की बात नहीं है। यह जरूरी है कि इसे कार्य स्थगन मानकर इस पर कार्यवाही हो और सरकार उनको रिहा करने का यादा करे, यह निर्णय करे।

***श्री प्रमोद कुमार–**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, शायद यह एक ऐसा अवसर है जब हम सभी को खड़ा होना पड़ा है, अपने साथी विधायक के लिए, उसकी आवाज को उठाने के लिए, उस पर होने वाले उत्पीड़न को रोकने के लिए। एक अजीब परिस्थिति है जो एक विधायक लगातार चार बार इस सम्मानित सदन का सदस्य हो अगर आप श्रृंखला देखें, जैसा कि उनके दल के सदस्य हाजी मुन्ना साहब ने कहा कि 4.00 बजे गिरफ्तार किया जाता है, न वारन्ट दिया जाता है, न गिरफ्तारी का कारण बताया जाता है1 उसके बाद उनकी रिहाई अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के यहां से हो जाती है। मान्यवर, ऐसी कौन सी आफत आ गयी थी कि रात 10.00 बजे एक विशेष पीठ का गठन किया गया। उच्च न्यायालय का समय प्रात: 10.00 बजे से 4.00 बजे तक का है। सरकार को क्या जरूरत पड़ गयी थी प्रार्थना करने की कि एक विशेष पीठ का गठन हो। उन्होंने तो यह भी नहीं कहा कि हम गिरफ्तारी नहीं देंगे, आपने बिना कारण बताये उनको गिरफ्तार कर लिया। अगर उन पर कोई अपराध बनता हो तो मैं यह नहीं कहूँगा कि उनके मुकदमों को वापस ले लिया जाये। मैं यह जरूर कहने के लिए जरूर खड़ा हूँ कि यदि वह इस पक्ष का विधायक नहीं है तो उसके सारे गुनाह माफ कर देने चाहिए। परन्तु यदि वह विपक्ष का विधायक है तो

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

यदि वह बेगुनाह है तो भी उसे गुनहगार बना दिया जाता है। यह लोकतंत्र में नहीं होता है। हिटलर ने नाजियों के साथ ऐसा किया होगा, अंग्रेजों का शासन रहा होगा तो उन्होंने स्वतन्त्रता संग्राम सेनानियों के साथ ऐसा किया होगा। आप मुकदमा बनाइये, जो दफा बनती हो लगाईये, गिरफ्तार कीजिए, उनको पर्याप्त अवसर दीजिए, न्यायालय में जायं और अगर निर्दोष सिद्ध हो जाय तो उनको बाहर आने का अधिकार है लेकिन अगर दोषी हैं तो जेल जाना चाहिए। आपने विधायक पर एन0एस0ए0 इसलिए लगा दिया कि उसके सारे मुकदमे खत्म हो गये। आपकी एडवाईजरी बाडी ने उसे हटा दिया। इससे बड़ा द्वेष भावना का प्रमाण क्या हो सकता है? आपने एक विधायक के ऊपर पांच-पांच गैंगेस्टर लगा दिया। आप विधायक की पेशेवर अपराधी के रूप में तस्वीर प्रस्तुत कर रहे हैं। यह न्याय और स्वस्थ्य परम्परा का तकाजा नहीं है। आज आप यहां बैठे हैं, कल आप इधर होंगे, अगर यह परम्परा डाल देंगे तो यह खराब संकेत होगा, कोई शुभ संकेत नहीं होगा।.....

श्री अधिष्ठाता–

कृपया संक्षेप करिये।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैं संक्षेप ही करता हूं। आप भी इस बात से सहमत होंगे कि एक विधायक का प्रकरण है, ऐसे विधायक का जो 4 बार सदस्य रहा है और एक प्रान्तीय दल का अध्यक्ष है। उनके अध्यक्ष बनने के बाद एक विधायक निर्वाचित होकर आया है, उस दल के वजूद को नकारा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि यह प्रयास किया गया हो कि वह सहयोगी बन जायं, उन्होंने सहयोगी बनने से इन्कार कर दिया। मान्यवर, 30 घण्टे के अन्दर 6 मुकदमें लगा दिये। यह 6 मुकदमें पहले क्यों नहीं लगाये गये? [xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx] राजनीतिक विरोध करने के कारण अतीक अहमद पर मुकदमें लगाये जा रहे हैं। अतीक अहमद को जो प्रताड़ित किया जा रहा है [xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx] यह प्रयास किया जा रहा है कि विरोधियों को इतना तोड़ दो, राजनीतिक रूप से इतना कमजोर कर दो कि उनकी आवाज न उठे। हिटलर के नाजीतंत्र में यह हो सकता है परन्तु लोकतंत्र में इसकी कोई जगह नहीं है। मैं सरकार से इसका जवाब चाहूंगा। मैं सरकार को एक चुनौती देता हूं कि किसी स्वतंत्र एजेंसी से, निष्पक्ष इसकी जांच करा लीजिए जितने मुकदमें कायम किये हैं, जो आपने गैंगेस्टर और एन0एस0ए0 लगा दिये हैं, अगर आप जांच करायें तो मान्यवर, जिन पर 40-45 मुकदमें अपराध के हैं, मंत्रि-मण्डल में बहुत से लोग बैठे हैं यह लोग एन0एस0ए0 लगवाते हैं। इनका क्या आधार क्या मानक है? मान्यवर, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं बहुत से ऐसे मंत्री हैं जो अपराधों में लिप्त हैं, मंत्री न होते तो आज जेल के शिकचों के पीछे होते। मान्यवर, मैं दुःख के साथ कहना चाहता हूं कि आज एक विधायक को अपराधी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं, जो एक दल का नेता हो, अपना दल का विधायक हो उसको अपराधी बनाया जा रहा है। [xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, बार-बार किसी मंत्री का नाम लेकर कहना, इनको लाइसेंस मिल गया है। एक सीमा होती है आरोप लगाने की ।

नोट :- [xxx] यह अंश भी अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, नाम हम क्यों ले रहे हैं केन्द्रीय मंत्री का बता दूं ? मान्यवर, मेरा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। मान्यवर, अतीक अहमद इलाहाबाद से विधायक हैं इस लिए उनके साथ यह व्यवहार किया जा रहा है। आज मान्यवर, जिस तरह से इलाहाबाद में किया जा रहा है। मान्यवर, मैं नाम नहीं ले रहा हूं जिन लोगों ने ऐसा किया उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया है। एक विधायक के साथ अन्याय किया जा रहा है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी हो रहा है वह सरकार के इशारे पर हुआ है।

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अब सूचना समाप्त करें।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इजाजत दे देंगे तो मैं बैठ जाऊंगा। मान्यवर, मैंने रोष प्रकट नहीं किया है मैं सच्चाई बता रहा हूं और जो कह रहा हूं सच है और सच कहा है। मान्यवर, इलाहाबाद में अतीक अहमद के साथ जो हो रहा है [xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx] एक विधायक को 6 महीने से जेल में रखे हैं। मान्यवर, मुझे यह कहना है कि अतीक अहमद को अगर कोई गलत मुकदमें में फंसाया है। मान्यवर, अतीक अहमद के ऊपर एन0एस0ए0 लगा रहे हैं, गैंगेस्टर लगा रहे हैं। मैं अनुरोध करके कहना चाहता हूं शासन के संज्ञान में लाते हुए आग्रह करना चाहता हूं कि यहां सरकार आश्वासन दे दें कि उन पर जो निरोधात्मक कार्यवाही हो रही है, इन मुकदमों में गैंगेस्टर हटा दिया जाये। इस तरह की दफायें न लगायी जायें। वह विधायक हैं भागकर नहीं जा रहे हैं, इस सदन में आयेंगे, बजट सत्र चल रहा है जेल में न होते तो वह इसी सदन में होते। राजनीतिक द्वेष से कोई कार्य न करें। किसी अधिकारी का नाम नहीं लेना चाहता हूं। मान्यवर, उन पर गैंगेस्टर न लगाते, उन पर एन0एस0ए0 या गैंगेस्टर लगाने जैसी कार्यवाही न करें।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, यह इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं श्री अतीक अहमद भी इस सदन के सम्मानित सदस्य हैं, आज यहां इस सदन में इस सदन के सभी सम्मानित सदस्यों और सदन को आश्वस्त करता हूं कि राजनीतिक कारणों से किसी के प्रति कार्यवाही नहीं की जायेगी। आज विशेष उल्लेख के रूप में जिस घटना का उल्लेख किया गया, मैं कहना चाहता हूं कि किस प्रकार से एक माननीय सदस्य का नाम घसीटा गया और किस प्रकार की राजनीति की गयी, वह किसी से छिपा नहीं है। मान्यवर, हिटलर का उदाहरण दिया गया, मेरा कहना है कि यह सदन तभी पूरा होगा जब पक्ष और विपक्ष दोनों हों। तोमर साहब आप तो समझते हैं एक समय ऐसा था एक ऐतिहासिक क्षण ऐसा था जब एक ही पक्ष यहां था और दूसरा पक्ष नदारद था, हमने वह काला दिन भी देखा है। उस समय सदन कैसे अधूरा और अपंग रहा है जब एक पक्ष सदन में नहीं था। किसी के उत्पीड़न का कारण यह नहीं हो सकता है कि वह इधर बैठता है या उधर बैठता है। हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, चाहे कोई मुख्य मंत्री हो, प्रधान मंत्री हो या विधायक हो अगर किसी ने अपराध किया है तो उसे दण्ड मिलना चाहिए । आपने देखा होगा कि

नोट :- [xxx]यह अंश भी अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

लोगों को मुख्य मंत्री पद से हटकर जेल जाना पड़ा है, इस देश के एक पूर्व प्रधान मंत्री कटघरे में खड़े हैं। आज इस सम्मानित सदन में, एक माननीय सदस्य का नाम लेकर जिस तरह से अपनी राजनीति की बात अधिक कही गयी है, वह किसी से छिपी नहीं है, किसी को निशाना बनाकर सदन का उपयोग किया गया है। मैं इस सदन को आश्वस्त करता हूं कि चाहे एन0एस0ए0 हो, चाहे गैंगस्टर हो बिना किसी कारण के किसी माननीय सदस्य को या किसी सामान्य नागरिक का उत्पीड़न नहीं किया जायेगा। न्यायपालिका के लिए आपने ऐसी बात कही कि हमने किसी खण्डपीठ का गठन कर दिया है।

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, मैंने यह नहीं कहा है, मैंने कहा है कि विशेष खण्डपीठ का गठन करने का आग्रह किया गया है।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, जो उच्च न्यायालय है वह अपने विवेक से खण्डपीठ का गठन करता है, हम और आप उससे आग्रह करते हैं, इसमें कहीं हस्ताक्षेप की बात नहीं है। एन0एस0ए0 या गैंगेस्टर जो लगाया जाता है उसकी एक निर्धारित प्रक्रिया है। एन0एस0ए0 लगाया गया बोर्ड ने स्वीकार नहीं किया समाप्त हो गया। गैंगेस्टर जो लगाया गया है न्यायालय में कार्यवाही होगी अगर गैंगेस्टर ठीक लगा है तो न्यायालय सजा देगा, नहीं तो खत्म हो जायेगा। जो निर्धारित प्रक्रिया है उसी के अनुरूप कार्यवाही होगी अनावश्यक रूप से किसी का उत्पीड़न नहीं किया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार–

मैं विनम्रतापूर्वक माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं और आश्वासन चाहता हूं कि वहां ऊपर उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। सदन की जो भावनायें हैं वहां के जिला प्रशासन को इससे अवगत करा दिया जाय और उनके साथ निष्पक्षतापूर्ण कार्यवाही हो।

श्री हुकुम सिंह–

मैं पुन: कहता हूं कि किसी हस्तक्षेप या दबाव से कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। जिला प्रशासन अपने विवेक से, गुण दोष के आधार पर कार्यवाही कर रहा है और गुण दोष के आधार पर ही कार्यवाही की जायगी।

श्री प्रमोद कुमार–

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

नोट :--- [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता–

मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं।

श्री प्रमोद कुमार–

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री सरजीत सिंह डंग–

इमरजेंसी लगाने वाले हिटलर हैं। संजय गांधी ने दिल्ली में क्या किया यह किसी से छिपा नहीं है। 1984 में लाखों सिक्खों की हत्या कराने वाले यह लोग हैं। इनके अंदर नैतिक बल नहीं है। जिस प्रकार से हिटलर ने जर्मनी में यहूदियों को मरवाया था वही काम इन्होंने यहां किया है। इनको शर्म आनी चाहिये। यह हिटलर के वंशज हैं। भारत की जनता ने इनको ठोकरों पर रख दिया है।

श्री प्रमोद कुमार–

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

श्री अधिष्ठाता–

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार–

[xxx xxx xxx xxx xxx xxx] मैं और मेरा दल सदन से बहिर्गमन करता है।

(श्री प्रमोद कुमार ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री अधिष्ठाता–

अगली सूचना माननीय राम औतार शाक्य की है।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, बड़े दुख के साथ आज सदन में कहना पड़ रहा है कि हमारे विधान सभा के माननीय सदस्य काशीराम जी को एस0पी0 रामपुर ने बुरी तरह बेइज्जत किया। 19-2-2001 को रात 12 बजे उनका ड्राइवर उनके लड़के को छोड़ने स्टेशन जा रहा था तो एस0पी0 रामपुर ने पूछा कि यह किसकी गाड़ी है ड्राइवर ने कहा विधायक जी की गाड़ी है। विधायक जी का नाम सुनते ही वह आग बबूला हो गये और ड्राइवर के साथ मारपीट की और उसको थाने ले गये। घटना की जानकारी जब विधायक जी को हुयी तो घटनास्थल पर पहुंचे और मालुमात करने की कोशिश की। एस0पी0 ने कहा तुम गुंडे हो, मैं तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगा, नेतागीरी ज्यादा करते हो। एस0पी0 उनसे इसलिये नाराज थे कि उन्होंने पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, आपकी जानकारी के लिए बता दूं इसी घटना को लेकर 30-4-2001 में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य आया था इसे नियम 51 में स्वीकार किया गया था व इस सम्बन्ध में सरकार को

नोट :--- [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

निर्देशित किया गया था 30 अप्रैल को इस पर वक्तव्य आ चुका है। इस तरह से वक्तव्य आने के बाद पुन: उसी घटना को विशेष उल्लेख के जरिए उठाना व जब एक बार सदन का उपयोग या सदुपयोग इस सम्बन्ध में किया जा चुका है उसके बाद बार-बार इस घटना को उठाना कहां तक उचित है फिर नियमावली का क्या फायदा रहा ?

श्री अधिष्ठाता–

राम औतार जी आपने इस घटना को एक बार सदन के समक्ष रख दिया। अध्यक्ष जी के संज्ञान में नहीं रहा होगा इसलिए उन्होंने दुबारा अनुमति दे दी।

श्री राम औतार शाक्य–

वहां जनता आन्दोलित है, अनशन हो रहा है, स्थिति विस्फोटक हो सकती है अगर समस्या का समाधान नहीं हुआ। कानून व्यवस्था की स्थिति भयंकर हो सकती है। यह लोक महत्व का तात्कालिक प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता–

इस पर संज्ञान लिया जा चुका है।

श्री राम औतार शाक्य–

कप्तान ने उनको अपनी जीप में पीछे बिठाया व थाने में रखा और कहा कि तुमको नेतागिरी सिखा देंगे। फिर मा0 सदस्य की गरिमा कहां रहेगी?

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, आपके सम्मुख यह नोटिस है। यह नियम 56 के अन्तर्गत नोटिस है। इसमें कार्य-स्थगन की नोटिस दी गई अब आपने किस नियम के तहत इसको कर लिया या किस नम्बर पर इसको कर लिया यह अलग बात है। इसमें नियम 56 की सारी औपचारिकताएं पूर्ण हैं समय से यह नोटिस दी गई।

श्री अधिष्ठाता–

आप नियमावली के नियम 58 (5) को देखें प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुन: चर्चा नहीं हो सकेगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी है। जब एक बार इस सदन के संज्ञान में बात आ गई तो फिर कोई नए तथ्य पैदा हो गए हों तो अलग बात है।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

इसमें है प्रस्ताव द्वारा किसी ऐसे विषय पर पुन: चर्चा नहीं होगी जिस पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी हो। सदन में इस विषय पर चर्चा नही हुई है।

श्री अधिष्ठाता–

सदन के संज्ञान में आ चुका है।

श्री अधिष्ठाता–

सरकार का वक्तव्य यहां पर आ चुका है।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, सदन का समय बहुत कीमती है मैं उन परिस्थितियों का उल्लेख करना चाहता हूं कि जब इस सदन के माननीय सदस्य के साथ घटना होती है नियम-58 का जिक्र किया आपने। अगर एक सिलसिला लगातार जारी रहता है सदस्यों के साथ अभद्रता होती है और माननीय सदस्यों को सुरक्षा भी नहीं दी जाती तो मैं, मान्यवर, किस नियम में कहां जाकर अपनी बात कहूं ? इस सदन के माननीय सदस्यों के साथ यहां तक कि सत्ता पक्ष के सदस्यों के साथ भी यही व्यवहार हो रहा है और यह सरकार अधिकारियों को बचाने में लगी रहती है, यह ठीक नहीं है। यहां तक कि मंत्रियों के अपने ही सचिव उनकी बात नहीं मानते हैं। एक माननीय सदस्य के साथ एक अधिकारी बदतमीजी से बात करता है उसे जीप में बिठाता है कोतवाली ले जाता है अपमानित करता है लेकिन अफसर के विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती। संसदीय कार्य मंत्री या इस सरकार का जिम्मेदार संबंधित मंत्री इस बात की घोषणा करें कि उस कप्तान को हटाकर संबंधित दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। तब यह प्रकरण समाप्त हो जायेगा।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, यह मामला सिर्फ एक एस0पी0 और माननीय सदस्य के बीच का नहीं एस0पी0ने जो भाषा इस्तेमाल की उसमें दो बातें स्पष्ट हैं एक तो माननीय सदस्य का अपमान नहीं किया राजनीतिक प्रतिनिधियों को गाली दी है। "तुम विधान सभा के गुण्डे हो तो हम भी रस्सी को सांप बनाना जानते हैं" कहा गया जब सदस्य ने मोहम्मद आजम खां से फोन पर बात करने का प्रयास किया तो कहा "कहां मुसलमानों के चक्कर में पड़े हो तुम दलित मैं दलित आपस में फैसला कर लेंगे"। यह सीधे-सीधे पूरे मुसलमानों के ऊपर एक प्रहार है। मोहम्मद आजम खां सिर्फ मुसलमान ही नहीं हैं। प्रतिनिधित्व करते हैं इस प्रदेश का, इस देश की सबसे बड़ी पंचायत राज्य सभा में। एक एम0पी0 के नाते से काशीराम जी ने उनसे सम्पर्क करने की कोशिश की। पार्टी के नेता हैं, उनको भी अवगत करा दिया जाय, यह सोचा मुसलमान सोचकर नहीं अवगत कराना चाहा। एक एस0पी0 द्वारा इस तरह की भाषा इस देश के सारे मुसलमानों को अपमानित कर रही है। एक व्यक्ति सारे राजनैतिक व्यक्तियों का, जनप्रतिनिधियों का अपमान करता है। सारे मुसलमानों को उसने एक गाली दी है। मान्यवर, यह महत्वपूर्ण अविलम्बनीय और चर्चा के लायक है । आपसे निवेदन है कि सदन की सारी कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा कराई जाय। यह सभी माननीय सदस्यों के सम्मान की बात है।

श्री धनी राम वर्मा–

मान्यवर, जो बातें सारे माननीय सदस्यों ने रखी हैं, उनसे हटकर जो व्यवहारिकता है, मैं आपका ध्यान उस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि सरकार की तरफ से यह वक्तव्य आना चाहिए। एस0पी0 रामपुर ने हमारे विधायक के बेटे को जब विधायक का ड्राइवर उसको स्टेशन ले जा रहा था, पीटा क्यों ? दूसरा यह कि एस0पी0 ने विधायक जी को गाड़ी में पीछे बैठाकर क्या पूरी विधायिका का अपमान नहीं किया ? श्रीमन्, विधायक जी और एस0पी0 के बीच का कोई विवाद नहीं। श्रीमन् मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि वास्तविकता यह है कि कुछ आपराधिक तत्वों ने जब एक व्यक्ति की हत्या कर दी और विधायक काशीराम जी ने उसके खिलाफ रिपोर्ट लिखा दी। रिपोर्ट

नहीं लिखी तो एस0पी0 से शिकायत कर दी और एस0पी0 ने उस दरोगा को सस्पेंड कर दिया। जब एस0पी0 ने दरोगा को सस्पेंड कर दिया तो सरकार का दबाव बना कि इसकी हिम्मत कैसे हुई दरोगा, जो कि हमारी पार्टी का समर्थन करता है उसको कैसे सस्पेंड कर दिया ? विधायक को बेइज्जत क्यों नहीं किया? मान्यवर, विधायक और एस0पी0 के बीच कौन सा झगड़ा था ? केवल इतना ही विवाद था कि विधायक जी ने एस0पी0 रामपुर से यह कहा कि आप रिपोर्ट दर्ज करवाइये। दरोगा रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कर रहा है। एस0पी0 मौके पर जाते हैं, दरोगा को नशे में धुत पाते हैं और उसको सस्पेंड कर देते हैं। दरोगा के सस्पेंशन से यह सरकार बौखला गई। बी0जे0पी0 के विधायक बौखला गये। मंत्री और सरकार पर दबाव डाला और इस हद तक डाला कि जब तक विधायक हमारे काशीराम जी को बेइज्जत नहीं कर दिया जायेगा तब तक तुम्हारी खैर नहीं। श्रीमन्, वस्तुस्थिति यह है इसलिये मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि एक तो मैंने जो प्रश्न रखें हैं कि कौन सी दुश्मनी थी विधायक और एस0पी0 रामपुर की, उसको उजागर किया जाय और किस अपराध में विधायक को गाड़ी में पीछे बैठाकर पूरी विधायिका का अपमान किया, किस अपराध में ड्राइवर को मारा गया ? यह तीन बातें निश्चित तरीके से सरकार की तरफ से आनी चाहिए। सरकार का बयान इसमें आना चाहिए। यह प्रकरण गम्भीर है, सारी कार्यवाही रोककर चर्चा करायें। आज भी वहां पर अनशन चल रहा है। इसको ऐसे ही नहीं निपटा दिया जाय।

श्री हुकुम सिंह–

मैं बहुत ही सम्मान के साथ माननीय नेता प्रतिपक्ष का सम्मान हमेशा ही करता हूं, उन्होंने कुछ बातें कहीं। मैं भी कुछ तथ्य रखना चाहता हूं। सारे तथ्य आने चाहिए। मान्यवर, नियम-56 में प्रकरण उठाया गया यह 24 फरवरी 2001 की घटना है इसलिए आपका ध्यान चाह रहा हूं क्योंकि तात्कालिक कहा गया है यह आप देखें।

श्री अधिष्ठाता–

नियम-56 में अनुमति नहीं मिली।

श्री हुकुम सिंह–

यह इस घटना को तात्कालिक मानते हैं। दिनांक 22 मार्च 2001 में खुद माननीय सदस्य ने, माननीय काशी राम जी ने नियम-51 में सूचना दी आपने कृपापूर्वक स्वीकार किया इसमें वक्तव्य 30 अप्रैल को आया जो जानकारी दी गई डी0आई0जी0 से रिपोर्ट मिली डी0आई0जी0 की रिपोर्ट के अनुरूप 24-2-2001 में रात का समय था रात में गाड़ी नम्बर यू0पी0-25 जेड 2279 जा रही थी सब इन्सपैक्टर ने रोकने का प्रयास किया, आगे चलकर गाड़ी को रोका गाड़ी में पांच व्यक्ति थे, भोला यादव इसके अलावा पांच और थे अमित कुमार, डब्बू, संजीव, वेद प्रकाश और जहीरबेग ड्राईवर हैं। भोला यादव को छोड़कर सब लोग शराब के नशे में पाए गए। इनके विरूद्ध मुकदमा कायम किया गया मुकदमा कायम करने के बाद, जो इनके पुत्र डब्बू थे इनके लिए माननीय सदस्य आ गए पहले वह वहां नहीं थे। इनके हस्तक्षेप से डब्बू को पुलिस थाने ले जाया गया और निजी मुचलके पर छोड़ दिया गया। काशीराम जी ने कहा कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया उनकी शिकायत के आधार पर पुलिस कर्मी को तुरन्त निलम्बित कर दिया गया। यह उस वक्त की बात है उनके कहने से, इस बात को मानते हुए कि माननीय विधायक खुद कह रहे हैं पुलिस कर्मी को तुरन्त निलम्बित कर दिया गया। आगे इसमें क्या कार्यवाही की जाए, प्रकरण समाप्त हो गया, कार्यवाही की बात नहीं रही यह विशेष उल्लेख या कार्यस्थगन का विषय नहीं बनता है, इसमें तात्कालिकता नहीं है इसलिए इसको निस्तारित किया जाए।

श्री धनीराम वर्मा–

मान्यवर, मैंने दो-तीन प्रश्न रखे उनका जवाब नहीं आया और कह दिया गया कि न कार्य-स्थगन बनता है और न विशेष उल्लेख बनता है इसलिए इसको निस्तारित कर दिया जाए। मैं मान्यवर, विनम्रतापूर्वक आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि किसी भी घटना को हल्के- फुल्के ढंग से लेकर उसको समाप्त करने की कोशिश न करें। उसकी तह में जाना चाहिए। आपने कहा सब इंस्पैक्टर को सस्पेंड किया गया लेकिन कब किया गया। पहले सस्पेंड किया गया यह 23/24 के रात की घटना है। जब काशीराम जी गाड़ी पर बिठा ले गए, यह तब की घटना है।

5-2-2001 को जब एक व्यक्ति की हत्या हुई और दरोगा रिपोर्ट नहीं लिख रहा था तो विधायक जी ने एस0पी0 महोदय से शिकायत की, एस0पी0 आते हैं दरोगा आते हैं और उसको सस्पेंड किया जाता है रिपोर्ट लिखी जाती है। उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप स्थानीय भाजपाई नेताओं ने दबाव डाला तुम्हारी हिम्मत कैसे पड़ गई वह भाजपाई था। मैं यही बता रहा था कि काशीराम जी का विवाद नहीं था विवाद रिपोर्ट लिखवाने का था और श्रीमन्, यह कह रहे हैं कि जब विधायक जी के साथ घटना घटी तब सस्पेंड किया।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, मैंने यह कहा था कि उनके साथ दुर्व्यवहार करने के बाद किया है।

श्री धनीराम वर्मा–

यह बता दें कि 23-2-2001 के पहले किया है या बाद में किया है। यह जो बात है यह 23-2-2001 की है।

श्री हुकुम सिंह–

मैंने डेट मंगवा रखी है।

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन्, अभी भी वहां पर बड़ी उत्तेजना है रामपुर में। वहां अनशन चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के उस अपराधी एस0पी0 जिसने विधायिका का अपमान किया है उसको आप सजा देने का काम नहीं कर रहे हैं। आप उसको बचा रहे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देशित करें कि उसके खिलाफ कार्यवाही हो और जो वक्तव्य हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने दिया है कि हमने तब सस्पेंड किया जब विधायक जी का अपमान किया गया लेकिन ऐसा नहीं है। सस्पेंड तब किया जाता जब एक व्यक्ति की हत्या हो जाती है और उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। यह उसके बाद की घटना है। गलत तथ्य रखकर यह उसको बचाने का काम कर रहे हैं। मैंने जब श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसमें भी इस तथ्य को रखा था लेकिन इस सरकार के कान में जूं तक नहीं रेंग रही है और इस मामले को उलझाने की कोशिश की जा रही है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री जी बहुत निपुण आदमी हैं। तथ्यों को इस तरह सदन में रखते हैं कि लोग समझ भी न पायें। कह रहे थे कि सस्पेंड कर दिया उसको। लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि उसको बहाल करके फिर उसी चौकी में पदस्थापित कर दिया गया है।

श्री हुकुम सिंह–

बहाल सस्पेंड होने के बाद ही तो होगा।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी यह प्रकरण समाप्त नहीं हुआ है और चालीस दिन से वहां अनशन चल रहा है क्रमिक अनशन। अभी मामला खत्म नहीं हुआ फिर उसको बहाल करके पदस्थापित कर दिया। माननीय मंत्री जी ने बताया कि सस्पेंड कर दिया तो मैं आग्रह करूंगा कि सही तथ्यों को दिया जाय और वही दिये जायें जिसमें कार्य की संभावना हो।

श्री सौलत अली एडवोकेट–

मान्यवर, 19/2 की घटना में उनको सस्पेंड किया गया था और 23/2 को जब गिरफ्तार हुए तो उनको बहाल किया गया यह ईनाम उनको दिया गया मैं कहना चाहूंगा।

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, 30/4 को वक्तव्य हमने दिया। कापी माननीय सदस्यों को मिली और उसी वक्तव्य के आधार पर कहा था और आज भी जो आपकी सूचना है सूचना में इस बात की उल्लेख किया होता कि वक्तव्य सही नहीं है उस वक्तव्य में क्या लिखा है च्उपनिरीक्षक ए0के0 दीक्षित, चौकी ढकिया को माननीय श्री काशी राम विधायक से दुर्व्यवहार करने के आरोप में निलम्बित किया गया था।छ यह उस वक्तव्य में लिखा है जो अप्रैल में दिया जा चुका है आप बता रहे हैं कि तथ्य यह थे एक महीने पहले यह बता चुके हैं कि यह स्थिति है जो लिखित रूप से दिया गया है स्थिति बताई है।

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, एस0एस0पी0 ने दुर्व्यवहार किया हम एस0एस0पी0 के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग कर रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी ने दरोगा को सस्पेंड किया गया था वह बताया, उसको बहाल किया गया। एस0एस0पी0 ने दुर्व्यवहार किया है उनको गाड़ी में पीछे बैठाया।

श्री अधिष्ठाता–

यह तात्कालिक है नहीं। विशेष उल्लेख आपने कर दिया है।

श्री अम्बिका चौधरी–

एस0एस0पी0 दुर्व्यवहार करें और संसदीय कार्य मंत्री जी कुछ नहीं करेंगे...

श्री अधिष्ठाता–

मैं अगली मद लेता हूं।

मद संख्या-9 वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक की मांगों पर चर्चा और मतदान।

(अगली मद पुकारे जाने पर श्री राम तेज यादव एडवोकेट, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री वसीम

अहमद तथा श्री राम बिशुन आजाद आदि समाजवादी पार्टी के अधिकांश सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर नारे लगाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया अपने स्थान पर वापस जायें।

मैं सदन को 30 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

(घोर व्यवधान के कारण श्री अधिष्ठाता ने 3 बजकर 48 मिनट पर सदन की कार्यवाही 30 मिनट तक के लिय स्थगित कर दी। 4 बजकर 18 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा0 अध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 25 मिनट तक के लिए बढ़ा दिया है। 4 बजकर 25 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री धनीराम वर्मा–

श्रीमन् , अभी विशेष उल्लेख मे हमारे विधायक श्री काशीराम जी का प्रकरण चल रहा था, जिस पर सदन स्थगित हुआ था। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि इस प्रकरण की, जैसे भी आप उचित समझें, जांच करवा लें। निश्चित तरीके से यदि एस0पी0 ने विधायक जी को गाड़ी पर पीछे बैठाया तो निश्चित ही उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय, इससे केवल काशीराम जी का अपमान ही नहीं हुआ है, बल्कि सारे विधायकों का अपमान हुआ है।

श्री हुकुम सिंह–

मैं अपने स्तर से दिखवा लूंगा।

वित्तीय वर्ष, 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर चर्चा एवं मतदान अनुदान संख्या-32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा), अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)

***स्वास्थ्य एवं चिकित्सा मंत्री (श्री रमापति शास्त्री)–**

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 6,02,08,52,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,18,71,37,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

मान्यवर, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जैसे एक महत्वपूर्ण विभाग का बजट प्रस्तुत करते हुये मैं अपने को गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूं। इस सदन में हमसे सभी बड़े विद्वान सदस्य बैठे हैं, चाहे सत्ता पक्ष में हों, चाहे विपक्ष

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्रीक्षण नहीं किया।

में हों। आज उनके सामने हमको एक बजट प्रस्तुत करने का जो मौका मिला है, मैं इसके लिये भी अपने को गौरवान्वित महसूस करता हूं। पूरे सदन से निवेदन भी करता हूं कि सभी विद्वानों के सामने हमारे जैसे अनभिज्ञ से कुछ त्रुटियां भी हो जायें तो यह सबकी जिम्मेदारी बड़े होने के नाते संभालने की है। स्वास्थ्य विभाग का काम जब मां के गर्भ में बच्चा आता है, तब से लेकर जीवनपर्यन्त तक, इससे सीधा संबंध होता है। मृत्युपर्यन्त इससे सीधे संबंध होता है, इसीलिये व्यक्ति के जीवनस्तर का मुख्य आधार उत्तम स्वास्थ्य है। प्रत्येक व्यक्ति चाहे शिशु हो, जवान हो, वृद्ध हो, इन सबके उत्तम स्वास्थ्य की व्यवस्था करना स्वास्थ्य विभाग की अपनी जिम्मेदारी होती है।

इसी आधार पर उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से अनेक प्रकार के कदम उठाये गये हैं। यह स्वास्थ्य विभाग केवल सेवा का विभाग है और सेवा का अवसर सबको नहीं मिलता। किसी को सेवा का अवसर मिलता है, सुविधा नहीं मिलती। किसी को सुविधा मिलती है तो सेवा का अवसर नहीं मिलता इसलिए मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग के लोगों को दोनों बात मिली हुई हैं, सेवा का अवसर भी मिला हुआ है और सुविधा भी मिली हुई है इसलिए उनका सार्वजनिक जीवन में सुधार का अपना निजी दायित्व है और इसे पूरा करने के लिए राज्य के सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता को पूरा करने के लिए राज्य सरकार ने सर्व सुलभ एवं समेकित सेवा को विकसित करने के लिए विश्व बैंक पोषित योजना को पिछले वर्ष से शुरू कर दिया था। 5 वर्षीय योजना में 580 करोड़ की लागत से तीन फेज में, 28 जिले पहले फेज में, दूसरे फेज में कुछ जिले और अन्तिम फेज बाकी जिले लिए जायेंगे।

इसी प्रकार स्वास्थ्य सेवाओं को सब तक पहुंचाने के लिए गत वर्ष सभी चिकित्सालयों को वित्तीय दृष्टिकोण से स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से यूजर चार्ज के माध्यम से 50 प्रतिशत धन उसी इकाई को दिया है जहां से यूजर चार्ज प्राप्त करेंगे। चिकित्सालय सुधार समिति के माध्यम से जन आकांक्षाओं के अनुरूप सारी व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए एक जुलाई 2000 से ही लागू कर दिया गया है। इसके परिणाम बहुत उत्साहजनक आए हैं। इस सम्बन्ध में जनप्रतिनिधियों ने कुछ शिकायत भी की थी कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को यह सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही है इसलिए मान्यवर, गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवनयापन करने वाले लोगों के लिए 10 प्रतिशत तक नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए एक निर्देश दे दिया गया है।

मान्यवर, प्रभारी चिकित्साधिकारी और मुख्य चिकित्सा अधीक्षक को यह अधिकार दे दिया गया है कि किसी भी प्रकार का कोई गरीबी की रेखा से नीचे का आने वाला व्यक्ति है तो उसको नि:शुल्क सुविधा उपलब्ध कराने के लिए पूरी छूट दी जायेगी और इतना ही नहीं हमारे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में जो भी सुविधा आती है वह सारी सुविधा नि:शुल्क दी जाती है। इस परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद में 4-4 कम्प्यूटर उपलब्ध कराने के लिए एक निर्देश दे दिया गया है। परिधिगत अधिकारियों पर प्रभावी नियन्त्रण के लिए त्वरित मूल्यांकन और अनुश्रवण के लिए यह सुविधा करायी जा रही है। 11वें वित्त आयोग की संस्तुति के अनुसार 5 वर्षों के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त मुख्यालय स्तर पर डोमेस्टिक सेन्टर स्थापित करने की भी व्यवस्था की गयी है और जिसके अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2001-2002 में 25 करोड़ रूपये की व्यवस्था की गयी है कि इसके माध्यम से एक ही स्थान पर समस्त मरीजों का परीक्षण आधुनिक उपकरणों और विशेषज्ञों के माध्यम से हो सके। इसके लिए अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, आटो एनालाइजर, सीटीस्केन आदि की व्यवस्था करा दी गयी है। 2000-2001 में 1440.81 करोड़ रूपये का प्राविधान समस्त चिकित्सा पद्धतियों के लिए किया गया था।

वर्ष 2001-2002 के लिए समस्त चिकित्सा पद्धतियों के लिए 1803.46 करोड़ का प्राविधान किया गया है। अनुदान सं0-32 में मान्यवर, वर्ष 2000-2001 के लिए 633 करोड़ 44 लाख का प्राविधान किया गया था जबकि वर्ष 2001-2002 में 802 करोड़ 77 लाख का प्राविधान है। अनुदान संख्या-36 में वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए 146 करोड़ 17 लाख तथा 2002 के लिए 158

करोड़ 28 लाख का प्राविधान किया गया है इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष में 11 करोड़ 81लाख रूपये की बढ़ोत्तरी की गयी है। इसी प्रकार वित्तीय वर्ष 2001-2002 से विगत वर्ष की तुलना में 181.14 करोड़ रूपये का प्राविधान चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया गया है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि हमारी सरकार जन स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कितनी संवेदनशील है। कुछ विसंगतियां हमारे शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में थी। अब तक शहरी क्षेत्रों में प्रति शैय्या प्रति वर्ष मात्र 5,000 रूपया दिया जाता था, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति शैय्या प्रति वर्ष 4,250 रूपया दिया जाता था इस प्रकार विसंगतियाँ थीं। मान्यवर, मरीज-मरीज होता है रोगी-रोगी होता है ग्रामीण क्षेत्र का हो या शहरी क्षेत्र का हो, जो विसंगतियाँ थीं हमने उसे समाप्त कर दिया है और हमने 10,000 रूपया प्रति शैय्या प्रति वर्ष चाहे ग्रामीण क्षेत्र का हो, चाहे शहरी क्षेत्र का, कर दिया है। इसीलिए 56 करोड़ 73 लाख 60,000 रूपये का प्राविधान किया गया है। चिकित्सा सेवा में सुधार के लिए वर्ष 1999-2000 की जो उपलब्धियां थीं इससे माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहता हूं। सिद्धार्थनगर में 100 शैय्या वाले संयुक्त चिकित्सालय की स्थापना की गयी है।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय मंत्री जी कागज से बरबेटम पढ़कर सुना रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय राम तेज जी, आंकड़े तो पढ़ने ही पढ़ते हैं क्योंकि इतने ज्यादा होते हैं कि उन्हें याद नहीं रखा जा सकता।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, फर्रूखाबाद के भवन का निर्माण 300 शैय्या वाला पूरा कराया गया है। प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 24 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 79 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के भवन के निर्माण को पूरा कराया गया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश के लिए 24 अतिरिक्त नये सामुदायिक केन्द्र, 116 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 30 शैय्या युक्त चकिया चिकित्सालय, चंदौसी को उच्चीकृत करके 100 शैय्या वाला चिकित्सालय करने का प्राविधान किया गया है। 24 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना के लिए स्वीकृतियाँ दे दी गयी हैं। बार्डर एरिया में विकास कार्यक्रमों को सुनिश्चित करने के लिए जनपद बलरामपुर और सिद्धार्थनगर में 4 एक्स-रे मशीनें और 8 ई0सी0जी0 मशीनों की स्वीकृति प्रदान की गयी है। सिद्धार्थनगर के 4 विकास खंडों में डेण्टल इकाइयों की स्वीकृति भी प्रदान की गयी है। वार्डर एरिया में इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए बहराइच में मिहीपुरवा और नवाबगंज में 50,000 रूपये की स्वीकृति, रोगी वाहन, ई0सी0जी0 मशीन और जेनरेटर सेट लगाने के लिए प्रदान किया गया है। चिकित्सालयों के संक्रमित कचरे के निस्तारण के लिए बलरामपुर चिकित्सालय, लखनऊ और ई0एच0एम0 चिकित्सालय, कानपुर के लिए 75 किलोग्राम तथा मथुरा में 20 किलोग्राम कचरे की सफाई के लिए इंसीनेटर की स्थापना की गयी है। मान्यवर आपको अवगत कराते हुए खुशी हो रही है कि नव सृजित जनपद गौतमबुद्धनगर, महामाया नगर, ज्योतिबाफूले नगर, छत्रपति शाहू जी महाराज नगर, बलरामपुर, चन्दौली, श्रावस्ती में मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालयों की स्थापना कर दी गयी है। मान्यवर, विकलांग चिकित्सा तथा विकलांग कल्याण के लिये डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, जिला चिकित्सालय फर्रूखाबाद में चिकित्सा सुविधा हेतु स्थान उपलब्ध कराया गया है। मान्यवर, कुम्भ

मेला के लिये जो व्यवस्था की गयी है उसके बारे में सभी जानते हैं। वहां पर पूरी दुनिया से मीडिया के पत्रकार और विदेशी पर्यटक आये जिन्होंने वहां चिकित्सा सुविधा की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। माननीय राष्ट्रपति जी ने भी भूरि-भूरि प्रसंशा की है। इसी प्रकार से वहां पर चिकित्सा सुविधा और दवाईयों की पर्याप्त व्यवस्था की गयी थी और अस्थाई चिकित्सालय बनाकर हर प्रकार की व्यवस्था की गयी थी। मान्यवर, औषधियों के लिये आय-व्ययक की मदों में 20 प्रतिशत धन जीवन रक्षक दवाईयों के लिये अनुबंध के माध्यम से क्रय करने के लिये मानक के अनुसार वितरण करने का अधिकार वितरण करने के लिये निर्देशित किया गया है। औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये शत-प्रतिशत औषधियों की सैम्पलिंग करायी जा रही है। शेष 80 प्रतिशत धनराशि से भंडार नियमों के अनुसार दवायें क्रय की जाती हैं। जनमानस को त्वरित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये अपरिहार्य परिस्थितियों में महानिदेशक के परिपत्र दिनांक 15-4-2000 के अनुसार परिधिगत अधिकारियों को 15 हजार रूपयों की औषधियां क्रय करने का निर्देश दिया गया है। औषधियों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिये जिला स्तर पर औषधि निरीक्षकों के माध्यम से सैम्पलिंग करायी जाती है। मुख्यालय केन्द्रों पर औषधि भंडारों द्वारा विगत वर्षों में मेरठ, वाराणसी, आगरा, लखनऊ में जन विश्लेषक प्रयोगशालायें स्थापित की गयी हैं।

इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मेलों का आयोजन किया गया है। अभी प्रधान मंत्री जी का लखनऊ आगमन पर सबसे बड़ा मेला आयोजित किया गया जिसमें 1 लाख 20 हजार रोगियों ने पंजीकरण कराया। वहां पर नेत्र चिकित्सकों ने लगभग 18 सौ लोगों की जांच की और उपचार किया। मान्यवर, विकलांगों को 367 ट्राई साइकिलें और 541 कृत्रिम अंग वितरित किये गये और 1 हजार महिला पुरूष नसबंदी के आपरेशन किये गये।

मान्यवर, वित्तीय वर्ष 2000-2001 में 150 शैय्या वाले संयुक्त चिकित्सालय बलिया में 100 शैय्या वाले चिकित्सालय शिकोहाबाद, 200 शैय्या वाला संयुक्त चिकित्सालय हमीरपुर में और 300 शैय्या वाला शाहजहांपुर में निर्माण पूरा कराने का कार्य किया है। मान्यवर, इसके साथ ही साथ 24 नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों की स्थापना करायी जानी थी तथा 34 अन्य सामुदायिक भवनों के निर्माण की स्वीकृति प्राप्त करने का लक्ष्य प्रस्तावित है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने थे। मान्यवर, जो दूरदराज के नगरीय क्षेत्र हैं वहां चिकित्सा सुविधा नहीं मिल पाती है इसलिए नगरीय क्षेत्रों में 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों तथा 200 अन्य भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। नव सृजित जनपदों औरैय्या, फतेहपुर, बलरामपुर, महोबा, सोनभद्र में जिला चिकित्सालयों के भवनों का निर्माण कराये जाने का प्रस्ताव है, इसी तरह से चार नवसृजित जनपदों में मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय की स्थापना का प्रस्ताव है। वित्तीय वर्ष 2000-2001 में 8 मुख्य चिकित्साधिकारी कार्यालयों में स्टाफ स्वीकृत कराये जाने का प्रस्ताव है। डा0 राम मनोहर लोहिया अस्पताल, गोमतीनगर में 14 शैय्याओं के भवन का निर्माण कार्य पूरा करने एवं शैय्याओं को कार्यशील किये जाने का प्रस्ताव है। इसी तरह 2000-2001 में 24 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ की व्यवस्था और उनको कार्यशील करने का प्रस्ताव है। संक्रामक रोगों को रोकने के लिए व्यवस्था कराने का प्रस्ताव है। मान्यवर, इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश की अधिसंख्या जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में वास करती है, इनका विकास करने के लिए स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए और जीवन स्तर सुधारने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं का ढांचा खड़ा किया गया है। 1 अप्रैल, 2001 को पूरे प्रदेश में जो स्वास्थ्य केन्द्रों का ढांचा है उसमें 18549 उपकेन्द्र हैं, 3640 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है और 290 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं तथा 80 जिला चिकित्सालय स्वीकृत हैं इसके अतिरिक्त 6515 उपकेन्द्र तथा 1371 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

तथा 332 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों का निर्माण हो चुका है, शेष के लिए अलग से प्राविधान कराये जाने के लिए प्रयत्नशील हैं। 2000-2001 में 449 उपकेन्द्र, 100 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा 60 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस प्रकार 312 उपकेन्द्र, 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और 34 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।

मान्यवर, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के लिय तमाम अधिकारी लगाये जाते है। समय-समय पर ऐसी शिकायतें आती हैं कि अधिकारियों द्वारा ठीक काम नहीं किया जा रहा है। जो अधिकारी ठीक कार्य नहीं करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाती है। इसके अन्तर्गत प्रदेश में समूह-क के 63, समूह-ख के 391 चिकित्साधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। समूह-क के 8 और समूह-ख के 29 पुरूष चिकित्साधिकारियों को निलंबित किया गया है। समूह-क के 5 अधिकारियों एवं समूह-ख के 7 पुरूष चिकित्साधिकारियों के विरूद्ध अभियोजन चलाया गया है।

इसी प्रकार से अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने वाले चिकित्साधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है इसके अन्तर्गत 304 महिला चिकित्साधिकारियों जो चुनकर आयीं थीं और जिन्होंने ज्वाइम नहीं किया और जो कुछ चली गयीं उनकी सेवा समाप्त करने के निर्देश दिये गये हैं। 353 पुरूष चिकित्साधिकारियों को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गयी है। समूह-ग के 40 कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये गये हैं। समूह-ख के पुरूषों के रिक्त पदों पर नियुक्ति किये जाने के आदेश किये गये हैं और 401 लोगों को नियुक्त किया जायेगा। इसी तरह से महिला चिकित्साधिकारियों की कमी को देखते हुये 100 महिला चिकित्सकों की नियुक्ति हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजा जा चुका है। कार्यों को कुशलता से पूर्ण कराने के लिये महिला तथा पुरूष चिकित्साधिकारियों को आधारभूत प्रशिक्षण दिया गया है। मान्यवर, बहुत दिनों से महिला चिकित्साधिकारियों के प्रमोशन नहीं हुये थे। इसलिये 24 महिला चिकित्साधिकारियों की प्रोन्नति की गयी है। 23 वरिष्ठ चिकित्साधिकारियों को संयुक्त निदेशक ग्रेड तथा 3 महिला चिकित्साधिकारियों को अपर निदेशक ग्रेड में पदोन्नत किया गया है। हमारे विभाग में 2737 उपलब्ध वाहनों में से 2309 कार्यशील हैं। 733 वाहनों को निष्प्रयोज्य घोषित किया गया है और 246 वाहनों की नीलामी कर दी गयी है जिससे 22.28 लाख रूपये मिले हैं जिसको सरकारी कोष में जमा कर दिया गया। शेष जो वाहन हैं उनको निष्प्रयोज्य घोषित करके उनकी नीलामी करके उनके स्थान पर अन्य वाहन खरीदे जायेंगे। एक्स-रे मशीनें 491 कार्यरत हैं मुझे खुशी है कि इसमें से 465 ठीक है। 25 जो खराब हैं, 30 जून, 2001 तक इनको क्रियाशील करा दिया जायगा। इसी तरह से 61 आटोएनालाइजर हैं जिसमें से 57 ठीक हैं जो ठीक नहीं हैं उनको ठीक कराया जा रहा है। इसी तरह से प्रदेश के चिकित्सालयों में 69 अल्ट्रासाउंड मशीनें हैं जिनमें से 66 क्रियाशील हैं शेष को ठीक कराने के लिये निर्देश दिये गये हैं। प्रदेश के चिकित्सालयों में 208 जनरेटर सेट हैं जिनमें से 201 ठीक हैं, अन्य जो 7 खराब हैं इनको ठीक करने के निर्देश दिये गये हैं।

झोलाछाप डाक्टरों के खिलाफ समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं फर्जी डिग्री धारक डाक्टरों को चिन्हित करके 801 ऐसे डाक्टरों के खिलाफ कार्यवाही की है जिससे अन्य झोलाछाप डाक्टर सबक लें व इस पर अंकुश लगे।

श्री अधिष्ठाता–

अब संक्षिप्त करें।

श्री रमापति शास्त्री–

राष्ट्रीय कार्यक्रम में अंधता निवारण कार्यक्रम में जब मेरे सामने यह मामला आया तो मैंने इसका परीक्षण करवाया तो पता चला कि 80 प्रतिशत अंधता मोतिया बिन्द के कारण होती है 22 लाख मोतियाबिन्द के मरीज उत्तर प्रदेश में थे। मोतिया बिन्द के मरीजों का आपरेशन करके उनको अंधता से बचाया जाए इसके लिए गत वर्षों में 27,33,423 आपरेशन का लक्ष्य रखा गया जिसके सापेक्ष 30,04,200 मोतियाबिन्द के मरीजों का आपरेशन किया गया। वर्तमान में 4,45,223 के विरूद्ध 5,64,135 मरीजों का आपरेशन किया गया। आपरेशन के लिए शल्य उपकरणों की व्यवस्था की गई। इसी प्रकार से कुष्ठ रोगियों को दवा उपलब्ध कराई। अभी तक यह समझा जाता था कि कुष्ठ रोग देवी प्रकोप या किसी के पाप के नाते होता था ऐसा नहीं है। यह एक प्रकार का चर्म रोग है जिसके नाते लोगों को कुष्ठ रोगों से ठीक करने का लक्ष्य रखी गया।

***श्री रामतेज यादव एडवोकेट–**

मंत्री जी बार-बार पेट पर हाथ फेर रहे हैं। इनके पेट में दर्द है।

श्री रमापति शास्त्री–

आपको दर्द हो रहा हो तो अस्पताल में दवा करवा दें।

डा0 सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, कठिनाई क्या है मंत्री जी ने औरैया में 150 बेड का अस्पताल दिलाया, बलिया में अस्पताल दिया । नेता प्रतिपक्ष और उपनेता को सुविधा दे दी लेकिन रामतेज जी को एक विस्तर भी नहीं दिया।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

बहराइच में दिया है।

डा0 सरजीत सिंह डंग–

रामतेज को एक विस्तर से काम नहीं चलेगा इनको डबल बेड देना पड़ेगा।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, सन् 1983 में कुष्ठ रोगियों की संख्या दस हजार पर 52.7 थी हमने अभियान चलाया और सफलता पाई। इसके लिए दवायें भी है एक साल की छः महीने की, और एक बार की भी। फिर हमने 10 हजार पर 4.33 तक आंकड़ा पहुंचा दिया और हम चाहते है कि दो वर्ष में यह एक पर आ जाय। इसके लिए हमें पक्ष और विपक्ष सभी का सहयोग चाहिए। इसी प्रकार क्षय रोग राष्ट्रीय कार्यक्रम में आता है पुनरीक्षित राष्ट्रीय क्षय कार्यक्रम जो स्ववित्त पोषित है चलाया गया। टीबी अस्पताल जगह-जगह स्थापित है। जहां से हमें शिकायतें मिल रही है कि चिकित्सक क्षय रोगियों का इलाज ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं हम निरीक्षण करते रहते हैं। इसके अलावा एक डाट्स योजना चालू है अभी आठ

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

जनपदों में शुरू की गई है जिसमें लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली, मेरठ, उन्नाव, गाजियाबाद,बागपत तथा गौतमबुद्ध नगर में शुरू की है इस योजना में चिकित्सक तथा विभाग की जिम्मेदारी होगी मरीज को स्वयं दवा उपलब्ध व खिलाने की।

इसी प्रकार से हम एड्स नियंत्रक अभियान चला रहे हैं। इस बार भी 16 अप्रैल से 5 मई तक जनजागरण पखवारा चलाकर जनसामान्य को इसके बारे में जानकारी दी। यह बीमारी देश प्रदेश दुनियां में व्याप्त है। इसको रोकने का कोई इलाज नहीं है केवल सावधानी बरतकर इससे बचा जा सकता है। एड्स के बारे में 5 रिसर्च सेन्टर से सर्वेक्षण करवाया गया तो 1,681 एच0आई0वी0 घनात्मक व्यक्तियों का मिला। 182 जो एड्स के हैं उसमें से 132 पुरूष और 50 महिलाएं चिन्हित की गई। यह सरकारी अस्पतालों में सरकारी व्यवस्था के अधीन जो चिन्हित किये गये वह हैं। जिनकी जानकारी नहीं हुई वे अलग हैं। यह संवेदनशील विषय है, इस पर आपके माध्यम से सबको जानकारी देना चाहता हूं इसी तरह से रक्त कोषों की स्थापना के बारे में बताना चाहता हूं कि प्रदेश में 117 लाईसेंस प्राप्त रक्तकोष हैं जिसमें से 67 सरकारी क्षेत्र में हैं। इसी प्रकार से मानसिक रोगियों के लिये कार्यक्रम चलाया गया है।

कानपुर में भारत सरकार की सहायता से एक मानसिक अस्पताल 10 शैय्या का बनाया गया है जिसमें एक चिकित्सा अधिकारी, पांच नर्स एवं एक क्लीनिकल साइक्लोजिस्ट एवं एक स्पेशल सोशल वर्कर की भी व्यवस्था की गई है। मलेरिया विरोधी कार्यक्रम चलाये गये हैं। मैं कुछ आंकड़े प्रस्तुत कर दूं तो खुशी होगी कि हमको इसमें कितनी सफलता मिली है। वर्ष 2000 में 22.25 लाख में से परीक्षण किया गया था जिसमें से 12,306 रोगी मलेरिया के घनात्मक पाये गये, सभी का उपचार किया गया और सब ठीक हो गये। 2001 में मार्च तक 2.27 लाख रोगियों का परीक्षण किया गया जिसमें से 7169 मलेरिया के घनात्मक पाये गये और यह सब उपचार के बाद ठीक हो गये। 2000 तक भारत सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार हमारे यहां कमी आई थी और 2001 में 200 की तुलना में मलेरिया में 10 प्रतिशत और ए0पी0एफ0 में 17 प्रतिशत की गिरावट आई है। इसी तरह से संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में चलरहे हैं। पांच वर्षों में संक्रामक रोगों को नियंत्रण में रखा गया है। 1998 में जहां आंत्रशोध गैस्ट्रो के 10757 मरीज थे जिसमें से 364 मृतक हुए थे। 2000 में 3216 रोगी पाये गये जिसमें से 37 मृतक हुए। हमने कन्ट्रोल किया है। 2001 में 11 मई तक 210 रोगी पाये गये जिसमें कोई मृतक नहीं हुआ। इस तरह से संक्रमक रोगों पर भी हमने कन्ट्रोल किया है। इस प्रकार से संक्रमक रोगों पर, अंधत: निवारण, कुष्ठ रोग पर, एड्स पर अनेक प्रकार से अभियान चलाकर नियंत्रण पाने की कोशिश की है और काफी सफलता भी मिली है। समय-समय पर चर्चा होती रही है एन्टी रैबीज वैक्सीन की। इस बारे में यह बात सही है कि राज्य रक्षालय संस्थान पटवा डांगर नैनीताल में अब तक उत्पादन वैक्सीन हो रहा था 98-99 में 9.38 लाख एम0एल0, 2000-2001 में 26.4 लाख एम0एल0 की आपूर्ति की गई इसके अतिरिक्त 98.99 में 37.5 हजार खुराक वर्ष 1999-2000 में 12.5 हजार खुराक और 2000-2001 में 56.2 हजार खुराक की व्यवस्था की गई। इस प्रकार एन्टी रैबीज वैक्सीन का वितरण लखनऊ, फैजाबाद, जालौन, आजमगढ़, झांसी, चित्रकूट आदि आगरा मंडल में इसके वितरण की व्यवस्था की गई है। मुरादाबाद, बरेली, मेरठ मंडल में सीधे पटवा डागर से उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। भविष्य में एन्टी रैबीज वैक्सीन और जगह भी उपलब्ध कराने की योजना है।

इसी तरह से मान्यवर, खाद्य अपमिश्रण अधिनियम के अन्तर्गत जांच नमूने एकत्र होते हैं कार्यवाही की जाती है। 2000 में 20 हजार 300 नमूने एकत्र किए 2 हजार 991 मिश्रित पाए गए, 2001 में 4 हजार 365 नमूने एकत्रित किए गए जिसमें 345 नमूने मिश्रित पाए गए। अपमिश्रण अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के निर्देश दे दिए गए हैं इसी तरह से पान मसाला गुटखा में 208 नमूने एकत्र किये गये। जिसको जांच के लिए भेज दिया गया है दूध और तेल के नमूने इक्ट्ठे किए गए है उनको भी जांच के लिए भेज दिया गया है। समय-समय पर अपमिश्रण सामान बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी हमारी सरकार प्रयत्नशील है। आपके माध्यम से सम्मानित सदन के समक्ष अपना बजट प्रस्तुत कर दिया है। सीमित संसाधन सीमित व्यवस्था के अन्तर्गत बात रखी है। सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं बहुत दिनों की शिकायत के बारे में नहीं कह सकता लेकिन मेरे आने के बाद 40-50 साल की जो अव्यवस्था थी वह ठीक हुई है काफी ठीक किया है और ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। सभी माननीय सदस्यों से अपेक्षा है वह शिकायत नहीं सुझाव देंगे, सुझावों के माध्यम से व्यवस्था और ठीक करने का प्रयास करेंगे हो सकता है कहीं कोई त्रुटि हो।

"सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया,
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित दुःख भागभवेत्।।"

कुंवर रेवती रमण सिंह--

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-32-चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अंतर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपये कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-36-चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री, रमापति शास्त्री जी को पूरा सदन इतनी देर होने के बावजूद भी इसलिए सुन रहा था कि डा0 अमर्त्य सेन ने कहा था कि स्वास्थ्य और शिक्षा दो चीजें किसी देश की तरक्की का मापदण्ड किया जा सकता है और उसपर उनको नोबल प्राइज भी मिला था। यह दोनों विभाग इतने महत्वपूर्ण हैं और मानव जीवन से इनका सीधा संबंध है। मान्यवर, इतना कम धन जो प्रदेश को दिया गया है, जैसा कि आप बजट देखेंगे तो उससे पता चलेगा, कि इससे हमारे स्वास्थ्य और उत्तर प्रदेश का भला होने वाला नहीं है और उत्तर प्रदेश लगातार जो उसका प्रगति रथ है उसमें पिछड़ता चला जा रहा है। मान्यवर, इस सरकार ने और सौभाग्य से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने चार बार बजट प्रस्तुत करने का मौका मिला। संभवतः इससे पहले माननीय लोकपति त्रिपाठी जी ने जो इस समय सदन में मौजूद हैं, को यह सौभाग्य प्राप्त हुआ था लेकिन जो उम्मीद इस सरकार से प्रदेश की जनता करती थी, जो इस सदन के लोग करते थे वह उम्मीद धूल धूसरित हो गयी मान्यवर, बजाये कोई ठोस कार्यक्रम लेने के माननीय मंत्री जी ने वही आंकड़ों का मकड़जाल इस सदन में प्रस्तुत कर दिया उन्होंने यह बताने की कोशिश की कि सीमित साधन में हम इस प्रदेश को लगातार आगे प्रगति के रास्ते पर अग्रसर कर रहे हैं लेकिन मान्यवर, सच्चाई यह नहीं है आज लगातार हमारा प्रदेश पीछे की ओर जा रहा है। आज 21वीं शताब्दी आ गयी है आगे जाने के बजाये स्वास्थ्य सेवायें पीछे की ओर जा रही हैं इस सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से वादा किया था कि सन् 2000 में सभी को स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा हम उपलब्ध करायेंगे, क्या हुआ माननीय मंत्री जी उसका। 2000 बीत गया और 2001 आ गया और

2001 का भी यह 5वां महीना बीतने जा रहा है क्या आपने सबको स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करा दी है प्रदेश में। कदाचित् एक भी माननीय सदस्य ने चाहे इधर का हो चाहे उधर का यह नहीं कह सकते कि माननीय मंत्री जी ने जो कथन यहां रखा है उसमें सच्चाई है। वादा करना तो आप जानते हैं पर आप कुछ कर सकते नहीं। मान्यवर, पूरी सरकार एक ढपोरशंख की तरह है। आज तमाम मंत्रीगण वादा करके सदन में मुकर जाते हैं एक नहीं अनेक उदाहरण हैं।

मान्यवर, आज माननीय रघुवर दयाल वर्मा जी ने एक सवाल उठाया था कि जो शुद्ध पानी लोग पीते हैं आज बोतलों द्वारा क्या गांव में आपने, आपको 4 साल हो गये हैं ग व के हर पुरवे हर मंजरे को हर आदमी को शुद्ध पानी उपलब्ध करा दिया है। आज 70 प्रतिशत बीमारी आज पेट की विषाक्त पानी पीने से जिसमें कीटाणु होते हैं उससे होती है। माननीय मंत्री जी ने बताया कि चारों तरफ विकास के नाम पर आज प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र और जिला अस्पताल इनका निर्माण करवा रहे हैं कई जिलों का इन्होंने उल्लेख किया यह 4 साल से सत्ता में है आज भी 786 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन नहीं हैं तो वहां पर हर चिकित्सा सुविधा नहीं होंगी तो माननीय मंत्री जी ने जो बात कही है उसमें कितनी सत्यता है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। ज्यादातर जिला चिकित्सालय पुराने हैं जर्जर स्थिति में हैं।

मान्यवर, इन्होंने विश्व बैंक से 610 करोड़ रूपये ऋण के रूप में लिये हैं आप वर्ल्ड बैंक से पैसा काहे के लिए ले रहे हैं भवन बनाने के लिए ले रहे हैं जो भवन हैं उनमें साज-सज्जा आप इक्ट्ठा नहीं कर पाये हैं उनको सुसज्जित नहीं कर पाये हैं न उनमें एक्स-रे मशीनें हैं, न अल्ट्रासाउंड हैं और न जो लेटेस्ट सामान मुहैया होने चाहिए वे भी नहीं है। आपने वर्ल्ड बैंक से पैसा लेकर नर्सेस की ट्रेनिंग के तमाम भवन बनाये आज ट्रेनिंग नहीं होती है उसमें कोई क्लासेज नहीं होती हैं भवन बनाने से आप स्वास्थ्य सेवाओं का सुदृढ़ीकरण कर देंगे उसको बेहतर बना देंगे ?

मान्यवर, दुर्भाग्य है इस प्रदेश का आपने इन अस्पतालों को एक व्यवसायिक संस्था बना दिया। आज अस्पताल अस्पताल नहीं रहे आज उसमें मिशनरी भावना से कोई काम नहीं होता। एक प्राइवेट नर्सिंग होम हैं और एक सरकारी नर्सिंग होम आपने कर दिया। उन नर्सिंग होम में ज्यादा पैसा लिया जाता है और आपके सरकारी नर्सिंग होम में थोड़ा कम लिया जाता है। फर्क यह है कि वहां सफाई ज्यादा से ज्यादा है और आपके नर्सिंग होम में गन्दगी का आलम है। आपके तमाम अस्पतालों में मरीज नहीं कुत्ते लेटते हैं। कोई मरीज आपका सरकारी अस्पताल में जाने के लिए तैयार नहीं है, मजबूरी में जिसके पास धन की कोई व्यवस्था नहीं हो सकती वही खामखा आपके सरकारी अस्पताल में जाता है वरना कोई भी जो एफोर्ड कर सकता है जाना नहीं चाहता।

आज अस्पताल केवल मरने के शवगाह बन गये हैं कोई वहां जाता है तो उसका मरना निश्चित है। यह आज जनता में पूरी श्रुति है आपकी तारीफ है। इसके साथ-साथ मैं अभी वह आंकड़े पढ़ूंगा जो आपने इस प्रदेश में लागू कर दिये हैं और उसका खमियाजा बड़े लोगों को नहीं भुगतना पड़ता उसका खामियाजा सीधे-सीधे हल चलाने वाले, रिक्शा चलाने वाले, खोमचा लगाने वाले और चाय बेचने वाले पर पड़ता है। वह व्यक्ति जो कहीं से इलाज नहीं करा सकता है वह बेचारा 5 रूपये का पर्चा, अभी मैं बताऊंगा, जो आपने रेट घोषित कर दिये हैं जुलाई 2000 से उसका खामियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है। इस सरकार ने जो कारनामे किये हैं, मैं उनके बारे में सदन में अवश्य चर्चा करना चाहता हूं और साथी सम्मानित सदस्यों का मैं संरक्षण चाहूंगा। संरक्षण इसलिये कि भले ही वह सत्ता पक्ष में हो लेकिन जो यथार्थ स्थिति है वह सीधे सामने आनी चाहिए। जो कपोलकल्पित आंकड़े आपने रखे थे उससे भला होने वाला नहीं है। सरकारी अस्पतालों में जो फीस आपने जुलाई 2000 में लागू किया था

और 10 प्रतिशत वृद्धि भी करी थी जुलाई में लेकिन सच्चाई क्या है सुविधाओं के नाम पर जीरो और बड़ा जीरों और अगर कई जीरों को मिला दे तो अतिश्योक्ति नहीं होगी। शासनादेश में यह भी कहा गया है कि इससे जो आमदनी होगी इस आमदनी का सदुपयोग अस्पताल के ऊपर बनाने में, मरीज के ऊपर दवा उपलब्ध कराने में हम उसको लगायेंगे लेकिन यह आप देखें जो शुल्क में बढ़ोत्तरी हुई है जुलाई 2000 में आमदनी हुई 82 लाख 77 हजार 504 रूपये, अगर 2000 में एक करोड़ 28 लाख 87 हजार 886 रूपये, सितम्बर 2000 में 1 करोड़ 87 हजार 38 रूपये, अक्टूबर 2000 में 1 करोड़ 14 लाख 73 हजार, नवम्बर 2000 में 1 करोड़ 20 हजार 45 और दिसम्बर में 85 लाख 81 हजार रूपये जनवरी महीने में 29 लाख। यह धन आपको इन विभिन्न महीनों में प्राप्त हुआ है, जुलाई से लेकर जनवरी तक। इस पैसे का सदुपयोग अस्पतालों में कितना किया है, यह कहीं दिखाई पड़ता हो तो आप बता दें। मुझे तो कहीं नहीं दिखाई पड़ता। आज भी गरीबी रेखा के नीचे सर्वाधिक उत्तर प्रदेश में लोग रहते हैं, पूरे भारत के आंकड़े को ले लें। सबसे ज्यादा जरूरत किसी को है तो श्रीमन् इन्हीं लोगों को है, इनको हम कोई सुविधा प्रदान नहीं कर पा रहे हैं। पैसा तो हमने बढ़ा दिया, लेकिन सुविधा के नाम पर हम क्या दे पा रहे हैं, इसको आपने अपने भाषण में नहीं बताया। वह धन का सदुपयोग हो सके, इसके लिये आपने क्या व्यवस्था की है, इसका भी कहीं आपने उल्लेख किया नहीं है।

मान्यवर, मैं एक बात अवश्य उल्लेख करना चाहूंगा। माननीय मंत्री जी गोंडा से आते हैं। गोंडा के अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सुविधाओं की मैं कुछ बात बताना चाहूंगा। वहां 14 रूपये किलो आलू खरीदा जा रहा है, 46 रूपये किलो दाल और 75 रूपये किलो सरसों का तेल खरीदा जाता है, यह लगभग 3 वर्षों से चल रहा है। अचानक कभी महंगा हो गया हो तो यह समझ आता है। माननीय मंत्री जी जिस जिले से आप आते हैं, वहां पर ऐसी व्यवस्था चल रही है तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि गरीब मरीजों से जो पैसा आ रहा है, उसकी क्या हालत है ? मैं एक और उदाहरण आपके सामने रखूंगा। राज्य सरकार सबको रोगमुक्त रखने के लिये हर व्यक्ति पर मात्र 12 रूपये खर्च कर रही है। माननीय मंत्री जी ने जो बात बताई, उसके विपरीत यह बातें इन्हीं के आंकड़ों में है, यह मेरे बनाये आंकड़े नहीं हैं। मात्र 12 रूपये में किसका इलाज हो सकता है, क्या आप इस सदन को आश्वस्त करेंगे कि 12 रूपये में किसी का इलाज करवा देंगे तो मैं आपकी बड़ी भारी उपलब्धि मानूंगा, यह तो शहरी क्षेत्र का है। ग्रामीण क्षेत्र में प्रति व्यक्ति मात्र 6 रूपये का हिसाब आता है प्रतिवर्ष। पहले तो आपने गांव और शहर में विभेद कर दिया, गांव में क्या आदमी नहीं रहते। 6 रूपये में एक गांव के आदमी का इलाज कैसे हो सकता है, कम से कम मेरी समझ में यह बात नहीं आती। आजकल 12 रूपये में तो एक कोल्डड्रिंक की बोतल मिलती है और 12 रूपये और 6 रूपये में इलाज केवल माननीय मंत्री जी ही कर सकते हैं, इन्हीं की सरकार कर सकती है। और दूसरा कोई धन्वन्तरि के बाद पैदा हुआ है तो माननीय मंत्री जी पैदा हुये हैं और इनकी सरकार पैदा हुई है और दूसरा कोई पैदा नहीं हुआ है।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सबको रोगमुक्त कर रहे हैं। लेकिन जो धन आप खर्च कर रहे हैं, वह पूरे देश के आंकड़े के हिसाब से सारे प्रदेशों में सबसे कम धन उत्तर प्रदेश में खर्च हो रहा है। यह कैसे संभव है, किस आंकड़े से संभव है ? इसी तरह आप अगर इस सरकार में देखें, उपलब्धि के नाम पर कोई चीज ऐसी नहीं है, जिसकी इस सदन में हम तारीफ करें। इस सरकार में बातें बहुत की जाती हैं, लेकिन उनका अनुश्रवण भी नहीं हो पाता है और मान्यवर, प्रान्तीय सेवा में जो आपके पी0एम0एस0 डाक्टर हैं, वह बेचारे नौकरी में आए और रिटायर हो गये उनको एक भी प्रमोशन नहीं मिला और जिस क्लास टू में आए थे उसी में रिटायर हो गये और सम्भवत: उसी पद पर रिटायर भी हो गये, प्रमोशन का कोई अवसर है नहीं। इनकी सेवानियमावली जो है उसमें 15 वर्ष तक ग्रामीण अंचल में सेवा करना

अनिवार्य है, 15 साल तक किसी भी डाक्टर का ग्रामीण अंचल में सेवा करना सम्भव ही नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि वह ग्रामीण अंचल में रहें तो आप यह अवधि 10 साल की रखें और 3 बार में रखें। आज हर डाक्टर ने अपना नर्सिंग होम खोल लिया है, आप उनको भत्ता भी देते हैं और भत्ता देने के बावजूद भी वह नर्सिंग होम में बेहतर सेवा करते हैं और जो मरीज आपके अस्पतालों में हैं, वहां सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो पाती, बल्कि अस्पतालों में वह तिरष्कृत होते हैं। आप उन मरीजों के लिए ऐसी व्यवस्था करायें जिससे उन्हें बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके।

इसी तरह आप के अस्पताल में, आज मैं कुछ प्रदेशों के आंकड़ें बताना चाहूंगा। अगर आप हास्पिटल और डिस्पेंशरी को देखें, गुजरात में, कर्नाटक में, केरल में, मैं सब प्रदेशों का नाम नहीं पढ़ना चाहता, कुछ प्रदेशों का उल्लेख करना चाहूंगा। कर्नाटक में 2040, गुजरात में 2528, महाराष्ट्र में 3115, तमिलनाडू में 408 और उत्तर प्रदेश में 735, मान्यवर, आप उत्तर प्रदेश का आकार देख लें और इसके साथ-साथ आप देख लें कि आपके यहां कितने हास्पिटल हैं, अभी आप उल्लेख कर रहे थे अपने भाषण में कि हम इतने हास्पिटल खोल रहे हैं और बनवा रहे हैं। अगर आल इण्डिया का औसत आप देख लें तो आपके यहां जो अस्पताल हैं उनकी नितान्त कमी है, उन अस्पतालों में आपके 8 हजार एलोपैथिक के चिकित्सक हैं और मान्यवर, उसमें दो तिहाई ही तैनात हैं, उसके अलावा तैनात भी नहीं हैं। मान्यवर, आप कड़ाई से उनसे कोई अनुपालन नहीं करा पाते हैं, आपकी जो नियमावली है उसमें वह चीजें नहीं है जिनसे उनको प्रेरित किया जा सके जिससे आपकी वह लगातार सेवा कर सकें। मान्यवर, इसी तरह अगर आप देखें मान्यवर, रिकगनाइज मेडिकल क्वालीफिकेशन के जो रजिस्टर्ड हैं उनकी संख्या गुजरात में 22392, कर्नाटक में है 32813, केरल में 19465, महाराष्ट्र में है 49365, तमिलनाडु में है 46416 और उत्तर प्रदेश में मात्र 33000, तो मान्यवर, न तो आपके यहां हास्पिटल हैं और न मेडिकल प्रेक्टिशनर कि जिससे यह बताया जा सके कि आप का प्रदेश निरन्तर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। इसी तरह नर्सिंग पर्सनल जो आपके यहां रजिस्टर्ड हैं, आन्ध्र प्रदेश में 42,659, गुजरात में 68,045, कर्नाटक में 50,371, केरल में 24,914, मध्य प्रदेश में 84,932, महाराष्ट्र में 99,676 और उत्तर प्रदेश में मात्र 13,310 है। आप बता रहे हैं कि हमारा प्रदेश निरन्तर तरक्की की ओर अग्रसर है लेकिन ये आंकड़े कुछ दूसरी ही कहानी बताते हैं। इसी तरह से फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के कुछ आंकड़ें रखना चाहूंगा।

(सत्ता पक्ष से यह कहने पर कि इसका बजट बाद में आयेगा।)

बजट बाद में है लेकिन इनसे भी संबंधित है। आंध्र प्रदेश में 7,28,976 गुजरात में 2,50,379, कर्नाटक में 3,71,273, केरल में 1,32,734, मध्य प्रदेश में 3,58,492 और उत्तर प्रदेश में मात्र 3,46,333 है। ये आंकड़ें क्या बताते हैं ? आंकड़ें यही तो बताते हैं कि आपका स्टेट ऑल इण्डिया औसत में कहीं भी खड़ा नहीं हो पा रहा है। लगातार हमारा प्रदेश पीछे की ओर जा रहा है, कहीं भी आगे की ओर हमारा प्रदेश जाने के लिए अग्रसर नहीं है, न आपका मनोबल है, न इच्छाशक्ति है कि आप उसको ले जा सकें। आपका ब्यूरेक्रेटिक ढांचा बहुत मजबूत है, आप भले ही मंत्री हैं, आपके डायरेक्ट्रेट हैं, लेकिन वहां पता नहीं आपकी बात चलती है या नहीं चलती, इसमें मुझे शंका है। बहुत से डाक्टरों के मामले में जिला कलेक्टरों ने संस्तुतियां कर दीं, आपने जिला कलेक्टरों की बात सही मान ली। मेरा मानना है कि चाहे स्वास्थ्य हो, सिंचाई हो, इन विभागों का हेड ऑफ दि डिपार्टमेंट टेक्नीकल आदमी होना चाहिए। एक परम्परा बन गयी है और खाली ब्यूरोक्रेट लोग ही हेड ऑफ दि डिपार्टमेंण्ट बनेंगे, यह बात मेरी समझ में नहीं आती।

मान्यवर, इसके साथ-साथ आज एक बात मैं यह भी कहना चाहूंगा, माननीय मंत्री जी आपने अभी बताया कि गम्भीर रोगों के लिए जिला अस्पतालों में व्यवस्था कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि डायलेसिस, ओपेन हार्ट सर्जर, बाई पास सर्जरी, कैन्सर का इलाज जिला अस्पतालों में नहीं हो सकता है। अगर हो भी तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जिनके पास धन नहीं है। हार्ट सर्जरी में लाख डेढ़ लाख रूपया लग जाता है। कैंसर का इलाज कराने में लाख-सवा लाख रूपया लगता है। डायलेसिस बार-बार कराना पड़ता है, न तो आपके पास मशीन उपलब्ध है, अगर है तो धन की व्यवस्था नहीं है। हमारे प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी को नि:सहाय छोड़ दिया जाता है उनके लिए मरने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। माननीय मंत्री जी अगर आप यह व्यवस्था कर देते कि हर जिले में कम से कम 5 की व्यवस्था कर दें तो श्रीमन्, जो इस तरह के मरीज हैं, उनको सुविधायें प्रदान कर दें तो इस प्रदेश की बहुत बड़ी सेवा होती। कैंसर, हार्ट बाई पास के मरीज या गम्भीर रोगों के मरीज जो इस तरह का हैं, उनको ये सुविधायें उपलब्ध कराने में सरकार बहुत ही पुनीत काम करती। हम उस आबादी को सुविधा पहुंचा पाते जो उन सुविधाओं से वंचित हैं। मान्यवर, इस तरह से देखा जाये तो जिला अस्पतालों से लेकर जो स्थिति है आपके पास स्टाफ नहीं है। अगर डाक्टर हैं तो नर्स नहीं हैं, फार्मासिस्ट हैं तो लैब टैक्नीशियन नहीं हैं। मान्यवर, मैं उदाहरण दे सकता हूं। जिला अस्पताल में न तो खून की जांच सही हो पाती है, न तो पेशाब की सही जांच हो पाती है, किसी बात की जिला अस्पताल में सही जांच नहीं हो पाती है। उसको जांच के लिए प्राइवेट नर्सिंग होम में जाना पड़ता है। इस तरह कोई फायदा होने वाला नहीं है। मैं चाहूंगा कि आप अपने बजट में इस बात का प्राविधान करें कि ये सुविधाएं उनको सुलभ हो सके। मान्यवर, इसके साथ-साथ मैं यह भी चाहूंगा कि आप इस विभाग को व्यापारिक ढंग से न चलाकर वेलफेयर स्टेट की जो संरचना हमारे संविधान रचयिताओं ने की थी उसके हिसाब से प्रदेश की जनता की सेवा करें और इस प्रदेश को आगे की ओर ले जाने में आप मदद करें। बहुत से और सुझाव देने हैं। मैं और सदस्यों की बात सुनकर अपने सुझाव को दूंगा और आग्रह भी करूंगा सभी सम्मानित सदस्य इस बजट में वह सुझाव दें जिससे गुणात्मक सुधार हो सके, बहुत-बहुत धन्यवाद।

डा0 सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी ने जो स्वास्थ्य सेवाओं के संबंध में प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हूं। मान्यवर एक कहावत है "इफ हेल्थ इज लास्ट, समथिंग इज लास्ट, इफ करेक्टर इज लास्ट एव्रीथिंग इज लास्ट, द होल नेशन लास्ट द करेक्टर।"

"आई एम सौरी टू से।" मान्यवर, स्वास्थ्य को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। जब तक शरीर है और शरीर स्वस्थ हो क्योंकि भारतीय संस्कृति के बांड्मय में जो परिकल्पना की गई "जीवेत शरदम, शतम" सिर्फ जीने के लिए ही नहीं आप हम 100 वर्ष तक जिये, देखते हुए जिये सुनते हुए चलते हुए जिये अर्थात् हमारी सारी इन्द्रियां अपना कार्य ठीक-ठीक करती रहें। इस प्रकार की गरिमा भारतीय संस्कृति में रही है और इस पर विचार किया जाये तो स्वास्थ्य शब्द का पर्यायवाची अन्य किसी भाषा में आपको प्राप्त नहीं होगा। हेल्थ कभी स्वास्थ्य की पर्यायवाची नहीं हो सकती है। हेल्थ का अर्थ है अर्थात् रोग न हो। स्वास्थ्य का अर्थ जो स्व में स्थित हो, जो किसी पर निर्भर न हो और हमारा यह लक्ष्य होना चाहिए।

मान्यवर, मगर क्या यह सरकार साधुवाद की पात्र नहीं है जिसने सीमित संसाधनों के रहते हुए भी स्वास्थ्य संबंधी हर एक परिव्यय में बढ़ोत्तरी की है। इस पर चिन्ता की गयी है कि स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए बजट बहुत कम है मगर इसके बावजूद भी हमारी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया है और उनको बढ़ाया है। मान्यवर, जैसा कि माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने कहा है इन्होंने अपने कटौती के प्रस्ताव को रखते हुए अपने कुछ सुझाव हमारे समक्ष रखें हैं उनमें से दो-तीन बिन्दु हमें खटक रहें हैं। उन्होंने कहा है कि तकनीकी विभागों मे जो विभागाध्यक्ष रखें जायें वह तकनीकी लोग ही होने चाहिए। मैं भी कहीं तक उनकी बातों से सहमत हूं, किन्तु मान्यवर, जो लोग उधर बैठें हैं उनको भी कुछ अवसर इस पर निर्णय लेने के लिए प्राप्त हुआ था। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया माननीय कुंवर साहब ने यह बात कही, और किसी ने इस पर चिन्ता व्यक्त नहीं की माननीय नेता विरोधी दल ने इस संबंध में कुछ नहीं कहा, उनके बगल में माननीय अम्बिका जी बैठें हैं उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा और किसी ने इस पर चिन्ता व्यक्त नहीं की। सदन इस बात से सहमत होगा, कि यह नहीं होना चाहिए। उन्होंने इस संबंध में सिर्फ इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि नेता विरोधी दल के क्षेत्र औरैय्या में 100 शैय्याओं वाले अस्पताल की व्यवस्था, और माननीय अम्बिका जी के क्षेत्र बलिया में माननीय मंत्री जी 150 शैय्या वाले अस्पताल की व्यवस्था करवा दी है, लेकिन माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने यह कहा है कि तकनीकि विभागाध्यक्ष तकनीकी लोग ही होने चाहिए।

मैं इससे सहमत हूं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने बड़ी योग्यतापूर्वक अपनी बातें सदन के सामने रखी हैं, लेकिन दो-तीन बातें मुझें खटक रही हैं। मान्यवर, आज नर्सिंग होम उत्तर प्रदेश में कुकरमुत्तों की तरह फैलते जा रहे हैं, इनके ऊपर प्रदेश सरकार रोक लगाने का कोई काम नहीं कर रही है, और इसका कारण यह है कि हमारे जो सरकारी अस्पताल हैं, वह अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पा रहे हैं और इसी कारण लोग नर्सिंग होम की तरफ भाग रहे हैं। यह ठीक है कि आपने नये सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण किया है लेकिन जो पहले से हैं, उनको सुधारने का आपने कोई प्रयास नहीं किया है, उनकी गुणवत्ता और कार्यप्रणाली को सुधारने का आपने कोई प्रयास नहीं किया है। इसे आपको करना चाहिए था। माननीय रेवतीरमण के क्षेत्र में भी कुछ न कुछ दीजिए जिससे यह अपने प्रस्ताव को वापस ले लें।

श्री अम्बिका चौधरी–

डंग साहब के सामने संकट है। यह भीष्म की तरह हस्तिनापुर के खूंटे से बंधें इनकी मन में पीड़ा तो बहुत है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते।

डा0 सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, कुंवर साहब के यहां इलाहाबाद में चिकित्सालय का उच्चीकरण कर दिया गया है। अब जब यह अपने कटौती के प्रस्ताव पर पुन: सुझाव रखेंगे तो इनकी भाषा कुछ बदली होगी।

मान्यवर, जैसा सबको मालूम है विश्व का सबसे बड़ा मेला जिसमें 10 करोड़ देशी-विदेशी आदमी आये वहां पर जिस प्रकार से स्वास्थ्य सुविधायें उपलब्ध करायीं गयीं उसकी देश और प्रदेश के लोगों ने भूरि-भूरि प्रशंसा की है। मैं साधुवाद देना चाहता हूं कि यह एक बड़ी सफलता है विभाग की। मान्यवर, विभाग द्वारा अस्पतालों में मक्खन और डबलरोटी का भी प्रबंध किया गया है। जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्ति हैं सरकार ने उनके लिये संकल्प लिया है। लेकिन इसमें कुछ व्यवहारिक

कठिनाईयां हैं कि गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले लोगों, मरीजों का निर्धारण कैसे होगा? जब तक इसके मापदंड के बिंदु नहीं बनाये जायेंगे तब तक व्यवहारिक रूप से कुछ कठिनाईयां रहेंगी। मान्यवर, पोलियो उन्मूलन और अंधता निवारण के संबंध में विभाग द्वारा व्यवस्था की जा रही है। पोलियो के नये केसेज नहीं आ रहे हैं अंधता निवारण के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि मोतियाबिंद सबसे बड़ा इसका कारण कहा गया है। इन लोगों को अगर माननीय मंत्री जी आपकी सफलता दिखायी नहीं दे रही है और मोतियाबिंद हो गया है तो कृपा करके इन लोगों की आंखों की चिकित्सा का प्रबंध करा दें।

मान्यवर, मैं क्षय रोग के बारे में कहना चाहूंगा कि इसकी चिकित्सा में असफलता मिलने का कारण इन्कम्पलीट थिरेपी और एक निश्चित अवधि तक दवायें न लेना है। दवाओं में अंतराल कर देने से भी यह रोग खत्म नहीं होता है। सरकार ने इसके लिये जो डाट व्यवस्था चलायी है और उसमें जो विभाग का आदमी जायेगा और अपने सामने दवा मरीज को खिलवायेगा तो निश्चित रूप से इसका फायदा होगा। इसके लिये आप बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, चाहे केन्द्र सरकार से मदद लें या किसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की मदद लें या अपने संशाधनों से करें इस डाट योजना को पूरे प्रदेश में लागू किया जाय। सरकार के प्रयासों से जिस प्रकार से प्रदेश से पोलियो विदा हो गया है। उसी प्रकार से यह क्षय रोग भी प्रदेश से भागने पर मजबूर हो जायेगा। मान्यवर, एड्स के बारे में कहना चाहता हूं, माननीय रामतेज जी बैठें हैं यह बिल्कुल चिंता न करें।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट–

मान्यवर, यह बीमारी तो सत्तापक्ष के लोगों में है। हम तो वहां से बहुत दूर हैं।

श्री अधिष्ठाता–

जब भी एड्स का नाम आता है उसी समय रामतेज जी आप बोलने लगते हैं, मामला क्या है।

डा0 सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको आदमी छिपाता है लेकिन उसका नाम आने पर चौक जाता है। माननीय रामतेज जी चिंता न करें प्रदेश के योग्य स्वास्थ्य मंत्री हैं। आपके बगल में एक चिकित्सक बैठे हैं और सामने एक चिकित्सक बैठे हैं। इसलिये आप भयभीत न हों जो चाहें करें आपको हम बचा लेंगें।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मान्यवर, डंग साहब ने कहा कि रामतेज जी के सामने चिकित्सक हैं और बगल में चिकित्सक हैं लेकिन इनके पीछे कोई चिकित्सक नहीं है अगर खतरा हो गया हो क्या होगा।

डा0 सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, एक बिंदु की ओर मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय ने एड्स नियंत्रण के प्रदेश सरकार के पास आफर भेजा था।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

आप परिवार नियोजन के बारे में कुछ कहें।

डा0 सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, रघुवर दयाल वर्मा जी अब परिवार के लिये उपयोगी नहीं हैं और स्वास्थ्य की दृष्टि से भगवान की उन पर दया है। आप दोनों प्रकार से कंसलटेंट हो चुके हैं आप प्रेक्टिशनर नहीं रह गये हैं।

मान्यवर, कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय से एड्स नियंत्रण और दवाओं के लिये प्रदेश सरकार के पास आफर चला आ रहा है। लेकिन लालफीताशाही के कारण वह वापस चला जाता है मैं व्यक्तिगत रूप से निवेदन करूंगा कि कंसलटेंसी, औषधियों आदि के लिये उनका सहयोग मिल सकता है। मैं समझता हूं कि केन्द्र सरकार के सहयोग आप कैलीफोर्निया विश्वविद्यालय का एड्स के मामले में सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 1982 के बाद पूरे विश्व में विशेष कर साउथ ईस्ट रीजन के हम निवासी हैं उसमें प्रत्येक देश में कुछ नगरों का स्वस्थ्य नगर के रूप में चयन किया है और उनमें स्वास्थ्य की दृष्टि से क्या-क्या किया जा सकता है क्या-क्या चिन्तन किया जा सकता है जिसमें जन जागृति से लेकर वहां पेयजल, सेनीटेशन की व्यवस्था, गलियों की व्यवस्था वहां किसी प्रकार से पानी न रूके, वातावरण स्वच्छ रहे, पर्यावरण स्वच्छ रहे, यह व्यवस्था की है। इस संबंध में प्रदेश में दो नगरों वृन्दावन और मिर्जापुर का चयन किया है मेरा निवेदन है कि आपके कुछ न कुछ प्राविधान केवल आर्थिक दृष्टि से नहीं सामाजिक दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से इन दोनों जनपदों वृन्दावन व मिर्जापुर के लिए करना पड़ेगा। इसी वर्ष निर्णय लिया गया 2002 से हम प्रत्येक जो उनके सदस्य राष्ट्र हैं उसमें कम से कम एक जिला हेल्दी डिस्ट्रिक प्रोग्राम के रूप में ले रहे हैं अर्थात् जिला वह चयन करेंगे जो कि स्वस्थ जनपद के रूप में पूरे प्रदेश व देश के सामने उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जा सके। मेरा निवेदन है कि आप अपनी सरकार की ओर से प्रयत्न करें कि जनपद का चयन होता है, तो उत्तर प्रदेश के ही किसी जनपद का चयन हो।

एक बिन्दु और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जहां हम स्वास्थ्य सेवाओं की उत्कृष्टता को बढ़ाने के लिए सचेष्ट हैं वहीं मुझे एक बात की चिन्ता कभी-कभी खटकती है हम सेवाएं तो दे लेंगे मगर लोग सहज रूप से स्वस्थ हों इसका चिन्तन नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है हमारा पेयजल स्वच्छ हो हम पेयजल स्वच्छ दे नहीं पाएंगे 80 प्रतिशत बीमारियां गांवों में पेयजल ठीक न होने के कारण होती हैं। सेनीटेशन ठीक न हो, सफाई की व्यवस्था ठीक न हो तो कठिनाई पैदा होगी। नगरों में जनसंख्या अधिक होने के कारण स्थिति और अधिक भयावह है हमें पर्यावरण ठीक रखना चाहिए। इसलिए आपका जो बहुत बड़ा वर्क फोर्स है ए0एन0एम0 या जिनको आप स्वास्थ्य रक्षक कहते हैं वह सोशल प्रिवेंटिव ट्रेनर के रूप में काम कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत अधिक धन की आवश्यकता नहीं है केवल इतने प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि जन जागृति पैदा हो। प्रदेश में दो तरह के लोग हैं व्हाट टू ईट प्रश्न दोनों के सामने हैं जो लोग गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले हैं उनके सामने भी व्हाट टू ईट का संकट है। उनको न्यूट्रियश भोजन कैसे मिले, प्रोटीन और कैलोरी, विटामिन कैसे मिल सकें इसके बारे में जागरूकता की आवश्यकता है। गांव में सहजन का पेड़ होता है उसकी फली और पुष्प में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है इसकी कमी से अनेक बीमारी हो जाती हैं अंधता फैलती है। यह गांव में आसानी से उपलब्ध हो जाता है यदि आप अपने वर्क फोर्स को प्रशिक्षित करें तो वह गांव में और मोहल्लों में जाकर लोगों को इसके बारे में जानकारी दें तो मैं समझता हूं कि परिणाम सुखद होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करने हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 अशोक बाजपेयी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय आज डाक्टर डंग जैसे विद्वान सदस्य की लाचारी और बेबसी पर मुझे तरस आता है मैं उनकी योग्यता और जानकारी पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता नि:संदेह वह योग्य है। उनकी निष्ठा हस्तिनापुर से जुड़ी है। अभी जब राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया था तो लगता था उनके मुंह से जबरन यह सब निकलवाया जा रहा है और आज स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट की प्रशंसा, भगवान ऐसी लाचारी कभी किसी को न दे।

डा0 सरजीत सिंह डंग–

अगर माननीय बाजपेयी जी समझते हैं कि इतना मैंने लाचारीवश कहा तो यदि मैं पूरे मन से खड़ा होता तो शायद बाजपेयी जी खड़े ही न होते।

डा0 अशोक बाजपेयी–

मैं जानता हूं आपकी मजबूरी और किस तरह से पांच वर्ष आपने काटे हैं जबरन आपसे क्या-क्या कहलाया गया मेरी आपके साथ पूरी सद्भावना जुड़ी है।

डा0 सरजीत सिंह डंग–

मैंने तो सत्ता पक्ष में काटे हैं आपने तो विपक्ष में काटे हैं।

डा0 अशोक बाजपेयी–

विपक्ष में इतनी घुटन नहीं है यहां कम से कम स्वच्छ हवा तो है।

डा0 सरजीत सिंह डंग–

मैं जानता हूं योग्यतम व्यक्ति योग्यतम स्थान पर बैठाये गये हैं। यह वक्त के हालात हैं कि कातिल को मसीहा कहना पड़ रहा है।

डा0 अशोक बाजपेयी–

मान्यवर, मैं डाक्टर साहब के लिए दो लाइनें पढ़ना चाहता हूं "साकी अजब है दस्तूर तेरे मयखाने का, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता।"

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के बजट भाषण को सुन रहा था मैं सोचता था मंत्री जी चार वर्षों से इस विभाग का संचालन कर रहे हैं प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का काम करेंगे।

डा0 सरजीत सिंह डंग–

मान्यवर, हमें नहीं मालूम था कि बाजपेयी जी पीने पिलाने की बात भी करते हैं।

डा0 अशोक बाजपेयी–

प्रदेश की 14 करोड़ आबादी स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित है यह किसी से छिपा नहीं है। विश्व मानक के आधार पर निर्णय लिया गया था कि 30 हजार की आबादी पर एक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाय

लेकिन यह केन्द्र खुले केवल कागजों पर। माननीय मंत्री जी हृदय की सच्चाई से जवाब दें कि उत्तर प्रदेश में कितने स्वास्थ्य केन्द्र न्यूनतम सेवाओं को देने के लिए कार्य कर रहे हैं ? न वहां पर चिकित्सक है न दवायें एक आध चतुर्थ और तृतीय श्रेणी के कर्मचारी रहते हैं और फर्जी मरीजों के आंकड़े दिखाकर स्वास्थ्य सेवा की वाहवाही लूटी जाती है। नगरीय क्षेत्र में जो अस्पताल है उनकी स्थिति से आप भलीप्रकार वाकिफ हैं। नगरीय क्षेत्र में आज प्राइवेट नर्सिंग होम हावी होते चले जा रहे हैं। एक प्रश्न चिन्ह जल गया है सामाजिक क्षेत्र की स्वास्थ्य सेवाओं पर। आपके शहरों में मेडिकल कालेज एक से एक बढ़िया है अस्पताल है चिकित्सकों की योग्यता पर भी संदेह नहीं है फिर भी नर्सिंग होम हावी है ऐसा क्यों। आदमी की मानसिकता में सरकारी अस्पताल क्यों नहीं आ रहे हैं। दोष है प्रशासनिक ढांचे में। मेडिकल कालेज में सीटीस्कैन मशीन नहीं है मरीज को रिफर कर दिया जाता है कि प्राइवेट कराओ वहां पर अल्ट्रासाउण्ड एक्स-रे मशीनें उपलब्ध हैं फिर भी यह कहा जाता है कि मशीन खराब है फलां जगह से एक्स-रे अल्ट्रासाउण्ड कराओ। बड़ी-बड़ी पैथालोजी की सुविधाएं इनके पास हैं, उपकरण इनके पास हैं, चिकित्सक इनके पास हैं लेकिन यह सारी टेस्टिंग इन अस्पतालों में नहीं होती है। नर्सिंग होम और प्राइवेट डायगनोस्टिक सेन्टर में जाकर मरीजों को कराना पड़ता है, इसका कारण क्या है वह भी किसी से छिपा नहीं है। इनके योग्य अनुभवी चिकित्सक अस्पताल में सेवा करने के बजाय रेफरेंस देने की बात करते हैं। मरीज से बातों-बातों में कहते हैं कि मैं चिट लिखकर दे रहा हूं तुम फलां नर्सिंग होम में जाकर भर्ती हो जाओ मैं शाम को आकर वहीं देख लूंगा। प्रदेश की जनता इलाज कराने के लिये इन अस्पतालों में आती है और वहां पर इन चिकित्सकों की सलाह से नर्सिंग होम में भर्ती हो जाते हैं। आज 90 प्रतिशत नर्सिंग होम इन्हीं चिकित्सकों के सहयोग से चल रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि आप इन अस्पतालों को बन्द कर दें, इनसे किसी का भला नहीं हो सकता है और अरबों रूपया इन पर खर्च हो रहा है। बस निदेशालय को चलने दीजिये जो कि आपको आंकड़ें और सूचनाएं उपलब्ध करा देते हैं। इस स्वास्थ्य विभाग की आवश्यकता क्या रह जायेगी ? जब सारी जांचें निजी क्षेत्र में होगीं, नर्सिंग होम में होंगीं तो इन अस्पतालों से क्या भला होने वाला है।

मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसको गम्भीरता से लें। यह केवल कटौती के प्रस्ताव या बजट प्रस्ताव की स्वीकृतियों तक ही सीमित न रह जाय। आपके जो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, वह किस तरह से बेमानी होते चले जा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों और जिला अस्पतालों की स्थिति दिन पर दिन बुरी होती चली जा रही है। जिला अस्पताल में गन्दगी का कितना बुरा हाल है, वहां मरीज क्या ठीक होगा ? अस्पतालों में सेनीटेशन की व्यवस्था ठीक नहीं है। अब हाइजीनिक कम्पाउन्ड होंगे तो रोगों से कैसे सुरक्षा होगी। मरीज कैसे स्वस्थ हो सकेगा ? इस पर आपने कोई चिन्ता नहीं की है। मैं दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि विभिन्न प्रदेशों में मलेरिया उन्मूलन के लिये महत्वकांक्षी योजनाएं चल रही हैं। भारत सरकार से तमाम पैसा इसमें आया होगा लेकिन उस पैसे का किस तरह से दुरूपयोग हुआ यह बात किसी तरीके से स्वास्थ्य मंत्री जी से छिपी नहीं होगी। इसमें जो गाड़ियां इन योजनाएं के तहत खरीदी जानी थी जीप आदि उसके स्थान पर एम्बेसडर, एयर कन्डीशन्ड कार खरीद ली गई। एक दो नहीं 44 गाड़ियां अपनी सुविधा के लिये अधिकारियों ने इस पैसे से खरीद लीं नियम के विरूद्ध। मलेरिया उन्मूलन के लिये जो पैसा था इस तरीके से उसको बर्बाद करने का काम किया। करोड़ों रूपये की फागिंग मशीन और अन्य संयंत्र खरीदे गये जो आज भी गोदाम में बन्द पड़े हैं, उनका उपयोग नहीं हुआ। भारत सरकार से मलेरिया उन्मूलन के लिये सहायता मिली थी। प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर मच्छर हैं। हजारों लाखों लोग प्रतिवर्ष मलेरिया के शिकार होते हैं। आपने इस तरह से जो पैसा भारत सरकार से मिला था उसको इस तरह का घिनौना खेल-खेल कर बर्बाद कर दिया है और कह रहे हैं कि हम इसको चुस्त-दुरूस्त बनाने का काम करेंगे।

भारत सरकार से जो सहायता मिलती है उसके सम्बन्ध में उसके सापेक्ष आपको जो अपनी मैचिंग ग्रान्ट देनी होती है वह न दे पाने के कारण भारत सरकार द्वारा प्राप्त सहायता का भी उपयोग उत्तर प्रदेश सरकार नहीं कर पा रही है। आपको प्रयास करना चाहिए कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को समुन्नत किया जा सकता है।

(इस समय 6 बजकर 12 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 सरजीत सिंह डंग पीठासीन हुए)

राजधानी में संजय गांधी इन्स्टीट्यूट की स्थापना हो रही थी यह बहुत ही महत्वाकांक्षी इन्स्टीट्यूट होगा इसमें विदेशी स्वास्थ्य सेवाओं के समतुल्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी। लेकिन सरकारी उदासीनता के कारण आज उसकी क्या स्थिति हो गई है। जो उसके बारे में एक अपना था, एक लक्ष्य था वह पूरा नहीं हो सका है इसी तरह से कहना चाहता हूं कि मेडिकल कालेज के स्तर को भी ठीक करना होगा। मेडिकल कालेज में मरीज जाने से घबराता है। जांच और उत्पीड़न से परेशान हो जाता है। एक बैच आता है वह टेस्टिंग के लिये ब्लड लेता है फिर दूसरा बैच आता है और फिर वह ब्लड जांच के लिये ले जाता है। इस तरह से वहां पर मरीज जाकर और बीमार हो जाता है। आखिर आप इसके बारे में कब सोचेंगे। बड़ा गम्भीर मामला है, आज अस्पतालों की स्थिति बहुत खराब हो गई है। आप 4 वर्ष तक प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं आपको यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि लगातार 4 वर्ष तक आप इस विभाग में रहे लेकिन स्वास्थ्य सेवा में कुछ सुधार करके जाते प्रदेश की जनता आपको याद करती, आपको धन्यवाद देती, आप यह चाहते हैं कि आप बजट प्रस्तुत करेंगे और वह पास हो जाएगा वह पास तो हो जाएगा लेकिन आप प्रदेश की 14-15 करोड़ जनता की भावना का सम्मान नहीं कर पाएंगे। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में खरे नहीं उतरेंगे। इतिहास आपको माफ नहीं करेगा। कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने कहा, प्रदेश मे आपने स्वास्थ्य मेला लगाया प्रदेश भर के तमाम गंभीर बीमारी के मरीज दौड़-दौड़कर सैकड़ों रूपये खर्चा करके आए और पंजीकरण कराया, प्रधानमंत्री जी चले गये मेला खत्म हो गया, लेकिन जिन मरीजों को अस्पतालों में रिफर किया गया था, वह कोई पी0 जी0 आई0 कोई मेडिकल कालेज तो कोई बलरामपुर के चक्कर काट रहा है। डा0 कहते हैं कि दवा के लिए पैसा नहीं है आपरेशन के लिए पैसा नहीं है, मेरा आपसे कहना है कि आप जनता को सुविधा नहीं दे सकते हैं तो जनता के साथ ऐसा घिनौना मजाक न करें। सस्ती लोकप्रियता के लिए आप ऐसे आयोजन न करें। प्रदेश की जनता को दिन में सपने दिखाने का काम न करें तो अच्छा होगा। पूरे विभाग में गुणवत्ता के आधार पर जो स्वास्थ्य सेवायें हैं उनको सुधार सकें ऐसा प्रयास होना चाहिए।

मान्यवर, मुख्य चिकित्साधिकारी की बोलियां लगाई जाती हैं, यह कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता है, शर्म आती है लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं कि 90 प्रतिशत मुख्य चिकित्साधिकारी पैसा देकर नियुक्ति पाते हैं। जो व्यक्ति दो-तीन लाख व्यय करके आएगा उसका पहला काम होगा वसूली करना, उपकरण की खरीद के नाम पर, दवाओं की खरीद के नाम पर, अस्पताल के लिए और जो आवश्यक चीजें हैं उनको खरीदने के लिए जो धनराशि होती है वह उससे वसूली करता है। सरकारी अस्पतालों में घटिया से घटिया सामग्री सप्लाई होती है जबकि बढ़िया से बढ़िया सप्लाई के लिए धन आवंटित होता है। अस्पतालों में बहुत ही सस्ती और घटिया चीजों को मंगाया जाता है जो सामग्री 5-10 साल चलनी चाहिए वह साल भर नहीं चल पाती है आप किसी अस्पताल में चले जाएं कहीं पलंग की स्प्रिंग टूटी है कहीं पाइप टूटा होगा, गद्दे नीचे पड़े होंगे, ऐसे कैसे आप जनता को स्वास्थ्य देंगे। किसी व्यक्ति को स्वस्थय करने के लिए दवायें पर्याप्त नहीं होती हैं वातावरण भी सही होना चाहिए।

लेकिन सरकारी अस्पतालों का वातावरण ऐसा है कि स्वस्थय व्यक्ति भी वहां पलंग पर लेट जाए तो वह मरीज होकर निकलेगा। मंत्री जी तमाम घोषणाओं के साथ यह भी प्रयास करेंगे कि मरीजों को दवायें नहीं दी जा सकती हैं, पैसा नहीं है तो अस्पताल का वातावरण तो ऐसा कर दें कि मरीज को वहा जाकर स्वास्थ्य लाभ मिल सके।

अधिष्ठाता महोदय, आप योग्य चिकित्सक हैं मैं सौभाग्यशाली हूं कि आप अधिष्ठाता की कुर्सी पर विराजमान हैं, आप मेरे दर्द को, प्रदेश की जनता के दर्द को नहीं समझेंगे तो विधान सभा में किसी से अपेक्षा नहीं कर सकते हैं। मैं कटौती के प्रस्ताव का ही समर्थन करने खड़ा नहीं हुआ हूं बल्कि में प्रदेश की जनता की परेशानी का आपको अनुभव करा रहा हूं। 4 करोड़ जनता के साथ स्वास्थ्य के नाम पर खिलवाड़ हो रहा है। विशिष्ट और अति विशिष्ट लोगों को मंहगी दवायें मिलती हैं लेकिन आम व्यक्ति को जीवन रक्षक दवायें भी उपलब्ध नहीं हो पाती हैं।

श्री अधिष्ठाता–

दोनों प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए बड़ी संख्या में नाम आए हैं।

डा0 अशोक बाजपेयी–

आप कहेंगे तो मैं बन्द कर दूंगा। आपको मेरी बात प्रिय नहीं लगेगी तो मैं बन्द कर दूंगा।

श्री अधिष्ठाता–

एक-दो मिनट में बात रख दें। दो बजट और हैं परिवार कल्याण और पर्यटन पर है, हमें दिक्कत नहीं है सदन जब तक चलाना चाहें।

डा0 अशोक बाजपेयी–

प्रदेश के पास संसाधन नहीं हैं। मंत्री जी जितनी घोषणायें करें इनके पास संसाधन नहीं हैं। प्रदेश के व्यक्तियों को नि:शुल्क इलाज करा सकें। अस्पताल में जीवन रक्षक दवायें गरीब आदमी को उपलब्ध नहीं है। आपके सेन्टर हैं वहां व्यक्ति का प्राथमिक उपचार नि:शुल्क होना चाहिए। लेकिन अस्पताल में कोई व्यक्ति भर्ती होने के लिए जाता है तो भर्ती होने के लिए अतिरिक्त धनराशि देनी पड़ती है। मरीज जैसे ही अस्पताल में प्रवेश करता है लूट शुरू हो जाती है इलाज में वार्ड ब्वाय से लेकर सभी उंगली चलाते मिलते हैं। यह प्रदेश की जनता का विषय है। प्रदेश की जनता की स्वास्थ्य सेवायें मिल सकें यह उसका विषय है, जिस तरह से निजी स्वास्थ्य सेवायें प्रचारित हो रही हैं, अगर सरकारी अस्पतालों की चिकित्सा व्यवस्था से जनता का विश्वास उठ जाए तो आपका इतना बड़ा अमला बेकार हो जायेगा। आप इस पर ध्यान दें। अपने बेहतर चिकित्सा सुविधा प्रारम्भ नहीं की तो आपके सारे प्रयास बेकार चले जाएंगे। मैं इसलिए माननीय कुंवर साहब के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इस सरकार से कोई अपेक्षा नहीं है। चाहे कितना पैसा दे दें इनकी इच्छा शक्ति नहीं है। अगर प्रयास किया गया होता तो मैं यह प्रस्ताव करता कि स्वास्थ्य सेवाओं की धनराशि बढ़ा दी जाय। इन्हें तो कुबेर का सारा खजाना भी दे दिया जाय तो भी प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं में यह वृद्धि नहीं कर सकते हैं। इसीलिए मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

डा0 लक्ष्मीकांत वाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं इसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में शुरू में कहा था कि उनका विभाग गर्भ से लेकर मृत्यु तक का विभाग है इसको प्रस्तुत करते समय मुझे गर्व हो रहा है। सेवा का विभाग स्वास्थ्य विभाग है, स्वास्थ्य का अभाव स्वास्थ्य विभाग है। लेकिन अपने अनुभव के आधार पर मजबूर होकर कह रहा हूं कि क्या स्वास्थ्य विभाग खुद भी स्वस्थ है? इतना लम्बा चौड़ा अमला है और आज कोई आदमी अपने माता-पिता को अपनी गरीब आर्थिक स्थिति में होने के कारण इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराता है तो लोग कहते हैं कि क्या यह कर्जा लेकर अपने माता-पिता का इलाज बाहर नहीं करा सकता है। क्यों इसने मरने के लिए यहां भेज दिया है। मान्यवर, अस्पताल के उपकरण खराब, सामने की दुकानों पर उनका निदान यह तथ्य किसी से छिपा नहीं है। यह बात बावजूद इसके इसीलिए कह रहा हूं कि मैं बजट का समर्थन कर रहा हूं और सत्तारूढ़ दल का सदस्य हूं। कुछ बातें मैं रखना चाहता हूं। जनता के सामने जो स्थिति है उसपर गौर करके उस फीड बैक के आधार पर अपने स्वास्थ्य सेवाओं में गुणवत्ता लाने का कष्ट करें न कि अधिकारियों के फीड बैक के आधार पर। नहीं तो पांच साल बीतने जा रहे हैं और परिणाम शून्य रहेगा। अपमिश्रण अधिनियम की चर्चा की गयी। वर्षों पुराना यह अपमिश्रण अधिनियम खुद अपमिश्रित हो गया है उसकी जांच करायें। यह मैं एक चिकित्सक होने के नाते कहना चाहता हूं। नकली दवाएं कितनी बिक रही है, फर्जी चिकित्सकों की चर्चा भी की। लंगड़ा कानून के आधार पर रोक सकेंगे ? अगर मंशा सही है तो उसमें संशोधन करेंगे ? नकली दवाओं को रोकने के लिए कौन सा तरीका है, जो जनता का पैसा है उसकी लूट न हो, नकली दवा खाने पर वह मजबूर न हो इसके लिए क्या उपाय माननीय मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में किये हैं यह नहीं दिखा है।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहूंगा। आप अपने विभाग के छज्जे से झांककर देखें। कुछ विभाग के अधिकारी या उनके परिवार वाले एन0जी0ओ0 के रूप में कार्य करके छल तो नहीं कर रहे हैं। इसी के साथ जो मुझे अनुभव हुआ है मैं कहना चाहूंगा, आज पीड़ा के साथ क्षमा चाहते हुए कहना चाहूंगा -शस्तस्य स्वास्थ लक्षणं, आतुरस्य रोग विमौक्षणम। मान्यवर, डाक्टर होने के नाते और विभाग के नाते जो मुझे अनुभव हो रहा है वह कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पहुराय। अन्धे के आगे रोये अपना दीदा खोये, दूसरा है चिकना घड़ा, चाहे जो कहो कोई असर नहीं है। विधायक की कही गयी बात निश्चित तौर पर असत्य है ऐसी मान्यता और अधिकारियों द्वारा कही गयी बात निश्चित सत्य है इस विश्वास के साथ और इस प्रदेश की जनता की सेवा करना, सेवा वाला विभाग, मैं समझता हूं कि शायद अपने को धोखा देना है जनता को तो धोखा हो रहा है हो रहा होगा। मैं भाई पूर्णमासी पंकज की तरह दो पंक्तियां कहना चाहता हूं-

मामले को लटकाया मत करो,
इधर या उधर तत्काल निस्तारण किया करो।

यह मंत्री जी को सलाह है-

सूसू मत कहो, सुसुरी कहो,
दाता से सूम भला, जो तुरतै दे जवाब।

काम होना है तो हां, नहीं होना है तो ना। जवाब न दिया जाय तो इस प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग और इस प्रदेश की जनता का भला होने वाला नहीं है। माननीय मंत्री जी के बजट का तो समर्थन करता हूं कुछ सुधार की अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद।

श्री दददू प्रसाद–

माननीय अधिष्ठाता जी, माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी के द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा, स्वास्थ्य विभाग के कटौती प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, संविधान की जो अवधारणा है, उसके अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग वेलफेयर डिर्पाटमेंट कहा गया है और जैसा कि अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने परिलक्षित किया है मैं बहुत ही आभारी हूं माननीय डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी जी का जिन्होंने सत्ता पक्ष में रहते हुए सच्चाई को बिल्कुल शीशे की तरह से रख दिया है उसमें और कुछ ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं का जो पूरा जाल पूरे प्रदेश में है उसकी कोइ मिसाल नहीं है। यह पूरी तरह से डाक्टरों की और डिर्पाटमेंट की मिलीभगत के कारण वेलफेयर डिर्पाटमेंट न होकर जनता का शोषण करने वाला डिर्पाटमेंट हो गया है। यह व्यापारिक विभाग है जिसके पास पैसा है उसको ही दवा मिल सकती है उसका इलाज हो सकता है उसको कोई सलाह डाक्टरों से मिल सकती है। मैं एक आपको अनुभव बता रहा हूं। दो मई को जनपद चित्रकूट में एक सड़क दुर्घटना में 10 लोगों की तो खैर मौके पर मृत्यु हो गयी 7 लोग स्वरूप रानी अस्पताल इलाहाबाद में रेफर करके भर्ती कराये गये। चार मई को श्री एन0पी0 सिंह सी0एम0एस0 से मिला उनके बेहतर इलाज के संदर्भ में। पर दवा के अभाव में, इंजेक्शन के अभाव में, उचित सलाह के अभाव में, कैसे बाहर से दवा लायी जा सके, बाहर से इंजेक्शन लायी जा सके डाक्टरों ने यह सलाह देना उचित नहीं समझा और पांच लोगों की स्वरूप रानी अस्पताल इलाहाबाद में मृत्यु हो गयी। ऐसा हाल पूरे प्रदेश में है।

मान्यवर, मैं जनपद चित्रकूट से चुनकर आता हूं और वहां पर अभी जिला चिकित्सालय नहीं बना हुआ है जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र था वहीं उसको जिला चिकित्सालय कह दिया। वहां दवा के नाम पर पैरासीटामोल भी उपलब्ध नहीं है। थोड़ा सा फ्रेक्चर हो जाता है तो बांदा जाना होता है। जिला चिकित्सालय की हालत यह है कि अगर किसी को कुछ हो जाता है तो वहां मध्य प्रदेश में बगल में जानकीकुण्ड अस्पताल है वहां जाना पड़ता है यह रिकार्ड है 4-5 लोग मेरे परिवार में हैं और मुझे आज तक जिला चिकित्सालय चित्रकूट से एक पैसे की दवा नहीं उपलब्ध हो सकी है। बच्चे हैं, पत्नी है वह बीमार होते हैं तो उनकी वहां दवा नहीं होती है। तो जब जनप्रतिनिधि का यह हाल है जिसको पहुंचवाला कहते हैं तो जब पहुंचवाले लोगों का यह हाल है तो सामान्य लोगों का हाल क्या होगा उनको कहां से दवाई मिलेगी।

मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि यह संविधान की धारणा के अनुरूप वेलफेयर डिपार्टमेंट नहीं रह सका है जब गरीब का सही तरीके से इलाज नहीं हो सकता, दवा नहीं मिल सकती है तो ऐसे विभाग को समाप्त कर दीजिए। इस विभाग से जनता को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। करदाता का जो पैसा सरकार के पास आता है वह जनता का ही पैसा है और जनता को गरीब व्यक्ति को जिसको आवश्यकता होती है इलाज की दवा की उसको वह नहीं मिल पा रही हैं। ऐसा विभाग चलाने से कोई फायदा नहीं है जनता के साथ धोखाधड़ी करने वाला यह विभाग है। जिसके पास पैसा होगा वह अलग से इलाज करा लेगा इसको एक पैसा भी देने की आवश्यकता नहीं है इसलिए कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए मैं कहना चाहता हूं कि मेडिकल स्टोर को लाइसेंस देने की एथारिटी सी0एम0 ओ0 के पास थी। पिछले दिनों एक विज्ञप्ति जारी करके शासन ने सी0एम0ओ0 से, हाईकोर्ट

में हुई रिट के डिसीजन के आधार पर कि सी0एम0ओ0 के पास उचित अर्हता नहीं है एम0 फार्मा, बी0 फार्मा की डिग्री नहीं है, वह एथारिटी वापिस ले ली उसे लाइसेंसिंग एथारिटी से प्रतिबन्धित कर दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जो मेडिकल स्टोर हैं वह हैं, नये मेडिकल स्टोर कहीं पर नहीं खुल रहे हैं क्योंकि कोई लाइसेंसिंग एथारिटी कहीं पर नहीं है। तो इसे सरकार कम से कम कर दें। यह बाबूगीरी का कार्य है, नियंत्रण का कार्य है इसकी व्यवस्था करा दें, लाइसेंसिंग एथारिटी घोषित कर दें किसी भी पदाधिकारी/अधिकारी को जिसको उचित समझें। मान्यवर, मेरी मांग है कि जनपद चित्रकूट में रैपुरा और खण्डेहा में नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जायं। इसी के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव–

मान्यवर, आपने मुझे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया है इसके लिए आभारी हूं। मान्यवर, संस्कृत का एक श्लोक है जिसका भावार्थ है- निरोगी व्यक्ति ही भाग्यवान और धनवान होता है, वही व्यक्ति रूपवान, गुणवान, बुद्धिमान, बलवान और यशस्वी होता है, निरोगी यदि नहीं है तो कुछ भी नहीं है। कहा गया है कि स्वस्थ्य शरीर में स्वस्थ्य मस्तिष्क रहता है। कुछ ऐसी स्थिति बन गयी है कि स्वस्थ्य मस्तिष्क के लोग भी यहां कम दिखाई पड़ रहे हैं। स्वस्थ्य शरीर में भी स्वस्थ्य मस्तिष्क कम दिखाई पड़ रहा है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने पिछले 5 वर्षों में निश्चित रूप से स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत यशस्वी कार्य किया है। इसके पहले वाली सरकारों ने तो कुछ भी नहीं किया था चिकित्सा और स्वास्थ्य यह दोनों सेवा के क्षेत्र हैं, इसमें निश्चित रूप से जितना भी कार्य किया जाय, वह कम है। यह बहुत विस्तृत क्षेत्र है। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एवं मंत्री जी की देखरेख में यह साबित हो गया है कि कल्याणकारी सरकार का जो दायित्व है कि वह जनता के एक-एक व्यक्ति के स्वास्थ्य की चिन्ता करें वह पूरा कर रही है। इस सरकार ने इसकी चिन्ता की है और उसका परिणाम यह है कि प्रति व्यक्ति की औसत आयु 27 वर्ष से बढ़कर 61.2 वर्ष हो गई है। पहले मृत्यु दर अधिक हुआ करती थी, अब मृत्यु दर कम हो गई है।

मान्यवर, इस सरकार द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। पहले मरीजों को अनेक स्थानों पर शरीर के जो अवयव हैं, उनका एक्स-रे कराने के लिये, अल्ट्रासाउन्ड कराने के लिये, पैथालाजिकल टेस्ट कराने के लिये अलग-अलग भागना पड़ता था, इसी को देखते हुये क्षेत्रीय डायगनोस्टिक सेन्टरों की स्थापना के लिये 20 करोड़ रूपये का प्राविधान इस सरकार ने किया है। निश्चित रूप से सरकार बधाई की पात्र है। जनसंख्या नियंत्रण की दृष्टि से सिफ्सा के माध्यम से सरकार अनेक कल्याणकारी कार्य कर रही है, मैं इस सरकार को बधाई देना चाहता हूं, जिसने तपेदिक जैसे रोग को निर्मूल नष्ट करने का बीड़ा उठाया है। इसी देश में एक प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनकी पत्नी की तपेदिक से मृत्यु इसलिये हो गई थी, क्योंकि उस समय तपेदिक का इलाज नहीं हुआ करता था। अब कोई भी मरीज जो तपेदिक रोग से ग्रस्त हो, उसके इलाज करने की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है। अस्पतालों में उसके नाम के दवा के डिब्बे रखे गये हैं, मरीज वहां आता है, दवा खाता है, चला जाता है, फिर निश्चित तिथि पर आता है दवाखाता है और चला जाता है अब उसे किसी प्रकार की चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं है। अब 8-9 महीने इलाज करने के बाद तपेदिक का मरीज ठीक हो जाता है।

इसी प्रकार कुष्ठ रोग को निर्मूल नष्ट करने के लिये सरकार ने कई कदम उठाये हैं। अंधापन, विकलांगता का निवारण करने के लिये भी सरकार ने प्रभावी कदम उठाये हैं। अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने कहा कि भारत के प्रधानमंत्री के निर्देश पर और उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से बहुत बड़ा परिवार कल्याण मेला लगा। सबसे पहले यह मेला मथुरा में लगाया गया, उसके बाद बिहार में और फिर तीसरा मेला लखनऊ में लगा। हमारे विपक्ष के साथियों ने कह दिया कि इससे किसी को लाभ नहीं हुआ। मैं बताना चाहता हूं कि लाखों लोगों को, जिस पद्धति से उन्होंने इलाज चाहा, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथिक, उसे किया गया और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी करा लिया उनका इलाज पी0जी0आई0 और दिल्ली तक कराने की व्यवस्था की गई है। इसके लिये मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि इस सरकार ने निर्णय किया है कि नगरीय क्षेत्रों में 100 पी0एच0सी0 सेन्टर शीघ्र खोले जायेंगे और सभी पी0एच0सी0 को एम्बूलेंस इस वर्ष उपलब्ध करा देंगे। मैं कुछ बहुत महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं मान्यवर, मेरे क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई चिकित्सालय है, तीन वर्ष बने हुए हैं। लखनऊ में राम मनोहर लोहिया अस्पताल भी है। मान्यवर, रानी लक्ष्मीबाई चिकित्सालय बहुत अच्छा है, वह 30 शैय्याओं का बना था, माननीय मंत्री जी ने घोषणा की है कि वह 70 शैय्याओं का हो जायेगा। मैं आशा करता हूं कि यह शीघ्र ही पूरा हो जायेगा। इस अस्पताल में अनेक डाक्टर्स अटैच करके लाये गये हैं, यहां पर पदों के सृजन की आवश्यकता है। यहां अधीक्षक के पद के सृजन की भी आवश्यकता है। जो अधीक्षक का पद है वह सृजित पद नहीं है। इस चिकित्सालय में नेत्र विभाग में डा0 का पद नहीं है कार्डियोलोजी तथा अर्थोपैडिक विभाग नहीं है इसे खोलने की आवश्यकता है चिकित्सालय के अर्धनिर्मित भवन को पूर्ण करने की आवश्यकता है।

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा बहुत पहले अस्पतालों में उत्तर प्रदेश में जूनियर रैजीडेंट मेडिकल आफिसर्स की पोस्ट हुआ करती थी। उत्तर प्रदेश को छोड़कर दिल्ली और अन्य प्रदेशों में जूनियर रेजीडेंट मेडिकल आफिसर्स की पोस्ट हैं और इनके उत्तर प्रदेश में न होने के कारण जो छात्र एम0डी0 में पढ़ते हैं उनको ही यह सारा भार उठाना पड़ता है। पढ़ाई का काम रोककर उनको यह काम करना पड़ता है मान्यवर, दूसरी बात कह दूं अन्त में, बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जहां पर डाक्टरों की जगह खाली हैं, मेरा स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह है कि पी0एम0एस0 की जगह जल्दी निकालें क्योंकि सैकड़ों, हजारों छात्र एम0बी0बी0एस0 करके गली-गली मारे-मारे फिर रहे हैं। अन्त में बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

***श्री दुर्गा प्रसाद यादव–**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं बहुत-बहुत आभारी हूं। मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग के बजट पर माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, जो स्वास्थ्य विभाग का बजट पेश हुआ है उत्तर प्रदेश में इससे खराब बजट किसी भी शासनकाल में नहीं पेश हुआ था। मान्यवर, मैं कह देना चाहता हूं जो भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत किए गये हैं, वे भवनहीन हैं, भवन के न रहने से आज मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मान्यवर, हमारे आजमगढ़ निर्वाचन क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आतापुर, कोइनहा, महराजपुर जो स्वीकृत हैं, मगर उस पर बजट नहीं दिया गया है। इसी तरह से मान्यवर, हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कोइनहा है, मैं कहना चाहूंगा स्वास्थ्य मंत्री जी से कि पूरा पैसा उस पर नहीं मिला है, थोड़ा सा पैसा दिया गया है और अधूरा

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

बाकी है, मैं कहना चाहूंगा कि इसे पूरा किया जाए। मान्यवर, आज डिस्टिक हास्पिटलों की हालत बहुत खराब हो चुकी है, जो गरीब तबके के मरीज हैं, जो जिला चिकित्सालय में दवा के लिए आते हैं, मुझे दुख के साथ कहना पड़ रहा है, कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले ये लोग दवा के अभाव में मर रहे हैं। आज अस्पताल मे कोई दवा नहीं मिल रही है, पट्टी तक को मरीज बाहर से खरीद कर लाता है।

मान्यवर, आज जो इमरजेंसी में मुआयना होता है, उसकी फीस 10 रूपये थी, हो सकता है बढ़ाकर 51 कर दिया हो। अगर जब मुआयना होता है, इमरजेंसी का जो डाक्टर है वह 200-300 रूपये लेकर गरीब जनता का मुआयना करता है। इसी तरह से जो भवन बने हैं, जर्जर हालत में हैं। हमारे कुंवर साहब ने अपने भाषण में कहा कि भवन जर्जर हालत में हैं वह कभी भी गिर सकते हैं। मैंने नियम 51 में एक सवाल उठाया था जिसका उत्तर माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने दिया कि जिला चिकित्सालय का भवन अथवा छत कहीं से गिरने की स्थिति में नहीं है, न ही किसी अप्रिय घटना घटने की सम्भावना है, कुछ भागों में जैसे बरामदा, इमरजेंसी बार्ड, चिल्ड्रेन वार्ड, महिला वार्ड आदि के कमरों में सीलन आ जाती है, जो पुराना भवन होने के कारण स्वभाविक है। बरसात के समय में किसी अधिकारी को भेज दीजिए, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी हमारे जिले के प्रभारी हैं, खुद चलकर देख लें, मरीजों के रहने की जगह नहीं है, उनके खड़ा होने की जगह नहीं है। मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है वह पूर्णतया गलत है मैं कहना चाहता हूं कि राहुल सांस्कृत्यायन महिला अस्पताल आजमगढ़ में करोड़ों की लागत से बनाया गया है। मगर दुःख के साथ कहना पड़ता है कि इस महिला अस्पताल में 4-4 महिला डाक्टर कार्यरत हैं। वह छुट्टी का दरख्वास्त देकर प्राईवेट प्रैक्टिस करती हैं। हमारे आजमगढ़ के जिलाधिकारी महोदय ने जाकर जांच की, उस महिला डाक्टर को प्रैक्टिस करते हुये पकड़ा लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। हालत यह है कि महिला अस्पताल में ताला बन्द है, जानवर उसमें घूम रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग से एक महिला अधिकारी जांच के लिए गयी थीं, उनको मालूम होगा कि वहां की स्थिति क्या है ? डाक्टर प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं, अस्पताल में नहीं बैठते हैं। महिला अस्पताल की स्थिति बहुत खराब है, इसको माननीय मंत्री जी गम्भीरता से लें। जो यहां पर ए0एन0एम0 सेण्टर बनाया गया था, उसकी कभी मरम्मत नहीं हुई, उसकी छत गिर गयी है, दरवाजे खिड़की नहीं है, न ही उनमें कोई रहता है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, मैं एक बात और रखना चाहता हूं। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कुत्ता काटने का इंजेक्शन की सप्लाई बहुत ही कम संख्या में हो रही है। हमारे आजमगढ़ में कुत्ता काटने के रोगियों की संख्या बहुत है।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव–

मान्यवर, पूरे उत्तर प्रदेश में कुत्ते के काटने का इंजेक्शन अधिक संख्या में सप्लाई की जाय।

मान्यवर, एक बात आखिर में कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं। मेरा सुझाव है कि जो गरीबी की रेखा के नीचे के लोग हैं अगर वह अस्पताल में दवा कराने जाते हैं तो उनके दवा की मुफ्त में पूरी व्यवस्था की जाय। गरीब हैं, उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं है तो दवा कहां से करा पायेंगें ? इसलिए ऐसे लोगों को दवा दिलाने की व्यवस्था करें। मान्यवर, अनेक समस्याएं स्वास्थ्य विभाग में हैं। माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट पेश किया गया है इसमें कोई सुधार नहीं हो पाया है इसलिए मैं कुंवर रेवती रमण सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का पूर्ण समर्थन करता हूं।

***श्री बेचन राम–**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी के बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका कृतज्ञ हूं। मान्यवर, जब से भारतीय जनता पार्टी की गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में चल रही है हम लोगों ने विपक्ष की सरकारों को भी देखा है। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार विधायक होकर आये हैं। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, सपा की सरकार रही हो, जनता दल की सरकार रही हो, सारी सरकारें हमने भी देखा था कितना बढ़िया उन के कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग का कार्य संचालन हो रहा था, लेकिन मैं कहना चाहूंगा हमारी सरकार ने और हमारे स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा स्वास्थ्य विभाग का संचालन बड़े ही कुशलता से किया जा रहा है। हम लोग भी जिला अस्पतालों में जाते हैं। चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हो, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हो, जिला चिकित्सालय हो हम लोग देखते हैं कि गांव का मरीज निश्चित रूप से प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं जिला अस्पताल पर जाते हैं और उन्हें अच्छी चिकित्सा सुविधा प्राप्त होती है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य के लिए 20 करोड़ रूपये का प्राविधान किया गया है, इस तरह निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को लाभ प्राप्त होगा। मान्यवर, माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र मुंडेरवा बाजार के अन्तर्गत आकर्षित करना चाहता हूं। आपकी कृपा से सरकार की कृपा से चौरी-चौरा में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्वीकृति हुई वहां एक साल के अन्दर भव्य भवन खड़ा हुआ है। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि यथाशीघ्र सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का लोकार्पण करेंगे और वहां 10 चिकित्सक विशेषज्ञों की नियुक्ति करें। चौरी-चौरा एक ऐतिहासिक स्थान है उसकी महत्ता कायम हो सके। मैं फिर चाहूंगा कि चौरी-चौरा शहीदों की स्थली रही है। भारत माता के सपूतों ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी थी, 4 फरवरी, 1922 को 19 लोगों को फांसी हुई थी। वह क्रान्तकारियों की धरती है, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र चौरी-चौरा हो।

***डा0 वकार अहमदशाह–**

मान्यवर, आपने मुझे स्वास्थ्य विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिए खड़ा हुआ हूं।

श्री अधिष्ठाता–

इसके बाद अभी दो और महत्वपूर्ण बजट है, इस पर बोलने वाले बहुत लोग हैं, जिनको इसमें बोलने का अवसर न प्राप्त हो सकेगा उन्हें मैं अगले बजट पर बोलने के लिए अवश्य अवसर प्रदान करूंगा, अगले बजट पर बोल लीजिएगा। अभी स्वास्थ्य से ही संबंधित पारिवार कल्याण का बजट आयेगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण किया।

डा0 वकार अहमदशाह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने लम्बी चौड़ी बातें कही है, जो सरकारी अस्पताल है, उनके सौ मीटर के अन्दर आप सर्वे करा लें तमाम पैथालॉजी एक्स-रे, अल्ट्रासाउण्ड मिल जायेगी जहां क्वालीफाइड डाक्टर काम नहीं करते हैं और उनको सरकारी अस्पताल के डाक्टर केस रिफर करते हैं। आपने कहा कि गरीब आदमी के लिए दवा का इन्तजाम होगा लेकिन गरीब आदमी जो गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाला है उसको अस्पताल आने पर सी0एम0एस0, सी0एम0ओ0 कहां मिलेंगे, इसके लिए सही व्यवस्था करिए। कम से कम इमरजेंसी वार्ड में यदि मरीज जाए तो उसको वहां 6 घंटे तक दवाई मिलनी चाहिए। जिला अस्पताल में जो डाक्टर है, वहां अगर कोई दिल का मरीज आता है तो स्टेपटो- काइमेक्स जिसकी कीमत 4500 रूपये है वह उसको कहां से मिलेगी। आजकल गेहूं के थ्रेसर से हाथ कट जाते हैं, गैगरिन हो जाता है उसके लिए दवाई गैसगैगरीन वैक्सन उपलब्ध नहीं है। इसी तरह से देहात के आदमी को यदि सांप काट लेता है तो एन्टीबेनम दवा की व्यवस्था नहीं है। इसी तरह से जब किसी को पागल कुत्ता या अन्य पागल जानवर काट लेता है तो ए0आर0वी0 की व्यवस्था नहीं है। जिला अस्पताल में लोग चक्कर लगाते हैं लेकिन दवा नहीं है। हाइड्रोफोबिया हो जाने पर डाक्टर उसको एडमिट नहीं करते हैं और वह आदमी अपनी औरत, बच्चों के सामने तड़प-तड़प कर मर जाता है, उनके प्रभावित परिवारों को चार-चार महीने सुई नहीं मिलती है। लोग ए0आर0वी0 का इंजेक्शन लगवाना भूल जाते हैं, जिससे वह आखिर में मर जाते हैं। आज सुपर स्पेशलाईजेशन का जमाना है, पी0एम0एस0 में कितने सुपर स्पेशलाईज लोग हैं बता दें, जहां तक मैं जानता हूं पी0एम0एस0 में केवल एक डी0एम0 कार्डियोलॉजी है। आज योग्य डाक्टरों को आप पैसा नहीं दे रहे हैं उन्हें अलग से स्केल नहीं देते इसलिए वे आपके यहां से जा रहे हैं। एस0जी0पी0आई0 से तमाम डाक्टर दिल्ली चले गये हैं और प्राइवेट नर्सिंग होम में चले गये क्योंकि उनकी योग्यता के अनुसार उनको वेतन और सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। इसी तरह से एस0पी0जी0आई0 में कारोनरीबाईपास के जो आपरेशन हुए हैं, आप रिकार्ड उठाकर देख लीजिए आपका कोई मरीज भी जिन्दा नहीं बचा है।

संजय गांधी अस्पताल जो एशिया का सबसे बड़ा अस्पताल है आप देख लें वहां की क्या हालत क्या है। वहां की व्यवस्था में सुधार करिये। जिला अस्पतालों में जो आई0सी0यू0 हैं वहां पर कम से कम 3 कार्डियोलोजिस्ट को पोस्ट करें और ताकि फिजीशियन को पोस्ट करें। आपने बड़े जोर शोर से कहा है कि अस्पतालों में दवाओं और डाक्टरों की व्यवस्था की जायगी लेकिन हकीकत में पैसा नहीं है। गरीब मरीज को दवा नहीं मिलती है वह कहां जाय। आपने हिपैटाइटिस बी की बात कही। क्या आपने अपने आपरेशन थियेटरों के कर्मचारियों को सीजनल बांउस और अन्य कर्मचारियों को मुफ्त वैक्सीन को उपलब्ध कराई है। आज अस्पतालों में क्या आपने देखा है कि डिस्पोजेबिल सीरिंज से इंजेक्शन लगाया जा रहा है या नहीं। आप व्यवस्था करिये केवल लंबी चौड़ी बातों से काम नहीं चलेगा। बहराइच के जिला अस्पताल में 3 साल से एक ही फिजीशियन है और एक कार्डियोलोजिस्ट है जिसको कार्डियोलोजी के अलावा सब कुछ आता है। आपने गिलिरिया की बात कही है। आज रोग को फैलाने वाला वैक्टीरिया दवाओं से रेसिसटेंट हो गया है। कुनैन आदि अन्य दवाओं का उस पर असर नहीं हो रहा है। आपने किया व्यवस्था इसी तरह से टी0बी0 के मरीज जो टी0बी0 दवाओं से रिसिसटेंट हो गये हैं उनके इलाज की सुविधा नहीं है। अधिष्ठाता महोदय आप सौभाग्य से डाक्टर हैं और उस कुर्सी पर बैठे हैं आप सरकार को निर्देशित करें कि झूठी बात न कही जाय ताकि गरीबों का आह न लगे। जब किसान गरीब बीमार होता है तो उसको दवा नहीं मिलती और यहां पर लंबा चौड़ा भाषण दिया जाता

है। आप यह सुनिश्चित करें कि गरीब मरीज जब भर्ती होगा तो उसको अस्पताल से सारी दवायें मिलेंगी बाहर से उसे दवा खरीदने के लिये नहीं कहा जायेगा। आप बतायें कि जिला अस्पताल पर कहां पर सी0टी0 स्केन मशीन है। 3 साल हो गये सिविल अस्पताल और बलरामपुर अस्पताल के लिये सी0टी0 मशीन के लिये एप्रूवल मिला था लेकिन कमीशन के चक्कर में वह मशीन नहीं खरीदी गयी और लोगों को बाजार से सी0टी0 स्केन करवाना पड़ता है जिसमें उनका 1 हजार रूपया केवल कमीशन खर्च होता है। मान्यवर, बहराइच का जो अस्पताल है वहां पर दवायें और डाक्टरों की सुविधा दी जाय। अपने उत्तर भाषण में मंत्री जी वहां डाक्टर आप कब तक भेज रहे हैं बता दें। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि इको मशीन सिविल अस्पताल में नहीं है। आई0सी0यू0 जो हैं वहां पर मानीटर ठीक नहीं हैं। मंडल के अस्पतालों में सी0टी0 स्केन मशीनें, डायलिसस मशीनें होनी चाहिये जिससे गरीब को सुविधा मिले। मेडिकल कालेज में सी0टी0 स्केन मशीन खराब है। अंत में मैं निवेदन करूंगा कि बहराइच जो पिछड़ा क्षेत्र है वहां पर अच्छी और उत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायें। वहां पर आगे डाक्टर और दवाओं की व्यवस्था करें ताकि वहां की गरीब जनता को लाभ मिल सके। इसी के साथ मैं कुंवर साहब के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं।

(श्रीमती सुमनलता सिंह का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अंबिका चौधरी–

मान्यवर, सुमन लता जी कोई बिहारी की नायिका नहीं हैं, जो वह नजर आ रही हैं।

श्रीमती सुमन लता सिंह–

मान्यवर, आपने स्वास्थ्य विभाग जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आभारी हूं। मैं स्वास्थ्य विभाग के बजट का समर्थन करती हूं और कुछ सुझाव देना चाहती हूं जो महत्वपूर्ण हैं। आज निजी अस्पताल बहुत ज्यादा खुल रहे हैं और इनकी गुणवत्ता प्रापर नहीं है। कहीं पर सफाई नहीं है और कहीं पर दूसरी सुविधायें नहीं हैं कहीं पर सी0टी0 स्केन मशीन नहीं है जिससे मरीजों का इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा है।

मैं जनहित में कहना चाहती हूं कि जो निजी अस्पताल खोले जा रहे हैं उनको लाईसेंस अनिवार्य होना चाहिए उनको लाईसेंस तभी मिलना चाहिए जब सभी चीजें हों इन अस्पतालों की गुणवत्ता पर ध्यान दिया जाना चाहिए। जिससे जो लोग वहां इलाज के लिए जाएं उनका ठीक से इलाज हो सके। पिछले वर्ष मैंने बजट भाषण में एक सुझाव दिया था कि हमारे बरेली में ड्रग एडिक्ट सेंटर की आवश्यकता है इसकी प्रोजक्ट रिपोर्ट मंगाई जाए जो लोग नशे का सेवन करते हैं उनको बार-बार नर्सिंग केयर की आवश्यकता होती है। नर्सिंग केयर न हो तो विदड्राल के कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए ड्रग एडिक्ट सेंटर खोला जाए मैं चाहती हूं कि जब मंत्री जी अपना उत्तर भाषण दें तो इन बातों का उल्लेख करें।

मैं एक शिकायत करना चाहती हूं कि गरीब जनता जो जिला अस्पताल में जाती है वहां सी0टी0 स्केन, अल्टासाउंड व एक्स-रे मशीनें खराब पड़ी हैं मैं एक दिन अस्पताल गई तो मैंने देखा कि वहां बहुत सारे मरीज जिला अस्पताल में एक-एक जैली की बोतल लिए हुए थे अल्ट्रासाउंड में जैली का इस्तेमाल होता है। एक जैली से 40-50 लोगों का अल्ट्रासाउंड होता है लेकिन अस्पताल में जैली नहीं है मरीज सब अपनी-अपनी जैली की बोतल लेकर जाते तो एक बोतल काफी है बाकी बोतल

डाक्टर अपने पास रख लेते हैं और बाहर दुकान पर वापस कर देते हैं यह धांधली चल रही है इससे गरीब मरीजों को लाभ नहीं मिल रहा है। जो उपकरण लगे हैं वह ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं इसकी भी जानकारी हमें होनी चाहिए। मैं चाहूंगी कि सरकार इस पर विशेष ध्यान दे। बरेली में बर्न वार्ड जो है बर्न वार्ड आयसोलेटेड होता है वहां कोई जाना नहीं चाहता है वहां ए0सी0 होना चाहिए जिससे ठीक से इलाज हो सके। वहां मरीज भटकते रहते हैं, परेशान रहते हैं उनक लिए आप जो कुछ सुविधा उपलब्ध करा सकते हैं ट्रेंड डाक्टर हों, यह व्यवस्था करें। अगर व्यक्ति स्वस्थ है तो सब कुछ ठीक होता है अगर आप सारी व्यवस्था अस्पताल की नहीं संभाल सकते हैं तो मैं चाहूंगी कि जैसे अन्य विभागों में निजीकरण हो रहा है उसी प्रकार इस विभाग में भी निजीकरण किया जाए जिससे कांटेक्ट बेसिस पर अस्पताल चल सकें और मरीजों को अच्छी सुविधा मिल सके। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करती हूं।

श्री लाल जी वर्मा–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने स्वास्थ्य विभाग के बजट पर कटौती प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं भी आपका आभारी हूं। बजट चर्चा में जितने माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया सब लोगों ने घुमा फिराकर इस बात की चर्चा की कि इस विभाग के जो दायित्व हैं, विशेष रूप से गरीबों की मदद करना, उनका इलाज करना प्रदेश के लोगों के स्वास्थ्य को ठीक रखना विभाग इस दायित्व का निर्वाह नहीं कर पा रहा है। घूमफिर कर सभी लोगों ने एक ही बात रखी है। आज माननीय मंत्री जी स्वत: स्वीकार करते हैं एहसास करते होंगे कि हम कोई उपाय नहीं ढूंढ पा रहे हैं जिससे प्रदेश की जनता को स्वस्थ रखा जा सके। कहीं पर भी बिना पैसे के इलाज नहीं होता। नर्सिंग होमों में सभी जगहों पर लगभग सरकारी विशेषज्ञ जो डाक्टर है वहीं इलाज करते हैं चाहें तो मंत्री जी स्वयं निरीक्षण कर लें। नर्सिंग होम पर उन सरकारी डाक्टरों का नाम सूची में अंकित हैं यही लखनऊ में ही देख लें। आप कहते हैं प्राइवेट प्रैक्टिस बन्द की जायगी, की जा रही है लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। इसमें सुधार की आवश्यकता है। स्वस्थ आदमी ही देश और प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। हर आदमी अपनी हैसियत से ज्यादा स्वास्थ्य पर खर्च करने के लिए प्रयत्नरत रहता है। लगातार आपके स्वास्थ्य विभाग के बजट पर कटौती होती चली जा रही है मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए कुछ सुझाव देना चाहता हूं। यहां बहुत चर्चा हुई कि चिकित्सक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मौजूद रहें लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। मेरा सुझाव यह है कि 3889 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र है जिन पर बहुत पैसा खर्च होता है लेकिन हासिल कुछ नहीं होता तो विकास खण्ड स्तर जो सी0एस0सी0 जो है उनकी स्थापना की जाय और स्वास्थ्य केन्द्रों को बन्द कर उनका पैसा इधर डाइवर्ट कर दिया जाय और यहां पर वे सभी सुविधायें दी जायं जो लखनऊ के बलरामपुर या सिविल अस्पताल को दी गई है और वहां के जो गैर सरकारी डाक्टर है उनसे कहा जाय कि आप प्राइवेट प्रेक्टिस कीजिए इस शर्त के साथ कि इमरजेंसी में हम उनको बुला लेंगे। वहां पर एम0आई0, सी0टी0 स्कैन, अल्ट्रासाउंड एक्स-रे सभी प्रकार की सुविधायें मुहईया कराई जाय। आज परिवहन की अच्छी सुविधा है कोई भी आदमी इलाज के लिए 10-20 किलोमीटर चल कर आ सकता है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों से आप जिस उद्देश्य की आशा करते है वह सी0एम0सी0 पूरा करेगी जिससे वहां के आसपास की जनता को स्वास्थ्य की अच्छी सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। यह मान्यवर, मैंने आपके माध्यम से सुझाव दिये और जैसा माननीय मंत्री जी ने कहा कि हमने बड़े प्रयास किये लेकिन यह बड़े दिनों की परेशानी है। मान्यवर, अगर किसी व्यक्ति में कुछ करने की संकल्प शक्ति है तो उसकी पहचान बहुत समय में नहीं होती है। किसी

व्यक्ति की संकल्प शक्ति एक दिन, दो दिन, चार महीने में हो जाती है उसके लिये वर्षों वर्ष तक प्रयास नहीं करना पड़ता है। अगर एक व्यक्ति एक महीने में फेल हो गया तो वर्षों में वह आगे नहीं बढ़ सकता है। आज स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से फेल हो गया है। कहीं भी फ्री में दवाईयों की कल्पना बन्द हो गई है। हमारे तमाम साथियों ने इस बात को कहा है। मैं इन्हीं सुझावों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं और कटौती का प्रस्ताव जो कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने रखा है, उसका समर्थन करता हूं और उस पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

अभी दो विभागों के और बजट प्रस्तुत होने हैं। इस समय सवा सात हो गया है। मैं चाह रहा था कि कुंवर रेवती रमण सिंह जी और स्वास्थ्य मंत्री जी अपनी बात कह दें उसके बाद जो सदस्य विचार रखना चाहेंगे शेष जो दो अनुदान बची हैं उस पर वे बोल लेते।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

कृपया आप लोग आपस में वार्ता न करें।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक अनुरोध है। आप चाहें तो यह पाबन्दी सदस्यों पर लगा दें कि जिस विभाग पर वह बोलना महत्वपूर्ण समझें उस एक ही विभाग पर बोलें ताकि बार-बार रिपीटिशन न हो। ऐसा होगा तो जिस पर उसकी रूचि होगी वह बोलेंगें और समय भी बचेगा। आप यह भले ही व्यवस्था के लिये कर दें लेकिन जो बजट चल रहा है वह महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा होनी चाहिए और माननीय सदस्य भी इस पर बोलना चाहेंगें। आप चाहें तो व्यवस्था के लिये व्यवस्था कर दें।

श्री अधिष्ठाता–

क्योंकि बजट महत्वपूर्ण है और इसके बाद परिवार कल्याण आयेगा। जब सभी माननीय सदस्य इस पर बोल लेंगें तो अगले बजट पर कटौती का प्रस्ताव रखने वाले सदस्य के अलावा कोई बचेगा नहीं बोलने के लिये।

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव को रखने वाले सदस्य के अलावा और भी सदस्य रहेंगें लेकिन इस पर अभी कुछ सुन लीजिये।

श्री अधिष्ठाता–

ठीक है, मैं सबको अवसर दे रहा हूं। बाद में जब कठिनाई होगी तो दोबारा बोल नहीं पायेंगें सदस्यगण। मैं एक-एक सदस्य को दोनों तरफ से बुलवा दे रहा हूं।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करना चाह रहा हूं कि आपने श्रीमन्, माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन पर बोलने का मुझे अवसर दिया है श्रीमन् मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने कृपापूर्वक मेरे स्वास्थ्य की चिन्ता करते हुए अवसर दिया।

मैं सोच रहा था मुझे बाद के बजट में बोलने का अवसर मिलेगा और स्वास्थ्य मेरा अभी गड़बड़ हो रहा है। मंत्री जी इतना बढ़िया बजट है, कि कोई सवाल ही नहीं है इधर (विपक्ष के भी) के लोग प्रस्ताव का समर्थन न करें लेकिन मैं तो प्रबल समर्थक हूं। श्रीमन् कटौती के प्रस्ताव पर कुंवर रेवती रमण सिंह जी भाषण दे रहे थे कि मैं ध्यान से सुन रहा था मैं सोच रहा था कि कुंवर रेवती रमण सिंह जी को हमारी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी के बारे में इतनी चिन्ता क्यों है, जब मैंने इस पर गम्भीरता से विचार किया तो मुझे लगा माननीय रेवती रमण सिंह जी भी इस बात से सहमत हैं कि अब तक की सरकारों के सबसे योग्यतम स्वास्थ्य मंत्री हमारी सरकार को प्राप्त हुए हैं।

(मेजों की थपथपाहट)

इसलिए इन्होंने उदाहरण दिया धनवन्तरि का। धन्वन्तरि के बाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री ने जन्म लिया है इसलिए जो स्वास्थ्य विभाग की जो कायाकल्प हुई है उससे इन्हें ईर्ष्या हो रही है कि इनको ऐसे स्वास्थ्य मंत्री का अवसर क्यों नहीं मिला।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

बालचन्द मिश्र जी ने कहा कि हमें अवसर नहीं मिला भगवान करे ऐसा अवसर न आए कि इस तरह विभाग चलें और इस तरह के आंकड़े हमें रखने पड़ें, मैं इससे बड़ा विभाग चला चुका हूं मुझे शौक नहीं है इस तरह से स्वास्थ्य विभाग के खड़े होकर आंकड़ें देने का।

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री शिव प्रताप शुक्ल)–

एक नहीं अनेक लोगों को जेल जाना पड़ा, इनके ऐसे स्वास्थ्य मंत्री जी रहे कि कई जांचें हो रही हैं।

श्री बालचन्द्र मिश्र–

यह आधुनिक धन्वन्तरि की कृपा है। इस युग के धन्वन्तरि की कृपा है कि यह चिकित्सा में नई-नई विधायें निकालते हैं। कोई एक्यूपंचर, कोई एक्यूप्रेशर की विधा निकालते हैं। हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी को यह सौभाग्य प्राप्त है कि ढेर सारी बीमारियों और समस्यायें लेकर जब स्वास्थ्य मंत्री जी के पास जनप्रतेनिधि जाते हैं तो मंत्री जी एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर से नहीं एक्यूस्पंर्श से बदन छूते हैं और वह समस्या दूर हो जाती है जब वह बटन पकड़ते हैं तो सारी समस्या खत्म हो जाती है। जब कभी कानून व्यस्था पर बात होती है और माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी की तरफ के नेताओं की तरफ से चिन्ता व्यक्त होती है कि इनके कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न हो रहा है तो मैं बैठे-बैठे अंदाजा लगाता हूं कि पुलेस विभाग कड़ाई से कानून व्यवस्था को ठीक कर रहा है अपराधी पकड़े जा रहे हैं इसलिए हमारे विरोधी पक्ष के मित्रों को कष्ट हो रहा होगा। इसी तरह से श्रीमन् आज स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी जैसे-जैसे माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की प्रशंसा करते हैं तो मुझे बैठे-बैठे इस बात की कल्पना हो जाती है कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की कार्यक्षमता योग्यता प्रसंशनीय है। मैं उनकी ईमानदारी की भी प्रशंसा कर रहा हूं मैं उनकी बेईमानी की बात नहीं कर रहा हूं। जब कर्मचारी अधिकारी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं तो मैं इस बात को क्यों न मानूं, मैं भी उनकी प्रशंसा का कायल हूं मैं जानता हूं कि हमारे विद्वान स्वास्थ्य मंत्री को ठीक से पता है कि शहरों में कुत्ता काटता है, गाड़ी पर चलने वालों को या बंद ए0सी0 कारों में चलने वालों को, लेकिन जो गरीब साइकिल पर चलने वाला है, या गरीब नागरिक है पैदल चलने वाला है उनको तो यह काटता नहीं है, तो मा0 मंत्री जी को यह चिन्ता

क्यों हो कि एण्टी रेबीज वैक्सीन हर जगह पहुंच जाये और भले ही कानपुर का उर्सला अस्पताल हो वहां वरिष्ठ चिकित्सक अधीक्षक हैं, काफी योग्य हैं, मुझे बहुत मेहनत करने के बाद भी वहां एण्टी रेबीज वैक्सीन ढूंढें नहीं मिली। कब आयेगी, आयेगी भी कि नहीं यह भी मेरे जैसे व्यक्ति को नहीं मालूम हो पाती। मैं खुद परेशान हूं कि कब किसी साइकिल वाले को भेजूं जिसे कुत्ते ने काट लिया हो। यह एक्यूस्पर्श बदन से सारी समस्याओं का समाधान कर लेते हैं।

डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी–

मान्यवर, माननीय मिश्रा जी बार-बार किसी स्पर्श बटन की चर्चा कर रहे हैं। वह बटन कौन सा है और किस जगह पर है यह स्पष्ट करा दीजिये।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

माननीय बाजपेयी जी आप भी जब माननीय स्वास्थ्य मंत्री जैसे योग्य मंत्री हो जायेंगे तो खुद पता लग जायेगा। मान्यवर, यह हमारे योग्य मंत्री के अनुभव की बात है कि उत्तर प्रदेश में मलेरिया का उन्मूलन हो गया है। दवा छिड़कने की जरूरत नहीं है, मच्छरों का अभाव है और इसलिए न फोगिंग मशीन की जरूरत है और न मच्छरों की हत्या करने की जरूरत है। मान्यवर, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी जो कि योग्य मंत्री हैं वह यह भी जानते होंगे कि सिन्थेटिक दूध किसी जमाने में हुआ करता था। लेकिन अब तीन चार सालों में इसका नाम खत्म हो गया है। दूध अब खुद सुलभ हो रहा है। डाक्टर यह कहा करते हैं कि खाना नहीं देंगे और दूध देंगे तो अगर सिन्थेटिक दूध होता तो लोग बीमार नहीं पड़ते। सब शुद्ध दूध मिल रहा है। कई बार दूध के अपमिश्रण पर कहा तो उधर के लोग कहते थे कि उत्पीड़न हो रहा है उधर फिक्सिंग हो जाती थी जैसा कि डा0 साहब ने कहा था कि बलिया और औरैय्या में 150 बैड वाले अस्पताल पर फिक्सिंग हो गयी और शायद इस पर भी हो गयी हो।

श्रीमन्, यह भी योग्यता का प्रमाण है कि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जनसंख्या के हिसाब से चिकित्सक और चिकित्सालयों की संख्या निर्धारित होती है। राष्ट्रीय स्तर पर भी यह आंकड़ें हैं। लेकिन इस प्रदेश में यह हमारा सौभाग्य है कि 15-20 लाख की आबादी कानपुर दक्षिण में होगी कोई चिकित्सालय की आवश्यकता नहीं है। वह कोई लखनऊ में होगा, उन्नाव में होगा वहां के लोगों का काम चल ही जायेगा। अभी हमारे मित्र सुरेश जी ने कहा कि 100 पी0एच0सी0 नगरों में जो हैं सबको एम्बुलेंस देने के लिये मंत्री जी ने कहा है। माननीय मंत्री जी 3 साल पहले जो पी0एच0सी0 मेरे क्षेत्र में मुजेनी में बन गयी थी उसका तभी से ताला बन्द है, कमरों का प्लास्टर गिरा या नहीं पीछे के दरवाजे टूटे या नहीं पता नहीं कृपया आप वहां एम्बुलेंस न भेजें फिर अगली बार प्रयास कर लेंगे कहीं से कटौती करके डाक्टर नहीं तो चपरासी ही भेजें, वहां की जनता को समझा लेंगे, बड़ी कृपा होगी। वहां हास्पिटल की तो जरूरत है नहीं। नर्स की बात भाई रामतेज कह रहे थे, कुछ भी वहां आये, वह खुले । प्रशंसा के ढेर सारे शब्द इक्ट्ठे हैं मेरे पास उनको किन संसदीय शब्दों में माननीय मंत्री जी के चरणों में समर्पित करूं समझ नहीं पा रहा हूं। टूटे-फूटे शब्दों में मैंने कहा है, मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं थोड़ा लिखना बहुत समझना मंत्री जी चिट्ठी को तार समझना। बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी–

श्रीमन् मैं स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग के बजट पर रखे गये कुंवर साहब के कटौती के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। अभी-अभी मैं चमत्कृत सा था बजट का समर्थन माननीय बाल चन्द्र

मिश्र जी कर रहे थे प्रथम तीन वाक्य को छोड़कर ,मैं तो आलोचना के लिये खड़ा हुआ था, मुझे लगा कि उनको बधाई दूं तो ज्यादा मुनासिब होगा बजाय इसके बजट की आलोचना करने के प्रथम तीन वाक्यों को छोड़कर बाकी भाषण से मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं। यह जो आपने कार्यपूर्ति दिग्दर्शिका दी है स्वास्थ्य विभाग के संगठनिक ढांचे पर प्रदर्शन के लिये पृष्ठ 39 पर है मंत्री जी उसके नीचे राज्य मंत्री स्वास्थ्य, प्रमुख सचिव, एक तरफ महानिदेशक और दूसरी तरफ महानिदेशक उत्तरांचल। मान्यवर, उत्तर प्रदेश से उत्तरांचल को अलग हुए कितने दिन हो गये, आज भी उत्तरांचल का महानिदेशक इसमें सम्मिलित है तो क्या वहां की तनख्वाह का प्रबन्ध उत्तर प्रदेश के बजट से करने जा रहे हैं।

(इस समय 7 बजकर 34 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बाल चन्द्र मिश्र पीठासीन हुए।)

जब आप उत्तर भाषण देने लगें तो कृपापूर्वक इसको स्पष्ट कर देंगे कि जिस तरीके से पिछली बार की सारे बजट के आंकड़ों में सिर्फ कुछ फीगर दायें बायें ऊपर नीचे करके रख दी गयी हैं उसी प्रकार से संगठनिक ढांचे को रख दिया गया है नहीं तो उत्तरांचल के महानिदेशक का क्या औचित्य है उत्तर प्रदेश के इसमें। मान्यवर, जिस किसी अधिकारी ने ऐसा काम किया है उसकी प्रतिभा मेधा को दृष्टिगत रखते हुए उसको पुरूस्कृत करने की घोषणा करेंगें सदन में।

मान्यवर, संगठनिक ढांचे की बात आ रही है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपके संगठनिक ढांचे की स्थिति क्या है- महानिदेशक के पद हैं दो और एक रिक्त है 50 प्रतिशत रिक्त, निदेशक के पद हैं 8 जिसमें से 6 रिक्त यानि 75 प्रतिशत रिक्त, अपर निदेशक के पद हैं 49 और रिक्त हैं 42, संयुक्त निदेशक के 324 पद हैं और रिक्त हैं 175 तो जब इस तरह से आपका प्रशासनिक ढांचा रहेगा और यह इन परिस्थितियों में है जिसमें प्रान्तीय संवर्ग के जो डाक्टर है वह मेडिकल आफिसर के तौर पर ज्वाइन हैं और मेडिकल आफिसर के तौर पर रिटायर हैं और आपने पद रिक्त रखें हैं। मैं इसको अनावश्यक नहीं कह रहा हूं। इस वित्तीय वर्ष में 250 लोग रिटायर हो रहे हैं इस वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर। इसमें से 75 ऐसे आदमी होंगें जो मेडिकल आफिसर के पद पर ज्वाइन हुए और उस पर ही रिटायर हो जायेंगें। बलरामपुर अस्पताल हैं जहां घर हम लोग आमतौर पर जाते हैं जहां पर विशिष्ट सुविधा भी है वहां जे0के0एल0 श्रीवास्तव रिटायर हो गये 30 अप्रैल को, वह मेडिकल आफिसर के तौर पर ज्वाइन किये थे और मेडिकल स्तर पर से ही रिटायर हो गये। तो मान्यवर, जहां पर यह स्थिति होगी वहां स्वास्थ्य सेवाओं की कल्पना कैसे की जा सकती है। बाकी ऐसा है कि सरकारी सेवा में आने के लिए लोग किसी तरह से काला सफेद करके चोर दरवाजे से घुसने की कोशिश में लगे रहते हैं। आपके यहां चयन जितने लोगों का होता है उसमें ज्वाइन सिर्फ 20 प्रतिशत है 80 प्रतिशत लोग ज्वाइन करने के लिए नहीं आते हैं। आज लम्बे चौड़े फर्जी आंकड़ें, दम्भ की बातें, यह कैसे पूरा होगा ? 20 प्रतिशत की ज्वाइन इसलिये है कि आप ऐसे तंत्र के झांसे में पूरी तरह से फंस गये हैं जो आपको कहीं से चलने नहीं देगा। आपने जिन संकल्पों को बजट भाषण में रखने का काम किया है उसमें आपका प्रशासनिक तंत्र कहीं से आपको चलने नहीं देगा आपकी छवि पर। मैं इतना विद्वान नहीं हूं जैसा माननीय सदस्य कानपुर की तरह से अपनी बात रख सकें। मैं कहना चाहता हूं कि आप प्रयास करें । [xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xxx xxx] आपको सचेत रहने की आवश्यकता है । उनके गले में पड़ी हुई चेन की मोटाई, काले खातों का बढ़ता हुआ गोदाम, भवन की बढ़ती हुई मंजिल [xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx] आपकी छवि को धूमिल करने का काम करेगी । हम लोग बहुत दिनों से आपको जानते हैं । मैं कोई आक्षेप आप

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के **आदेशानुसार** कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

पर नहीं करना चाहता लेकिन निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं कि इस कार्य-प्रणाली को देख लीजिये। बड़ी आसानी से यह कह दिया जाता है कि अदालतों की वजह से सारा काम गड़बड़ हो रहा है। जब 4-4 लिस्टें सीनियारिटी की प्रकाशित हों, तब क्या होगा ? पहले पीली किताब और फिर आयेगी सीनियारिटी की दूसरी सफेद किताब। रंगों से सीनियारिटी तय होती है, स्वास्थ्य विभाग में। अगर आप किसी से उसकी सीनियारिटी पूछें तो वह पूछेगा, सीनियारिटी की किस किताब की लिस्ट से ? पहले आई पीली किताब, उसके बाद आई सफेद किताब 1996 में, फिर आई 2 अप्रैल, 96 को नीली किताब और नवम्बर, 96 में आई लाल किताब।

जब एक ही विभाग के अधिकारी 4-4 तरह की सीनियारिटी लिस्ट तैयार करेंगें तो प्रत्येक व्यक्ति को उसमें संदेह करने का पर्याप्त अवसर होगा। आपस में इतना बड़ा अन्तर्विरोध जहां हो, वहां अदालतें दखल देने के लिये बाध्य हो जायेगीं और तब आप कहेंगें कि अदालतों के चक्कर में यह सीनियारिटी डिसाइड नहीं हो पा रही है। आपने अपने भाषण में एक बात कही, कुंवर साहब उसको रिपीट कर रहे थे, 15 वर्ष में टाइमबाउन्ड प्रमोशन दे देंगें, यह बात आपने कही थी, कैसे दे देंगें, आप कभी नहीं दे सकते।

मैं सिर्फ नियमित सेवाओं की बात नहीं कह रहा हूं। बड़े जोर से हेल्थ सिस्टम डेवलपमेंट परियोजना की बात कही जाती है, इसमें सहायक निदेशक, चिकित्सा के 7 पद थे, यह क्लास-1 के पद हैं, डिप्टी सी0एम0ओ0 का पंद है, इसमें आपने नियुक्तियां की हैं, [xxx xxx xxx xxx xxx] इनके ऊपर की सीनियारिटी के 8-8 हजार लोग इस प्रदेश में पड़े हैं, लेकिन आपको खासतौर से कुछ लोग क्यों पसन्द आ जाते हैं, इसकी वजह माननीय मंत्री जी आपको अधिकारियों ने बता दिया होगा तो आप जानते होंगें अन्यथा यदि आपने सर्वाधिकार उन्हीं को दे दिया होगा, तो फिर आपने भी जानने की आवश्यकता नहीं समझी होगी। यहीं तक होता, तो सब्र होता, अब तो सीमेंट कारपोरेशन के दूसरे अधिकारी सहायक निदेशक, चिकित्सा के पद पर नियुक्त हो रहे हैं। यह है [xxx xxx xxx xxx] सहायक प्रबन्धक, सीमेंट कारपोरेशन, नई दिल्ली एक और है [xxx xxx xxx xxx xxx] कोआपरेटिव फेडरेशन, लखनऊ। मैं आपकी सदस्यता पर प्रश्नचिन्ह उपस्थित नहीं कर रहा हूं।

यह उत्तर प्रदेश की जनता की सबसे बड़ी पंचायत है। आज जब आप यहां बजट प्रस्तुत कर रहे हैं चौथी बार तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आप चौथी बार इस सदन में बजट प्रस्तुत कर रहे हैं, वहां इन सेवाओं पर आपकी दृष्टि जानी चाहिये। आपको वर्ल्ड बैंक से मिलने वाला जो पैसा है, 686 करोड़, मैं आंकड़ों में नहीं जाता लेकिन इससे आप भला इस प्रदेश की जनता का कर पाने में समर्थ नहीं होगें, क्योंकि यही कार्य प्रणाली रहेगी तो इस कार्य-प्रणाली से जनता की सेवा कैसे आप ईमानदारी से कर पायेगें, इस पर बहुत बड़ा प्रश्नचिन्ह है। आप भले ही बहुत तार्किक तरीके से जवाब देने का प्रयास करें, स्वास्थ्य के मुताल्लिक कुछ नहीं कर पायेगें।

आप ऋण के आधार पर, अनुदान के आधार पर विश्व बैंक से पैसा प्राप्त कर रहे हैं, वह बर्बाद हो जायेगा। यह ठीक है, संसाधनों की कमी है, मैं इसे स्वीकार करता हूं, जैसा डा0 डंग साहब बोल रहे थे कि आपने कम संसाधनों में इस बजट को प्रस्तुत करने का काम किया है। अगर संसाधन मिलेगें भी और आप उनका समुचित सदुपयोग नहीं कर पायेगें तो कैसे सेवा हो पायेगी ? एक बहुत बड़ा विभाग झंझावाती विभाग यह है, उसमें किंचित मात्र सफल हो पायेगें, यह कहीं से नजर नहीं आ रहा है। यह बहुत दुखद और चिन्ताजनक स्थिति है नर्सिंग होम का जिक्र आया, सुमनलता सिंह जी बजट के समर्थन में बोल रही थी। सुमनलता जी और हम एक फोरम पर मौजूद थे। पश्चिम बंगाल का एक डिलिगेशन

नोट :- [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आया था उन्होंने पूछा कि आपके यहां नर्सिंग होम को डाइरेक्ट करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में इसके लिए कौन सी व्यवस्था है। हमारे सामने कोई जवाब नहीं था लेकिन दूसरे राज्य वालों से हम तत्काल कह सके कि कारपोरेशन अपने नियमों में नर्सिंग होम खोले जाने से पहले कुछ चीजों को इग्जामिन करता है लेकिन रेगुलेट किए जाने के लिए कोई प्रभावी कानून नहीं है। इससे दुखद स्थिति और क्या हो सकती है, क्या आप इस पर विचार करेंगे ? क्या अगले दिन इसी सत्र में कोई कानून लाने का काम करेंगे। श्रीमन्, जिला अस्पतालों के बारे में मैं कौन सी बात कहूं, हमारे दोस्त बड़े अच्छे किस्से कह लेते हैं सात समुन्दर पार भी। एक दिन मुगले आजम ने शहजादा सलीम से कहा कि शहजादा सलीम अगर इश्क पर काबू नहीं पाए तो मैं अनार कली को ऐसी जगह भेज दूंगा कि देखने को तरस जाओगे, शहजादा सलीम ने पूछा कहां, मुगले आजम ने कहा "जिला अस्पताल"। यह हालत है।

श्री रमापति शास्त्री–

उस समय आप थे ?

श्री अम्बिका चौधरी–

जब आप जैसे लोगों के हाथों में चिकित्सा विभाग दिया गया है तो हम लोगों को तो रहना ही पड़ेगा, जल्लाद को जर्रार कहना ही पड़ेगा। मान्यवर, आपकी जो स्थिति है वह इन सारी चीजों के रहते किसी भी तरीके से यह सम्भव नहीं है। विश्व बैंक कीजो परियोजना है, विशेषज्ञ सुविधाओं के स्ट्रेन्थन किए जाने की सुविधा, श्रीमन् विशेषज्ञ सुविधाओं को स्ट्रेन्थन करने के लिए परियोजना की गाइड लाइन्स है और आपके यहां कोई विशेषज्ञ कैडर ही नहीं है। बार-बार आप घोषणाएं करते हैं, अनेक बार घोषणाएं की और मैं तो यह कहूंगा आज मुख्यमंत्री जी सदन में नहीं हैं, आपने मुख्यमंत्री जी को भी इस दोष में घसीट लिया है और मुख्यमंत्रीजी से भी घोषणाएं करा दीं कि कह दीजिए। जो कैडर आपके पास है ही नहीं उसको मजबूत करने का काम आप कैसे करेंगे? इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इन आंकड़ों को छोड़ दें, इन आलोचनाओं को छोड़ दें, उन समर्थनों को छोड़ दें, आप अपने संकल्प का अगर ध्यान रख सकें तो बड़ी बात होगी, अपने संकल्प की दिशा में चलने के लिए अपने मजबूत इरादों से कोई अच्छी राह चल सकें तो शायद इस प्रदेश का भला हो जाए। बलिया के लिए 150 शैय्याओं का अस्पताल दे दिया, मैं धन्यवाद नहीं दे सका।

मैं अफसोस जाहिर कर दूं, 80 बेड के अस्पताल में 500 बेड का अस्पताल चल रहा है। मान्यवर, बलिया में और इस 500 बेड के अस्पताल जब माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे तो उसकी बिल्डिंग के लिए पैसा दिया गया था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण निगम को लेकिन आज तक वह बिल्डिंग पूरी नहीं हुई है और उस बिल्डिंग में अस्पताल ट्रान्सफर नहीं हो पाया है। 1989 में जब कुंवर साहब मंत्री हुआ करते थे, 12-13 वर्षों में बिल्डिंग बनकर तैयार नहीं हो पायी है और उसमें अस्पताल शिफ्ट नहीं हो पाया है। क्या आज के दिन मंत्री जी आश्वस्त करने का काम सदन में करेंगें कि आप अगले महीने में आयेंगे, मैं स्वागत कर दूं, और अस्पताल को नई बिल्डिंग में आने के लिए कृपा कर सकेंगे।

एक महीने, डेढ़ महीने के अन्दर या इस सावन मे आ जाईये। जहां डिस्ट्रिक्ट हास्पिटल में एक्स-रे टैकनीशियन नहीं हैं, एक्स-रे मशीन है लेकिन उसको चलाने के लिए पद सृजित नहीं है, अल्ट्रासाउण्ड मशीन आयी लेकिन यह वैसी ही चली गयी। मान्यवर, अगर इस तरह की चीजों को ठीक करने का काम नहीं करेगें तो चमत्कार करने का कोई काम हुआ होगा तो धनवन्तिर के बाद आप ही कर पायेंगें। कुंवर साहब ने जो बात कही है मैं उसकी ताईद करता हूं। मान्यवर, चूंकि समय नहीं है इसलिए इसी के साथ में माननीय कुंवर साहब द्वारा रखे गये कटौती प्रस्ताव पर बल देता हूं।

***श्री गोरखनाथ पाण्डेय–**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग मानव, जीव-जन्तु और समाज से जुड़ा हुआ एक अहम विभाग है। माननीय मंत्री जी का आभारी हूं कि इन्होंने बहुत कुछ घोषणायें की, बहुत कुछ प्रदेश को दिया। कई बार इस सदन में प्रश्नों के माध्यम से अल्पसूचित, तारांकित प्रश्नों के माध्यम से एक उत्तर की तलाश कर रहा था। ज्ञानपुर को नवसृजित जनपद का जिला अस्पताल मिल गया, जमीन अधिग्रहीत हो गयी, कई बार उसका सर्वेक्षण/निरीक्षण हो गया परन्तु धन अभी तक नहीं दिया गया।

हर बार यह आश्वासन मिलता है कि अबकी बार धन की व्यवस्था की जायेगी। अभी दो दिन पहले स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से यह जानकारी मिली कि ज्यों ही धन की व्यवस्था हो जायेगी, कार्य प्रारम्भ करा दिया जायेगा। मैं आपके माध्यम से जानना चाहूंगा कि जो बात कही जाये, कथनी और करनी में अन्तर न हो, स्वास्थ्य विभाग से इस तरह का खिलवाड़ न किया जाये क्योंकि जो ग्रामीण अंचल में रहने वाले गरीब लोग हैं, उनकी आह निकलेगी तो वातावरण दूषित हो जायेगा। जिला अस्पताल ज्ञानपुर को बनाने की व्यवस्था करा दें। जो बातें कही हैं यथार्थ रूप में लागू भी करें। मान्यवर, सबसे बड़ी समस्या जनपद की ही नहीं पूरे प्रदेश की फर्जी डिग्री धारकों की है। खुली चोरी तो सुनी गयी थी लेकिन खुली लूट हो रही है। देहात में एक कहावत है- "जबर चोर सेंध में आल्हा गावै।"

मान्यवर, फर्जी डिग्री धारक, झोलाछाप डाक्टर उनके पास एम0बी0बी0एस0 की कोई डिग्री नहीं है लेकिन यह अपने को एम0बी0बी0एस0 बता रहे हैं, उसका बोर्ड लगा रखा है, एम0एस0 का बोर्ड लगा रखा है, लोगों का आपरेशन कर रहे हैं, दवा के नाम पर जहर दे रहे हैं। जब मरीज मरणासन्न हो जाता है तो अपने क्लीनिक से उनको निकालने का काम करते हैं, वह कहते है कि जल्दी से बड़े अस्पताल में ले करके भाग जाओ। इस प्रकार प्रदेश में फर्जी डिग्री धारक खुलेआम लूट रहे हैं और लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। दवा के नाम पर जहर दे रहे हैं, लोगों की हत्यायें कर रहे हैं। इसका मुआयना कराकर इसको रोकने की व्यवस्था करें और कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें।

मान्यवर, तभी स्वास्थ्य की रक्षा हो पायेगी, तभी समाज की रक्षा हो पायेगी, जब चिकित्सा सुविधा कायम हो जायेगी। जहां तक स्वास्थ्य केन्द्रों की बात है आज सभी को चिंता है। माननीय मंत्री जी ने बहुत कुछ व्यवस्थाएं दी हैं, अभाव में भी कार्य करने का प्रयास किया है, लेकिन आज अस्पतालों पर से विश्वास घटता जा रहा है, लोग प्राइवेट क्लीनिक में जा रहे हैं वहां के डाक्टर अस्पतालों में बैठते नहीं हैं और मरीज इस कारण किसी न किसी प्राइवेट क्लीनिक में जाने का प्रयास करता है। गरीब आदमी 5 रूपये, 15 रूपये तो दे नहीं सकता है वह प्राइवेट क्लीनिक में हजारों-हजार रूपया कहां से दे पायेगा ? ऐसी स्थिति में पूरे प्रदेश में यह कार्य हो रहा है, इस पर अंकुश लगना चाहिए।

माननीय मंत्री जी आज ऐसी स्थिति में असंतोष का वातावरण फैला है। स्वास्थ्य मंत्री जी स्वयं निरीक्षण करें, बिना बताये जायें, और ऐसे अस्पतालों पर जाये, देखें क्या स्थितियां बनती है जो स्वयं में ही एक अहम सवाल है, उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। वैसे माननीय मंत्री जी ने बहुत कुछ करने का प्रयास किया है बहुत कुछ देने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं उनसे भी रूबरू हो जायेंगे। स्वास्थ्य विभाग के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगों के साथ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी होगी। मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुए चाहूंगा कि आप एक नीतिगत व्यवस्था बनाकर निरीक्षण करें। मान्यवर, अभी इससे पहले हमारे सहयोगी बाजपेयी जी ने दो लाइन में अपनी बात कही थी, उसी को संशोधित करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं- मा0 मंत्री जी के लिए-

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

"मामले तो फालतू लटकाया न करों,
हम सभी को झूठ-मूठ में बहकाया न करो।
निस्तारित न कर सको तो साफ-साफ बता दो,
अधिकारियों की बातों में यूं आया न करों।"

***श्री राम विशुन आजाद–**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने कुंवर रेवती रमण सिंह जी के द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। मान्यवर, स्वास्थ्य मंत्री जी द्वारा जो उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग का बजट रखा गया है मैं तो समझता था कि मान्यवर, माननीय मंत्री जी के अन्दर गरीबों के प्रति एक हमदर्दी होगी, किसानों के प्रति हमदर्दी होगी, लेकिन जो सोच रहे थे कि गरीब जनता के लिए माननीय मंत्री जी अपना बजट प्रस्तुत करेंगे, गरीबों के लिए कुछ होगा, लेकिन गरीबों की जो मंशा थी माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने उस पर पानी फेर दिया। स्वास्थ्य विभाग जीवन रक्षा का विभाग है, लेकिन आज स्वास्थ्य विभाग मौत का विभाग बन गया है, जहां मरीजों का भारी पैमाने पर शोषण किया जाता है। जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार फैला है उस तरीके से किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार नहीं होगा। मान्यवर प्रधानमंत्री ग्राम्य योजना में 70 करोड़ रूपया दिया गया है।

मान्यवर, और यह पैसे वैसे ही निकाल लिये गये इसकी जांच होनी चाहिए। मान्यवर, इस तरह से वे माननीय मंत्री जी को बदनाम करने का कार्य कर रहे हैं इसकी जांच होनी चाहिए। मलेरिया के नाम पर 200 करोड़ रूपये अधिकारी खा गये उससे मलेरिया निवारण का कोई काम नहीं किया गया। इस तरह से मान्यवर, यह अधिकारी स्वास्थ्य विभाग और मंत्री जी की बदनामी कर रहे हैं। मान्यवर, आज जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग में गरीबों का शोषण किया जा रहा उस तरह से अन्य किसी भी विभाग में नहीं हो रहा है। मान्यवर मैं आपका ध्यान अपने जनपद गोण्डा की ओर ले जाना चाहता हूं वहां के जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में जिस तरह से भ्रष्टाचार व्याप्त है उस तरीके का भ्रष्टाचार कहीं भी नहीं हो रहा है।

अभी हाल ही में अखबारों में छपा था कि जनपद गोण्डा के जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में जो मरीजों के लिए भोजन की व्यवस्था की जाती है, उसमें आलू 14 रूपये किलो, कड़वा तेल 75 रूपये किलो और प्याज 46 रूपये किलो, खरीदा गया तो मान्यवर, जिस तरीके से जनता की गाढ़ी कमाई को स्वास्थ्य विभाग में लूटा जाता है, उतनी लूट किसी अन्य विभाग में नहीं है। मान्यवर, सरकारी अस्पतालों में गरीब आदमी दवाई के लिए जाता है उससे पर्चे बनवाई के नाम पर 6 रूपये लिये जाते हैं, इसके बावजूद भी उसे दवा प्राप्त नहीं होती है तो मान्यवर, यह कैसी गरीबों की हितैषी सरकार है। मान्यवर, यह सरकार गरीबों की हितैषी नहीं है तो मान्यवर, जिनके द्वारा यह कार्य किया जाता है उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है। मान्यवर, इस सरकार ने इस बजट में उन गरीब लोगों के लिए, किसानों के लिए, जो उनका शोषण किया जा रहा है उसका कोई प्राविधान नहीं किया है। मान्यवर, जनपद गोण्डा के महिला अस्पताल में एक डाक्टर हैं, [xxx xxx xxx xxx xxx] वह अस्पताल में आपरेशन के लिए दो हजार से पांच हजार तक रूपया लेते हैं और यह लोग उस अस्पताल में लगभग पिछले 10-12 सालों से कार्यरत हैं और जब तक वे यह धनराशि प्राप्त नहीं कर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्रीक्षण नहीं किया।

नोट:- [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

लेते हैं, आपरेशन नहीं करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। जबकि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, घूस आदि के कई मामले पाये गये हैं। इसी तरह से गोण्डा के महिला अस्पताल में एक डा0 है [xxx xxx] उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कई मसले हैं जिनकी जांच यहां के पुलिस अधीक्षक द्वारा की गई, जिलाधिकारी द्वारा की गई और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के अर्द्धशासकीय पत्र संख्या-675/चिकित्सा विभाग/98 दिनांक, 7 सितम्बर को उनके विरूद्ध कार्यवाही करने के लिए लिखा लेकिन उनके विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गई। मैंने इस विषय को नियम-56 और 51 के अन्तर्गत भी उठाया था लेकिन उस पर अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

***डा0 पूर्णमासी पंकज–**

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मा0 स्वास्थ्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया :-

पूरे प्रदेश में हम अच्छे काम कर रहे
जनता को सुख सुविधा हम सब तमाम कर रहे
हर अच्छा काम इनको अच्छा लगता है नहीं
बस इसके लिए सरकार को यह बदनाम कर रहे

गरीबों के लिए वरदान है यह बजट स्वास्थ्य का
रोगी के लिए तो प्राण है यह बजट स्वास्थ्य का
हर बाल, वृद्ध, नरनारी की सारी बीमारी का
सस्ता सुलभ निदान है यह बजट स्वास्थ्य का

जनता के प्रति सरकार मेरी संवेदनशील है
व्यवस्था दुरूस्त, चुस्त नहीं दी गई ढील है
सस्ता, सहज, सुलभ, समेकित सेवा सभी को
बेहतर चिकित्सा देने हेतु प्रयत्नशील है

मेला लगाकर मुफ्त में कर रहे उपचार है
विकलांगों को भी उपकरण बांटे हजार है
तीन सौ सरसठ ट्राइसाइकिल, चालीस व्हील चेयर
पांच सौ इक्तालीस अंग दिया मेरी सरकार है

सुन लें वे जो है फालतू में दम्भ कर रहे
रिजनल डायग्नोस्टिक सेंटर हम आरम्भ कर रहे।
हेल्थ सिस्टम डवलपमेंट परियोजना श्रीमन्
पांच सौ अस्सी करोड़ की प्रारम्भ कर रहे।

नोट:- [xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

अठारह हजार पांच सौ उन्चास उपकेन्द्र और
दो सौ बानवे सामुदायिक केन्द्र और बनायेंगे।
अब तक नवासी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बन गये
तीन हजार छह सौ चालीस और हम बढ़ायेंगे।

तीस शैय्या वाले सब बढ़ा कर सं। हैं कर रहे
उन्चास जनपदों में टी0 बी0 क्लीनिक बनायेंगे।
औरैया भदोही और महोबा, बलरामपुर
सोनभद्र में जिला अस्पताल निर्मित करायेंगे।

जनता हमारी झेल रही थी जब दुर्गति को
सब तरस रहे थे जब अस्पताल में भरती को
कसियापुर, अमिलौरी और महजूदा में श्रीमन्
अस्पताल दिए, बधाई है श्री रमापति को

भदोही में नही कोई भी डाक्टर है दांत का
रोगी है परेशान सब दुख है इस बात का
महिला चिकित्सक की कमी सबको अखर रही
नियुक्ति करे दुख दूर हो पूरे जमात की

मेरे भदोही जनपद का विकास कीजिए
जिला चिकित्सालय शीघ्र बनाने का प्रयास कीजिए
सुरियावां के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को श्रीमन्
उच्चीकृत करने की भी विश्वास दीजिए

चिकित्सालय नहीं कोई टाउन नई बाजार में
भवन बना हुआ है पड़ा है बेकार में
कब आएगें बैठेगें यहां डाक्टर कोई
जनता लाचार बैठी इसी इंतजार में

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्रीमन् हमारी बातों का संज्ञान लीजिए
शोषित दलित गरीब का कल्यान कीजिए
यह हेपेटाईटिस बी बीमारी खतरनाक है
इसके भी टीकाकरण का विधान कीजिए

जन सेवा में जुटी सरकार अंत:करण से
रोगों को दूर करें दवा मुफ्त वितरण से
कटौती न करे, मामला गरीबों का है यह
अनुरोध हमारा है श्रीमन् कुंवर रेवती रमण से

इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री राम तेज यादव 'एडवोकेट'–

अधिष्ठाता महोदय, अभी हमारे साथी डंग साहब और आपने खुद इस सरकार के सम्बंध में अपने दर्द का बयान किया। पंकज जी ने शुरू में कविता पढ़ी बाद में अपना दुखड़ा रोया। डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपयी और गोरखनाथ पाण्डेय ने जो बातें कही उससे मंत्री जी की कलई खुल गई इनके जितने गन्दे कारनामें हैं सबने बयान किया। यह प्रदेश का दुर्भाग्य है और सरकार का दुर्भाग्य है इससे प्रदेश गर्त में चला जायेगा। खून की जांच में पैसा दो, पेशाब की जांच में पैसा दो मैं चाहूंगा कि मंत्री जी की खून की जांच करवा लें पता चल जायेगा कि वह कितना गन्दा है। सारी चीजें इनके पेट में हजम हो गई। गरीबों का आज शोषण हो रहा है। मंत्री जी बड़े डींग से कह रहे कि अच्छा काम हो रहा है लेकिन किसी अस्पताल में दवा नहीं है। पर्ची की कीमत बढ़ा दी, प्रति बेड 30 रूपये कर दिए, मरने के 500 रूपये कर दिए। भर्ती हो तब पैसा जमा करो हर जगह पैसा खर्च करो। प्रदेश के अधिकारी मंत्री जी के कहने के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं। [xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx] हमारे यहां बहराइच में सी0एम0ओ0 है [xxx xxx xxx xxx xxx xxx] उसके खिलाफ जितने आरोप हैं अगर ईमानदारी से आप काम करें तो वह सैकंडों में हट जाए लेकिन आप ऐसा नही कर सकते। वहां एक्स-रे मशीन नही चलती सी0टी0 स्कैन की व्यवस्था नहीं है मुझे याद है मुलायम सिंह जी की सरकार थी उस समय .....

आबकारी एवं मद्य निषेद्य मंत्री (श्री सूर्य प्रताप शाही)–

70 करोड़ रूपए का आयुर्वेद घोटाला उसी समय हुआ था उस समय स्वास्थ्य मंत्री बलराम यादव थे। लेकिन तत्कालीन निदेशक शिवराज सिंह का हार्ट अटैक हो गया .....

श्री रामतेज यादव 'एडवोकेट'–

मान्यवर, शाही जी के पास तो आबकारी विभाग है। [xxx xxx xxx xxx xxx]

नोट:- [xxx] यह अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अम्बिका चौधरी–

यह प्रचलित कहावत है सूरज अस्त [xxx] मस्त।

श्री रामतेज यादव 'एडवोकेट'–

जब मेरी सरकार थी उस समय पर्चा एक रूपये में था। मरीजों को गेहूं की रोटी, फल, दूध दिया जाता था यह सब कहां चला गया ? कोई आदमी अस्पताल में जाता है तो आप उसके कफन का इंतजाम पहले कर देते हैं। नर्सिंग होम क्यों पनप रहे हैं इसीलिए कि आपमें इतना बूता नहीं है कि आप अपनी स्थिति को सुधार सकें। कविता में कह दिया करना हो तो करो आश्वासन मत दो। चार साल से आश्वासन ही दिये जा रहे हैं। [xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xx xxx] तो मैं कहना चाह रहा था कि जो भी सुझाव आ रहे हैं उनको ध्यान दें। आलोचना के पात्र तो आप हैं ही [xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx]

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजनकर एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, सदन के कुछ नियम परम्परायें हैं अगर इस तरह से फ्रीस्टाइल बोला जायेगा तो यह ठीक नहीं है किसी पर आप आरोप नहीं लगा सकते। और लगाना है तो प्रमाण लाइये हम भी सुनेंगे लेकिन आप कुछ भी कह दें हम सुनते रहे यह ठीक नहीं है। कार्यवाही से यह सब निकलवा दिया जाय।

श्री रामतेज यादव 'एडवोकेट'–

मैं कहता हूं कि 15 साल से क्यों पड़ा है [xxx] संसदीय कार्य मंत्री जी आप ही जानकारी कर लें आप तो बहुत विद्वान हैं।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

उत्तेजना से ही उत्तेजना फैलती है।

श्री हुकुम सिंह–

टीका टिप्पणी करना, बाहें चढ़ाकर बात कहना यह ठीक नहीं है। किसी मंत्री पर आरोप लगाना नियम में नहीं है। या तो नियमों के अनुसार आप कार्यवाही करें या फिर जो आरोप लगाये गये हैं उन्हें कार्यवाही से निकलवा दें। खेद व्यक्त करना चाहिए इन्हें।

श्री अधिष्ठाता–

मैं दिखवा लूंगा जो आपत्तिजनक होगा उसको निकाल दिया जायेगा।

श्री रामतेज यादव 'एडवोकेट'–

इतने-इतने वर्षों से वह डाक्टर वहां पर पड़े हैं। कितनी बार शिकायत भी उनकी की गई लेकिन पता नहीं कौन सी मजबूरी मंत्री जी के सामने है जो उसको वहां से नहीं हटाते हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आपकी बात पूरी आ गई है ।

नोट:- [xxx] यह अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम तेज यादव 'एडवोकेट'–

मान्यवर, [xxx xxx xxx] मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि पूरे प्रदेश में एक नीति बनाई जाय। जो एक ही जगह पर 10-10,15-15 साल से पड़े हैं उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है। जिला अस्पतालों में वर्षों से डाक्टर एक ही जगह पर पड़े हैं। आता जाता कुछ नही है, बस मौत के सौदागर बने हुए हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

डा0 धर्मज्ञ मिश्र–

कई बार लिखित दे दिया है। जब सुनवाई नहीं होती है यहां पर कहा जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्यगण यदि सहमत हों तो इस पर बहुत ज्यादा चर्चा हो गई है और अभी दो मद और बाकी हैं। इस पर अब कुंवर रेवती रमण जी अपनी बात कह दें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, स्वास्थ्य विभाग पर जो चर्चा अभी हो रही थी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने बड़ी सार्थक चर्चा की और गोरखनाथ पाण्डेय जी जो उधर के सदस्य हैं उन्होंने भी लगता था हमारी बात का समर्थन किया। सबसे ज्यादा निराशा मुझे डा0 डंग के भाषण से हुई। मैं उनसे यह अपेक्षा नहीं करता था लेकिन फिर भी मैं उनको धन्यवाद देता हूं। डा0 अशोक बाजपेयी डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, श्री दद्दू प्रसाद, श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, डा0 वकार अहमद शाह, श्रीमती सुमनलता सिंह, माननीय लाल जी वर्मा, श्री बाल चन्द्र मिश्र, श्री अम्बिका चौधरी, श्री गोरखनाथ पाण्डेय, श्री राम बिशुन आजाद, डा0 पूर्णमासी पंकज जी, श्री रामतेज यादव एडवोकेट जी सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग के बजट पर परिचर्चा में भाग लेकर एक ऐसी मिसाल बनाई कि चाहे वे सत्ता पक्ष के सदस्य रहे हों या विपक्ष के सदस्य रहे हों, सब लोगों ने मान्यवर, मेरी बात का समर्थन किया और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने यही स्वीकार किया कि स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य स्वयं में ठीक नहीं चल रहा है।

(इस समय 8 बजकर 24 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवीन्द्र शुक्ल पीठासीन हुए।)

स्वास्थ्य विभाग स्वयं बीमार है और एक बीमार विभाग इस प्रदेश की क्या सेवा करेगा। क्या इस प्रदेश को आगे ले जायेगा ? लेकिन मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि मान्यवर, अभी मैं माननीय मंत्री जी को सुन रहा था इन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग की बहुत सी गाड़ियां नीलाम कर दी गई हैं और वह पैसा सरकारी खजाने में जमा कर दिया गया है। उस पैसे का सदुपयोग यह करते जिला स्तर पर उन गाड़ियों को मुहैया कराते जिससे वहां का कार्य सुचारू रूप से चल सकता था। आज जिले में गाड़ियों की नितान्त कमी है आपके ऊपर पता नहीं प्रतिबन्ध लगा है, क्या है, कि आप खरीदकर गाड़ी नहीं दे पा रहे हैं। जनसंख्या नीति पर मैं उम्मीद कर रहा था, हालांकि वह परिवार कल्याण में आयेगा मैं उम्मीद कर रहा था जनसंख्या नीति पर कुछ प्रकाश डालेंगे। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की जो गति है, जिस गति

नोटः- [xxx] यह अंश अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

से जनसंख्या बढ़ रही है औसतन वह चालीस फीसदी ज्यादा है, ग्रामीण क्षेत्र में और अधिक है जबकि शहरी क्षेत्र में कम है यह आंकड़े तो मैं बाद में दूंगा। जनसंख्या नीति की घोषणा हुई तो आपके विभाग में .....

श्री अधिष्ठाता–

यह पूरा विभाग अलग है ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मुझे मालूम है मैं जानते हुए यह बात कह रहा हूं। पहले स्वास्थ्य विभाग एक होता था अब पता नहीं क्यो, अलग-अलग कर दिया गया है। तीन मंत्री स्वास्थ्य विभाग में हो गये हैं। एक स्वास्थ्य मंत्री एक परिवार कल्याण मंत्री और एक चिकित्सा शिक्षा मंत्री। मान्यवर क्या आवश्यकता है अगर मंत्रिमंडल 93-94 लोगों का बनाना है, जैन साहब पता नहीं किस विभाग के मंत्री हैं, लगता है यह बिना विभाग के मंत्री हैं।

श्री अधिष्ठाता–

वह नेता प्रतिपक्ष के बहुत नजदीक हैं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह मैं मान लेता हूँ इसमें सार्थकता है सत्यता है यह नेता प्रतिपक्ष की बात करते हैं, उनका आदर करते हैं और उनकी बात मानते हैं। मैं कह रहा था कि जबसे तीन भागों में इस विभाग को विभक्त कर दिया गया है तब से कोई कन्ट्रोल इस विभाग पर नहीं रह गया है। सरदार सिंह जी, यह नही जानते इनको क्या काम करना है शास्त्री जी यह इस विभाग में चाहते हुए भी दखल नहीं दे सकते हैं धन इनके पास है नहीं, चिकित्सा, शिक्षा मंत्री मेडिकल कालेज आदि को देखते हैं तो यह जो ओवरलैपिंग है इसको समाप्त होना चाहिए। विभाग को कुशलतापूर्वक चलाना है.तो इस विभाग का एक मंत्री होना चाहिए। इसके साथ-साथ मैं यह भी चाहता हूं मान्यवर, आपने कहा कि वर्ड बैंक से पैसा लेकर डिपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट सिस्टम में लगा रहे हैं। मैं याददाश्त ताजा करना चाहता हूं यह इस पैसे को उसमें लगाते जिससे मूलभूत ढांचा मजबूत होता, तो वर्ड बैंक के पैसे का लाभ होता। पैसा लेकर ए0एन0एम0 के ट्रेनिंग स्कूल पूरे प्रदेश में आपने बनवाये बड़ी-बड़ी बिल्डिंगों में ताले बन्द हैं। जेहां पांच हजार पर एक ए0एन0एम0 थी वहां दस हजार पर एक ए0एन0एम0 है यह सुधार हुआ है इस तरह से आपने ढ़ाचे को मजबूत बनाया है। मान्यवर, इसी तरह से अगर आप देखें, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया कि 3600 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और तीन सौ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पूरे प्रदेश में नये बनाये हैं। लेकिन आपने बिल्डिंग तो बना दी लेकिन वहां पर न तो डाक्टर्स हैं, न ए0एन0एम0 हैं, न लैब टेक्नीशियन और न ही लैब एसिसटेन्ट और न ही स्वीपर हैं। तो इस तरह से धन का दुरूपयोग करने से इस प्रदेश का भला होने वाला नहीं है। मान्यवर, इसी तरह से डाक्टरों की सेवा नियमावली में परिवर्तन कर रहे हैं उसको लागू नहीं करेंगे और जैसा कि मैंने कहा कि कोई भी डाक्टर 18 साल ग्रामीण अंचल में कदापि नहीं रह सकता है चाहे आप उसे पांच प्रमोशन ही क्यों न दे दें ? मेरा कहना है कि तीन साल से ज्यादा उन्हें न रखें और उनको उन अस्पतालों में जो ब्लाक स्तर के, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र हैं, जैसा कि लालजी वर्मा जी ने कहा कि इस तरह से डाक्टर्स को रखेंगे जो टी0वी0

स्पेसिलिस्ट, हार्ट विशेषज्ञ, पैथोलोजी विशेषज्ञ हों। हर विषय के डाक्टर्स होने चाहिए जिससे मरीजों को भी सुविधा हो और बिना जिला अस्पताल आये उसे वहीं सुविधा उपलब्ध हो सके। ..... (कई सदस्यों द्वारा बात-चीत करने पर)

श्री अम्बिका चौधरी–

मान्यवर, कुछ ध्वनियां आ रही हैं।

श्री अधिष्ठाता–

मैंने उसका संज्ञान ले लिया है।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 286 (9) में है कि कार्यवाही में रूकावट नहीं डालेंगे, चीत्कार नहीं करेंगे, बाधा नहीं डालेंगे। लेकिन कुछ सदस्य चीत्कार करके बाधा डालने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

यहां पर कोई चीत्कार नहीं हो रही है। कुंवर साहब संक्षिप्त करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, संक्षिप्त कर रहा हूं। मैं बहुत विस्तार से नहीं जाना चाहता हूं। लेकिन यह कहना चाहूंगा कि जो वर्ल्ड बैंक पोषित योजनाएं हैं या केन्द्र सरकार से पोषित योजनाएं हैं जैसा कि आपने बताया कि मोतिया बिन्दु, अगर आंकड़ों को देखें तो मोतिया बिन्दु के सबसे जयादा मरीज हमारे प्रदेश में है और उसी तरह से टी0वी0 के सर्वाधिक मरीज हमारे प्रदेश में हैं। आपने कहा कि दवा का प्रबन्ध कर रहे हैं लेकिन जिला अस्पतालों में देखें तो यह अपर्याप्त है और जो टी0वी0 का मरीज है वह एडिक्ट हो जाता है और दवाओं का असर नहीं पड़ता है उस पर। और जिस तरह की दवा उसको मिलनी चाहिये वह मिल नहीं पाती है। गरीब आदमी को पोष्टिक भोजन मिलना चाहिये वह नहीं मिल पाता है। आपको प्राविधान करना चाहिये कि ऐसे मरीजों की नि:शुल्क भर्ती हो और भोजन और दवाओं की व्यवस्था आप मुफ्त करें। मलेरिया दुनिया में खत्म हो गया है। हमारे प्रदेश में फैल गया है। यह ड्रग्स से कंट्रोल नहीं होता है बढ़ोत्तरी दिन प्रति दिन होती जा रही है। मलेरिया में यह प्रकाश में आया था कि वहां सब स्टेण्डर्ड दवायें खरीदी गयी हैं उसका असर मलेरिया को रोकने में नहीं पड़ा है। कुम्भ मेला की बड़ी तारीफ हुई है यह मा0 सरदार सिंह जी बैठे हुए हैं आपने कहा कि 7 करोड़ के बजट का प्राविधान था वहां जो दवा खरीदी गयी केन्द्रीय मंत्री सी0पी0 ठाकुर जी उस दवा का सैम्पुल ले गये थे दिल्ली, वह दवायें जांच में सब स्टेण्डर्ड थीं नकली दवायें थीं। कुंभ मेला में करोड़ों-करोड़ों यात्री आये थे।

परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कल्याण मंत्री (श्री सरदार सिंह)–

यह 7 जनवरी की मान्यवर बात है मेला 9 जनवरी से शुरू होने जा रहा था वहां घटिया किस्म की मिली दवाओं की उनमें जांच करायी गयी कि दवायें खराब हैं तुरन्त बदलवा दी गयीं और जब मेला शुरू हुआ तो कोई शिकायत नहीं मिली।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

दवायें खरीदी गयी घटिया किस्म की यह तो आपने कबूल कर लिया। मेले में तो ज्यादातर सर्दी जुकाम की गोली देनी थी। आपके एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाप कालेज आफ इण्डिया और वर्ल्ड बैंक के द्वारा कोई दवा का सेम्पुल लेकर जांच करायी गयी थी जो दवायें आपकी अस्पताल में जाती हैं तीन प्रदेश थे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश उसके जो रिजल्ट आये उसमें सबसे ज्यादा 10 प्रतिशत दवायें हमारे यहां की सब स्टेण्डर्ड थी जो चिन्तनीय विषय है। ऐसी दवायें कृपया न खरीदी जायें जो मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करें। अस्पतालों में एलोपैथिक के 8 हजार डाक्टर के पद स्वीकृत हैं मात्र 2/3 डाक्टर हैं प्रशिक्षित नर्सिंग स्टाफ आवश्यकता के विरूद्ध 1/3 अस्पताल में हैं पद हैं पोस्टिंग नहीं है। माननीय मंत्री जी अभी आप बजट की चर्चा कर रहे थे मैं पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि मात्र 3.1 प्रतिशत बजट आप स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं जो आल इण्डिया के विकसित प्रदेशों के आधे से भी कम है। इससे अंदाजा लगा लें कि हम प्रदेश को कहां ले जा रहे हैं इसका कहां भला होने वाला है।

श्री अधिष्ठाता–

आप संक्षिप्त करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि माननीय मंत्री जी मेरी कटौती की बातों को मान लेंगे और मानने के बाद तब उनका बजट पास किया जा सकता है।

श्री रमापति शास्त्री–

मान्यवर, हमारे बड़े नेता, प्रबुद्ध नेता के नाते माने जाने वाले कुंवर रेवती रमण सिंह ने अपने कटौती के प्रस्ताव में कुछ चीजों को अवगत कराया है। पहले तो उन्होंने यह कहा कि बजट का प्राविधान कम किया गया है। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि अनुदान संख्या-32 में वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए 633 करोड़ 44 लाख का प्राविधान किया गया था जबकि वित्तीय वर्ष 2001-2002 में 802 करोड़ 77 लाख का प्राविधान है। इस प्रकार चालू वर्ष में 169 करोड़ 33 लाख की बढ़ोत्तरी की गयी है। अनुदान संख्या 36 के लिए वित्तीय वर्ष 2000-2001 के लिए 146 करोड़ 47 लाख तथा वित्तीय वर्ष 2001-2002 के लिए 158 करोड़ 28 लाख का प्राविधान किया गया है। इस प्रकार चालू वर्ष में 11 करोड़ 81 लाख रूपये की बढ़ोत्तरी की गयी है। इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2001-2002 में विगत वर्ष की तुलना में 181 करोड़ 14 लाख रूपये का अधिक प्राविधान चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं हेतु किया गया।

मान्यवर, मैं समझ रहा था कि रेवती रमण सिंह जी बढ़िया महत्वपूर्ण प्रस्ताव करेंगे, सुझाव देंगे। अपने बजट भाषण में मैंने कहा था कि शिकायत नहीं सुझाव चाहिए तो मैं उस सारे सुझाव को कार्यान्वित करने की कोशिश करूंगा। मान्यवर, एक उदाहरण देकर इन सारे लोगों की बात को आगे बढ़ाना चाहता हूं। मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग में होने के नाते यह उदाहरण देना चाहता हूं कि अगर किसी के हाथ में ब्लेड से चीरा लगाया जाय तो चीरा लगने में कितनी देर लगेगी तो मेरे पूंछने पर चिकित्सकों ने कहा कि सेकैण्ड नहीं लगेगा मैंने कहा कि अगर उसको ठीक किया जाय तो चिकित्सकों ने कहा कि 7-8 दिन लग जायेंगे।

मैंने कहा कि अगर सेपिटक हो जाये तो उन्होंने कहा कि ठीक होने में महीनों लग सकते हैं तो इस प्रकार से जिसको 50 साल तक चीरा गया हो और सेपिटक हो गया हो तो क्या उसको ठीक करने के लिए 4 साल का समय काफी होता है ? आज इस पर अशोक वाजपेयी जी, अम्बिका चौधरी जी, रामतेज जी चले गये, हमारे सम्मानित वाजपेयी जी, गोरखनाथ पाण्डेय जी, माननीय डंग साहब, पंकज जी आदि लोगों ने उत्तम सुझाव दिये हैं। मान्यवर, जैसे आपने चर्चा करी कुम्भ मेले की तो कुम्भ में कोई भी एपीडिमिक नहीं हुआ सफाई व्यवस्था अच्छी थी। इंटरनेशल स्तर पर इसकी प्रशंसा की गयी। कोई भी अघोमानक दवाई नहीं पाई गयी, हर प्रकार की व्यवस्था ठीक थी। आप इलाहाबाद के रहने वाले हैं, आपने देखा है, आपने स्वयं प्रशंसा किया है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

यह आपने क्या सुन लिया। मान्यवर, कुछ हमारे माननीय सदस्यों ने, जो बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अशोक वाजपेयी जी, रामतेज जी, इन लोगों ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। मैं चुनौती देता हूं, किसी प्रकार से भ्रष्टाचार साबित हो जाय, वैसे भी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि आरोप लगाने से पहले एक प्रक्रिया है, विधान सभा की प्रक्रिया संचालन नियमावली में, आप उसके तहत आरोप लगावें, मैं जवाब देने के लिये तैयार हूं। यदि कहीं कोई भी इस तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जायेगा तो किसी भी प्रकार से किसी को छोड़ा नहीं जायेगा। हम इस व्यवस्था को ठीक करना चाहते हैं। कुछ हेल्थ सिस्टम परियोजना के बारे में चर्चा की गई। हम इस परियोजना के माध्यम से 580 करोड़ रूपये से प्रदेश के कुछ जनपदों को लेंगे। उसके बाद दूसरे चरण में पूरे प्रदेश में इस योजना को लागू किया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता–

पौने नौ बज चुके हैं, अभी दो बजट बाकी हैं।

श्री रमापति शास्त्री–

कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने एक बात कही कि 4.4 प्रतिशत तक बजट का प्राविधान है मैं बताना चाहता हूं आने वाले 2 साल में, 3 साल में यह 6.5 प्रतिशत का प्राविधान किया जायेगा। यह हमारी सरकार का संकल्प है। उन्होंने टी0वी0 पेशेन्ट के लिये कहा है कि इसके इलाज की नि:शुल्क व्यवस्था होनी चाहिए। मैं उन्हें अवगत कराना चाहता हूं कि टी0वी0 पेशेन्ट का रजिस्ट्रेशन और दवा सारी की सारी मुफ्त दी जाती है। स्वास्थ्य विभाग सेवा का विभाग है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और हम सब मिलकर इस काम को करना चाहते हैं। तमाम लोगों ने अच्छे सुझाव दिये हैं, मैं उन्हें शिकायत के रूप में नहीं, सुझाव के रूप में स्वीकार करता हूं। कोशिश करूंगा कि जिन माननीय सदस्यों ने उत्तम सुझाव दिये हैं, उन्हें लागू करूं। इसीलिये मैंने पहले ही कहा था कि अनभिज्ञता के नाते, चूंकि आप सभी वरिष्ठ सदस्य हैं, अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाती है तो सुधारने की कोशिश करूंगा। जितने सुझाव आये हैं, महत्वपूर्ण सुझाव हैं। लेकिन कुछ लोग कुंठाग्रस्त होकर सदन में चर्चा करने लगें, यह खेद का विषय है। जो उत्तम सुझाव आये हैं, उन्हें स्वीकार करके आगे लागू करने की कोशिश करूंगा। चूंकि समय बहुत ज्यादा हो गया है, इसलिये रेवती रमण सिंह जी से प्रार्थना करता हूं कि वह अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें तथा सर्वसम्मति से स्वास्थ्य विभाग का बजट पास करायें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

माननीय, माननीय मंत्री जी को सत्ता पक्ष के लोगों ने निरीह प्राणी की तरह छोड़ दिया है। यह भी इस विधानसभा में एक ऐतिहासिक घटना है। मैं विगत 30 सालों से कार्यवाही को देख रहा हूं लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। माननीय मंत्री जी अकेले पड़ गये। साथ ही अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता–

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूँ।

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या -32- चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-32- चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 6,02,08,52,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या -36- चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या -36- चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 1,18,71,37,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान के लिये मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)

मातृ एवं शिशु कल्याण परिवार कल्याण *(श्री सरदार सिंह)–

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-35- चिकित्सा विभाग (परिवार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,28,30,83,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी, गागर में सागर भर दीजिए और अपनी बात 5 मिनट में पूरी कर लें।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, सभी समस्याओं का हल तो मेरे पास ही है और आप 5 मिनट में खत्म करने को कह रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप बहुत विद्वान मंत्री हैं, थोड़ी बातों में बहुत कुछ कह दीजिए।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन का अति महत्वपूर्ण उद्देश्य लोगों की जीवन शैली में, गुणवत्ता में सुधार करना, उनकी खुशियों में वृद्धि करना और समाज में व्यक्ति को उत्पादक बनाने के लिए अवसर और विकल्प प्रदान करना है। श्रीमन्, 1952 से ही भारत सरकार ने इस तथ्य को समझा और बढ़ती हुई आबादी को रोकने के लिए परिवार कल्याण योजना चलायी। इस बीच में मान्यवर, जो हमारी औसत आय थी उसमें वृद्धि हुई, मृत्यु दर कम हुई लेकिन जो जन्म दर थी वह कम नहीं हो पायी और आज स्थिति यह है कि दुनिया का हर छठवां व्यक्ति हिन्दुस्तान का है और हिन्दुस्तान में छठवां व्यक्ति उत्तर प्रदेश का है। मान्यवर, हमारे संसाधन कम होते जा रहे हैं और हम प्रतिदिन इस मण्डप में कहते हैं कि बिजली की समस्या, पानी की समस्या, पर्यावरण की समस्या, चिकित्सा सुविधा की समस्या, शिक्षा की समस्या, इन सारी समस्याओं को लेकर रोजाना हमारे सामने बैठने वाले साथी शिकायत करते हैं, बेल में आते हैं। मान्यवर, इसका एक कारण बढ़ती हुई आबादी है। नदियों में पानी कम होता जा रहा है। आज माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी यहां नहीं हैं, पानी की बोतल 12 रूपये की, और जितने भी संसाधन हैं, जितनी भी नदियां हैं- गंगा, यमुना, घाघरा, सरयू सब में पानी कम होता जा रहा है, वन सम्पदा कम होती जा रही है, बढ़ती हुई आबादी के दबाव में जितना भी विकास कर रहे हैं वह दिखायी नहीं दे रहा है। इसलिए इस सरकार ने सबसे पहले गत वर्ष विश्व आबादी दिवस पर अपनी जनसंख्या नीति की घोषणा की और मान्यवर, उसको क्रिया रूप देने के लिए एक वृहद् कार्य योजना तैयार कर ली है जिसे हम लागू करने जा रहे हैं।

(इस समय 8 बजकर 55 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

लेकिन मान्यवर, यह काम इतना विशाल है कि एक के वश की बात नहीं है, जब तक हमारे सामने बैठे हुए साथी, सरकार, स्वास्थ्य विभाग के साथ अन्य विभाग, स्वयं सेवी संस्थायें, सहकारी संस्थायें, महिला संगठन, हमारे प्राईवेट प्रैक्टिस करने वाले डाक्टर्स चाहे वह एलोपैथी, होम्योपैथी या जो भी इण्डियन सिस्टम आफ मेडीसिन है, हमारे धर्म गुरू इन सबके सहयोग से जब तक एक जन

आन्दोलन का रूप नहीं देंगे। तब तक हम सफल नहीं हो सकते। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसको कार्य रूप देने के लिए जो योजनायें तैयार की है उनको मैं संक्षेप में बताना चाहूंगा। मान्यवर, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत डिस्पोजल डिलेबरी किट, वस्त्र विस्तर, एक्सरे प्लेट क्रय करने, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के रख-रखाव एवं उपकरणों के सुदृढ़ीकरण हेतु 2,617 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त की है जिसमें पेयजल की व्यवस्था हेतु प्रत्येक जनपद में 20 प्रति उपकेन्द्र के हिसाब से 1400 हैण्ड पम्प लगाया जाना सम्मिलित है।

प्रदेश में पल्स पोलियो अभियान चार चरणों में पूरा किया गया प्रत्येक चरण में लगभग 3.40 करोड बच्चों को पोलियो की दवा पिलायी गयी। माताओं एवं बहिनों को टिटनेस से बचाने के लिए दो चरणों में टीकाकरण अभियान चलाया गया और 13 लाख माताओं, बहिनों को टिटनेस के टीके लगाये गये। प्रदेश की जनता को नि:शुल्क चिकित्सा हेतु परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मेले का आयोजन किया गया, शास्त्री जी एवं अन्य वक्ताओं ने इसका जिक्र किया है, इससे बड़ी जागृति आयी है। तमाम लोगों को फ्री दवायें दी गयी और तीन महीने तक फ्री इलाज किया गया और इससे परिवार कल्याण का प्रचार-प्रसार हुआ। जहां पुरूष नसबन्दी नहीं कराते थे, दिल्ली से विशेषज्ञ आये, बिना चीरा-टांका के नसबन्दी की गयी और बहुत ही उत्साहवर्द्धक रहा। इसी प्रकार का मेला मथुरा में भी आयोजित किया गया इसमें 30 हजार लोग लाभान्वित हुये, लखनऊ मेले में 1,20,000 लोगों ने रजिस्टर्ड कराया और नि:शुल्क दवायें ली। मातृ एवं शिशु कल्याण के लिए 2783 महिला स्वास्थ्य कार्यकत्री तैनात की गयी हैं और संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने हेतु संविदा पर 353 स्टाफ नर्स तैनात की गई तथा कुल 42.360 संस्थागत प्रसव कराये गये।

24 घंटे प्रसव सेवा देने हेतु प्रत्येक जनपद में 4 स्वास्थ्य केन्द्र क्रियाशील कर दिये गये हैं । आर0सी0 एच0 कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद रायबरेली तथा फिरोजाबाद की उप परियोजनाओं हेतु रु0 493 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी । कार्यक्रम में जनता की सहभागिता बढ़ाने हेतु चेतना सृजन प्रशिक्षण पर रु0 10.88 करोड़ की धनराशि व्यय की गई जिसके अन्तर्गत कुल 1,83,499 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया, जिसमें 56,643 चिकित्सा कर्मी तथा 1,26,856 अन्य विभागों के कर्मचारी जैसे शिक्षा, ग्राम्य विकास, पंचायती राज तथा समाज कल्याण विभाग एवं प्रधान क्षेत्र पंचायत सदस्य तथा स्वैच्छिक संस्थाओं के प्रतिनिधि सम्मिलित हैं ।

प्रदेश में 4 नई परियोजनाओं का शुभारम्भ 31.1.2001 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया।

लखनऊ नगर की मलिन बस्तियों में चिकित्सा स्वास्थ्य सेवायें देने हेतु अरबन आर0सी0एच0 परियोजना प्रारम्भ की गयी ।

33 जनपदों के प्रशिक्षित के हाथों प्रसव कराने के उद्देश्य से दाई प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारम्भ किया गया ।

सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों की जनता को आर0सी0एच0 कार्यक्रम की सेवायें देने हेतु 32 जनपदों में आर0सी0एच0 शिविरों का प्रारम्भ किया गया ।

11 जनपदों के सुदूर क्षेत्र में आर0सी0एच0 सेवाओं के सुदृढ़ीकरण हेतु आर0सी0एच0 आउटरीच कार्यक्रम का प्रारम्भ किया गया ।

मान्यवर, ग्रामीण कार्यकर्ताओं को मोपेड खरीदने हेतु 360 लाख रुपया 31 जनपदों के लिए अवमुक्त किया गया है । औषधियों की भण्डारण क्षमता बढ़ाने के लिए मण्डल स्तर पर 13 भण्डार गृहों का निर्माण किया जा रहा है । मान्यवर, 2000-2001 में परिवार कल्याण की उपलब्धियाँ बहुत अच्छी

रही हैं और कुल नसबंदी 365189 हुई है जो गत वर्ष की तुलना में 3.8 प्रतिशत अधिक हैं। महिलाओं में 2040366 कापर्टी लगाई गई हैं जो गत वर्ष की तुलना में 1.68 प्रतिशत अधिक है । गर्भ निरोधक गोलियां 8 लाख 46 हजार 530 लोगों ने अपनाई जो गत वर्ष की तुलना में 5.6 प्रतिशत अधिक है ।

मान्यवर, पोलियों उन्मूलन के लिए 40 जनपदों में दो चरणों में अप्रैल तथा मई में मापक लक्ष्य चलाया जा रहा है । कुल 6 केश मिलें हैं । डब्लू0एस0ओ0 के ग्लोबल चीफ आये थे उन्होने हमारी सराहना की है । मैंने मुजफ्फर नगर, गोरखपुर देखने का प्रयास किया है जहां कोई कमी नही मिली है। मैं चाहूंगा जो हमारे ए0एन0एम0 है जो हमारी सबसे छोटा कार्यकर्ता है जिनके प्रयास से यह लक्ष्य मिला इनकी सराहना करें 1

मान्यवर, प्रधानमंत्री ग्राम योजना के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप केन्द्रों के सुदृढ़ीकरण एवं निर्माण के लिए 5233 लाख रूपये का प्राविधान किया है । मान्यवर, हेपेटाइटिस वी0 के लिए दो चरणों में, 28 अप्रैल, 1 मई, 3 मई, 29 मई, 31 मई, और 2 जून, 2001 को व्यवस्था की गई । कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं । कुल 40285 कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य है । औषधि तथा गर्भ निरोधक सामग्री भण्डार की क्षमता बढाने के लिए 5 नये भण्डार गृहों के निर्माण का प्राविधान किया है । सुदूर क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए आर0सी0एच0 टीकाकरण आदि कार्यक्रमों पर मानव संसाधन देने औषध आपूर्ति करने के लिए सुविधा देने का प्रस्ताव है । जनसंख्या नीति को आंदोलन के रूप में लागू किया जायेगा 1 इस प्रकार परिवार नियोजन और आबादी सुधार करने के लिए सरकार प्रयत्नशील है । हमारे प्रदेश की आबादी 16 करोड़ 60 लाख है । हम पर्यावरण, पेयजल की सुविधा दे सके तो यह हमारे एसेट का काम करेंगे और अगर इनको सुविधा नहीं दे सके तो यह आबादी हमारे लिए लायबिल्टी हो जायेंगे । हम दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आबादी नियंत्रण के लिए प्रचार और प्रसार करें । हमारे दक्षिण के राज्य केरल, तमिलनाडु, आन्ध्र प्रदेश में आबादी नियंत्रण पर तेजी से अंकुश लगाया है । हिमांचल प्रदेश, पंजाब और उड़ीसा जैसे छोटे राज्य में भी आबादी नियंत्रण पर सफलता पायी है ।

मान्यवर, आबादी नियंत्रण के संबंध में 2016 तक हम लक्ष्य 2.1 करना चाहते हैं । भारत सरकार का लक्ष्य 2010 तक 2 परसेन्ट करने का है । भारत सरकार प्रजनन दर हमसे कम है, वह इस काम को जल्दी कर लेंगे हमें टाइम लगेगा । मान्यवर, जनगणना के अनुसार पुरूषों की संख्या 87466301 है, और महिलाओं की संख्या-78586558 है, इस प्रकार कुल मिलाकर 166052859 की आबादी है । जनसंख्या वृद्धि स्थिर हो रही है । यह 25.8 प्रतिशत है । जनसंख्या का घनत्व प्रतिवर्ग किलोमी0 689 है । मान्यवर, साक्षरता की दर पुरूषों में 70.23 है और महिलाओं में 42.89 है कुल साक्षरता 57.35 है । मान्यवर, जन्मदर एस0आर0एस0 1998 के अनुसार प्रति हजार 32.4 है और मृत्यु दर 85 है । प्रजनन दर एन0एस0एच0एस0-4, 1998-99 के अनुसार 3.99 है इसके पहले यह 5 थी ।

मान्यवर, सुरक्षा दर 38.01 परसेन्ट है और जीवन अनुसंसा दर 61.2 प्रतिशत है । मान्यवर, हम सब लोगों का सहयोग लेना चाहते हैं जिससे कि हम बढ़ती आबादी को स्थिर कर सकें और अपने प्रदेश को सुन्दर प्रदेश बना सकें । मान्यवर, स्कूल चलो आन्दोनल के माध्यम से हम चाहते हैं, कि ज्यादा से ज्यादा बालिकायें पढ़े, महिलाओं की भागीदारी राजनीति और अन्य क्षेत्रों से ली जा रही है,

ताकि आबादी कम हो पंचायतों में 33 परसेन्ट, नौकरियों 20 परसेन्ट और अन्य जगहों पर महिलाओं को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है ताकि महिलाएं सामाजिक कार्यों में भाग लें और आबादी कम हो । मैं चाहूंगा कि माननीय सदस्यों के सकारात्मक सुझाव आयें जिससे कि हम अपने प्रदेश को अच्छा बना सके और आबादी पर नियंत्रण कर सकें, धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष–

मैं एक सुझाव के नाते कह रहा हूं । कटौती के प्रस्तावक को 10 मिनट और 2-3 माननीय सदस्य इधर के और 2-3 माननीय सदस्य उधर के इस पर 5-5 मिनट बोल लें 1 यदि और भी कम समय लें तो अच्छा रहेगा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना । मान्यवर, माननीय सरदार सिंह जी ने जो परिवार कल्याण विभाग का बजट रखा है उसमें कबूल किया है कि प्रदेश की आबादी तेजी से बढ़ रही है । इससे बड़ी चिंता का विषय और कोई नहीं हो सकता।

उत्तर प्रदेश में आबादी बढ़ने के कारण इसका असर पर्यावरण पर पड़ रहा है और जंगल कटते जा रहे हैं और वृक्षों का कटान बड़े पैमाने पर हो रहा है । जो शहरों और गांवों में तालाब थे उन पर लोग कब्जा करते जा रहे हैं और इससे इकोलाजिकल सिस्टम बिगड़ रहा है । दक्षिण भारत के राज्यों में केरल का वर्थ रेट 1.0 प्रतिशत है । जबकि हमारे यहां 5.4 प्रतिशत ग्रामीण अंचलों में है और शहरों में यह प्रतिशत 4.8 है । मंत्री जी ने कहा है कि 2016 तक हम काफी आबादी कम कर लेंगे लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि ऐसा नहीं होगा । अगर आबादी बढ़ती रही तो जमीन बचेगी ही नहीं। आबादी 22 करोड़ हो जायेगी । प्रदेश की जनसंख्या वृद्धि को सरकार को चुनौती के रूप में लेना चाहिए ।

मैं कहना चाहता हूं कि आबादी वृद्धि का राष्ट्रीय औसत 4.8 प्रतिशत है । हमारे प्रदेश की आबादी वृद्धि की दर 40 फीसदी है । शहरी क्षेत्रों पर आबादी वृद्धि दर थोड़ी कम है और ग्रामीण क्षेत्रों की 5.4 प्रतिशत है । इससे परिलक्षित होता है कि ग्रामीण अंचलों की आबादी वृद्धि दर शहरों से अधिक है । आपका जो परिवार कल्याण आंदोलन है वह सीमित है । इस पर चर्चायें और गोष्ठियां होनी चाहिये तब इसका स्वरूप एक जन आंदोलन का स्वरूप होगा । इसी के साथ आप यह भी देखें कि मातृत्व मृत्यु दर भारत में यदि देखी जाय तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है । लगभग 7 फीसदी गर्भधारण खतरनाक श्रेणी में आते हैं । आज जो प्रदेश की स्थिति है वह यह है कि उत्तर प्रदेश में 90 फीसदी बच्चे अप्रशिक्षित दाइयों द्वारा घरों में पैदा किये जाते हैं । मेरा सुझाव है कि जब तक प्रशिक्षित दाइयों की व्यवस्था न हो जाय इन दाइयों को फार्मल ट्रेनिंग देकर गांव गांव स्थापित कर दें ताकि इसमें सुधार हो सके । आज जो गरीब लोग हैं उनमें प्रजनन दर सबसे अधिक हैं । आज गरीब व्यक्ति चाहे जिस जाति का हो चाहे हिंदू या चाहे हमारे मुसलमान भाई हों, उनमें आबादी वृद्धि की दर अधिक है । जब तक इस संबंध में कोई कारगर नीति नहीं बनायी जायगी तब तक सफलता नहीं मिलेगी । एक बात यह कही जाती है कि "मुस्लिम-ला" में इसके लिये प्राविधान नहीं है ।

मैं इस बात को सही नहीं मानता हूं । आज इंडोनेशिया और मलेशिया में जो मुस्लिम प्रधान देश हैं वहां पर आबादी को कंट्रोल किया गया है तो क्या कारण है कि हमारे यहां कंट्रोल नहीं हो सकता है । अगर आप जनसंख्या रोकने के लिये आधे अधूरे मन से कार्य करेंगे तो अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पायेंगे । इन प्रदेश में बच्चों के पोषण और उनके स्वास्थ्य की दशा अत्यन्त शोचनीय है । 1/3 बच्चों का वजन सामान्य से कम होता है इस ओर आप ध्यान दें 1

भारत वर्ष में प्रत्येक सात में एक बच्चे की मृत्यु हो जाती है हमारे प्रदेश में यह भी चिन्ता का विषय है । जो हमारे प्रदेश में तमाम योजनाएं चल रही है परिवार कल्याण की सिप्सा विश्व बैंक पोषित परियोजना है इस परियोजना में 10 साल की परियोजना है जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिये परियोजना बनाई गई थी लेकिन आप देखें 29 जिलों में यह परियोजना चल रही है इसका बजट एक हजार करोड़ रूपये का है इतना बड़ा बजट इसका है मात्र दो साल और बाकी हैं 2003 में यह परियोजना समाप्त हो जायेगी लेकिन यह एक चारागाह बना हुआ है बड़े-बड़े अफसरों की बीबियां है जो इसको संचालित करती हैं और राजनीति घराने के लोग संचालित करने का काम करते हैं उसका लक्ष्य जो था वह कदापि प्राप्त नहीं कर सकते हैं अगर इन योजनाओं को जो विश्व बैंक से वित्त पोषित हैं एक हजार करोड़ रूपये मिला हुआ है इसको भी ठीक से नहीं चला पा रहे हैं इससे बड़ी चिंता का विषय और नहीं हो सकता है ।

इसी तरह से यह भी कहना चाहूंगा कि इन संस्थाओं को चलाने में आपको कड़ा रूख अपनाना पड़ेगा केवल एन0जी0ओ0 जो चल रहे हैं इन एन0जी0ओ0 पर किसका नियंत्रण है इसमें आई0ए0एस0 का पद स्थापित किये हैं इसमें प्रोफेशनल लोगों को रखा जाय जो इससे संबंधित हो जो इसके व्यवसाय से संबंधित हों ऐसे प्रोफेशनल लोगों द्वारा इसको संचालित करने का काम किया जाय। इसी तरह से आपने जो पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाया यह केवल ए0एन0एम0 के सहारे संचालित नहीं हुआ और एन0जी0ओ0 भी लगे थे तथा इस कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्रों की माता बहनें अपने अपने बच्चों को स्वयं ले जाकर पोलियो ड्राप पिलवाया । इस तरह से एक जन जागरण अभियान के रूप में यह अभियान चला । इसी तरह का अभियान आप जनसंख्या नियन्त्रण के बारे में चलायें । तभी आपको अपेक्षित रिजल्ट मिलेगा । मैं सुझाव देना चाहूंगा कि एक कट आफ डैट निश्चित कर दें पहली शुरुआत हम अपने से करें कि अमुक तारीख के बाद चाहे विधान सभा सदस्य हों, चाहे लोकसभा सदस्य हों, चाहे राज्यसभा सदस्य हों, चाहे ग्राम पंचायत, चाहे जिला पंचायत, चाहे नगर पालिका या अन्य इस तरह की संस्थाओं के सदस्य हों आप एक तारीख तय कर लें उस तारीख के बाद जिसके एक या दो बच्चे होंगे वही चुनाव लड़ सकेंगे । आप मन बनाइए जब तक मन नहीं बनाएंगे खाली भाषण होता रहेगा तब तक कोई नतीजा नहीं निकलेगा और जनसंख्या इसी तीव्र गति से बढ़ती रहेगी । आप यह भी कर दीजिए आप इसेटिव दीजिए कि जो एक या दो बच्चा पैदा करेगा उसको नौकरी में, जमीन के एलाटमेंट में प्राथमिकता देंगे । कंट्रोल की दुकान देनें में प्राथमिकता देगें आप ऐसा वातावरण बनाइए जिससे लोगों को समझ में आए। आप यह फार्मूला लागू करवा दें कि इतने बच्चे बाद वह डिस्क्वालिफाई हो जायगा जो पूर्व में हो गया उसकी बात मैं नहीं कर रहा । भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति न हो यह जरूर मैं चाहूंगा ।

मैं कहना चाहता हूं कि गांव-गांव में मलिन बस्तियों में आडियो विजुअल पिक्चर बनाकर दिखाना चाहिए कि आबादी का असर क्या है ? कोई कहता है भगवान की देन है कोई खुदा की देन बताता है लेकिन यह हमारी ही देन है। प्रचार प्रसार का कार्य किया जाना चाहिए इसी के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । धन्यवाद ।

श्रीमती सुमनलता सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी आपने मुझे इस बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको धन्यवाद। मैं कहना चाहूंगी कि गांव में जो लोग है वह ज्यादा संख्या में रहते हैं वहां की महिलाओं को परिवार कल्याण के विषय में कोई जानकारी नहीं है । जब हम लोग जाते हैं तो पता लगता है कि पुरूषों ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया है । जो एएनएम है उनको इसकी सारी जिम्मेदारी दी गई है तो गांवों तक पूरी जानकारी नहीं पहुंच पाती जिससे जनसंख्या कंट्रोल नहीं हो पाई । जो पढ़े लिखे सम्मानित सदस्य हैं वे ही ऐसी गलतियां कर रहे हैं मेरा इशारा मथुरा की ओर है ।

(हँसी)

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

कुछ समझकर ही यह उत्तरदायित्व मथुरा को दिया गया है ।

श्रीमती सुमनलता सिंह–

मेरा सुझाव यह है कि जो स्त्रियां पढ़ी लिखी नहीं हैं वहां नाटक या किसी उचित माध्यम से प्रचार प्रसार करके उनको समझाया जाय बजट जो हर साल पास होता है लेकिन जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा है । हमारे जिले में भी इस कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया जाय, मथुरा में भी लागू किया जाय । इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करती हूं धन्यवाद ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । वास्तव में परिवार कल्याण प्रदेश के विकास के लिए मुख्य स्तम्भ है । बिना इसके प्रदेश का विकास कोरी कल्पना होगी । बढ़ती जनसंख्या के प्रति हर नागरिक चिंतित है । बजट के बावजूद भी आशातीत व्यवस्था उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रही है । दक्षिण भारत में इस क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता मिली है । और उसी सफलता के कारण दक्षिण भारत के लोगों का इस देश की संसद पर दबाव पड़ा कि संविधान में प्रत्येक सेन्सस के बाद सीटों का परिसीमन करते हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या के आधार पर सीटों का परिसीमन करते हैं । परिवार कल्याण का लाभ न मिलकर नुकसान हो रहा है। इस पर भारत सरकार को मजबूर होकर निर्णय लेना पड़ा कि परिसीमन नहीं किया जा सका । सारे संसाधन फेल होते जा रहे हैं और यह इसलिये फेल होते चले जा रहे हैं कि हमारे परिवार कल्याण कार्यक्रम सफल नहीं हो पा रहे हैं । तमाम देशों के उदाहरण हैं जहां परिवार कल्याण पूरी तरह से सफल नहीं हुआ वहां विकास सही तरीके से नहीं हो पाया । इस परिवार कल्याण के कार्यक्रम को सफल बनाने में सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है । इसके साथ साथ अपनी जनता को उसके प्रति जागरूक करने का काम करना चाहिए ।

मैं कुंवर साहब को इस बात से पूरी तरह से समर्थन करता हूं कि हमको कुछ आगे बढ़कर कदम उठाने होगें । सबसे अच्छा सुझाव जो दिया कि हमारे देश जो कि लोकतांत्रिक देश है और इस लोकतंत्र में हमारे देश की लगभग बहुत बड़ी जनसंख्या सत्ता में भाग लेने के लिये तैयार खड़ी है । चाहे पंचायत, या सहकारी या अन्य तमाम जो संस्थाएं हैं, जहां निर्वाचन होता है एक सदस्य के रूप में । इसलिये हमको इस बात का निर्णय करना होगा कि हम सभी लोग जो समाज में लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं । सबसे पहले अपने ऊपर इसको उतारना होगा । अपने ऊपर उतारते हुए एक निर्णय लेना

होगा कि एक सुनिश्चित तिथि के उपरान्त यदि किसी व्यक्ति ने अमुक संख्या से अधिक बच्चे पैदा करने का काम किया है तो उसको चुनाव में भाग लेने का अवसर प्राप्त नहीं होगा। विधान सभा, लोक सभा, राज्य सभा, इन सबके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार के बस में नहीं है निर्णय लेना, लेकिन भारत सरकार को कानून बनाने का काम, संविधान में संशोधन करने का काम करने के लिये विधान सभा से प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेज सकती है और उनसे ऐसी मांग कर सकती है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद्, नगर निगम इन सबमें इस तरह का कानून बनायें और उसके हिसाब से उसको लागू करने का काम करें तब ही आपका यह परिवार कल्याण का कार्यक्रम सफल हो सकता है । निश्चित रूप से इससे देश का और प्रदेश का विकास हो सकता है ।

परिवार कल्याण के बारे में हमारी बहिन सुमनलता जी ने जो बात कही कि हमारे मंत्रिमंडल के सहयोगी ही अगर उसकी धज्जी उड़ाने का काम करेंगे तो दूसरों को क्या आइना दिखायेंगे। इसलिये इस तरह के कार्यक्रम को अपने पर भी उतारने का काम करना होगा । पूरी तरह से इसको अमल में लायें । तिवारी जी बधाई लाये थे मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता । किसी का नाम लेकर बात नहीं करना चाहता हूं । निश्चित रूप से अपने ऊपर भी लागू करना होगा । अपने सहयोगियों को भी इस दिशा में शिक्षित करने की जरूरत है । गोष्ठियों में जहां पर हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जाते हैं वहां पर इसका प्रचार और प्रसार करना चाहिए तब ही आप निश्चित रूप से सफल हो सकेगें । जब तक आप इस आबादी की वृद्धि को घटा पाने में सफल नहीं होते तब तक प्रदेश का विकास कर पाना सम्भव नहीं है । यह मात्र कोरी कल्पना रह जायेगा । इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद देता हूं कि कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का आपने अवसर दिया ।

***डा0 वेद प्रकाश सिंह–**

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया। मैं अपने माननीय मंत्री श्री सरदार सिंह जी द्वारा रखे बजट के समर्थन पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। यह इतना महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय है कि इस पर काफी लम्बी चर्चा हो सकती है लेकिन चूंकि समय कम कर दिया गया है जल्दी बोलने के लिए कहा गया है तो कुछ बिन्दु के बारे में कहना चाहूंगा। 1995-96 में सरकार ने परिवार नियोजन के विभिन्न कार्यक्रम चलाए । लक्ष्यविहीन कार्यक्रम चलाए गए। उन कार्यक्रमों में अनेक प्रकार की बातें रखी गई । साथ में यह कहा गया कि गुणात्मक स्तर में सुधार होना चाहिए । परिवार कल्याण के क्षेत्र में जो जन्म दर है उसको नापा गया। जन्म दर 1996 में 35.5 प्रति हजार से 2000 में 30 प्रति हजार हो गई शिशु मृत्यु दर जो 1996 में 10.5 प्रति हजार थी वह 2000 में 6 प्रति हजार हो गई और बाल मृत्यु दर जो 1996 में 85 प्रति हजार थी वह 2000 में 70 प्रति हजार हो गई । बहुत प्रयास किया गया लेकिन अपेक्षाकृत परिणाम नहीं निकले।

मान्यवर, परिवार कल्याण में बहुत सारे बिन्दु है जिनके द्वारा आप परिवार कल्याण के कार्यक्रम को सफल बना सकते हैं । गर्भनिरोधक में निरोध, गोली एम0टी0पी0 आदि चीजें हैं महिलाओं के लिए कार्यक्रम अधिक हैं लेकिन एक कार्यक्रम पुरूषों द्वारा अपनाया जाता है । निरोध को केवल मौज-मस्ती के लिए इस्तेमाल किया जाता है । गर्भ-निरोधक के लिए कोई इस्तेमाल नहीं करता है । 2000 में 252 पुरूषों द्वारा इसको अपनाया गया है । इस परिवार नियोजन के कार्यक्रम में महिलाओं का योगदान अधिक रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं में इसकी जानकारी नहीं है । श्रीमन् ग्रीन कार्ड योजना चलाई

---

*वक्ता ने भाषण का पुर्नरीक्षण नहीं किया ।

गई जनता को प्रशिक्षित करने के कार्यक्रम चलाए गए समाचार पत्रों, रेडियों के द्वारा इसकी जानकारी दी गई इसका प्रचार-प्रसार किया गया ।

श्रीमन् दुनिया में कुछ ऐसे देश हुए हैं जिनको इसमें अभूतपूर्व उपलब्धि प्राप्त है चीन का नाम इसमें प्रमुख है । चीन में दूसरे प्रकार की व्यवस्था है हमारे देश में दूसरे प्रकार की व्यवस्था है । वहां स्क्वायर कांड में युवा और छात्रों को गोली से भून दिया जाता है यहां डिक्टेटरशिप का माहौल है हम वैसा तरीका नहीं अपना सकते हैं लेकिन कुछ तरीके है । ग्रीन कार्ड धारकों के लिए योजनायें चलाएं कुंवर रेवती रमण सिंह जी कह रहे थे बहुत सारी सुविधा दी जानी चाहिए वह दीं । नौकरी में वेतनमान वृद्धि के बाद साढ़े 12 एकड़ जमीन जिनके पास है उनको तीन साल तक राजस्व वसूली में छूट दी गई कम दरों पर ऋण दिया गया । बैंक में आसान किस्तों पर ऋण की व्यवस्था की गई ग्रीन कार्ड धारकों को लाभ देने के लिए सरकार की अनेक योजनायें हैं । स्व रोजगार से संबंधित योजनायें है सस्ते ब्याज पर ऋण देने की योजना है । अनेक योजनायें इन लोगों को सुविधा प्रदान की हैं । जिनके पास ग्रीनकार्ड है । जिनके पास दो बच्चे से ज्यादा नहीं हैं उनके लिए कार्यक्रम हैं । इनको चेतना देने की जरूरत है ।

मान्यवर, इसी के साथ जो दूसरा नजरिया है, जैसे धार्मिक बात कही गयी है, सब धर्म नेताओं को विश्वास में लिया जाय । जो धार्मिक गुरू हैं चाहे वह हिन्दू के हों, मुसलमान के हों या फिर क्रिश्चियन के हों, उनसे वार्ता करने के बाद एक रिपोर्ट यह आयी थी कि पोलियों के ऊपर यह संदेह हो गया था कि इससे नपुंसकता पैदा हो जायेगी यह किसी वर्ग विशेष में बात उठ गयी थी लेकिन देवबन के धार्मिक गुरू एवं दिल्ली के धर्म गुरू ने इस भ्रम का निवारण किया उनके बयान आये और पोलिया ड्राप पिलायी गयी । तो इस तरह की धारणा से ग्रसित न हों । नसबन्दी या परिवार कल्याण जो नहीं अपना रहे हैं तो उनका प्रचार एवं प्रसार किया जाय । इसी के साथ मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस संवेदनशील विषय पर बोलने का अवसर दिया ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय अध्यक्ष जी, समय बहुत कम है और इससे महत्वपूर्ण कोई विषय दूसरा हो नहीं सकता है । सारी बजट योनजाएं जो बन रही है वह अगर जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण नहीं हो सकता है तो जितनी भी योजनाएं हैं उसको अमली जामा पहनना मुश्किल हो जायेगा । मैं एक दो सुझाव देकर अपनी बात को समाप्त करूंगा । एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि गर्भस्थ शिशु की हत्या करना, क्योंकि आज लिंग परीक्षण किये जा रहे हैं और जिस पर भारत सरकार ने निर्देश दिया है यह परीक्षण न करायें जायें । लेकिन एक टेक्निकलटी हो रही है जो लिखित रिपोर्ट दिया करते थे वह प्रदेश में लिखित तौर पर सर्टिफिकेट नहीं दिया जा रहा है तो इसको रोका जाय । सरकार सख्ती से इसका पालन करे और यह आदेश दे कि भ्रूण परीक्षण न कराया जाय । एक छोटी सी बात और कहना चाहूंगा। आपने पूरे प्रदेश में इस कार्यक्रम को लागू करने की योजनाएं बनायी हैं । मान्यवर, तीन अरब अटठाईस करोड़ से ज्यादा के बजट का प्रस्ताव है । तो इसमें जितना पैसा डाइवर्ट करते बने मंत्रिमंडल के लिए एक विशेष क्लीनिक और इसके प्रशिक्षण की विशेष व्यवस्था कर दें क्योंकि यह एक अच्छा उदाहरण बन पायेगा। इसके दो कारण है एक तो परिवार कल्याण में योगदान हो जायेगा और दूसरा एड्स को रोकने में भारी नियंत्रण होगा । आचरण से तो यह कोई छूट नहीं करते हैं उपकरण लगा देगें तो अच्छा होगा । इसी के साथ जो माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसका समर्थन करता हूं ।

श्री बाल चन्द्र मिश्र–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय मंत्री मातृ शिशु एवं परिवार कल्याण द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, जन्मदर वृद्धि के साथ सीधा सम्बन्ध है मृत्यु की दर से । जब तक मृत्यु दर को कम नहीं करेंगे, माताओं को परिवार अभिभावकों को यह रहेगा यह हमारा बच्चा एक जन्म ले रहा है बचेगा कि नहीं यह जब तक निश्चिंतता नहीं रहेगी यह स्कोप वह बढ़ाता चला जायेगा । उसके मन में रहेगा कि कई बच्चे होंगे तो 2-1 तो बच जायेंगे। तो जो स्वास्थ्य के अन्य कारण हैं मृत्यु दर घटाना सबसे मुख्य है । तभी जनसंख्या वृद्धि का रेट घटाना आसान होगा। समाज में व्यक्ति हैं जो राजनीतिक कारणों से जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिये मानसिक रूप से उसके पक्ष में नहीं हैं । वह जनसंख्या वृद्धि के भीतर अपने मतदाताओं की वृद्धि की बात खोजता है।

मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन करता हूँ कि जो भी लोग हैं राष्ट्रीय हित समाजहित से बढ़कर राजनीतिक दृष्टि से मतदाता उत्पन्न करने का विचार करते हैं उन्हें ऐसा करना चाहिए। और इस बात को भाषण में कहते हैं उनको अपने हृदय पर हाथ रखकर सोचना चाहिए। जनसंख्या नियंत्रण प्रभावी नहीं हुई तो विकास अवरूद्ध होंगे, समाज की स्थिति खराब होगी, राष्ट्र की स्थिति खराब होगी, और विश्व स्तर पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता की बात आयेगी तो उसमें हम कमजोर पड़ जायेंगे। इसी के साथ बजट का समर्थन करता हूँ।

(स्वास्थ्य एवं चिकित्सा राज्य मंत्री) डा0 अरविन्द कुमार जैन–

मान्यवर, यहां जो सैकड़ों साल की संस्कृति है वह हम बदल नहीं सकते हैं । 2-4 लोग बदल जायेंगे 96 तो सोचते हैं कि ऊपर वाला देता है सन्तानें, नीचे वाला ले लेता है। यहां चीन जैसी रूलिंग बनायी जाये दो से अधिक संतान होंगी तो उसे सुविधा नहीं मिलेगी वरना आबादी को घटाना सम्भव नहीं होगा। कोई दूसरा उपाय अब नहीं रह गया है। अभी मंत्री लोगों के लिए एड्स की बात कही गयी यह सब तो हमारे लड़के के बराबर हैं, मेरी उम्र तो 68 साल की है मेरी उम्र के बराबर तो माननीय रेवती रमण जी होंगे बाकी तो सामने बैठे छोटे हैं, तो मैं तो कहां जाऊँ, इन्हें तो शर्म आनी चाहिए इन पर नियंत्रण होना चाहिए।

*** डा0 बकार अहमद शाह–**

मान्यवर, मैं भाई रेवती रमण सिंह जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं ।

मान्यवर, यहां किसी वर्ग विशेष के बारे में कहा गया । मान्यवर, देश सबसे महत्वपूर्ण है और कोई भी आदमी जो पढ़ा लिखा है वह ज्यादा बच्चे पैदा करके संख्या को बढ़ाने की बात सोच भी नहीं सकता है । आप आंकड़े देख लीजिये । शहरों में जो पैदाइश है बच्चों की वह कम है और देहातों में ज्यादा है । महिलायें जहां शिक्षित होती हैं वहां परिवार शिक्षित हो जाता है पुरूष के शिक्षित होने से उतना असर नहीं पड़ता है । परिवार कल्याण के आपरेशन में जो इन्सेटिव दिया जाता है 250 रू0 या ज्यादा उसे बंद कर दीजिए सुझाव देना चाहता हूं । इसको बंद कर दीजिए इससे खाली देहातों में शिक्षा का इंतजाम करिये, गोष्ठियां कराये, ड्रामा करायें । मान्यवर, जब सेक्स के अलावा कोई दूसरा इन्टरटेनमेन्ट नहीं होगा तो आबादी बढ़ती रहेगी उनकी सोच ऐसी पैदा करिये कि देश पर आने वाले संकट को रोका जा सके । मान्यवर, केवल यह कहना कि फलां वर्ग बच्चे पैदा करेगा वोट के लिए, फला

*वक्ता ने भाषण का पुर्नरीक्षण नहीं किया ।

वर्ग यह नहीं कर रहा है तो यह महज लांछन है । इसके साथ ही कुंवर रेवती रमण सिंह जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री राम विशुन आजाद–

मान्यवर, कुंवर साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने जो अपना बजट भाषण रखा है उसमें परिवार कल्याण को प्रभावी ढंग से लागू करने का कोई जिक्र नहीं किया है । 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है उसमें सरकार पैसा खर्च करती है कि जनसंख्या को किस तरह कम किया जाय । मान्यवर, पूरे समस्या की जड़ अगर आप देखें तो जनसंख्या है बेरोजगारी बढ़ रहीं है, पानी की समस्या है, सड़क की समस्या है, सारी समस्यायें इस समय फैली हुई हैं जिसका कारण जनसंख्या है । जनसंख्या को कम करने के लिए मैं चाहूंगा कि मलिन बस्तियों में, दलित बस्तियों में कुछ ऐसे प्रोग्राम किये जांय नाटक के द्वारा, कठपुतली के द्वारा, धारावाहिक बनाये जांय और समय समय पर दिखाये जांय जिससे लोगों के अन्दर भावना फैलेगी । अगर जनसंख्या को कम करेंगे यह लोगों को मालूम होगा तो विकास के रास्ते बढ़ेगें । चाइना में इतना कठोर नियम लागू है कि उन्होंने कहा है कि अगर एक से दो बच्चे होंगे तो अगर किसान है, व्यवसायी है तो उसकी सम्पत्ति जब्त कर ली जायेगी, कर्मचारी है तो उसका प्रमोशन नहीं होगा तो इस तरह का कानून बनाये । अगर नेता है चाहे एम0एल0ए0 हो एम0पी0 हो या प्रधान हो वहां यह व्यवस्था है कि अगर वह ज्यादा बच्चे पैदा करता है तो उसको टिकट न दिया जाये, इलेक्शन लड़ने से वंचित कर दिया जाये । अगर यह प्रभावी ढंग से लागू कराया जायेगा एक भावना लोगों के अन्दर पैदा की जायेगी तो जनसंख्या को कम करने में विशेष योगदान होगा । तो यह सोच पैदा करने कीआवश्यकता है । आज महानगरों में शहरों में, ब्लाकों में, कस्बों में, तहसीलों में ऐसे कार्यक्रम चलाये जांय जिससे लोग जनसंख्या कम करने में जागृत हों तो इससे विकास होगा । इसके साथ ही मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए कुंवर साहब ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उस पर बल देता हूं।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मैं दोनों पक्ष के सदस्यों को बधाई देता हूं उन्होंने इस गम्भीर प्रश्न पर संजीदा तरीके से अपनी बात कही । मान्यवर, मैं यह चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इन ठोस सुझावों को मानकर केवल विधान सभा में यह न कह दें कि सरकार इस पर कार्यान्वयन करेगी । मैं चाहता हूं कि आप इस बात की स्पष्ट घोषणा करें कि आपने जो जनसंख्या नीति बनाई है उसका कार्यान्वयन आज से प्रारम्भ करेंगे यह मैं अपेक्षा करूंगा । इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी, आदरणीया श्रीमती सुमनलता जी, श्री लाल जी वर्मा जी, श्री बाल चन्द मिश्र जी, श्री अम्बिका चौधरी जी, माननीय डा0 बकार अहमद शाह जी, श्री राम विशुन आजाद जी, आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं । उन्होंने अपने जो बहुमुल्य सुझाव दिये हैं, उससे यह सरकार लाभान्वित होगी और हम प्रयास करेंगे कि उनको हम क्रियान्वित करें। चीन जैसा तो हम नहीं कर सकते हैं, चीन साम्यवादी देश है। लेकिन इंडोनेशिया, बाँगलादेश,मलेशिया जैसे मुस्लिम देश हैं, जिन्होनें बड़ी तेजी से अपनी आबादी को कन्ट्रोल किया है। इंडोनेशिया जाने का मुझे मौका भी मिला, वहां धर्मगुरूओं ने विशेष अपील लोगों से की । कुरान और इस्लाम भी यह कहता

हैं कि परिवार छोटा हो, खूबसूरत हो, सुन्दर हो, सम्पन्न हो, इसलिये वहां नसबंदी और एवार्शन को वर्जित कर दिया । लेकिन एक इम्पलशंन गोली होती है, जिससे गर्भधारण नहीं होता और दूसरी चीज इंडोक्टिनिस, इससे भी 3 माह तक गर्भधारण नहीं होता है, यह इंडोनेशिया में काफी लोकप्रिय है । जितने भी मुस्लिम देश है, वह इस समय इंडोनेशिया से सीख रहे हैं, वहां पिछले 30 वर्षो में प्रजनन दर में 20 प्रतिशत की गिरावट आई है । आज वह तीर्थस्थान बन गया है ।

हमारा प्रतिनिधि मंडल वहां गया, उसके पहले बांगलादेश का लौटा था, उसके बाद पाकिस्तान का जाने वाला था । जहां तक मतदाता बढ़ाने वाली बात कही गई, उसको मैं नहीं मानता हूं । बल्कि इसका कारण यह रहा कि पुरानी सरकारों ने शिक्षा पर ज्यादा जोर नहीं दिया और आज भी जहां अशिक्षा है, अंधविश्वास है, वहीं आबादी ज्यादा बढ़ रही है । जहां लोग पढ़ लिख गये, चाहे वह किसी भी सम्प्रदाय के हों, वहां परिवार कल्याण को लोगों ने अपनाया है । जहां अंधविश्वास है, गरीबी है, लाचारी है, मंनोरजन का कोई साधन नहीं है, वहां एक साधन है महिला, इसलिये आबादी बढ़ रही है। यह भी आबादी बढ़ने का एक कारण है कि लड़का होना चाहिये तभी कल्याण होगा, इसलिये भी आबादी वढ़ रही है । इसीलिये हम नारी शिक्षा पर ज्यादा जोर दे रहे हैं, वह ज्यादा शिक्षित समझदार होगी तो समाज के हर क्षेत्र में उसकी सहभागिता होगी, जिससे उसमें भी स्वाभिमान की भावना आये, चौके चूल्हे से बाहर निकलकर वह समाज का भी कार्य करे । नीति को लागू करने के लिये, सामंजस्य स्थापित करने के लिये प्रदेश स्तर पर प्रदेश जनसंख्या विकास आयोग का गठन कर लिया गया है, इसकी अधिसूचना जारी हो गई है । माननीय मुख्यमंत्री जी इसके अध्यक्ष होगें और सभी जो हमारे मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय पार्टियां हैं, उनके अध्यक्ष इसके सदस्य होगें । इसके अलावा हमारे अधिकारी होगें। समीक्षा करने के लिये, अनुश्रवण के लिये जनसंख्या स्थायित्व समिति बनाई गई है, इसके अध्यक्ष मुख्य सचिव होगें तथा अन्य अधिकारी इसकी समीक्षा करेगें । वह देखेगें कि जो हमारी जनसंख्या नीति है, उसका क्रियान्वयन हो रहा है अथवा नहीं । इसी प्रकार जिला स्तर पर समितियां बनाई गई हैं, इस प्रकार हम सब एकमत हैं और कोई इसमें मतभिन्नता नहीं है ।

मैं माननीय कुंवर साहब से निवेदन करूंगा कि अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें । हम और आप मिलकर एक जनआंदोलन इसे बनायेंगे और सबको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधायें देगें । जहां असंतोष प्रकट किया जाता है, माननीय अध्यक्ष जी को भी हम लोग कभी-कभी नाराज कर लेते हैं, वह आगे चलकर नाराज नहीं होगें, यहां सहभागिता का वातावरण हुआ करेगा । इस तरह की कल्पना के साथ मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया कटौती का प्रस्ताव वापस ले लें और प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिये आबादी को स्थिर करें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं उम्मीद कर रहा था कि माननीय सरदार सिंह जी कोई नीति की घोषणा करेगें, उन्होनें बता दिया, आयोग बनाया गया है, एक कमेटी बनाई गई है । कमेटी से अगर यह रूकता तो सन् 52 से भारत ने इसे शुरू किया था, जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम और 2001 आ गया, कहीं नियन्त्रण नहीं हुआ। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं ।

प्रश्न यह है कि अनुदान सं0-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-35-चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3,28,30,83,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

वित्तीय वर्ष 2001-2002 के आय-व्ययक में अनुदान के लिए मांग पर चर्चा एवं मतदान-अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग

मद संख्या-9 (4)

पर्यटन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक यादव)—

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 18,12,34,000 रूपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे बजट प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया । मान्यवर, सारी दुनिया एक ऐसे मन्दी के दौर से गुजर रही है और विशेष तौर से जब डब्लू0टी0ओ0 जैसी संस्था का सारी दुनिया पर आक्रमण हुआ हो और अब कम से कम 174 जिन्सें खाने की और उत्पादन की सारी दुनिया में आने लगी हैं । चाइना के बने प्रोडक्ट भारत के बाजार में चाहे, अनचाहे आ रहे हैं एक बल्ब की कीमत जो यहां हमारे देश में कम से कम 10 से 12 रू0 है, चीन का बल्ब 5-6 रूपये में मिलने लगा है । खाने-पीने की तमाम जिन्सें यहां पहुंच रही हैं । ऐसे माहौल में जबकि पूरी दुनिया सिकुड़कर एक गांव हो गयी है, सूचना रडार कम्पयूटर और इण्टरनेट की धूम मची है । पूरी दुनिया में प्रोडक्शन का रिसेशन है ऐसे समय में खाली टूरिज्म ऐसा क्षेत्र बचा है जिसकी दर 6 फीसदी बढ़ रही है सारी दुनिया में है । एग्रीकल्चर 1 प्रतिशत के ग्रोथ रेट पर आ गया है । ऐसे माहौल में पर्यटन ही बचा है जो सारी दुनिया में अपनी धाक जमाये हुये है । अगर पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर हम लोग नजर लगा सकें तो मैं समझता हूं कि पर्यटन सारी समस्याओं का हल करने, निदान ढूंढने में कामयाब हो सकेगा । अगर हम 10 लाख रूपया लगाकर एक कारखाना लगाते हैं तो 19 लोगों को रोजगार देने की क्षमता एक कारखाना रखता है, पर्यटन में 10 लाख रूपया लगाते हैं तो 88 लोगों को रोजगार देने की क्षमता होती है ।

पर्यटन उत्तर प्रदेश में बहुत से लोगों को रोजगार देने में कामयाब होगा 1 मॉरीशस में अप्रवासी भारतीयों हेतु "अपने पूर्वजों को जानिये डिस्करवर योर रूट्स" योजना शुरू की गयी है । दुनिया के 52 देशों में हिन्दुस्तान से गये लोगों की संख्या लगभग 3 करोड़ है । यहां पर आधे से ज्यादा लोग अपने

परिवारों की जड़ों को ढूंढते थे । उत्तर प्रदेश पर्यटन अब इसमें सहयोग कर रहा है । उत्तर प्रदेश के इस प्रोग्राम को "डिस्कवर योर रूट" कार्यक्रम को सारी दुनिया में सराहा गया है । बहुत से इन्वेस्टमेंट के ऑफर मिले और 100 से 125 करोड़ रूपया पर्यटन के क्षेत्र में लगे । डिस्कवर योर रूट सारी दुनिया में छाया हुआ है । उत्तर प्रदेश पर्यटन के इस प्रोग्राम में प्राइवेट सेक्टर में 440 करोड़ रूपये की योजनायें आयी हैं । बड़े खुशी की बात है कि टाटा ग्रुप जैसे लोगों ने उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा जाहिर की है । पर्यटन की दृष्टि से एस0एल0 बर्ल्ड के समकक्ष एक नई योजना लखनऊ में शुरू करन का प्रस्ताव किया गया है । पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बौध परिपथ, सारे देश में बौद्ध परिपथ है। नेपाल, लुम्बिनी, बोध गया को छोड़कर, सारनाथ, कुशीनगर, श्रावस्ती, कौशाम्बी आदि 6 जगहों में उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग पहले चरण में 77 करोड़ रूपया लगा चुका है । जापान के प्रधानमंत्री मोरी जी जब हिन्दुस्तान आये थे, एक हजार 6 करोड़ रूपये की योजना प्रस्तावित उनको दी थी, केन्द्र सरकार को प्रदेश सरकार ने अपनी सहमति भेजी है । पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हैरिटेज योजना शुरू की गयी है । उत्तर प्रदेश में राजाओं और महाराजाओं के घर खाली और उपेक्षित पड़े थे हमने उन लोगों को ऑफर दिया है कि पर्यटन का केन्द्र चलाये, होटल बनायें, अपने घरों को पर्यटकों के लिए खोल दें, यह योजना सारी दुनिया में शुरू की गयी है । एशियन डेवलपमेंट बॉड 150 करोड़ का नेशनल पार्क में प्रस्तावित है । अयोध्या पैकेज पर हमारी सरकार ने साढ़े बारह करोड़ रूपया प्रस्तावित करने का साहस दिखाया है । जो भारत में पर्यटक आते हैं उसमें से 4 में से एक विदेशी उत्तर प्रदेश में आता है तथा स्वदेशी 5 में से दो लोग आते हैं । उत्तर प्रदेश पर्यटन की इकाईयां जो पिछले सालों से घाटे में चल रही थी उनको भी लीज में देने का प्राविधान किया गया है । पॉलीथीन जिनको खाकर जानवर मर रहे थे उसको बन्द करने की घोषणा की है । मान्यवर, इसके अलावा वर्ष 2001-2002 में योजनागत 40.09 करोड़ रूपया और आयोजनेत्तर मद में 9.27 करोड़ रूपये बजट का प्राविधान किया गया है ।

श्री अम्बिका चौधरी–

माननीय मंत्री जी अब समाप्त करें, बहुत हो गया ।

श्री अशोक यादव–

मान्यवर, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए माननीय सदस्यगणों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो अपने सकारात्मक सुझाव देने का कष्ट करें, ताकि उनकी सहायता से हम इस विभाग को और आगे बढ़ा सकें ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या-44-पर्यटन विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने पर्यटन विभाग के संबंध में अपना विचार व्यक्त किया है । मान्यवर, यह पर्यटन विभाग बहुत महत्वपूर्ण है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पर्यटन स्थलों का अगर समुचित विकास किया जाये तो प्रदेश की राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय अखण्डता भी कायम हो सकती है। मैं इसके लम्बे इतिहास में नहीं जाना चाहता हूं ।

मान्यवर, हमारी भौगोलिक सीमा इतनी बड़ी थी कि अफगानिस्तान,कोनियी सुमात्रा, जावा तक हिन्दुस्तान होती थी, बड़ा हिन्दुस्तान था । मान्यवर, आज हिन्दुस्तान की सीमाएं सिकुड़ कर छोटी हो गई है, तमाम ऐसी विसंगतियां पैदा हो गई है और उन विसंगतियों के चलते देश को एक कैसे रख सकते हैं, मान्यवर, यह अहम सवाल है । मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि देश की संस्कृति मिली-जुली संस्कृति है, विभिन्न भाषाओं की संस्कृति, विभिन्न धर्मो की, बोलियों की संस्कृति है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर पर्यटन उद्योग, पर्यटन विभाग का समुचित विकास किया जाये तो हमारे देश में संतुलन कायम हो सकता है । जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है कायम हो सकती है, एकता के सूत्र में देश को बांध सकती है । मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है वह बजट 24 करोड़ 16 लाख का है और अनुदान मांग कुल 18 करोड़ 12 लाख 34 हजार की हुयी और लेखानुदान 4 लाख 12 हजार का ले चुके हैं । वर्ष 1999-2000 में 96 करोड़ 5 लाख 85 हजार का बजट प्रस्तुत हुआ था और वर्ष 2000-2001 में बजट प्रस्तुत किया 37 करोड़ 62 लाख 40 हजार का । यह सही है कि उत्तरांचल अलग हो गया है तो उत्तरांचल में बहुत सी चीजें चली गई हैं, लेकिन जिस अनुपात में पर्यटन विभाग बजट प्रस्तुत कर चुके हैं, उस अनुपात में बजट इस बार नहीं किया है ।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री बालेश्वर त्यागी) –

मान्यवर, माननीय सदस्य भोगांव के हैं वह अपना प्रस्ताव वापस ले लेंगे ।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय शिक्षा मंत्री जी ने भोगांव का जिक्र किया हैं । मैं अपनी बात वहीं से शुरू करता हूं । भोगांव से संकिशा की दूरी कम है ।

मान्यवर, यह सही है कि माननीय मंत्री जी को जो पर्यटन विभाग है, वह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विभाग है, लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो अपनी बजट राशि जो प्रस्तुत की है वह बहुत थोड़ी सी है जो कि इसके लिये पर्याप्त नहीं है । मान्यवर, कुछ वर्षो पहले श्रीलंका से कुछ पर्यटक प्रदेश में आये थे वह संकिसा जा रहे थे, लेकिन मार्ग में उनका एक्सीडेंट हो गया और कई लोग मारे गये । मान्यवर, ऐसा इसलिये हुआ क्योंकि काली नदी जो बीच में पड़ती है, उस पर पुल नहीं बना था, यदि उस पर पुल बना होता तो वे उस लम्बे मार्ग से न जाते, काली नदी के पुल के रास्ते से जाते तो निश्चित रूप से यह दुर्घटना न होती। आपने पर्यटन से संबंधित जो योजनाएं बनाई बौद्ध परिपथ द्वितीय चरण के लिए जो 11 करोड़ रूपये की राशि थी वह प्रदेश में नहीं आई है, इस कार्यक्रम में आज तक कोई विचार नहीं किया गया है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग ठीक से क्रियान्वित किया जाय तो इससे राष्ट्रीय एकता और अखण्डता को स्थापित किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए जो धार्मिक/पर्यटन स्थल हैं उनका विकास किया जाना चाहिए । जैसे हिन्दू धर्म की पर्यटन स्थली अयोध्या है हालांकि यहां बाबरी मस्जिद और अन्य ही हैं वहां स्थित भी बहुत से हिन्दू धर्म से संबंधित पर्यटन स्थल है उनका विकास किया जाना चाहिए । सिक्ख धर्म, जैन धर्म से संबंधित अनेक पर्यटन स्थल हैं, उनका विकास किया जाना चाहिए । अगर आप की नीति और नीयत साफ है तो जो भी धार्मिक पर्यटन स्थल हैं उनका विकास किया जाना चाहिए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इनका विकास नहीं किया गया है ।

मान्यवर, हमारे यहां देवगढ़ ललितपुर में जैनियों का एक 2000 वर्ष पुराना मंदिर है जिसका विकास नहीं किया गया है । सोरोन ललितपुर में जो पर्यटन स्थल है, उसका विकास नहीं किया गया है। जैन धर्म से संबंधित पर्यटन स्थलों से संबंधित स्थलों का विकास किया जाये तो दुनिया के बहुत से लोग इस पर्यटक स्थलों पर आयेंगे और हमारी आय बढ़ेगी । मान्यवर, इस तरह से सिक्ख धर्म से संबंधित बहुत से पूज्य स्थल हैं, सिक्ख धर्म कुर्बानी का धर्म है और सिक्खों ने आजादी की लड़ाई में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है, मुझे जानकारी है कि 927 लोगों को फांसी दी गयी थी आजाद हिन्द फौज में 25000 से ज्यादा सरदार थे ।

मान्यवर, इसी तरह से अयोध्या में एक स्थान ब्रह्मकुण्ड है जिसका विकास किया जाय । यहां पर गुरू तेग बहादुर, गुरू गोविन्द सिंह और गुरू नानक यह तीनों लोग आए थे इसलिए यहां का विकास किया जाय । इसी तरह गुरू का घाट वाराणसी में है, पीलीभीत में रीठासाहव है जिसका विकास नहीं हो सका है । माननीय मंत्री जी ने तमाम जिलों का नाम लिया । श्रावस्ती, कौशाम्बी, शंकिसा कविलवस्तु और कुशीनगर आदि बौद्ध स्थल है ।

मान्यवर, सारनाथ में महात्मा बुद्ध ने अनेक प्रकार के उपदेश दिये हैं । आज दुनिया की 1/3 आबादी भगवान बुद्ध को मानती है लेकिन बौद्ध पर्यटन स्थलों का विकास नहीं किया गया है । सारनाथ में जो बौद्ध मन्दिर है वहां एक दूसरे धर्म के लोगों ने लाल रंग की प्रतिमा लगा दी है जिसके कारण कभी भी झगड़ा हो सकता है । सारनाथ जैसी जगह से जो बौद्धस्थल है वहां से इस प्रतिमा को हटवाया जाय और इसकी जांच करवाई जाय ताकि साम्प्रदायिक एकता कायम रह सके । मान्यवर, शंकिसा में एक समारोह में माननीय मंत्री जी गये थे । वहां पर कई कमेटियां है और शंकिसा मुक्त संघर्ष समिति है, वहां की कमेटियों ने आपको ज्ञापन दिये थे, आपने घोषणा की थी कि वहां के विकास के लिए 2500000 लाख रूपये देगें । लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मेरे अतारांकित प्रश्न में आपने मना कर दिया है कि मैने ऐसी कोई घोषणा नहीं की थी और मुझे मांग पत्र नहीं मिला है । आपका भाषण टेप है मैं आपका भाषण सदन में सुना सकता था, लेकिन वह टेप इस समय मेरे पास मौजूद नहीं है । आप इतने महत्वपूर्ण विभाग के मंत्री होकर के अपनी घोषणा से मना कर रहे हैं आप आत्मचिंतन करें कि ऐसा क्यों कर रहे है । संकिसा में एक बौद्ध स्तूप है वहां पर जो नियंत्रित क्षेत्र है, बौद्धस्थल पर अन्य धर्मो की प्रतिमाएं लगी हैं, मेरी मांग है कि इसको बौद्धस्थल रहने दीजिए नहीं तो कानून और व्यवस्था की गम्भीर परिस्थिति पैदा हो जायेगी । जहां तक विदेशी पर्यटकों का सवाल है, उत्तरांचल अलग हो जाने के कारण हमारे पर्यटन स्थल कम हो गये हैं । 1990 में जब अयोध्या प्रकरण चला था तो सबसे कम विदेशी पर्यटक आए थे, धीरे-धीरे उनमें बढ़ोत्तरी हुई है । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कानून व्यवस्था की स्थित को सुधारने का काम करें, बहुत से विदेशी पर्यटको का कत्ल हो जाता है, उनको यहां पर लूट भी लिया जाता हैए जिससे एक गलत संदेश विदेशी पर्यटकों में जाता है। मान्यवर जहां पर हमारे प्रदेश में अल्पसंख्यक (मुसलमानों) सहित विभिन्न धर्मो के पर्वटन स्थल हैं उनका विकास किया जाना चाहिए। वहीं पर जो लोग देश के आन्दोलन में शहीद हुए हैं जैसे कि अब्दुल हमीद, चन्द्रशेखर आजाद, या जो कारगिल के शहीद हैं उनके नाम से सरकार पर्यटक स्थल स्थापित करे इससे राष्ट्रीय भावनायें भी बढ़ेंगी। इन शब्दों के साथ में अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री केशो मेहरा–

अध्यक्ष जी मैं आपका हृदय से आभारी हूं कि आपने मुझे पर्यटन जैसे महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। मैं आगरा के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। विश्व के जो तीन प्रमुख पर्यटक स्थल

हैं वह आगरा में हैं ताजमहल वास्तुकला विश्व का अद्वितीय उदाहरण है। मंत्री जी ने ठीक कहा कि अनेक देशों की अर्थव्यवस्था सम्पूर्ण रूप से पर्यटन पर आधारित है। हमारे यहां विश्व की ऐतिहासिक इमारत ताजमहल तथा भगवान राम और कृष्ण की जन्मस्थली है। मंत्री जी ने कहा कि विदेशी तीन पर्यटकों में से केवल एक उत्तर प्रदेश में आता है। भारत के चार पर्यटक स्थलों में से केवल एक उत्तर प्रदेश में आता है। यह चिन्ता का विषय है।

मंत्री जी ने आज प्रश्नकाल में अपने लिखित उत्तर में कहा कि हम हवाई सेवाओं को सुदृढ़ कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश और विशेष रूप से आगरा की जो दुर्दशा है उसका कारण यह है कि आगरा में जो हवाई अड्डा है वह एयरफोर्स का अड्डा है सिविल एयरपोर्ट है नहीं आगरा में। देश के और विदेश के पर्यटक जो आगरा आते हैं वह पहले दिल्ली हवाई अड्डे पर आते हैं उसके बाद शताब्दी एक्सप्रेस या ताज एक्सप्रेस अथवा बसों के माध्यम से वह पर्यटक आगरा आते हैं और दिल्ली वापस चले जाते हैं, यदि आगरा में निश्चित रूप से सिविल एयरपोर्ट विकसित नहीं किया जाएगा तो मंत्री जी की जो परिकल्पना है पूरी दुनिया का उदाहरण उन्होंने दिया कि कुछ देशों की केवल पर्यटन के माध्यम से अर्थव्यवस्था संचालित होती है वह पूरी नहीं होगी। यदि ताजमहल के माध्यम से हम दुनिया से आने वाले प्रत्येक पर्यटक को आगरा ले जाएं तो आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। इस सम्बंध में मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि मंत्री जी ने ताजमहल को रात्रि में खोलने का प्रयत्न किया है। जिसको लोकसभा एन्सेंट मोनूमेंट्स एण्ड आर्कियोलोजिकल साइट्स एण्ड रिमेन्स एक्ट एवं नियमावली जिसको लोक सभा और राज्य सभा ने पारित किया है उसमें स्पष्ट रूप से वर्णन है कि ताजमहल पूर्णमासी के दो दिन पहले और दो दिन बाद रात्रि में खुला रहेगा। लेकिन उसके बावजूद नहीं खुल रहा है। यदि हम उसको खुलवा सकें तो निश्चित रूप से पर्यटन की दृष्टि से अच्छा हो। मान्यवर, गोवा की सरकार ने पेइंग गेस्ट योजना चलाई वहां होटलों में चाहे 50-50 कमरे तक हों पेइंग गेस्ट योजना लागू है लेकिन आगरा में ऐसे होटल जहाँ केवल 20 कमरे हैं, वह रूग्ण होते जा रहे हैं जिन ऐसे होटलों में स्वामी रहते हैं ऐसे होटलों को बचाने उनके कर्मचारियों के हितों को संरक्षण प्रदान करने के लिए होटल से उसके लिए यह आवश्यक है कि उनको पेइंग गेस्ट योजना में लिया जाए। वर्तमान में ऐसे निजी भवन, जिनमें 5 कमरे हैं पेइंग गेस्ट योजना लागू है। मंत्री जी जब उत्तर देंगे तो उम्मीद है इस सुझाव पर वह उत्तर देंगे के ऐसे होटलों को पेइंग गेस्ट योजना में वह ले आएं। आगरा में ताजमहल के पीछे यमुना नदी है वर्तमान में गंदा नाला के रूप में है। उस पर बैराज वियर स्वीकृत है मेरा अनुरोध है कि पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण उस बैराज व वियर का निर्माण जल्दी से जल्दी करायें। इसी के साथ ताजमहल-लालकिला, एतमादपुर तक रोपवे बनाने की व्यवस्था करें। राजस्थान में जो हस्तशिल्प की वस्तुएं हैं उन पर कोई व्यापार कर नहीं है वहां व्यापार कर शून्य है, यहां पर लगता है यहां पर व्यापार कर शून्य किया जाना आवश्यक है। जो पर्यटन के लिए विशेष रूप से पुलिस बनाई गई है, वैध गाइड एवं जो पर्यटन से जुड़े लोग हैं इनको लाखों के नाम पर परेशान किया जा रहा है। यदि वास्तव में इन सुझावों पर अमल किया जाये तो निश्चित रूप से पर्यटन की स्थिति में सुधार आयेगा। मैं बजट का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और माननीय विद्वान सदस्य श्री राम औतार शाक्य जी से कटौती का प्रस्ताव वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

श्री सीताराम निषाद्–

मान्यवर मैं कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह पर्यटन विभाग की जो कार्यपूर्ति की पुस्तक है इसमें अयोध्या पैकेज के नाम पर 33 परियोजनाओं को दर्शाया

गया है। 20 करोड़ से ज्यादा पूर्वांचल विकास निधि का पैसा अयोध्या पैकेज के नाम पर दिया गया। मैंने जब नजदीकी से देखा तो पता चला इसका दुरूपयोग हो रहा है। इंजीनियर ठेकेदार पैसे का घोटाला कर रहे हैं माननीय मंत्री जी आप स्वयं निरीक्षण कर लें। अयोध्या पैकेज में ही मर्यादा पुरूषोत्तम राम की नगरी अयोध्या से राम वन गमन मार्ग के एक स्थान तमसा नदी तट पर स्थित रामचौरा गौरा घाट गयासपुर को छोड़ दिया गया यहीं पर श्री राम ने वन प्रस्थान करते समय एक रात विश्राम किया था फिर श्रृंगवेरपुर व भारद्वाज आश्रम के लिए प्रस्थान किया। पहले 1989 में पर्यटन विकास योजना यहां के लिए हमने स्वीकार कराई थी उसमें कुछ काम भी हुआ फिर रोक दिया गया। तमसी नदी तट पर सेतु भी बना लेकिन वहीं पर रामायण कालीन वृक्षों उद्यान लगने के साथ विद्युतीकरण, रामायण कथा पार्क आदि कई योजनाओं को घटा दिया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि राम चौरा पर्यटन केन्द्र गौरा गयासपुर अयोध्या पैकेज में शामिल करके अधूरे निर्माण कार्यों को पूरा करायें वहां पर उत्सव भी होना चाहिए। जो निर्माण कार्य हुए हैं बर्बाद हो रहे हैं क्योंकि उसकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं है। 30-40 लाख रूपये बर्बाद करे गये लेकिन उसकी देख-रेख करने वाला कोई नहीं है। पर्यटन केन्द्र की सुरक्षा के लिए कर्मचारी की नियुक्ति की जायें जिससे देख-रेख हो सके और वह बर्बाद न होने पाये इन्हीं शब्दों के साथ मैं राम औतार शाक्य जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करते हुए इतना कहना चाहता हूं कि एक निवेदन यह है कि राम वन गमन मार्ग दर्शन नगर, करमाकोड़री होकर राम चौरा, गौरा गयासपुर होकर रामपुर मगन जाता है। इसका ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व है। इस मार्ग का कार्य अधूरा है। थोड़ा मार्ग पक्का है और आधा मार्ग कच्चा है। आपसे निवेदन है कि उस राम वन गमन मार्ग के निर्माण का कार्य अयोध्या पैकेज के द्वारा करा दिया जाय।

श्री अजय कुमार पोइया–

श्रीमन्, मैं ज्यादा समय न लेते हुए इतना कहना चाहता हूं कि मान्यवर मथुरा को पर्यटन की दृष्टि से लिया जाना था लेकिन वह नहीं लिया गया। श्रीमन्, जो इस वर्ष की योजना है उसमें जिला योजना से जो स्वीकृति आई थी वह मात्र चार योजनाएं ही पर्यटन विभाग में आई जो कि 2000-2001 में ली गई हैं। जो अन्य योजनाएं ली जानी थीं वह ली नहीं गई हैं। मान्यवर, मथुरा को पर्यटन की दृष्टि से तीर्थस्थल घोषित करना था वह भी नहीं किया गया। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि गोवर्धन, राधा कुण्ड मार्ग जो बनवाया जा रहा है, वह मानक के अनुसार नहीं बनवाया जा रहा है। आगरा मण्डल के आयुक्त महोदय ने अपने निरीक्षण में स्वयं पाया कि जो काम वहां पर हुआ या हो रहा है वह घटिया किस्म का हो रहा है। माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इसकी जांच करा लें और इसकी गुणवत्ता अच्छी हो इस आधार पर वहां काम पूरा कराने की कोशिश करें।

श्री अरविन्द गिरि–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं कोई विस्तृत बात न कह कर सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि अपना प्रदेश पर्यटन के मामले में धनी प्रदेश था। उत्तरांचल के गठन के बाद लगभग सभी पर्यटन स्थल उस क्षेत्र में चले गये। आगरा और इलाहाबाद जैसे ऐतिहासिक महत्व के कारण और बनारस अपने धार्मिक महत्व के कारण, कुछ ऐसे क्षेत्रों को छोड़कर बाकी प्रमुख पर्यटन स्थल उत्तरांचल में चले गये। इस पूरे प्रदेश में लखीमपुर खीरी ऐसा क्षेत्र है जिसको पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा सकता है क्योंकि यहां पर प्रचुर वन क्षेत्र

भी है और इसको 'छोटी काशी' के नाम से भी जाना जाता है। गोला गोकरन नाथ क्षेत्र जहां इस प्रदेश के महामहिम राज्यपाल और कई माननीय मंत्रिगण और मुख्य सचिव के द्वारा भी यह घोषणा की गई कि गोला गोकरन नाथ एक तीर्थ स्थल है इसको छोटी काशी के नाम से भी जाना जाता है, इसको पर्यठन के रूप में अधिग्रहीत और विकसित किया जायेगा। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। आपका जो बजट प्रस्तुत है इसमें भी कोई घोषणा इस प्रकार की नही की गई है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा कि धार्मिक रूप से दूसरे जो क्षेत्र प्रदेश में हैं उनको पर्यटन के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव लावें। इसके साथ ही कहना चाहता हूं कि जो वन क्षेत्र हमारे पास बचा है वहां वन विभाग के द्वारा कुछ गेस्ट हाउस हैं उनको पर्यटन विभाग मिलकर कुछ अच्छे तरीके से उनका नवीनीकरण और सौन्दर्यीकरण करें। लखीमपुर, दुधवा नेशनल पार्क, किसनपुर रेंज जैसी जगहें हैं जिस ओर मैं आपको ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इनको विकसित करके नैनीताल जैसे पर्यटन की जगह हमारे प्रदेश में बनाई जा सकती हैं जो कि विदेशी पर्यटकों को आकर्षित कर सकती हैं। गोला गोकरन नाथ जिसको छोटी काशी कहा जाता है उसको एक पर्यटन स्थल घोषित किये जाने की मांग करता हूं और इसी के साथ शाक्य जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

***श्री राम नरेश रावत–**

आदरणीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे दो मिनट का अवसर दिया है इस बजट पर बोलने के लिये। मैं आपका आभारी हूं। सभी सदस्यों की एक ही भावना है कि पर्यटन बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि बहुत से मुल्क ऐसे हैं जहां न उद्योग हैं, न कृषि है, न खनिज है।वे केवल पर्यटन के बल पर तरक्की कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। राम औतार शाक्य जी हमारे बड़े भाई और बहुत अच्छे पार्लियामेन्टेरियन हैं गम्भीरता से सुनता हूं आपने 18 करोड़ 6 करोड़ मांगा वह कम है। आप इसकी मांग बाद में करेंगे। मेरा एक क्षेत्र है गढ़मुक्तेश्वर, बहुत महत्व का पौराणिक, अध्यात्मिक, धार्मिक, ऐतिहासिक स्थल है। बगैर किसी साधन बगैर किसी आकर्षण के पर्यटन के रूप में विकसित है। मान्यवर, 50 लाख से एक करोड़ तक लोग कार्तिक पूर्णिमा में वहाँ आते हैं। यहाँ कृष्ण जी के बारे में एक कथा प्रचलित है। कार्तिक पूर्णिमा को महाभारत के बाद पुनर्जीवन शुरू करने के लिए, नव जीवन शुरू करने के लिए श्री कृष्ण जी ने लगातार एक माह तक यहां यज्ञ किया। इसलिए लाखों करोड़ों लोग इकट्ठा होते हैं। भागीरथी कैलाश पर्वत से आई हैं। गढ़मुक्तेश्वर में गढ़ों को मुक्त करने की ऐतिहासिक पौराणिक, धार्मिक नगरी है। लाखों लोग हर साल यहां आते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको और विकसित करने की स्वीकृति दी है। श्रीमन् फरवरी महीने में दैनिक जागरण अखबार है उसमें एक सवाल पूछा गया था उसमें सैकड़ों लोगों ने भाग लिया कई जनपदों के हिन्दू और मुस्लिम भाईयों ने भाग लिया। प्रश्न पूछा गया था कि गढ़मुक्तेश्वर को धार्मिक नगरी के साथ-साथ पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए मुझे बहुत प्रसन्नता हुई हिन्दू ही नहीं मुस्लिम भाईयों ने भी कहा कि धार्मिक नगरी है पौराणिक नगरी है इसलिए इसको पर्यटन नगरी में विकसित किया जाए। माननीय मंत्री जी ने इसमें शामिल कर दिया होता तो अच्छा होता मैं दुबारा अनुरोध करूंगा कि गढ़मुक्तेश्वर को पर्यटन नगरी के रूप में विकसित करने की कृपा करें। धन्यवाद ।

श्री अध्यक्ष–

एक माननीय सदस्य गोरखनाथ पाण्डेय दो मिनट में अपनी बात कह दें।

(व्यवधान)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री गोरखनाथ पाण्डेय–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गए पर्यटन के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। काशी प्रयाग के मध्य सीतामणि सीता समाहित स्थल नामक स्थान है इसका पौराणिक धार्मिक महत्व है। यहां हजारों की संख्या में विदेशी पर्यटक आते हैं। भदोही कालीन नगरी होने की वजह से लोग व्यवसाय की दृष्टि से भी यहां आते हैं। श्रीमान् जी0टी0 रोड़ से अलग 13 किलोमीटर पर बाल्मीकी आश्रम लव-कुश का जन्म-स्थल है। इस स्थान के बारे में गोस्वामी तुलसीदास ने कवितावली में वर्णन किया है। इसी स्थान को माननीय मंत्री ने पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने का प्राविधान कर देते जो हजारों पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र बना है। आप सीतामणि और उसके समीप सीता समाहित स्थल को पर्यटन स्थल घोषित कर दें।

श्री राम औतार शाक्य–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदन में जो विचार व्यक्त किये गये हैं सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी सदस्यों ने हमारी बातों का समर्थन किया है। मान्यवर, तालिबान में विशाल पुरानी बुद्ध प्रतिमाओं का विध्वंस किया गया तो प्रधानमंत्री जी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की थी लेकिन हमारे पर्यटन राज्य मंत्री जी ने इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हम विश्व की लम्बी प्रतिमाओं का निर्माण करेंगे तो वह करोड़ों रूपयों में बनेगी। जब बजट में इसका प्राविधान नहीं किया गया है तो कैसे आप इसका निर्माण करायेंगे। हम माननीय मुख्य मंत्री जी की बात का विश्वास करें या माननीय पर्यटन मंत्री जी कह बात का विश्वास करें। दूसरी बात यह है कि उत्तरांचल अलग हुआ। 1998 में जो पर्यटन की नीति बनायी थी वह उसको शामिल करते हुए बनायी थी। तो, जो यह नीति चल रही है उसको संशोधित करना चाहिए। जब यह नहीं हो रहा है तो मैं अपने कटौती के प्रस्ताव को कैसे वापस ले लूं। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अशोक यादव–

मान्यवर, माननीय शाक्य जी ने इस सदन को और सभी माननीय सदस्यों को जो सूचनाएं दी हैं चूंकि बहुत कम समय है और अपनी बात खत्म करनी है, मैं माननीय शाक्य जी से यह कहना चाहता हूं कि वह भौगांव के रहने वाले हैं, कभी वो मेरा भी जिला था, मैंने संकिता में जाकर 10 लाख रूपये का हवाला दिया था पता नहीं कैसे वो 25 लाख सुन गये। जरूर वो वीडियो कैमरा भौगांव का रहा होगा। 10 लाख के उल्लेख के अलावा मैं कुछ नहीं बोला। माननीय सदस्य इसका डाकूमेंटरी एविडेंस ले आयें और मुझे दिखायें और अगर मैं गलत हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा नहीं तो वो देंगें। जहां तक माननीय सदस्य ने तालिबान की बात कही कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रतिक्रिया व्यक्त की और हमने नहीं की तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हाथी के पांव में सबका पांव। दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य मैनपुरी से थोड़ा बाहर निकलकर देखें उसके अलावा भी उत्तर प्रदेश में कुछ है। जैन धर्म पर उत्तर प्रदेश के पर्यटन ने कुछ नहीं किया ये उन्होंने कहा है तो मैं बताना चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री जी ने महावीर जयंती के पर्व को मनाने के लिए पूरे साल की घोषणा की है और हम लोगों की एक कमेटी बनी है और सो करोड़ रूपया केन्द्र सरकार द्वारा दिया गया है। माननीय सदस्य को यह भी बताना चाहता हूं कि जो धर्म और अहिंसा का संदेश है, यह बना और पैगाम बना उसको हम भूले नहीं हैं। हस्तिनापुर में सिक्ख धर्म के लिए काम किया गया। जो कुछ हुआ है जानकारी के लिए बता दूं। जैन धर्म में यह कहा गया कि जियो और जीने दो तो वो फार्मूला खुद भी लगायें। वह हमसे बड़े हैं मैं

उनकी इज्जत करता हूं वह हमें आर्शीवाद दें। जो माननीय केशव मेहरा जी ने कहा कि ताजमहल के बारे में, माननीय उच्चतम न्यायालय के सामने यह विचाराधीन है और माननीय सदस्य को इस बात की जानकारी होनी चाहिए। रात में खोलने का विषय न सदन में उठाया जा सकता है और न कहीं और सिविल एवीयेशन की जो बात कही गयी वो मेरे कार्य क्षेत्र के बाहर है लेकिन मेरा पूरा प्रयास रहेगा। ताजमहल को रात में खुलने की बात का जिक्र आया ये ए0एस0आई0 में पेन्डिंग है, यमुना बैराज सिंचाई विभाग के पास है, नियोजन में है अयोध्या वाला मसला उसमें साढ़े बारह करोड़ की योजना है चालीस परसेंट खर्च कर दिया गया है बाकी नियोजन विभाग के पास है। प्रधानमंत्री सेक्टर से गढ़मुक्तेश्वर के बारे में एक योजना का प्रस्ताव चल रहा है। माननीय राम नरेश रावत जी ने चिन्ता जाहिर की है उनके विचार और सहयोग आने याले बजट में हम लेंगे। माननीय शाक्य जी से अनुरोध है कि कृपया कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने का कष्ट करें।

श्री अध्यक्ष–

आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरा प्रथम सत्र 2001 के दूसरे मंगल हेतु निर्धारित प्रश्न अतारांकित संख्या-164 पर प्रश्न था उसमें पूछा था कि बुधागमन समारोह के अवसर पर उन्होंने संकिसा के विकास के लिए घोषणायें की थी तो उत्तर आया जी नहीं। दूसरे भाग में क्या 25 लाख रू0 की धनराशि की घोषणा की थी तो उत्तर आया प्रश्न नही उठता।

तो मान्यवर अगर 25 लाख रू0 नहीं तो 10 लाख की बात स्वीकार कर लेते। आपने यह कह दिया कि कोई घोषणा नहीं की थी। तो आप में नैतिकता हो तो आप इस सदन में इस्तीफा दे दें। मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रूपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2002 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, 18,12,34,000 रूपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष –

आज दिनांक 15-5-2001 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 29 सूचनाएं प्राप्त हुई।

निम्नलिखित सदस्यों की उनके सम्मुख अंकित सूचनाओं पर वक्तव्य स्वीकृत हुआ:-

1-श्री रूप चौधरी	प्रदेश के सभी बड़े नगरों के सिनेमाघरों में अश्लील फिल्मों के प्रदर्शन के कारण समाज पर पड़ रहे दुष्प्रभावों के सम्बन्ध में।
2-डा0 वकार अहमद शाह	प्रदेश के राजकीय बालिका कालेजों में बी0टी0सी0 वेतनमान की शिक्षिकाओं को एल0टी0 में प्रोन्नति/संविलीन किये जाने के सम्बन्ध में।
3-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी	प्रदेश में अनियमित रूप से की जा रही विद्युत कटौती से जनसामान्य को हो रही असुविधाओं तथा पावर कारपोरेशन द्वारा समस्या का सम्यक् निराकरण न कर पाने के सम्बन्ध में।
4-श्री राम विशुन आजाद	प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में वार्षिक गृह परीक्षाएं मई माह मे आयोजित किए जाने के सम्बन्ध में।
5-श्री रघुवर दयाल वर्मा	फिरोजाबाद नगर में पीने के पानी की भीषण कमी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
6-श्री श्यामदेव राय चौधरी	वाराणसी नगर के सर सुन्दर लाल मेडिकल कालेज में आधुनिक सुविधाओं से उत्पन्न एक नई 'मर्चुरी' का निर्माण तथा शव विच्छेदन हेतु डाक्टरों एवं कर्मचारियों की समुचित व्यवस्था व शवों के साथ आने वाले लोगों के लिए प्रतीक्षालय व शौचालय बनाये जाने के सम्बन्ध में।
7-श्री इकबाल महमूद	जनपद मुरादाबाद के सम्भल क्षेत्रान्तर्गत ग्राम नई बस्ती व मण्डलाई के ग्रामीण विद्युत लाइन (हातिम सराय सब स्टेशन) से कनेक्शन लेने वाले किसानों को शहरी लाइन की दरों से बिलों के भुगतान का नोटिस दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सदस्यों की उनके सम्मुख अंकित सूचनाओं पर केवल वक्तव्य स्वीकृत हुआ :--

1-श्री अवधेश प्रसाद — जनपद फैजाबाद स्थित मसौधा शुगर फैक्ट्री के निकट शराब फैक्ट्री से निकलने वाले जहरीले पानी से जनसामान्य को हो रही कठिनाईयों के सम्बन्ध में।

2-श्री चेतराम — प्रदेश के राजकीय विद्यालयों एवं प्रशिक्षण संस्थानों मे रिक्त सभी प्रवकता (पुरूष) पदों को तत्काल पदोन्नति से भरे जाने के सम्बन्ध में।

3-श्री अरविन्द गिरि — जनपद लखीमपुर खीरी के कतिपय ग्रामों में हुई ओलावृष्टि व ग्राम अमीन नगर में हुए भीषण अग्निकांड से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

4-श्री लालजी वर्मा — टाण्डा थर्मल प्रोजेक्ट, विद्युत नगर, टाण्डा, जनपद अम्बेडकर नगर में विद्युत उत्पादन निगम द्वारा तापीय परियोजना में कराये गये कार्यों का क्षेत्रीय ठेकेदारों व श्रमिकोंकी बकाया धनराशि का भुगतान न किए जाने के सम्बन्ध में।

5-श्री सीताराम निषाद — उत्तर प्रदेश पुलिस आवास निगम में व्याप्त आरक्षण सम्बन्धी अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

6-श्री अजय कुमार पोइया — ग्लेयर्स आइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्रा0 लि0, गढ़ी बलना, जनपद हाथरस की उत्तर प्रदेश वित्त निगम द्वारा अनियमित रूप से की गयी नीलामी के सम्बन्ध में।

7-डा0 पूर्णमासी पंकज — जनपद संत रविदास नगर के भदोही विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत वर्ष 2000-2001 में शासन द्वारा स्वीकृत 50 हैण्डपम्प अभी तक न लगाये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

8-श्री दुर्गा प्रसाद यादव — यू0पी0 पावर कारपोरेशन द्वारा ऐसे किसानों के नलकूपों को, जो शहरी क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं, से नई संशोधित टैरिफ के अनुसार ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षा अत्यधिक शुल्क लिये जाने तथा लघु एवं मध्यम पावर में संगणित कर इण्डस्ट्रियल रेट वसूले जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सदस्यों की उनके सम्मुख अंकित सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया:-

1-श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद (नियम 56 में प्राप्त) — जनपद हमीरपुर के कस्बा राठ में निरन्तर हो रही आपराधिक घटनायें तथा पुलिस द्वारा प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2-श्री उदयराज यादव — शिवभगौती जूनियर हाई स्कूल तथा माण्टेसरी स्कूल ग्राम गद्दीपुर इरेहटा, विकास खण्ड असोहा जनपद उन्नाव द्वारा कई वर्षों से छात्रों को छात्रवृत्ति का वितरण किए जाने के सम्बन्ध में।

3-श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि — जनपद बिजनौर के स्थानीय निकायों के सफाई कर्मचारियों के अवशेष वेतन के भुगतान के सम्बन्ध में।

4-श्री राम प्यारे सिंह — जनपद आजमगढ़ की सगड़ी तहसील के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में हुए अग्निकांड के प्रभावित परिवारों को समुचित राहत एवं सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।

5-श्री राम तेज यादव एडवोकेट — जनपद बहराइच के राजकीय इण्टर कालेज हेतु प्रवक्ता पद परिवर्तन सम्बन्धी शासनादेश शीघ्र निर्गत न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6-श्री आर्य राम शरन — जनपद मथुरा के सादाबाद क्षेत्र के अन्तर्गत किसानों के गेहूं क्रय में की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में।

शेष सूचनायें अस्वीकृत हुयीं।

मण्डल/जिला अथवा विकास खण्ड को एक इकाई के रूप में मानकर प्रदेश के कृषकों के लिये राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को स्वैच्छिक एवं व्यक्तिगत रूप से लागू किये जाने विषयक डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा दिनांक 10 मई, 2001 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-3, नत्थी (ग) के सम्बन्ध में नियम-49 के अन्तर्गत आधे घण्टे की निर्धारित चर्चा का स्थगन।

श्री अध्यक्ष –

माननीय बाजपेयी जी चर्चा प्रारम्भ करें, विषय अच्छा है और वातावरण भी शान्त है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी –

मान्यवर, इसको स्थगित कर दीजिए, मैंने सचिव को मौखिक सूचना दे दी थी।

श्री अध्यक्ष –

इसे माननीय सदस्य के अनुरोध पर स्थगित कर देता हूं। अब हम उठते हैं कल 11 बजे पुन: बैठेंगें।

(इसके बाद सदन का उपवेशन....10 बजकर.....50 मिनट पर...../अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

दिनांक 15 मई, 2001

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'क'

(देखिये अता0 प्र0 सं0-165 का उत्तर पीछे पृष्ठ 97 पर)

एकल अध्यापकीय विद्यालयों की सूची

जनपद-मैनपुरी

क्र0 सं0	विकास खण्ड	विद्यालय का नाम
1.	विकासखण्ड बेबर	1. प्राथमिक विद्यालय, बघेला
		2. ,, ,, न0 पैठ
		3. ,, ,, बागपुर
		4. ,, ,, मानपुर मिकू
		5. ,, ,, हरजापुर
		6. ,, ,, कन्या टोडरपुर
		7. ,, ,, कन्यामैसरोली
		8. ,, ,, कन्याजोंस
		9. ,, ,, कोसेपुर
		10. ,, ,, नगधरी
		11. ,, ,, अरसनियां
		12. ,, ,, नागला राधे
		13. ,, ,, कन्या हिन्दूपुर
		14. ,, ,, अपूरपुर
		15. ,, ,, जसराजपुर
		16. ,, ,, अहमदपुर करूआमई
		17. ,, ,, कछपुरा
2.	विकास खण्ड सुल्तानगंज	18. ,, ,, प्रा0 वि0 घिटौआ
		19. ,, ,, कन्या बृजराजपुर
		20. ,, ,, धनमऊ
		21. ,, ,, नाका
		22. ,, ,, मुर्राचक सहारा
		23. ,, ,, दलपतिपुर
		24. ,, ,, छतरीपुर
		25. ,, ,, भवानीनगर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	विकास खण्ड		विद्यालय का नाम	
		26.	प्राथमिक विद्या0	गोविन्दपुर
		27.	,, ,,	गिगौरा
		28.	,, ,,	कन्या सकरा
3.	विकास खण्ड किशनी	29.	,, ,,	सोभनपुर
		30.	,, ,,	कुन्दनपुर
		31.	,, ,,	सन्तपुर
		32.	,, ,,	हरीपुर रतनपुर
		33.	,, ,,	अर्जुनपुर
		34.	,, ,,	कछपुरा
		35.	,, ,,	सठिगँवा
		36.	,, ,,	महमदपुर
		37.	,, ,,	दुम्हरी खिरिया
		38.	,, ,,	कुतूपुर
		39.	,, ,,	नगला कले
		40.	,, ,,	कुडराबघौनी
		41.	,, ,,	धीरपुर
		42.	,, ,,	सोनासी
		43.	,, ,,	प्रा0 वि0 सुल्तानपुर
		44.	,, ,,	बसैत
		45.	,, ,,	हरी सिंहपुर
		46.	,, ,,	पहाड़पुर
		47.	,, ,,	मकरन्दपुर
		48.	,, ,,	दाऊदपुर
		49.	,, ,,	चौराईपुर
		50.	,, ,,	किशनी
		51.	,, ,,	मीरपुर
		52.	,, ,,	धमियांपुर
		53.	,, ,,	बसावनपुर
4.	विकासखण्ड जागीर	54.	प्राथमिक विद्या0	लुखरिया
		55.	,, ,,	देवीदासपुर
		56.	,, ,,	मलिखानपुर
		57.	,, ,,	अर्जुनपुर गढ़ी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	विकास खण्ड	विद्यालय का नाम		
5.	विकासखण्ड कुरावली	58.	प्राथमिक विद्या0	रोगिंगपुर
		59.	,, ,,	खिरिया
		60.	,, ,,	कन्या सलेमपुर
		61.	,, ,,	अन्तपुर
		62.	,, ,,	ईसईमॉझपाटी
		63.	,, ,,	जींगन
		64.	,, ,,	गुलालपुर
		65.	,, ,,	कुम्हरौआ
		66.	,, ,,	भवानीपुर
		67.	,, ,,	विशुनपुरा
		68.	,, ,,	बोझिया
	विकासखण्ड बरनाहल	69.	,, ,,	बनिगॅवा
		70.	,, ,,	बलपुरा
		71.	,, ,,	बनकपुर खिजरपुर
		72.	,, ,,	बेलाहार
		73.	,, ,,	गढ़िया भदोल
		74.	,, ,,	नगला मान्धाता
		75.	,, ,,	सोथरा
		76.	,, ,,	श्माहसनपुर
		77.	,, ,,	खुशालपुर
		78.	,, ,,	फूलापुर
		79.	,, ,,	पैरारशाहपुर
		80.	,, ,,	गोपियापुर
		81.	,, ,,	ढकपुरा
		82.	,, ,,	उरथान
		83.	,, ,,	तकहड़या
		84.	,, ,,	नगला अनियॉ
		85.	,, ,,	सैयदपुर केहरी
		86.	,, ,,	अहमदपुर
		87.	,, ,,	मुहब्बतपुर लभौआ
		88.	,, ,,	खरौआ
		89.	,, ,,	भिडौरा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

क्र0 सं0	विकास खण्ड	विद्यालय का नाम		
7.	विकासखण्ड करहल	90.	प्राथमिक विद्या0	रम्पुरा
		91.	,, ,,	मनौना
		92.	,, ,,	गदनपुर
		93.	,, ,,	नाकऊ
		94.	,, ,,	गुन्हैया
		95.	,, ,,	बॉसक
		96.	,, ,,	बूरामई
		97.	,, ,,	पशुपुरा
		98.	,, ,,	गढ़िया
		99.	,, ,,	कुर्रा
		100.	,, ,,	भवानीपुर
		101.	,, ,,	कमलपुर
		102.	,, ,,	कुतुबपुर बुजुर्ग
		103.	,, ,,	सहन
		104.	,, ,,	नगला तेज
		105.	,, ,,	सुल्तानपुर
		106.	,, ,,	कन्याकुर्रा
		107.	,, ,,	मईखेड़ा
		108.	,, ,,	डुडगांव
		109.	,, ,,	पड़रा
		110.	,, ,,	रानीपुर हरेर
		111.	,, ,,	नगला बदा
		112.	,, ,,	चन्दपुरा
		113.	,, ,,	नगला अन्ती
		114.	,, ,,	शंकरपुर
		115.	,, ,,	उदयपुर
		116.	,, ,,	नगला भवानी
		117.	,, ,,	कन्या भवानीपुर
		118.	,, ,,	सढ़
		119.	,, ,,	भोगपुर
		120.	,, ,,	नगला बरा
		121.	,, ,,	विडारी
		122.	,, ,,	ककवाई

उत्तर प्रदेश राजपत्र भाग

क्र0 सं0	विकास खण्ड	विद्यालय का नाम		
		123.	प्राथमिक विद्या0	बनकटिया
		124.	,, ,,	एमनपुर
		125.	,, ,,	ररूआ
		126.	,, ,,	बरूआ
		127.	,, ,,	नगला दयाल
8.	विकासखण्ड घिरोर	128.	,, ,,	मुहब्बतपुर
		129.	,, ,,	नाहिली II
		130.	,, ,,	बड़ाहार
		131.	,, ,,	चिकनी
		132.	,, ,,	नगला राम सिंह
		133.	,, ,,	न0 केहरी-कोसमा
		134.	,, ,,	अम्बरपुर
		135.	,, ,,	मानपुर
		136.	,, ,,	नगलाकन्हई
		137.	,, ,,	रम्पुरा
		138.	,, ,,	भगवन्तपुर
		139.	,, ,,	नगलाहार
		140.	,, ,,	सूरजपुर
		141.	,, ,,	नगला बख्ती
		142.	,, ,,	बादशाहपुर
		143.	,, ,,	कन्यादारापुर
		144.	,, ,,	लोहलखेड़ा
		145.	,, ,,	पचावर
		146.	,, ,,	अल्लापुर
		147.	,, ,,	हाजीगंज
		148.	,, ,,	बिल्घरा
		149.	,, ,,	कन्या शाहजहांपुर
		150.	,, ,,	कासौन
		151.	,, ,,	नगला बौना
		152.	,, ,,	नगला महाराम
		153.	,, ,,	तालिबपुर

उत्तर प्रदेश विद्युत संघ

क्र0 सं0	विकास खण्ड	विद्यालय का नाम	
9.	विकासखण्ड मैनपुरी	154. ,, ,,	जगतपुर
		155. ,, ,,	कुड़ाहार
		156. ,, ,,	रूरिया भरथरा
		157. ,, ,,	उथन्ना
		158. ,, ,,	टिण्डौली
		159. ,, ,,	अखई

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मैनपुरी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0 (आर0आर0)-1 विधान सभा 21-6-03--813 किताबें (कम्प्यूटर/आफसेट)